

प्रकाशक : नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ।

मुद्रक : शंभुनाथ वाजपेयी, नागरी मुद्रण, काशी ।

प्रथम संस्करण, १२०० प्रतियां, संवत् २०३५ ।

नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ।

नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी

मूल्य. १२ = ००

ग्रंथावली का परिचय

सोलहवीं शती में, भारत में जो नवजीवन तरंगित हो रहा था उसमें बुदेल-खड के महाराज वीरसिंहदेव का एक विशेष स्थान है। उन्होंने औरछा नगर बसाया, वहाँ अनेक भव्य भवन और चतुर्भुज का बड़ा विशाल तथा सुंदर मंदिर बनाया। एव दतिया में तो ऐसा प्रामाद निर्माण किया जैसा मध्ययुग से आज तक उत्तर भारत में बना ही नहीं। हिंदू वास्तु का यह नमूना समार के खास भवनों में से है। हिंदी कविता में रीति शैली के जन्मदाता आचार्य केशवदास उन्हीं के यहाँ राजकवि थे।

इसी बुदेल राजवंश के समुज्वल रत्न स्व० औरछा नरेश सवाई महेंद्र महाराज सर वीरसिंहदेव, के० सी० एस० आई० थे, जिनका प्रगाढ़ हिंदीप्रेम सराहनीय है। १९६० वि० में द्विवेदी-अभिनदन-उत्सव के सभापति आसन से काशी में महाराज ने २०००) वार्षिक साहित्यसेवा के लिये राज्य की ओर से देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा का मूर्तस्वरूप देवपुरस्कार है, जिसमें २०००) वार्षिक, एक साल ब्रजभाषा के, दूसरे साल खड़ी बोली के सर्वोत्तम काव्यग्रंथ पर दिया जाता है। तदनुसार, १९६१ वि० में यह पुरस्कार ब्रजभाषा की 'दुलारे दोहावली' पर श्री दुलारेलाल भार्गव को, १९६२ वि० में खड़ी बोली की 'चित्ररेखा' पर श्री रामकुमार वर्मा को तथा १९६३ वि० में ब्रजभाषा के 'रामचंद्रोदय' काव्य पर श्री रामनाथ 'जोतिसी' को दिया गया।

१९६४ वि० में पुरस्कार योग्य पुस्तक का अभाव रहा। अतएव पुरस्कार के इस नियम के अनुसार कि, जिस वर्ष पुरस्कार योग्य ग्रंथ न हो उस वर्ष की पुरस्कार निधि उत्तम पुस्तकों के प्रकाशन में लगाई जाय, पुरस्कार की संचालक संस्था श्री वीरेंद्रकेशव साहित्य परिषद्, टीकमगढ़ ने एक एक हजार रुपया हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग तथा नागरीप्रचारिणी सभा, काशी को प्रकाशनार्थ प्रदान किया।

सभा ने इस निधि को सधन्यवाद स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि इससे 'देव पुरस्कार ग्रंथावली' का प्रकाशन किया जाय, जिसमें कला और विज्ञान आदि की अच्छी से अच्छी पुस्तकें सुलभ मूल्य पर निकाली जायें। इस सबंध में हमें जैसे लेखकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है उससे पूरी आशा है कि उत्तम साहित्यिक दान द्वारा प्रस्तुत यह ग्रंथावली अपने उद्देश्यों में सर्वथा सफल होगी।

प्रकाशकीय

देव-पुरस्कार-ग्रथावली का परिचय इन पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित है। एतदर्थ १०००) का कृपापूर्ण दान जिरोधार्य करके नभा ने (१) भारतीय मूर्तिकला (ले० श्री राय कृष्णदास), (२) भारत की चित्रकला (ले० श्री राय कृष्णदाम) तथा (३) भारतीय वास्तुकला (ले० श्री परमेश्वरीलाल गुप्त) नामक तीन ग्रथ प्रकाशित किए। एतदर्थ प्रदत्त उक्त निधि और उपर्युक्त ग्रथों की विक्री से हुई सारी आय उक्त पुस्तकों में लग गई। फिर महाघंता उत्तरोत्तर घटती गई और ऐसी स्थिति नहीं हुई कि इन ग्रथावली में एकत्र द्रव्य से कोई नवीन ग्रथ प्रकाशित हो। प्राय ३१ वर्षों के अंतराल के उपरांत इस ग्रथावली की यह चौथी पुस्तक हिंदी जगत् के समक्ष उपस्थित करते हुए नभा को विशेष प्रसन्नता हो रही है।

पुस्तक के विद्वान् लेखक श्री वासप्पा दानप्पा जत्ती महोदय भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। इसके पूर्व, राज्यों के पुनर्गठन के भी पहले, उन्होंने जमखंडी राज्य में मंत्री और मुख्य मंत्री जैसे दायित्वपूर्ण पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया। राजनीतिक क्षेत्र में आने पर भी अपनी नुयोग्यता के कारण जत्ती महोदय नित्य आगे बढ़ते गए। पर इस क्षेत्र में भी उनमें विद्यानुराग और स्वतंत्र चिंतन मनन की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विकसित और परिपुष्ट होती गई। उनके सदृश स्वाध्यायशील और राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति के लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था।

भारतीय जनगण के प्रति जत्ती महोदय के हृदय में स्वाभाविक अनुराग है। जनगण के कल्याणकार्य के लिये किया गया कोई भी आह्वान उन्होंने कभी अनसुना नहीं किया। समय समय पर हुए ऐसे ही आयोजनों में उन्होंने जो अवतृताएँ दी उन्हीं में से कुछ चुनी हुई उपादेय अवतृताओं का सकलन इस पुस्तक में किया गया है। पुस्तक के सुयोग्य संपादकों ने उनका विषयानुसार वर्गीकरण करके सारी सामग्री को आठ खंडों में विभाजित कर दिया है। वे हमारे धन्यवादाहर्ह हैं। मुझे विश्वास है, पुस्तक रूप में प्रकाशित इन रचनाओं का हिंदी जगत् यथोचित समादर करेगा और भारतीय जनगण का इनसे पर्याप्त कल्याण होगा।

ना० प्र० सभा, काशी
वासतिक नवरात्रारंभ
स० २०३५ वि०

(करुणापति त्रिपाठी)
प्रकाशन मंत्री

बासप्पा दानप्पा जत्ती

जन्म तिथि—१० सितंबर, १९१२ ।

जन्म स्थान—सवलजी, जि० बीजापुर (मैसूर)

शिक्षा—राजाराम कालेज, बीजापुर से बी.ए. और साइक्स लॉ कालेज कोल्हा-
पुर से एल-एल बी. ।

कार्यक्षेत्र—जमखंडी में वकालत की । तदुपरांत जमखंडी राज्य में मंत्री हुए और
फिर वही मुख्य मंत्री हुए ।

बवई विधान सभा के विधायक नामांकित हुए, जहाँ इन्होंने मैसूर (वर्त-
मान कर्नाटक) राज्य का प्रतिनिधित्व किया ।

बवई के मुख्य मंत्री श्री बी. जी खेर के पार्लियामेण्टरी सचिव हुए और फिर
स्वास्थ्य और श्रम विभाग के उपमंत्री का पद ग्रहण किया । राज्यो-
के पुनर्गठन के अनंतर श्री जत्ती मैसूर विधान सभा के विधायक चुने
गए । फिर वहाँ की भूमि-सुधार-समिति के अध्यक्ष हुए । सन् १९५८
से १९६२ तक ये मैसूर राज्य के मंत्री रहे । जमखंडी निर्वाचन क्षेत्र से
ये पुन मैसूर विधान सभा के सन् १९६२ से १९६७ तक के लिये
विधायक चुने गए । तदनंतर १९६२ से १९६५ तक वित्त मंत्री और
१९६५ से १९६७ तक खाद्य मंत्री नियुक्त हुए ।

अक्टूबर १४, सन् १९६८ को पाडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का
कार्यभार ग्रहण किया ।

८ नवंबर, १९७२ को उडीसा के गवर्नर हुए । २० अगस्त, १९७४ को
उस पद से इस्तीफा दे दिया ।

२७-८-१९७४ को उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और ३१-८-१९७४
को शपथ ग्रहण किया ।

एल-एल. डी. की मानव उपाधियाँ—७-११-१९७४ को कर्नाटक विश्वविद्यालय ने
एल-एल. डी. की उपाधि से समानित किया ।

२०-२-१९७६ को गुरुनानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर से एल-एल.
डी. उपाधि से विभूषित हुए ।

बरहामपुर विश्वविद्यालय ने १२-१-१९७७ को एल-एल. डी की मानव
उपाधि से अलंकृत किया ।



श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती
उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य

विषयसूची

१. देश और समाज

१—सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ	
२—लोकमत की जिम्मेदारी	३
३—पचायतो का दायित्व	७
४—मूदान की रजत जयती	१०
५—ऐच्छिक सस्थाओं के सहयोग का महत्व	१२
६—आर्य समाज और सामाजिक न्याय	१४
७—औद्योगिक प्रगति के प्रतीक	१६
८—मूल्यों के प्रति श्रद्धा	२२
९—भावात्मक एकता के साधन	२५
१०—ग्रामोद्योगो का महत्व	२८
११—किसानों का किस्सा	३०
१२—मानवकल्याण का एक ठोस कार्य	३३
१३—देश की उन्नति में महिलाओं का योगदान	३५
१४—साम्प्रतिक अनुभूति का विस्तार	३७
१५—नैतिकता के संरक्षक	३९
१६—कर्मवीरों की जन्मभूमि	४१
१७—सीमा के संरक्षक	४४
१८—भविष्य का मार्ग	४६

२. देश और भाषा

१९—देश और भाषा	५३
२०—सद्भावना और प्रेम का नया युग	५४
२१—हिंदी की उपलब्धियाँ	५६
२२—हिंदी के लिये एक समन्वित स्वरूप	६५
२३—साहित्यिक आदान प्रदान की आवश्यकता	६८
२४—राष्ट्रभाषा : सही परिप्रेक्ष्य	७२
२५—राजभाषा	७६

३. देश और धर्म

२६—उद्बोधक सतवर श्री विवेकानन्द जी	८१
२७—त्यागमय जीवन की शिक्षा : सत ज्ञानेश्वर जी	८४
२८—सत्य के आराधक गुरु तेग बहादुर	८८
२९—गीता का संदेश	९२
३०—भगवान् महावीर	९६
३१—धर्म का सही रूप	९८
३२—एक समाजसुधारक संगठन	१०४
३३—भूखे भजन न होय	१०६
३४—मानवधर्म	१११
३५—आध्यात्मिक मूल्यों का पुनरुत्थान	११५
३६—विश्वकल्याण	११७
३७—विश्वशांति	११९
३८—आत्मोन्नति के उन्नायक	११९

४. भाषा और साहित्य

३९—कालिदास साहित्यदेवी का विलास	१२७
४०—विद्यापति : संस्कृति के सेवक	१२९
४१—मीरा नारी चेतना की उन्नायक	१३४
४२—साहित्य और राष्ट्रोत्थान	१३४
४३—साहित्य के द्वारा मानव हित की साधना	१३९
४४—साहित्यकारों एवं कलाकारों का दायित्व	१४४
४५—चित्रकला	१४६
४६—भारतीय समीक्षा	१४७
४७—भारत की प्राचीन नीतियाँ	१५०
४८—संस्कृत पाण्डुलिपियों की सूची एवं गोरक्षनाथ दो महत्त्वपूर्ण ग्रंथ	१५३

५. अभिवदन और अभिनन्दन

४९—आदर्श का अनावरण	१५६
५०—स्वातंत्र्य संग्राम के महान् योद्धा . श्री नेता जी	१६१
५१—कर्मयोगी . श्री राजेंद्रप्रसाद जी	१६५
५२—तप और त्याग की मूर्ति : श्री लालबहादुर शास्त्री जी	१६६
५३—राष्ट्रीयता का स्थायी आधार . श्री फखरुद्दीन अली अहमद	१७२

५४-हिंदी जगत् की एक महान् विभूति . श्री श्यामसुंदर दास	१७५
५५ मानव कल्याण के साधक श्री आनंदीलाल पौदार	१७७

६. शिक्षण और समाज

५६-व्यक्तित्व का निर्माण	१८३
५७-राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व	१८६
५८ समाज की एक जिम्मेदारी	१८८
५९-अशांति के कारण	१९१
६०-परिवार की खुशहाली	१९४
६१-व्यास शिक्षा	१९७
६२-समाज के नन्हे पौधे	१९९
६३-आशाओं के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप	२०२
६४-शिक्षण का पुनर्निर्माण	२०६
६५-हमारी शिक्षणपद्धति	२०९
६६-महिलाएँ और शिक्षण	२१३
६७-आज के तीर्थस्नान	३१५
६८-अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता	२१७

७. स्वास्थ्य और समाज

६९-प्रगति के पथ पर आयुर्वेद	२२१
७०-स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना	२२४
७१-अधत्व निवारण के लिये एक अभियान	२२६
७२-नेत्रचिकित्सा	२२८
७३-अधो का आत्मनिर्भर बनाने की प्रशसनीय योजना	२३१
७४-मानवीय अनुकंपा का कार्य	२३३
७५-दृष्टिकोण में अपेक्षणीय परिवर्तन	२३५
७६-सार्यक कदम	२३८

८. कृतज्ञता

७७-नवभारत के निर्माण में सहयोग	२४३
७८-सेवा करने का सौभाग्य	२४६
७९-सदर्भ	२४९

१. देश और समाज

लोकमत की जिम्मेदारी

ववई के इस महानगर में अपने पुराने मित्रों, साथियों तथा पत्रकार चघुओ के मध्य अपने आपको पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। मेरे जीवन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग कई एक कार्यक्षेत्रों में यहाँ बीता है। हिंदुस्तान समाचार जैसी बहुभाषी एव एक मुख्य समाचार सस्या की ओर से मुझे यह अवसर प्रदान किया गया, उसके लिये मैं आभारी हूँ।

मैं समझता हूँ कि ववई नगर ने सदा से भारत की गरिमा को चित्रित किया है। वास्तव में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी ववई एक "लघु भारत" का प्रतीक माना जा सकता है। इसलिये यह स्वाभाविक और उचित ही है कि "हिंदुस्तान समाचार" ने एक छोटे पैमाने पर, खासकर राष्ट्रभाषा वृत्त-पत्रों की सेवा के उद्देश्य से, इस ऐतिहासिक नगर में अपनी स्थापना की। लोकमत लोकतंत्रीय जीवन की आत्मा है। सूचना इसका आधार है। सूचनाओं के तेजी से प्रसारण से लाखों लोगों के विचारों और व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है। यह सत्य ही कहा गया है कि लोकमत के एक वार जग जाने से पहाड़ी तक को हिलाया जा सकता है। हमारे देश में लोकमत तैयार करने की जिम्मेदारी अधिकतर राष्ट्रभाषा के वृत्तपत्रों पर है।

आप जानते हैं कि हमारा देश एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे समाज में जहाँ आधुनिकीकरण और विकास के प्रयत्न किए जा रहे हों, जिस समाज का आदर्श धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र ही, ऐसे समाज की रचना में लोकमत महत्वपूर्ण काम करता है। इस लोकमत का सबंध उस बदलते हुए लोकजीवन से है, जो उन्नति, सुदृढता और समृद्धि के लिये ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की समन्वित शक्तियों से पूरा लाभ उठाने की अपने अदर क्षमता पैदा करना चाहता है। इसके लिये हमारे सामने बलिष्ठ साधन ऐसे समाचार पत्र ही हो सकते हैं, जो जनसाधारण तक उसकी प्रातीय भाषा में उसे उपलब्ध हो सके। समाचार-पत्रों का क्षेत्र कुछ गिनेचुने लोगों तक ही सीमित हो, या यह समझा जाए कि इनकी जरूरत तो केवल शहरी लोगों को ही है, यह अपने को धोखा देने जैसी बात है। विकास क्रम में शहरों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना उन प्रयासों को अर्थहीन बना देता है, जिनका सबंध राष्ट्र के साथ है।

असली भारत देहात मे वसता। है देहात की उन्नति और विकास पर ही राष्ट्र की सच्ची प्रगति अवलंबित है। किमी कीमत पर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश की खुशहाली के लिये हमने जिन योजनाओं की रूपरेखा बनाई है और भविष्य के लिये हमारा जो कार्यक्रम है, उनकी सफलता देशवासियों की सजगता और सत्रियता पर नदैव निर्भर करती है। इस चेतना के विस्तार में समाचारपत्रों का पूरा महयोग मिलना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश में राष्ट्रभाषा के समाचारपत्रों की उम्र नाते एक श्रेष्ठ परंपरा रही है, क्योंकि इनमें बहुत से समाचारपत्रों ने "समाचार जगत्" में जनशिक्षण के लिये उपयुक्त स्थान बनाया है। वास्तव में देखा जाए, तो लोकमत तैयार करने का अर्थ ही यही है कि जनता को इस माध्यम से ऐसी शिक्षा मिले, ताकि एक नए समाज की रचना में वह बराबर की भागीदार बन सके। जनमत तैयार करना लोकशिक्षण का अंग है और मैं मानता हूँ कि इस दिशा में प्रादेशिक भाषाओं में निकलने-वाले पत्रों के अतिरिक्त दूसरा और कोई अन्य साधन नहीं हो सकता।

हिंदुस्तान समाचार वृत्त संस्था का जन्म इस बात को महसूस करके हुआ था कि देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। देश में जो दो वृत्त संस्थाएँ थी उनका भुकाव ब्रिटिश शासकों की ओर होने के कारण, हमारे राष्ट्रीय संग्राम की कुछ हद तक उपेक्षा होती थी और इस बड़े आंदोलन का चित्र प्रायः लोगों के सामने रखा नहीं जाती था। जब वीर सावरकर ने इस समस्या के संस्थापक श्री आष्टे के समक्ष यह बात रखी तब एक स्वतंत्र राष्ट्रीय वृत्त संस्था की स्थापना के लिये पहला पग उठाया गया जो इस कमी को पूरा कर सके।

यद्यपि राष्ट्रीय समाचार संस्था की स्थापना का विचार १९४२ में रखा गया था, तथापि इसकी स्थापना श्री आष्टे के मध्यमाओं से १९४८ में हो सकी और इस प्रकार इस सहकारी बहुभाषी समाचार संस्था का जन्म हुआ, जो हर प्रांत की सेवा उसी प्रांत की भाषा में करती है।

कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। श्री आष्टे इंग्लिश रोमन के टेलीप्रिंटरों के पक्ष में नहीं थे और यही वह मकौच था, जिनने टेलीप्रिंटर में नागरी लिपि के प्रयोग का आविष्कार किया। वास्तव में यह एक अपूर्व उपलब्धि है। मुझे प्रसन्नता है कि इस उद्देश्य को लेकर ही "हिंदुस्तान समाचार" की स्थापना हुई। यह तो स्पष्ट है कि आजादी पाने के बाद देश में ऐसी वृत्त संस्था का होना एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी, जो हमारे

द्वैतीय समाचारपत्रों की सेवा कर सके। इन २५ सालों में "हिंदुस्तान समाचार" के कार्यकर्ताओं ने बड़े विनम्र और विनीत भाव से इस ऐतिहासिक आवश्यकता को पूरा करने की निष्ठापूर्वक कोशिश की है। इसे सहकारी संस्था के रूप में चलाने के लिये आपके मनुख कई कठिनाइयाँ और बाधाएँ भी प्रस्तुत हुईं, परंतु आपके लगातार परिश्रम के फलस्वरूप आपकी यह संस्था आगे बढ़ी, और बड़े संस्थान का स्वरूप इसने धारण किया। अपने उत्कृष्ट मनोरथ में आपने जो सफलता पाई है, उसके लिये मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मिलकर काम करने का जो आदर्श है उसके लिये सहकारिता की भावना बहुत आवश्यक है, जिसमें से उमका मन्था रूपी शरीर जीवन प्राप्त करता है। वृत्त मन्था की सफलता उसके सदस्यों से मिलकर काम करने की भावना पर अवलंबित है। इस अर्थपर मैं इस संस्था के संस्थापक एवं संपादक, श्री एस० एस० श्राप्टे को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके त्याग और समर्पण के जीवन ने प्रायः सभी कार्यकर्ताओं को इस सहकारी प्रयास के निमित्त अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये प्रेरित किया।

मुझे बताया गया है कि प्रांतीय समाचारों का उस प्रांत की भाषा में दिया जाना, अखिल भारतीय आकाशवाणी के प्रसारण के लिये बड़ा उपयोगी है। इस संबंध में मैं "हिंदुस्तान समाचार" के पत्रकारों को यही सलाह दूँगा कि वे उन विकास कार्यों के बारे में दिए जानेवाले समाचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, जहाँ पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि कई बार पत्रकार केवल राजनैतिक समाचारों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। वास्तव में "राजनैतिक" समाचार हमारे समन्वित जीवन का एक अंश मात्र है। इसलिये पत्रकार की लेखनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रतिबिंबित करने में समर्थ होनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि हमारे पत्रकार हमारे देश के विभिन्न भागों में जो विकास कार्य हो रहा है, उसके निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा उसके बारे में समाचार देने के लिये अधिक उत्सुक होंगे और इससे प्रचुर और विविध अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिये उन्हें भी कई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, जिनका जन साधारण सामना कर रहा है। इस तरह पत्रकार हमारे समाज में हो रही प्रगति और विकास का मूल्यांकन कर सकेंगे।

पत्रकार का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उसकी पैनी दृष्टि न केवल राष्ट्रीय समस्याओं, सामाजिक अवस्थाओं तथा ग्रामीण अंचलों में नव

चेतना की जागृति पर रहनी चाहिए, वलिक्र अन्तरराष्ट्रीय स्थिति पर भी ध्यान रहना जरूरी है। एक पत्रकार की हैमियत में आपका समाज के प्रति बड़ा उत्तरदायित्व है और इससे भी अधिक उत्तरदायित्व वृत्त मस्याओं का है, जहाँ से सूचनाएँ दूसरे क्षेत्रीय केंद्रों में भेजी जाती हैं।

“हिंदुस्तान समाचार” बंबई की रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिये यहाँ उपस्थित हो पाना मैं अपने लिये सौभाग्य की बात मानता हूँ। आपको इस सस्था के प्रयासों की सफलता के लिये मैं अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि हिंदुस्तान समाचार मस्या जनमत को तैयार करने, उसके स्वरूप को निखारने, लोगों में एकत्र एक नब्बी राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। यहाँ बूलाने के लिये मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं इन जत्दों के नाय इस समारोह का उद्घाटन करता हूँ।

पंचायतों का दायित्व

यह आपके प्रेम और स्नेह की उदारता है कि आपने मुझे आज के इस जिला पंचायत सम्मेलन में उपस्थित होने तथा आप सबसे मिलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

हमारे देश में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। ऋग्वेद में, हमारे स्मृति ग्रंथों में तथा हमारे अन्य प्राचीन शास्त्रों में ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन अंग्रेजों के शासन में इस व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंकने की चेष्टा हुई। आजादी के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के साथ साथ आगे बढ़े, उन्नत हो, क्योंकि भारत जैसे देश में, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या गाँव में रहती है, उनकी उन्नति के बिना देश सही मानो में तरक्की नहीं कर सकता। इसलिये पंचायतों को यह काम सौंपा गया कि वे अपने ग्राम क्षेत्रों के विकास, व्यवस्था और स्वास्थ्य का भार स्वयं उठाएँ, तथा सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाती है, उसे लागू करें। आज पंचायत के कार्य और दिनो दिन विस्तृत हो रहे हैं। उनपर जिम्मेदारी बढ़ रही है। प्रगति की रफ्तार के साथ उन्हें भी चलना है और अपने गाँव को ऐसा रूप देना है कि वे न केवल आत्मनिर्भर ही हो जाएँ, बल्कि अन्न, फल, सब्जी, घी, दूध इत्यादि में देश की आवश्यकताएँ भी पूरी कर सकें। आज हमें पूरी तरह से अनुशासित रहकर, पूरी निष्ठा से, देश का उत्पादन बढ़ाने में जुट जाना है, तदर्थ कड़ी मेहनत करनी है। अपने क्षेत्रीय ससाधनों का पूरी तरह से उपयोग करना होगा। उत्पादन की वृद्धि और उसका समुचित वितरण, यही राज है खुशहाली का, यही उपाय है समृद्धि का। देश समृद्ध होगा तो निश्चित है कि देशवासियों का जीवन स्तर भी उँचा उठेगा। केवल शहरों के विकास से काम नहीं चलता। यह विकास हमारे गाँव गाँव में जब तक नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जरूरत इस बात की है कि एक जागरूकता की लहर गाँव गाँव में दौड़ जाए और सभी इस कार्य के लिये कसर लें कि हमें अपने गाँव की दशा को बेहतर बनाना है, उसे सुदूर और स्वस्थ रूप देना है और यह संकल्प लेना है कि हमारे रास्ते में जो बाधाएँ हैं, वे आर्थिक हो या सामाजिक, हमें उन्हें दूर करना है। वे सामाजिक कुरीतियाँ हो, अध-

विश्वास हो, अज्ञान हो, भ्रष्टाचार हो या शोषण की दुराई हो, हमें गाँव को इन सबसे मुक्त करना है। लोगों में प्रेम और सद्भावना जागृत कर, उनमें सामुदायिक उत्थान की चेतना को उभारना होगा।

आज देश में एक नया उत्साह जगा है, एक नया वातावरण तैयार हुआ है, चारों ओर निर्माण सवधी कार्य हो रहा है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। हम एक महान् प्रयास कर रहे हैं। वह प्रयास है देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उन्नत करने का। हमारे लिये अनुशासन पर्व है। इसकी घोषणा हुई लोगों में दायित्व और जिम्मेदारी का अहसास कराने के लिये, विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये और लोक-तंत्रीय प्रणाली की रक्षा के लिये। अनुशासन की भावना ने संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन के उत्थान और विकास के लिये जनमानस को प्रेरित किया ताकि समानता के आधार पर एक प्रगतिशील समाज की रचना हो, सभी को विना भेद भाव के समुचित लाभ मिल सके। और अनुशासन में रहता हुआ देशवासी अपना दायित्व पूरा कर सके। इस थोड़े से समय में देश की स्थिति में कितना सुधार हुआ और किस कदर कामकाज में तेजी आई, यह सभी जानते हैं। कितने ही काम हुए, कीमतों में गिरावट से मँहगाई पर काबू पाया जा सका, चोर बाजारी, काले घघों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए गए, छोटे किसानों और भूमिहीनों को नई सुविधाएँ दी जा रही हैं, बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया है। इसके अतर्गत कृषि, लघु उद्योगों, दस्तकारियों की सहायता के प्रवर्ध जटाने की व्यवस्था हुई, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के विकास पर ध्यान दिया गया। वास्तव में इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय जीवन के हरेक आवश्यक अंग को स्पर्श किया है जिसके लिये त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए थे। आज यह नया कार्यक्रम आपके समुख है, जिसे समझने की कठिनाई नहीं, जो स्वयं स्पष्ट और प्रभावकारी है। इसे सफल बनाने में ग्राम पंचायतें एक उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। यह कार्यक्रम देखा जाए तो किसानों और कर्मचारियों के लिये है। उनके हितों की रक्षा के लिये है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसे सफल बनाएँ और देश की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करें।

पंचायतों को आज एक बड़ा दायित्व निभाना है और हर सभ्य प्रयत्न करना है कि गाँव की स्थिति अच्छी हो, उत्पादन को बढ़ाने के लिये परंपरागत साधनों का भी उपयोग हो और विज्ञान द्वारा जो नए साधन उत्पादन

बढ़ाने में मुनम हो रहे हैं, उनमें भी पूरा लाभ उठाया जाए। पर्याप्त श्रम और सहयोग ही वह कुञ्जी है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि सामूहिक चेतना का विस्तार हो, और हर व्यक्ति यह सोचे कि उसे जहाँ दूसरों के सहयोग की जरूरत है, उसे अपना भी सहयोग देना है। एक राष्ट्रीय भावना से अपने गाँव की सेवा करनी है।

इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने आपसे मिलने का मौका दिया।

भूदान की रजत जयंती

दिल्ली भूदान रजत जयती समिति के तत्वावधान में भूदान की रजत जयती के उपलक्ष्य पदयात्रा मप्ताह का आयोजन, वान्तव में एक ऐतिहासिक घटना है। हम सबके लिये यह एक मुखद संदेश लेकर प्रस्तुत हुआ है। उसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों को एक नई दिशा मिलेगी। भूदान की रजत जयती के अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई देता हूँ और पूज्य विनोबा जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ ताकि हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे और देश के विकास और कल्याण के कार्यों में उनका शाशीर्वाद मिलता रहे।

विनोबा जी आधुनिक युग के महान् चिंतकों में हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने जो कुछ संजोया, उसे अपनी साधना का श्रम बनाकर, उसे राष्ट्र के समक्ष भूदान, श्रमदान, बुद्धिदान, ग्रामदान, जीवनदान के रूप में प्रस्तुत किया। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिये, ट्रेस्टीशिप का जो मूल मंत्र गांधी जी ने देशवासियों के समुख रखा था, उस भावना को उजागर करने तथा नए परिवर्तनों के निमित्त अपेक्षित वातावरण तैयार करने के लिये विनोबा जी ने आज से २५ वर्ष पूर्व भूदान यज्ञ का उद्घाटन किया था और गाँव गाँव में पैदल जाकर सहकारिता का कल्याणकारी संदेश पहुँचाया। यह विचार करने की बात है कि आज के इस युग में, जब कि यातायात के अनेक साधन उपलब्ध हैं, विनोबा जी ने हृदय परिवर्तन के लिये पदयात्रा को ही प्रभावी साधन माना, क्योंकि यही एक कारगर तरीका है जिससे हम गाँव गाँव में जाकर लोगों तक पहुँच सकते हैं, और अपने आत्मीय संपर्क द्वारा सह अग्नित्व, समता और सहानुभूति के विचारों का व्यापक विस्तार कर सकते हैं, उन्हें अपने रचनात्मक कार्यों से प्रभावित कर ग्राम निर्माण के लिये प्रेरित कर सकते हैं।

हमारे कृषिप्रधान देश में गाँव ही हमारे राष्ट्र निर्माण का केंद्र बिंदु है, यह गांधी जी का दृढ़ विश्वास था। विनोबा जी ने भी गाँव और ग्रामवासियों को ही अपने कार्यक्रम का आधार बनाया। महात्मा जी आर्थिक और सामाजिक समता के मंत्रदाता थे। इसके लिये वैधानिक स्तर पर लोकतंत्रीय समाजवाद

का आधार प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विनोबा जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्रीय समाजवाद का समर्थन किया था और कहा था कि पंडित नेहरू लोकतंत्रीय समाजवाद की हमें बहुमूल्य निधि दे गए हैं। आज देश के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत हैं वास्तव में वह महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के सपनों के भारत को आधुनिक परिवेश में साकार रूप प्रदान करने का एक महान् प्रयत्न है। हमारे लिये यह बड़ी प्रमन्नता की बात है कि उनके लिये विनोबा जी ने अपना आजीविक प्रदान किया है।

आज देश में दायित्व और अनुशासन बोध का युग आरंभ हुआ है और फिर से देश समृद्धि के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कार्यक्रम को हमें गाँव गाँव तक पहुँचना है, क्योंकि ग्राम कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है और हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि ग्रामीण जनता को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाने में हम देश को एक नया रूप दे सकेंगे। हमें गाँव गाँव में पहुँचना है, उनपर बोझ बनने के लिये नहीं, बल्कि गाँव के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग देने के लिये, उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद देने, पिछड़ापन, अधविश्वासों, कुरीतियों तथा शोषण से उन्हें मुक्त करने के लिये। शासन की ओर से जो सुविधाएँ आज जुटाई जा रही हैं, हमें यह देखना है कि उनका लाभ ग्रामवासियों, पिछड़े वर्गों, साधनहीन लोगों तक उचित रूप से पहुँचे।

हम एक महान् आदर्श से प्रेरित होकर देश के सामाजिक क्षेत्र में मिल कर काम करेंगे, तो देश की शक्ति अवश्य बढ़ेगी और तीव्र गति से प्रगति भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पदयात्रा सप्ताह का उद्घाटन करता हूँ और घन्यवाद देता हूँ कि आपने इस पदयात्रा में भाग लेने का मुझे सुयोग प्रदान किया।

ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग का महत्व

आपका अनुरोध था कि मैं मथुरा जाते समय थोड़ी देर कोमोकली में आप सबसे मिलूँ और यहाँ जो विकास कार्य यहाँ हो रहा है, उमें देखूँ। अपने देशवासियों से मिलने का जब जब अवसर मुझे मिला है, मैंने उमें अपने लिये मूल्यवान् माना है। मुझे यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि इस नगर के वासियों में काफी जागरूकता है, और देश के अन्य भागों की तरह आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं।

यह सभी जानते हैं कि समाज का विकास उसके हर छोटे बड़े सदस्य पर निर्भर करता है, जिसके मन में उसे सँवारने की लगन और उत्साह है। आज हम सभी अपना अपना काम ईमानदारी और जी जान में करें, राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक महत्व दें, तो कल्याणकारी राष्ट्र की कल्पना के साधक होने में समय नहीं लगेगा। जिस ढंग से देश के विकास कार्यों के लिये हमने एक योजनावद्ध कार्यक्रम बनाया, उसमें यही प्रावधान रहा कि हमारे सारे देशवासी उसमें भागीदार बनें, मिल जुलकर हम राष्ट्रनिर्माण का काम करें और हमारी उपलब्धियों का लाभ देश के कोने कोने में रहनेवाले नागरिक को प्राप्त हो। यह काम बड़ा जरूर है, परन्तु हम सब मिलकर अपना अपना दायित्व निभाने की चेष्टा करें, तो कोई ऐमा काम नहीं जो हो न सके। आज यदि हर व्यक्ति राष्ट्रनिर्माण के इस काम में हाथ बटाए तो हमारे सुदूर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी बड़ा काम हो सकता है। वैभवशाली तथा प्रतिभाशाली वर्ग को चाहिए कि वह इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करे, और उन बुजुर्गों से प्रेरणा ग्रहण करे जो सदा के लिये अपने त्याग और अपने कामों द्वारा कुछ आदर्श स्थापित कर गए हैं, ताकि भावी पीढ़ियाँ भी उस रास्ते पर चलकर, इस देश के लिये काम करें।

इस सदर्भ में लाला गयालाल जी की सेवाओं से आप भली भाँति परिचित हैं। उनका जीवन इस नगरी के हित चिन्तन में ही बीता है। वे सदैव दूसरों की सहायता के लिये तत्पर रहे। उनके हृदय में देश सेवा का जो अकुर था वह उन्हें जीवन भर कल्याण कार्यों के लिये प्रेरित करता रहा। जिस प्रकार उन्होंने अपने नगरवासियों में अपना स्नेह बाँटा, वैसे ही उन्हें नागरिकों का आदर और सहयोग भी मिला। उनकी स्मृति को बनाए रखने

के लिये यहाँ के विशिष्ट तथा उदार नागरिकों की सद्भावना से लाला ग्यालाल ट्रस्ट की स्थापना होना, आपकी श्रद्धापूर्ण भावना का प्रतीक ही माना जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि ट्रस्ट का प्रथम भवन आज बनकर तैयार हो गया है, वास्तव में यह शुभ कार्य का शुभारम्भ ही कहा जा सकता है। आप सबको इसके लिये बधाई देता हूँ।

मुझे बताया गया है कि आपके इस ट्रस्ट के समक्ष एक बड़ी योजना है और शनैः शनैः आप समाज सेवा के कई कार्य हाथ में लेंगे। अभी आपके इस भवन में शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। ये दोनों चीजें प्राथमिक महत्व की हैं। मुझे आशा है कि कस्बे की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने में आपके इस विद्यालय से तथा चिकित्सालय से बड़ी सहायता मिलेगी।

आज ऐच्छिक संस्थाओं से अधिक सहयोग अपेक्षित है। सार्वजनिक कामों में हम जितनी लगन और उत्साह से दिलचस्पी लेंगे, समस्याओं के समाधान में हमें उतनी ही सफलता मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम बदलती हुई परिस्थितियों में राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप अपने कृत्यों का निर्धारण करें, अपनी सामूहिक शक्ति को सामुदायिक कल्याण तथा सामूहिक हित के कामों में लगाएँ। परस्पर सद्भाव, सहायता और सहयोग की भावना से ही एक सुदृढ़ सामाजिक और आर्थिक आधार तैयार होगा। अभी तक जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएँ अनुभव की जाती हैं, उन्हें हमें जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। परंतु यह निर्भर करता है देशवासियों की न्यायप्रियता पर, सहिष्णुता तथा समदृष्टि के व्यवहार पर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि समाज के हर प्रभावशाली व्यक्ति का इस माने में बड़ा दायित्व है, समय की यही माँग है कि देश का हर नागरिक पूरी निष्ठा से देश को मजबूत बनाने में अपनी रचनात्मक प्रतिभा और अपने वैभव को देश के हित में यथाशक्ति अर्पित करे।

लाला ग्यालाल जी का जीवन आज के व्यापारी वर्ग तथा समाज के वरिष्ठ लोगों को देश लिये कुछ कल्याणकारी और रचनात्मक कार्य करने के लिये उत्साहित करता है। मुझे प्रसन्नता है कि जो काम लाला जी ने श्रारम्भ किया था, उनके उत्तराधिकारियों तथा नगरवासियों ने उसे आगे बढ़ाने में अपने कर्तव्य का प्रमाण दिया है। मैं यही चाहता हूँ कि आपमें समाजसेवा का यह उत्साह बना रहे और आप इन्हीं मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर अपने नगर और समाज के लिये कार्य करते रहें।

मुझे लाला ग्यालाल चैरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा निमित्त भवन का उद्घाटन करने में बड़ी खुशी है। आप सबको मेरी शुभ कामनाएँ।

आर्य समाज और सामाजिक न्याय

आज शिवरात्रि है। हमारी आध्यात्मिक परंपरा का यह एक परम पावन पर्व है। परम पिता परमात्मा की उपासना के लिये जो नाम इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है, वह जितना सुंदर और सुखद है, उतना ही कल्याणमय भी है। वैदिक साहित्य में “शिव” शब्द में जो प्रेरणा शक्ति है, जिस भावना और अनुभूति की प्रतिष्ठा हुई है, वह मसार के अन्य किसी साहित्य में दुर्लभ है। प्राणिमात्र के कल्याण एवं सुख के लिये जो उपास्य शक्ति है, वही “शिव” है। शिव सतोप, परमानंद, मंगल, उत्कर्ष एवं अभ्युत्थान का रूप है।

वेद में इस प्रकार प्रार्थना की गई है—

यो व शिवनमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उशतीरिव मातरः ।

अर्थात् हे देवो ! जिस प्रकार ममतावश माताएँ अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं और माताओं का वह दूध शिशुओं के लिये सजीवन रस के रूप में परिणत होता है, इसी प्रकार तुम्हारा शिवतम रस हम सब प्राणियों को समान भाग में प्राप्त हो, किसी को कम या अधिक न मिले ।

महिमामयी शिवरात्रि को ही आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के मन में शिव के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करने की जिज्ञाना पैदा हुई थी। यही उन जागरण की रात्रि थी, जिसने बालक मूलशंकर को दयानंद बनने के लिये प्रेरित किया। अपनी साधना और तप के फलस्वरूप वे शिव-रस का पान कर मच्चै अर्थों में दयानंद बन गए। यह सत्य है कि स्वामी दयानंद ने सन् १८७५ ई० में ववई में आर्य समाज की स्थापना की थी, परंतु वास्तव में देखा जाए तो दयानंद की जन्मनी शिवरात्रि ही आर्य समाज की भी जन्मदात्री कही जा सकती है।

में इस पवित्र अवसर पर महान् विभूति स्वामी दयानंद को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ। मानवोपकारक उदात्त भावों और मतव्यों की पूर्ति के लिये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी जो देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सके, समाज की भीतरी दुर्बलताओं को दूर करने तथा उसे एक सुंदर और स्वस्थ रूप प्रदान करने में अपना योगदान दे सके। आर्य-समाज का इस दिशा में सगहनीय कार्य रहा है और यह प्रसन्नता की बात है कि आज भी वह अपने उस उत्कृष्ट प्रयत्न में सक्रिय है।

स्वामी दयानंद की धार्मिक क्षेत्र में एक विशेष देन बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने धर्म के दार्शनिक रूप को निखारा, गीता के कर्मवाद को उजागर किया तथा अंधविश्वास, स्वार्थप्रियता और मानसिक आलस्य के आवरण में पड़ी हुई जाति की जगाकर उसमें दीनता और हीनता के स्थान पर आत्म-प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव की स्थापना की।

यह सभी जानते हैं कि कर्म के सामाजिक या सामूहिक रूप को किसी कारण भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि महापुरुषों ने अपने वैयक्तिक मोक्ष से बढ़कर किसी चीज को महत्व दिया तो वह मानव-कल्याण है, नर नारायण की सेवा है। मानव मात्र के बीच परस्पर प्रेम, सहानुभूति तथा एक दूसरे के लिये त्याग की भावना सुदृढ़ करके मानवोचित जीवन के उत्कर्ष में सहायक होना ही उनकी साधना को सार्थक बना गया। महात्मा बुद्ध के समान स्वामी दयानंद ने अपने को साहित्य की परिधि में संकुचित नहीं रखा, उसे देशवासियों के अभ्युत्थान के साथ जोड़ दिया। एक बार स्वामी दयानंद जी से किसी साधु ने पूछा था कि आप इतने त्यागी परम-हस होकर प्रवृत्ति के जटिल जाल में क्यों उलझ रहे हो, प्रजा प्रेम का बखेड़ा क्यों डालते हो, निर्लेप होकर विचारो, आत्मा से प्रेम करो, जो श्रुतिवाक्य है। इसपर स्वामी जी ने कहा था, “महात्मन्, आप आत्मा से प्रेम करते हैं और वह आत्मा तो सबसे रमा हुआ है फिर आपको केवल अपना ही विचार क्यों है? क्या आपने कभी उन बधुओं का भी चिंतन किया है, जो आपके देश में लाखों की संख्या में हैं, जिन्हें उदर भर कर खाने को अन्न नहीं मिलता, नन ढकने के लिये कपड़ा नहीं मिलता, सड़े गले झोण्डों में जीवन काटना पड़ता है। उनकी खोज खबर कोई भूले भटके भी नहीं लेता। हमें यदि आत्मा से और विराट् आत्मा से प्रेम करना है तो हमें अपने अंगों की भाँति सबको अपनाना होगा। अपनी क्षुधा निवृत्ति की तरह उनकी भी चिंता करनी होगी। सच्चा परमात्मा प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता, वह ऊँच नीच की भेद भावना को नहीं पाल सकता। उतने ही पुरुषार्थ से दूसरों के दुःख निवारण करता, कष्ट क्लेश सहन करता है, जितना वह अपने लिये करता है। ऐसे लोग ही वास्तव में आत्मा-प्रेमी कहलाने के अधिकारी हैं।” स्वामी जी सत्य के उपासक थे। परंतु सत्य के उपयोगी अंशों को ही प्रपनाने के लिये कहते थे। इसलिये उन्होंने कहा था कि “मेरी कोई नवीन कल्पना या मतमतांतर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है। किंतु जो सत्य है, उसको मानना मनवाना और जो असत्य है, उसको छोड़ना

छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में प्रचलित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता। वित्तु जो आर्यावर्त व अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है, उसका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ।” उन्होंने इमीलिये यह बड़ी वार कहा था कि उनके इन विचारों में भी जो मन्व्य प्रतीत हों उसे प्रहण करें। वे विद्या और विज्ञान का आदर करते थे। परंतु उन्हें लोकाहित का साधन मात्र रखना चाहते थे। इमीलिये, आर्य समाज को उन्होंने धर्म प्रचार का ही माध्यम नहीं बनाया, उसे जनजीवन एवं समाजसेवा की आर लक्षित किया, जो लोगों में परस्पर उपकार के भाव पैदा करे और हर व्यक्ति को अपने दायित्व के पालन के लिये प्रेरित करने का भ्रमक प्रयत्न करे। आर्य समाज की इस सद्म में एक उपयोगी भूमिका रही है। अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों द्वारा उसने शिक्षा, समाज सुधार तथा राष्ट्रीय चेतना के विस्तार में अपना जो योगदान दिया है, उसकी हम कद्र करते हैं। आर्य समाज ने आधुनिक और प्राचीन शिक्षा पद्धतियों में समन्वय स्थापित करके शिक्षा के विस्तार में काफी सहयोग दिया है। उनके स्कूल और कालेजों में युवक आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ भारतीय विचारधारा में भी दीक्षित होते रहे हैं। प्राचीन गुरुकुल पद्धति की सस्याओं ने संस्कृत और हिंदी के प्रचार की दिशा में प्रणमनीय कार्य किया है। ऊंच नीच तथा जाति पांति के भेद भाव से रहित, ये सस्याएँ समानता का वह आधार प्रस्तुत कर सकी हैं, जिससे हमारी सामाजिकता दृढ़ हो।

सामाजिक न्याय के लिये आर्य समाज सदैव प्रयत्नशील रहा है। महिला-शिक्षा के विस्तार में अग्रणी रहने हुए, इसने सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों को दूर करने के लिये साहसिक कदम उठाए हैं। आजादी से बहुत पहले, रुढ़िग्रस्त समाज में बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा के लिये वातावरण तैयार करना कठिन कार्य था। परंतु आर्य समाज ने इसे ही अपने कार्यक्रम का मुख्य अंग चुना। पददलितों के उद्धार में आर्य समाज की एक अनुकरणीय भूमिका रही है।

यह प्रसन्नता की बात है कि आर्य समाज ने अपने एक सौ वर्ष के जीवन में उक्त सभी क्षेत्रों में सुंदर कार्य किया है और एक बुद्धिवादी प्रगतिशील संस्था के रूप में उसने समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। स्वामी दयानंद की दूरदर्शिता, भूष वृद्ध का ही यह परिणाम है कि आर्य समाज का जो स्वरूप उन्होंने निश्चित किया, वह जनतंत्रीय व्यवस्था के भी उतना

ही अनुकूल है जितना हमारे पुरातन गौरव के साथ संबद्ध है। इसी चीज-ने इसे एक जन आंदोलन का आधार प्रदान किया।

आर्य समाज के लिये यह स्वाभाविक ही है कि वह अपनी गत सौ वर्षों की उपलब्धियों पर गर्व करे। परंतु इसके साथ उसे आगामी कार्यक्रम और रीति नीति का भी पर्यवलोकन करना चाहिए। यह सर्वविदित है कि आज का युग परिवर्तनों का युग है। विज्ञान और टेक्नोलोजी विश्व एव मानव समाज को नित्य नया रूप देने में लगे हैं। इसलिये हमें अपने अनुभव के आधार पर चिंतन करना चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों में हमारी ये सस्थाएँ किस प्रकार अधिक उपयोगी और प्रभावी बन सकती हैं। आर्य समाज जैसी सस्थाओं को विश्व के मानव के कल्याण के लिये कार्य करना चाहिए। धर्म के जो मनागन तत्व हैं, उनके प्रसार द्वारा मानवता का उत्थान करके विश्व-शांति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

आज हमारा देश एक नए दौर से गुजर रहा है। यह दौर सामाजिक नवचेतना का एक नया सदेश लेकर प्रस्तुत हुआ है। वह सदेश है अन्शासन का, राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने का, कर्तव्यपरायणता का, असमानताओं, भेद भावों को दूर करने तथा आर्थिक और सामाजिक उत्थान का। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश के सम्मुख जो कार्यक्रम रखा है, वह उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये है, जिसके लिये स्वामी दयानंद ने सक्रिय जीवन में मुक्ति का श्रेय देखा था। आज हम समाज को एक नया रूप देने के लिये कृतसकल्प हैं, देश में जितनी भी सामाजिक और सांस्कृतिक सस्थाएँ हैं, उन्हें समाज सुधार सवधी सूत्रों में बढ चढकर भाग लेना चाहिए। सरकार की ओर से मद्यनिषेध तथा अन्य कुरीतियों को दूर करने के लिये जो नीति निर्धारित की गई है, उसके लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिये, आप जैसी सस्थाएँ आगे आवें, ऐसी अपेक्षा युग सदर्भ में स्वाभाविक है। यदि ऐसा वातावरण सारे देश में तैयार किया जाए तो सरकार के लिये पूर्ण मद्यनिषेध सुगम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आर्य समाज जैसी सस्थाएँ ऐसा वातावरण तैयार करने में उपयोगी कार्य कर सकती हैं। स्पष्ट है कि आर्य समाज इससे पृथक् नहीं रह सकता। उसे अपना पूर्ण सहयोग इस राष्ट्रीय कार्य में देना है। दुर्व्यसनो, दहेज आदि कुप्रथाओं के उन्मूलन तथा जन जीवन में सयम, स्वच्छता, सहयोग, समत्व आदि के तत्व ऐसे हैं, जिनपर हमारे महानुभावों की दृष्टि रही है। इसके लिये पहले

काम भी होता रहा है, किंतु आज उसके लिये देशव्यापी अभियान आरंभ हुआ है। इस मत्प्रयास में हाथ बटाकर उसे सफल बनाना हर देशवासी का कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर आर्य समाज को इस निमित्त ठोस कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी चाहिए क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विकास एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। आर्थिक विकास के लिये सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। हम यदि प्रगति चाहते हैं तो हमें समाज को वैसा रूप देना होगा, जहाँ वैज्ञानिक सजगता के साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भी रक्षा हो। हमें यह देखना है कि जिस प्रकार समाज में अनुशासन और कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है, यह भावना सदा के लिये सामाजिक जीवन का अंग बन जाये। यह स्थायी आधार आत्ममयम की प्रतिष्ठा से होगा जैसा कि एक कन्नड मुना-पित में कहा गया है—

सत्य वचन ही स्वर्ग है,

असत्य वचन नरक है,

अनुशासन स्वर्ग है,

अनुशासनहीनता नरक है,

वास्तव में इनके अतिरिक्त न ही कोई स्वर्ग है, न ही कोई नरक।

वैज्ञानिक आविष्कारों, टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियों तथा उदार विचारों का हम स्वागत करें। परंतु इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि भोगवादी प्रवृत्तियों के कीटाणु हमारे समाज में न पनप सकें। त्यागमूलक वैदिक सस्कृति के मूल तत्वों को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करके ही ऐसा किया जा सकता है, स्वामी दयानंद इस सस्कृति के सदेष्टा थे। अतः आर्य समाज को इस प्रकार के उच्चस्तरीय साहित्य के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए, जो बौद्धिक जगत् के लिये हृदय-गम हो सके। विश्व में बढ़ रहे सांस्कृतिक एवं नैतिक संकट में आर्य समाज अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर एक सुंदर भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। आशा है कि उसका भविष्य भी उसके अतीत की भाँति समुज्वल और प्रभाव-पूर्ण सिद्ध होगा, मेरी यही शुभकामना है।

इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आज के इस आर्य सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ तथा आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का सुयोग प्रदान किया।

औद्योगिक प्रगति के प्रतीक

यह प्रसन्नता का विषय है कि श्री जगजीवनराम आश्रम ट्रस्ट तथा छत्रपति शिवाजी तृतीय जन्मदिनी समारोह के संयुक्त प्रयास से यहाँ इंडिया—७६ भारतीय औद्योगिक मेले का आयोजन किया गया है। आपने मुझे इसके उद्घाटन के लिये श्रवण प्रदान किया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपने इस मेले के लिये बड़ा उपयुक्त स्थान चुना है। यह वही ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ से समय समय पर देश के महान् नेताओं ने देश के भविष्य के बारे में अपनी कल्पनाएँ और अपने विचार जनता के सामने रखे थे, राष्ट्र के उत्थान और समृद्धि के लिये दिशा निर्देशन किया था। हम उनके सपनों को कितना साकार कर पाएँ हैं, उनका अनुमान हमें ऐसे औद्योगिक मेले में प्रदर्शित उन उपकरणों और चीजों से स्वतः ही हो सकता है जो आज हमारे देश में बन रहे हैं। आजादी के पश्चात् उद्योग के क्षेत्र में हमारी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, उनकी भलक हमें ऐसे ही मीके पर मिलती है। आपका यह प्रयास इस दृष्टि से बड़ा ही सराहनीय है। मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूँ।

भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिये इस प्रकार के मेले और प्रदर्शनियाँ जनजीवन में एक नया उत्साह पैदा करती हैं। यह सभी जानते हैं कि औद्योगिक और वाणिज्य विकास के लिये उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता इन तीनों का एक दूसरे के समीप आना आवश्यक है, क्योंकि इस माध्यम से आदान प्रदान की क्रिया को एक नई दिशा मिलती है और नए विचारों और अनुभवों के हस्तांतरण में सहायक उद्योगों के विस्तार और विकास को गति प्राप्त होती है, विशेषकर नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिये उपयोगी जानकारी का लाभ होता है। यह सत्य है कि इस प्रकार के आयोजन आर्थिक प्रगति में एक मील के पत्थर का काम करते हैं, क्योंकि सभी, चाहे वे उत्पादक हो या व्यवस्थापक, इंजीनियर हो या टेकनीशियन, व्यापारी हो अथवा उपभोक्ता, कुछ न कुछ नई और उपयोगी बातें एक दूसरे से सीखते हैं और इस तरह निर्यात और विदेशों से व्यापार के लिये नई संभावनाएँ प्रस्तुत होती हैं तथा हम यह जान सकते हैं कि हम

अपने लक्ष्य की ओर किस गति से आगे बढ़ रहे हैं और आगे की मजिलें हमें कितनी तेजी से और कैसे तय करनी हैं, जिससे कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके।

इसमें सदेह नहीं कि आजादी के वाद औद्योगिक प्रगति के लिये प्रशसनीय प्रयास हुए और इन २६ सालों में हमारी उपलब्धियाँ सतोपजनक ही रही हैं, विशेषतः पिछले दशक में आर्थिक और औद्योगिक प्रगति अधिक उल्लेखनीय रही है। हमारी प्रगति में, इसमें सदेह नहीं कि अड़चनें कम नहीं आईं, कई प्रकार की रुकावटें सामने आती रही हैं और हम जानते हैं कि यदि इस प्रकार के गतिरोध उपस्थित न होते तो हम प्रगति के पथ पर इससे भी आगे होते। गत वर्ष जून से पूर्व कुछ गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चय की स्थिति ने देश के वैभव को तेजहीन करना चाहा। फलस्वरूप मृदास्फीति ने एक विकराल रूप धारण कर जन जन के कपटों और कठिनाइयों में वृद्धि की। अराजकता, अनुशासनहीनता और प्रमाद की मादकता ने देश की उत्पादकता को घाति पहुँचाई। और यह सब अच्छी प्रकार जानते हैं कि मृदा स्फीति और औद्योगिक अस्थिरता में कैसे मुक्ति मिली और इस थोड़े समय में उत्पादन के नए रिकार्ड कायम किए जा सके हैं। आज जिस नए युग का सूत्रपात हुआ है और देशवासियों में जो नया उत्साह जगा है, उसमें हमारे देश की गरिमा बढ़ी है। हमारी आर्थिक आय में वृद्धि हुई है। आज हर चीज आपको आसानी से उचित दामों पर मिल सकती है। आज दूसरे देशों के लोग चकित हैं कि भारत ने कैसे मृदास्फीति को रोकने में सफलता प्राप्त की, जबकि उन्नत देश भी इतनी सफलता नहीं पा सके। हमारा एक ही उत्तर होता है कि इसका श्रेय हमारे देशवासियों को है जो हमेशा श्रेय मार्ग को अधिक महत्व देते हैं। आज हमने राष्ट्र उत्थान के लिये जो आर्थिक कार्यक्रम अपनाया है उससे प्रगति के नए आयाम प्रस्तुत हुए हैं और हमारे कार्यक्रम देश के प्रत्येक वर्ग के समुचित विकास और कल्याण का मर्म लिए हैं। इसे युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम कहना चाहिए, क्योंकि इसने आज समूचे देश में जिस सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है उससे न केवल समस्याएँ ही हल होगी बल्कि राष्ट्र की शक्ति भी बढ़ेगी।

औद्योगिक प्रगति के इस नए दौर में बड़े और छोटे उद्योगों ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। उत्पादन के साथ साथ विदेशों के लिये भी निर्यात बढ़ा है। यह प्रसन्नता की बात है कि यूरोप और अमेरिका जैसे उन्नत

देशों में हमारे माल की माँग बढ़ रही है। हमारे देश में बनी मशीनें और अन्य उपकरण पश्चिमी देशों में अपनी गुणविशेषता के कारण अधिक पसंद किए जा रहे हैं और प्रतियोगिता के क्षेत्र में यहाँ का बना हुआ सामान खरा उतर रहा है। इसके लिये देश के उद्योगों से संबंधित सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि जिस तदेही से उद्योग संस्थानों में आज कार्य हो रहा है, उनके मालिक और कार्यकर्ता, उत्पादन की दिशा में इसी तन्मयता से कार्यरत रहेंगे और मूल्यों की स्थिरता में अपना सहयोग देकर देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में अपना कर्तव्य निभाएँगे।

आज के इस औद्योगिक मेले को आकर्षण का केंद्र बनाने में जिन कर्मठ व्यक्तियों का योगदान रहा है तथा अपने साथियों सहित इसके लिये जो उन्होंने काम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस मेले का उद्घाटन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी से लाभ उठाएँगे।

मूल्यों के प्रति श्रद्धा

शाल इडिया दिगवर भगवान् महावीर २५वीं शताब्दी निर्वाण महोत्सव सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित होने और आप सबसे मिलने का जो अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

पिछले वर्ष में देश भर में भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी समारोहों का एक व्यापक पैमाने पर आयोजन हुआ तथा भगवान् महावीर के जीवनादर्श और तत्त्वदर्शन सबधी साहित्य के प्रकाशन से जन जन को लाभान्वित करने का सराहनीय कार्य हुआ । मैं इसके लिये जन समाज को बधाई देता हूँ ।

यह सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी ही व्यापक भी है । विभिन्न चिंतनधाराओं के मगम से इसने सागर की गहराई और आकाश की ऊँचाई को अपने भीतर मानो समो लिया है । इसकी सार्व-भौमिकता तथा युगांतरकारी सामर्थ्य ने इसे सदा सजीव रखा है । मानवता के विकास और मानव कल्याण के लिये अनेक महापुरुषों, ऋषि मुनियों ने इस देश में जन्म लिया और पथ से भ्रत मानव को ज्ञानज्योति का प्रकाश प्रदान कर उसे सत्य मार्ग की प्रेरणा दी । उन महान् विभूतियों में भगवान् महावीर का विशिष्ट स्थान है । वे तत्त्वदर्शी थे, जितेंद्रिय थे और एक महान् युग-प्रवर्तक थे । अपने वर्षों के तप और साधना से उन्होंने जो आत्मबोध अर्जित किया, उस सपदा को मानव कल्याण के लिये समर्पित किया । इस ससार में ये नाना प्रकार के दुःख क्यों हैं ? बहुत से प्राणी यह कष्ट क्यों भोगते हैं ? ये क्यों दरिद्र और दलित हैं ? मानव कैसे इन दुःखों से मुक्त हो सकता है ? ये ही जिज्ञासा भरे प्रश्न थे जिनके समाधान के लिये तथा लोकहित की कामना ने महावीर स्वामी को भौतिक सुखों का त्याग करके तपमाध्य जीवन के लिये प्रेरित किया । मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने, मनुष्य कृत्यों को अनुशासित करने और 'स्व' में ऊपर उठकर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने तथा मार्वाजनिक हितों की रक्षा के लिये त्यागमय और परोपकारी भावनाओं को प्रतिष्ठित करने की उन्होंने सीख दी । अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मसमय के मूल्यों की स्थापना के द्वारा समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक भेद विभेद को

पुरीतियों को दूर कर एक सुदर, स्वस्य और गुमन्कृत समाज की रचना के लिये उन्होंने दिशानिर्देशन किया । यह विचारने योग्य बात है कि मानव समाज को ऐसा रूप देने में वहाँ तक सफल हो पाया है । इन जीवनमूल्यों को मनुष्य कितनी निष्ठा में व्यवहार में उतार सका । यह आत्मनिरीक्षण आवश्यक है कि वह जानने में कठिनाई नहीं होगी कि आज का विचारक यह अनुभव करता है कि यदि हम विश्व में शांति चाहते हैं, मानव के सद्बिकास के लक्ष्य हैं तो हमें निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि जिन्हीं गुण और भगुद्धि की मानव अग्राधा करता रहा है, वह न तो उसे अपने निवृत्ति के पथ से ही प्राप्त हो सकी है और जैसा कि हम आज देखते हैं, न वह प्रवृत्ति के एकान्ता मार्ग में ही उपलब्ध है । एक ओर हमारे पास ज्ञान का अतुल सार है, दूसरी ओर विज्ञान ने भौतिक सुखों के कई साधन मनुष्य को दिए हैं । लेकिन आज भी विश्व में एक बड़ी जनसंख्या इन लाभों में वंचित है । इतना ही नहीं, विज्ञान ने ऐसे अस्त्र शस्त्र भी मानव को दिए हैं, जिनके प्रयोग में मानव समाज मात्र का ही विनाश हो सकता है । विज्ञान ने दोनों ही शक्तियाँ हैं, वह उपयोगी निर्माण के लिये हो अथवा विनाश के लिये । यह तो मानव की मूल्य दूध पर निर्भर करता है कि वह इस शक्ति का क्या उपयोग करे । इनके लिये जरूरी है कि मानवीय मूल्यों को हम कभी न भूलें, विज्ञान के साथ ज्ञान जुड़ा रहे । भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध तथा दूसरे धर्माचार्यों ने मानव के समक्ष समय समय पर अहिंसा का उपकारक मंत्र प्रस्तुत किया, नैतिक मूल्यों की उपयोगिता पर बल दिया ।

हम जानते हैं कि निजी स्वार्थों की पृष्ठभूमि में 'स्व' का पृथक्तावादी भाव ही कार्यरत रहता है । यदि हम दया, विश्वास, समय, प्रीति जैसे अच्छे शब्दों के साथ 'स्व' शब्द जोड़ दे तो वे अपने उचित अर्थ को खोजेंगे । प्रीति, विश्वास, अनुकंपा और समय सभी फलित होते हैं, जब हम इन्हें बाहर की ओर अर्थात् दूसरों के प्रति व्यवहार में लाएँ । यह सभी जानते हैं कि जहाँ निकृष्ट और उत्कृष्ट का विचार उपस्थित है, वहाँ नैतिकता मदैव विद्यमान है । लेकिन यह एक स्थिर उपलब्धि नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है, आचरण की उद्देश्यात्मक वृद्धि । यह निर्विवाद सत्य है कि आचरण का उद्देश्यात्मक लक्ष्य उस विस्तार से सवधित है जो परहित साधन में ही अपने हितों को सुरक्षित अनुभव करता है । विगत के अनुभव आधुनिक समस्याओं से निपटने में अभी सहायक होते हैं, जब हम उन्हें वर्तमान परिवेश में समझने का यत्न करें, तभी वे हमें इस योग्य बना सकते हैं कि हम उन समस्याओं को युग सदर्भ में समझ सकें और उनके समाधान के लिये क्रिया का सकेत पा

सकें। भगवान् महावीर ने स्वयं समाजसुधार की आवश्यकता अनुभव की थी और ऊँच नीच, भेद विभेद की रीति का विरोध किया था तथा शुद्ध आचरण, सह अस्तित्व, सहानुभूति तथा सहिष्णुता से मूल्यों के विस्तार के लिये स्वयं देश के कोने कोने में भ्रमण किया था। आज भी उनके बताए हुए उपदेश उतने ही उपयोगी और गुणसपन्न हैं, जितने उनके अपने युग में थे। वास्तव में आज के ससार को इन मूल्यों की सर्वाधिक आवश्यकता है। ये चीजें अब विश्व भर में समझी जाने लगी हैं। विश्वशांति के लिये अहिंसा एक श्रेष्ठ विचार है और समानता के लिये अपरिग्रह एक मौलिक सिद्धांत है। भावना यही है कि जो चीजें हम अपने लिये नहीं चाहते हैं, उन्हें दूसरों के लिये भी न चाहें। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा उनके साथ भी करें, जो सुख अपने लिये चाहते हैं, उसकी कामना सबके लिये करें और दूसरों के हित के लिये जहाँ तक भी हम सहायक हो सकें, हम अपना योगदान दें। लेकिन यह हम जानते हैं कि केवल सिद्धांतों की दुहाई देने से समाज नहीं बदलता, नए परिवर्तन नहीं होते। यदि सिद्धांत मानव व्यवहार को नियोजित करते हैं तो वह तभी होता है जब वह मानव कार्यकलापों में घुल मिल जाते हैं।

आज हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कार्यरत हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये हमने जिन राष्ट्रीय कार्यों को हाथ में लिया है उनका यही आशय है कि देश के करोड़ों लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर उँचा उठाया जाए और राष्ट्रनिर्माण में उन्हें भागीदार बनाया जाए। इसके साथ समाज से उन कुरीतियों, अधविश्वासों एवं प्रवृत्तियों को हटाया जा सके, जिसने हमारे विकास में बाधाएँ पैदा की हैं। आज हमारे सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार देश के लिये उपयोगी बन सकते हैं, किस प्रकार अपने देश को उँचा उठा सकते हैं। पिछले एक वर्ष से जबसे आर्थिक कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है, जनजीवन में एक व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आज देश एक रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है और सामने जो आंतरिक और बाहरी कठिनाइयाँ आई थीं उनको हम बड़ी मात्रा में दूर करने में सफल हुए हैं। अपनी उदार नीतियों के कारण, भारत आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह हर देशवासी का कर्तव्य है कि वह प्रगति के क्रम को जारी रखने में अपना पूरा सहयोग दे। हमारी प्रगति हमारे सामूहिक श्रम, अनुशासन और देशभक्ति से जुड़ी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के हर नागरिक में इन मूल्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कुछ कहने और जानने का अवसर प्रदान किया।

भावात्मक एकता के साधन

दि शी शिन्नु कल्याण परिषद् के तत्वावधान में आज यहाँ जो वसत मेना प्रायोजित किया गया है उनमें उपस्थित होने का जो अवसर आपने मुझे दिया उनके सिरे आपको धन्यवाद देता हूँ।

भारत में जितने भेने और तरीहार मनाए जाते हैं, ससार में शायद ही किसी देश में मनाए जाते हो। हमारे यहाँ इनका एक विशेष महत्व रहा है। देखा जाय तो इस प्रकार के भेने हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप हमारी भावात्मक एकता के साधन रहे हैं। वसत मेले का ऋतुपरिवर्तन के साथ संबद्ध है। यह प्रतीक है भारतीय किसान के उल्लास का, जो अपने परिश्रम द्वारा नैजोग गए फल को खेतों में लहराती हुई फसलों के रूप में देखकर खुशी में भूम उठता है। वसत उनके लिये ऐसा सुखद संदेश लेकर आता है, जिसमें नई ताजगी है, नया उत्साह और एक नए जीवन का सृजन है। पृथ्वी में नए प्रभुर फूटते हैं, नए पत्ते लगते हैं, फूल खिलते हैं और वातावरण को छात्रू ने भर देते हैं, प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है।

वान्मव में वसत मानव के लिये स्वयं एक प्रेरणा है। जैसे मानव से कह रही हो, मुझे देखो, मेरी तरह नया परिधान धारण करो, नयापन लाओ, नई शक्ति और स्कूनि लेकर बदल डालो अपने समाज के स्वरूप को, जैसे भेने घरती को हरियाली दी है, पुष्पों से इसे सजाया और सुगंधित किया है, तुम भी अपने समाज को सुंदर और स्वस्थ बना डालो, जहाँ कोई ऊँच नीच न हो, कोई भेदभाव न हो, जिसमें अपना दायित्व निभाते हुए सब नागरिक अच्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन बिता सकें, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, जिसमें अपना दायित्व निभाते हुए सब नागरिक अच्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन बिता सके, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके और अपने पराक्रम तथा परिश्रम से देश का नाम ऊँचा कर सके। हम भी यही चाहते हैं। परंतु यह इच्छा तभी पूर्ण होगी, जब हम सब मिलकर जी जान से जुट जायेंगे इसे साकार करने के लिये। आत्मविश्वास, लगन और राष्ट्रीय भावना के साथ बढ़नेवालों के लिये मजिल कभी दूर नहीं हो सकती और जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, ससार की कोई शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

आज हमारे देश में जिस नवचेतना का उदय हुआ है, हमें राष्ट्र-निर्माण की इस चेतना को जन-जन तक, देश के बच्चे-बच्चे तक पहुँचाना है। यह कौन नहीं जानता कि हमारी आशाएँ और सुविधाएँ सब देश की समृद्धि और सुदृढता से जुड़ी हैं। इसलिये राष्ट्र के लिये समर्पण की भावना प्रबल से प्रबलतर होती रहे, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। हम देश के किसी कोने में रहें, किसी धर्म को मानें, कोई भी वेशभूषा पहनें, कोई बोली बोले, हमें यह गर्व होना चाहिये कि हम भारतीय हैं, हमारी जननी जन्मभूमि एक है। इसकी खातिर हमें जो भी त्याग करना पड़े, जो भी जोखिम उठानी पड़े, हम इसके लिये कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। हमारे हृदय का देश-प्रेम हमें उन कार्यों के लिये प्रेरित करता रहे, जिनसे राष्ट्र के गौरव में, इसकी शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि हो तथा देशवासियों की हित-साधना हो। यह सब निर्भर करता है हमारी सृजनात्मक क्षमता पर, हमारी गतिशीलता पर। आज हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है—वह विज्ञान का क्षेत्र हो या तकनीकी का, उद्योग का हो चाहे वाणिज्य का, कृषि का हो अथवा कला का। इसके साथ अपनी सस्कृति को भी हमें बनाए रखना है। अपनी भारतीय विशेषताओं की, आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों की हमें प्रतिष्ठा करनी होगी।

यह सत्य है कि किसी काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमेशा भावी पीढ़ी को सँभालनी होती है, वे ही लोग भविष्य के नागरिक होते हैं। हम जो आज बोलते हैं, यह आवश्यक नहीं, उसको फलते हुए भी हमें देखें। लेकिन आनेवाली पीढ़ी उमें जरूर देख सकेगी। वे जो महान् कार्य अपने जीवनकाल में करेंगे वे उससे आगे वाली पीढ़ियों को परंपरा के रूप में हस्तांतरित होंगे, और उन्हें आगे बढ़ाने का काम वे ही सँभालेंगे। जीवन का यही क्रम है। इसलिये हर सभ्य समाज वालकों के सर्वांगीण विकास को प्रमुखता देना है और यही चाहता है कि वर्तमान पीढ़ी से भी सबल, मशक्त, तेजस्वी, माहवी, सहृदय तथा मेधावी हो भावी पीढ़ी। हमारे राष्ट्रनायकों ने शिशुकल्याण को देश के लिये सबसे महत्वपूर्ण माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भरपूर प्यार बच्चों में बाँटा और यही चाहा कि हमारे देश के बच्चों की ऐसी तरबीयत हो, लालन पालन और देख रेख हो कि उनका नए भारत के अन्तः व्यक्तित्व सुगठित हो सके।

भारत जैसे देश में, जहाँ एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक रुकावटें हैं। शिशुकल्याण के कार्य को तेजी

में पूरा किए बिना काम नहीं चलेगा। हमें उस और विशेष ध्यान देना है। जो नाथनहींन प्रयत्न पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं, उन तक यह सहायता पहुँचे, वे बच्चे राष्ट्रीय जीवन में आगे आ सकें, उन्हें आनेवाले समय के अनुरूप हम बना सकें, आज यही हमारी नेप्टा होनी चाहिए। कुछ थोड़े से लोगों की प्रगति में, उनकी समृद्धि में देन उन्नत नहीं होता, उन प्रगति में सब शामिल हो, सभी यह होगा। आज हमारा हर प्रयाग अपने में पीछेवालों को विकास की घोर प्रवृत्त करने का होना चाहिए। दिल्ली विश्वकल्याण परिषद् इस दिशा में जो उपयोगी कार्य कर रही है, उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूँ और आशा करना है कि भविष्य में भी आप इसी उत्साह और लगन से कार्यरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन भेजे का सहर्ष उद्घाटन करता हूँ।

ग्रामोद्योगों का महत्व

मुझे यहाँ आने और आप सब रचनात्मक कार्यकर्ताओं से मिलने में बड़ी प्रसन्नता है। खादी ग्रामोद्योग समिति द्वारा खादी व ग्रामोद्योगों की प्रगति व प्रचार के लिये जो काम किया जा रहा है, वह सचमुच सराहनीय है। इसके लिये सबसे पहले मैं आप सबको—कामगारों, कार्यकर्ताओं और सचालकों को—बधाई देता हूँ।

खादी स्वावलंबन और स्वदेशी की पहली सीढ़ी है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग के प्रचार और प्रसार को केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से प्रोत्साहन और बल दिया है। खादी के पीछे देशभक्ति की भावना है, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की कल्पना है।

महात्मा जी ने स्वदेशी को एक व्रत का स्थान दिया है। यह केवल एक आर्थिक कार्यक्रम या कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, यह जीवन की एक साधना है, एक शैली है। इसका सन्तुष्ट व्यक्ति की वेशभूषा, रहन-सहन और आचार व्यवहार, इन सबसे है। किसी पदार्थ का उपयोग सही तरीके से करना ही संपत्ति है और पदार्थ का उपयोग न करना अथवा गलत ढंग से करना उस संपत्ति का ह्रास करना है।

गरीबी और अभाव का मुख्य कारण यह है कि हम प्रकृतिसुलभ साधनों और अपार मनुष्य शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इन साधनों का उचित रूप से वितरण नहीं हो पा रहा है। हमारा देश इतना विशाल है और सौभाग्य से हमारी प्राकृतिक संपदा भी महान् है। हमारे यहाँ अपार मनुष्य शक्ति है। इन सबका यदि हम पूर्ण रूप से और सही ढंग से उपयोग करें तो मैं समझता हूँ कि गरीबी की समस्या का बहुत हद तक समाधान कर सकेंगे। खादी और ग्रामोद्योगों के प्रचार व प्रसार के पीछे जो बुनियादी कल्पना है, वह यही है। खादी व ग्रामोद्योगों की उन्नति व प्रचार के काम में जो लोग लगे हुए हैं, वे देश की आर्थिक प्रगति में ही सहायक नहीं हो रहे हैं, अपितु राष्ट्रीयता के प्रचार में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो देश और समाज के हित में है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक युग विज्ञान और टेक्नोलाजी का युग है। भारी यंत्रों और भारी उद्योगों का देश विदेश में बोलवाला है। लेकिन फिर भी, मैं समझना हूँ कि प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी आर्थिक योजनाओं और सामाजिक नीतियों को निर्धारित करना है। हमारे देश में खादी और कुटीर व ग्रामोद्योगों के विकास के लिये बहुत गुंजायमान है। सरकार भी खादी व ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है।

ग्रामीणों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्रामोद्योगों का बड़ा हाथ है। देश की बढ़ती हुई श्रमजाल जनसंख्या को रोजगार देने हेतु इन उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता और बट गई है। इन उद्योगों के निर्वाह रूप में पतन के लिये आवश्यक है कि भारी उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के कार्यक्षेत्र को निश्चित किया जाय ताकि दोनों में प्रतिस्पर्धा न हो और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए देश की उन्नति और विकास में योगदान दें। आज के युग में कोई भी उद्योग सामाजिक न्याय और पारस्परिक सहयोग की भावना पर ही पतन सकता है। खादी और ग्रामोद्योगों का आधार रूमी बात पर है और इसलिये मेरा विश्वास है कि इन दोनों का भविष्य उज्ज्वल है।

आप सब कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य दिनो दिन बटें और आप सब सुखी व आनन्दमय जीवन व्यतीत करें, यही मेरी प्रार्थना और कामना है। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।

किसानों का किस्सा

आपने मुझे आज की इस अखिल भारतीय किसान गोष्ठी का उद्घाटन करने का निमन्त्रण दिया, उसके लिये मैं आप सवका, विशेष करके अपने मित्र श्री विकल जी का बड़ा आभार मानता हूँ। मैं स्वयं एक गाँव में रहा हूँ। किसानों के साथ रहकर, उनकी समस्याओं को समझने और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उनके समाधान के लिये कुछ प्रयत्न करने का भी मौका मुझे मिला है। इसीलिये कुछ विचार प्रकट करने का साहस कर रहा हूँ।

इसमें कोई सदेह नहीं कि आजादी के बाद, हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर उद्योग और कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। लेकिन फल कारखानों की वृद्धि और शहरों के विस्तार के होते हुए भी, भारत गाँवों का ही देश है, एक कृषिप्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था आज भी मुख्यतः कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि कृषि और किसान हमारे देश की आर्थिक संपन्नता की रीढ़ है। यह बात उस समय भी हमारे सामने थी, जब हम आजादी के लिये संघर्ष कर रहे थे। यही कारण है कि किसान आंदोलन, आजादी के आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया था। यह हमारे लिये बड़े गर्व की बात है कि हमारे भारतीय किसान देश के हर मोर्चे पर आगे रहे हैं, आजादी के आंदोलन के समय भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया, अपना सर्वस्व तक देश के लिये अर्पित किया था। आजादी के बाद जब भी देश के समुख कोई प्रश्न आया, हमारे किसान भाइयों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

आजादी के पहले और आजादी के बाद, किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिये जो कदम उठाए गए, उन सबका विवरण देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय एक नारा देश भर में गूँज उठता था, 'जोतनेवालों को जमीन मिले'। यह आज भी महत्वपूर्ण है और किसानों की समस्याओं के हल की यह एक वृत्तियाद है। भूमि सीमा सवधी कानून की माँग आज जो प्रतिध्वनित हो रही है, वह इसी मिलसिले की एक नदी है।

वर्तमान काल में भी किसानों और किसानों की समस्याएँ सवसे पहले हैं। हमारे फलस्वरूप देश भर में जागृति की लहर उठी और एक नई हवा चल

नहीं है, जो देश के लिये लाभदायक है। इसलिए इन परिस्थिति में लाभ उठाकर, हमें इन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को जल्दी से जल्दी अमल में लाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में, हम कार्यक्रम के जो अनिवार्य अंग हैं, उनका उल्लेख किए बिना भी नहीं रह सकते।

कृषि भूमि की हदबंदी को तेजी से लागू करके, अतिरिक्त भूमि को तेजी से भूमिहीनों के बीच बांटना जरूरी है। भूमिहीनों के लिये आवास के लिये भूमि के आवंटन को तेजी से अमल में लाना है। यह प्रसन्नता की बात है कि बंधक मजदूरी रोकथाम कानून लागू हो गई। अतिरिक्त और भूमि आवंटन के आवंटन ने ही न तो किसानों की समस्याएँ सुलभ होती, न कृषि की आगामी उन्नति होती। आज कृषि और किसान की समस्याएँ अनेक मानसिक और आर्थिक समस्याओं के साथ जुड़ी हैं। एक समय और व्यापक दृष्टिकोण से ही हम कृषि और किसान की उन्नति की बात सोच सकते हैं। किसान के पास भूमि हो, पर उसे जोतने के लिये उसके पास धन न हो, अच्छे चीज और खाद खरीदने के लिये उसके पास धन न हो और निचाई की व्यवस्था न हो तो वह क्या कर सकता है? इन सबका बड़ा बल भी हम कर दें, फिर भी यदि वह कर्ज में डूबा हुआ हो और खेत के नए तरीकों को वह नहीं जानता हो, तो पैदावार कैसे बढ़ा सकता है? कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह एक ऐसा मसला है जिसपर हमारा भविष्य निर्भर करता है। जहाँ जहाँ जमीन हो और जहाँ जहाँ किसान अन्न अधिक से अधिक पैदा कर सकते हैं, उनको अधिक पैदा करना चाहिए। हमें नए तरीके अनुसंधान करके निकालने हैं, नए किस्म की खाद, नए औजार जो हमारे किसान भाई आसानी से काम में ला सकते हैं, और नए आविष्कारों का इतना काम करना है। छोटे किसानों के पास इतनी संपत्ति नहीं कि वह इन सब चीजों को खरीद सके, समझ सके। इसलिये आवश्यकता है कि नए अनुसंधानों के जो नतीजे निकलते हैं, उन नतीजों को उन तक पहुँचाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस गोष्ठी में इन सभी समस्याओं के बारे में विचार किया जाएगा। एक दूसरी चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश में जंगल अभी बहुत हैं, मगर बहुत जंगलों से घटता भी जा रहा है। उसका नतीजा यह देखने में आ रहा है कि या तो बरसात कम हो रही है या मौसम में बहुत फर्क पड़ रहा है या इस तरह की और बातें हो रही हैं। अगर जंगल को काटकर खेती के लिये

जमीन बनानी है तो ऐसा इतजाम करना चाहिए कि जिसमे वही जगल बटे, जिससे नुकसान नही पहुँचे या कम से कम नुकसान पहुँचे ।

हमारे देश मे आज तक खेती का काम हमेशा बैलो के द्वारा चलता आया है और आज भी चल रहा है । बडे बडे ट्रैक्टर बगरह हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत लोग नही कर सकेंगे, क्योकि उनके पास न तो उतना धन है और न ही उतनी जमीन है । तो हमारे लिये यह जरूरी होता है कि हम बैलो की नस्ल ठीक रखें, क्योकि हमारी सारी खेती उसी पर निर्भर करती है । जब हम गायो की रक्षा करेंगे तो हमको दूध भी मिलेगा और खेती के लिये बैल भी मिलेगे ।

सबसे बडी बात यह है कि आज देश को अधिक खाद्यान्न पैदा करने की आवश्यकता है । जिस तेज गति से आवादी बढ रही है, उसको देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है । इसलिये हम उन करोडो किसानो के हृदय मे यह भावना पैदा करें कि उनको अधिक से अधिक अन्न सिर्फ अपनी जरूरत के लिये नही, सारे देश की जरूरत के लिये पैदा करना है जिससे उनको भी लाभ हो और सारे देश को भी लाभ हो ।

मैं आशा करता हूँ कि इस गोष्ठी मे आप किसान की आर्थिक और सामाजिक समस्याओ के बारे मे ही विचार नही करेगे, बल्कि कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढाने की दिशा मे भी चर्चा करेंगे । इस गोष्ठी के आयोजको और इसमे भाग लेनेवालो को मैं बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपकी यह गोष्ठी सफल हो । इन शब्दो के साथ अब मैं सहर्ष इस गोष्ठी का उद्घाटन करता हूँ और फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया है ।

मानव कल्याण का एक ठोस कार्य

अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद् के तत्वावधान में आयोजित कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-शिविर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसमें लिये में आपका आभारी हूँ।

हर वह कार्य जो मानव कल्याण की उदात्त भावना में प्रेरित होकर किया जाय, सामाजिक महत्त्व का होता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शिविर की व्यवस्था के पीछे भी यही उद्देश्य है। आप यहाँ आए हैं कि कुछ नई बातें सीखें, समाज में जाकर प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिये आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करें।

आपका कार्य बड़ा लचीला और कठिन है। आपका कार्य सेवा, सहायता तक ही सीमित नहीं है, आपका काम है, एक नया मोड़ देने का। नशीले पेय गम गलत करने की दवा नहीं है। वस्तुतः नशीली चीजों व्यक्ति के गर्मी में वृद्धि करने के सिवा कोई लाभ नहीं पहुँचानी। डमीलिये इस मद्यनिषेध, नशाबंदी का सवान उठा, नशीली चीजों के सेवन को रोकने की बात सामने आई। कहीं कानून का आश्रय लेकर इसकी रोक थाम का प्रयत्न हुआ, कहीं सामाजिक प्रतिबन्धों ने काम किया। परन्तु नशा पीनेवालों की तादाद क्या कम हुई? शायद नहीं। लेकिन क्यों? स्पष्ट है कि यह कार्य जोर जबरदस्ती का नहीं, उन मूल कारणों की ओर ध्यान देने का है, जिनके फलस्वरूप मनुष्य नशीली वस्तु का सहारा लेता है। यह मनुष्य का अज्ञान है जो इस आमक विश्वास का मूल कारण है। समाजसेवक का यही काम है कि वह इस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करे।

नशा अच्छी चीज नहीं है, भले ही वह नशा किसी चीज का हो। नशा उन्माद का पर्यायवाची माना जाता है, सभवतः इसलिये कि सेवन करने से मस्तिष्क पर सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रहार इसका उसके परिवार पर पड़ता है। अतः में प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के उस शरीर पर, जिसपर मनुष्य की उत्पादक क्षमता निर्भर करती है। इस प्रकार समाज अपनी उस उत्पादक इकाई से वंचित हो जाता है जो उसके लिये पहले बहुत उपयोगी

थी। इस आर्थिक सकट के लिये, नैतिक पतन के लिये, शारीरिक दुर्बलताओं के लिये, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के लिये, जो प्रायः नशेवाजी के कारण जन्म लेती हैं, बहुत हद तक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। परन्तु इस ओचर्नीय अवस्था में कुछ हाथ उस वातावरण का भी है जो मासूम लोगों को भी इस दलदन में टकेलने के लिये उद्यत रहता है। इसलिये एक निश्चित मत तैयार होना चाहिए, जिससे नशे के वारे में एक सुदृढ धारणा बने कि यह नशीला पेय व्यक्ति और समाज की प्रगति, उसके सुखी और स्वस्थ जीवन के लिये एक बड़ी बाधा है।

आज नशीली चीजों के बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर कोई भी विचारशील चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। जो चीज फैशन बनकर लोगों में फैल रही है, नई पीढ़ी को इस दुखात पथ की ओर अग्रसर होने से बचाना होगा।

यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम इन बुराइयों को समाज से दूर करने के लिये ठड़े दिल से सोचें, कुछ उपाय ढूँढ़ें और निष्ठापूर्वक इनकी रोक थाम के लिये काम करें, समाज के अंदर जीवन की एक चेतना जागृत करें, उन लोगों में आत्मविश्वास और जीने की एक उमंग पैदा करें, जिसकी कमी के कारण शायद मनुष्य नशे का सहारा लेता है।

मुझे आशा है कि आपको यहाँ बहुत सी बातें जानने का मौका मिलेगा। इस जानकारी और अनुभव से आप, लोगों की हित कामना से कार्य करें, लेकिन एक प्रचारक या सुधारक बनकर नहीं, बल्कि लोगों के मित्र बनकर, महानुभूति और प्रेम से, उनका दिल जीतकर, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें ताकि अपनी भूल को स्वयं सुधारने के लिये वे तैयार हों। इस शिविर तथा आपके प्रयत्नों की सफलता के लिये मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं।

देश की उन्नति में महिलाओं का योगदान

उन समारोह में गरीब होने के लिये आपने मुझे जो निमंत्रण दिया है उनके लिये मैं प्रायः सबको, विशेषकर प्रो० नृएल हसन माहब को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि यह उत्सव अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष्य में कायम की गई राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर आयोजित किया जा रहा है। मुझे यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इन उत्सव के लिये जो चित्र चुने गए हैं वे भावात्मक और कलात्मक, दोनों दृष्टियों से, सर्वोत्तम हैं और वे एक भाषा के नहीं, अनेक भाषाओं के हैं। मेरा यह विश्वास है कि ये चित्र ऐसे हैं जो केवल भारतीय महिला की सामाजिक स्थिति, उनके सुख दुःख का ही चित्रण नहीं करते, अपितु उसकी सांस्कृतिक परंपराओं, नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करने-वाले हैं, याने उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और चित्रण को उजागर करनेवाले हैं।

भारत की महिलाओं ने, प्राचीन काल की बात छोड़ दीजिए, आधुनिक काल में, स्वराज्य संग्राम के दिनों में पूज्य महात्मा जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वह अविस्मरणीय है। वे परदे से बाहर आईं, उन्होंने जेल की सजाएँ भुगती और कड़ियों ने स्वतंत्रता की वेदी पर अपनी जान न्योछावर कर दी। यह एक ऐसी महान् विरासत है जिससे आज की भारतीय महिला प्रेरणा ग्रहण कर सकती है और अपनी बुद्धि और बल से समाज की प्रगति और देश की उन्नति में योगदान कर सकती है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है, कि हमारे देश की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में—सामाजिक, राजनीतिक, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में—महत्वपूर्ण सेवा के द्वारा दयाति प्राप्त की है। ऐसी महिलाओं में चलचित्र के क्षेत्र में नरगिस का नाम लिया जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी। वे काफी महारूर है और उन्होंने भी जो सफलताएँ प्राप्त की हैं, उनके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

यह भी बड़ी खुशी की बात है कि आजादी के बाद फिल्मों के बनने और बनाने में रोज-ब-रोज उन्नति होती जा रही है और सभी भाषाओं में तरह तरह की नई फिल्में तैयार होती जा रही हैं। फिल्म ही एक ऐसी

चीज है जो सारे देश में बहुत लोकप्रिय है और उसके द्वारा लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने का तथा दिलबहुलाव करने का मौका मिलता है । इसलिये इनमें जितनी नई चीजें लाई जा सकें, जो मानवोपयोगी हों, उतना ही उनका क्षेत्र और बढ़ेगा और उनकी लोकप्रियता अधिक होगी ।

आज के सदर्भ में हम देश में नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसे समाज का जिससे सभी को उन्नति के लिये समान अवसर प्राप्त हो । फिल्म जैसा एक सशक्त माध्यम इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है । ऐसी फिल्में तैयार हूनी चाहिए, जिससे देश में नई चेतना और जागृति उत्पन्न हो और राष्ट्रीय एकता को बल मिले । मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस तरह के चलचित्रों के निर्माण के लिये अधिक प्रोत्साहन देगी और इस उद्योग से संबंधित सभी लोग—निर्माता, अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक और कलाकार—इस भावना से प्रेरित होकर नई स्फूर्ति और निष्ठा से इस दिशा में अपना योगदान देंगे । फिल्म शिक्षा के प्रचार और प्रसार का भी उत्तम साधन है । बच्चों के लिये भी कुछ प्रेरणादायी चित्र बनाए जा सकते हैं जिससे भारत के भविष्य के नागरिक ऊँचे आदर्श से प्रेरित होकर देश के गौरव को और उज्ज्वल कर सकें ।

जब से सरकार की ओर से पुरस्कार देने का तरीका निकाला गया है, फिल्मों को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है । मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोत्साहन से बल पाकर ऐसी फिल्में तैयार होंगी जो गाँव के लिये, शहर के लिये, अनपढ़ के लिये और शिक्षित वर्ग के लिये—अर्थात् सब लोगों के लिये, जैसी जरूरत होगी वैसी फिल्में बनेंगी । मैं समझता हूँ कि अब तक कुछ बड़े बड़े गाँवों तक ही फिल्में पहुँची हुई हैं । लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा बाकी है जहाँ फिल्में नहीं पहुँची हैं । निर्माताओं का यह काम है कि ऐसी फिल्में उनके लिये भी तैयार करें जो उनके लिये लाभप्रद हों और जिनसे उनके ऊपर कोई बुरा असर न पड़े ।

इस चलचित्र उत्सव में जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, उनके निर्माताओं, कलाकारों और इसके आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ और उत्सक की सफलता के लिये अपनी शुभ कामनाएँ देता हूँ ।

सामूहिक अनुभूति का विस्तार

भारत विज्ञान परिवर्द्ध के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय मनुहगान प्रति-
स्वांगिता समारोह में उल्लिखित होने का जो नुषोग आपने मुझे दिया, उसके लिये
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपकी मन्वा पिछले कई वर्षों से जनोप-
योगी कार्यक्रमों द्वारा लोगों में नवनेतना के विस्तार एव भारतीय संस्कृति के
अनुवृत्त अस्मानुमानन, राष्ट्रीयता, पारम्परिक महयोग, एकता एव मेल जेल
की भावना नवल बनाने के लिये सक्षिय है। उसके लिये आपकी सस्था प्रशसा
की पात्र है। आज जस्मरन इस बात की है कि प्रबुद्ध और चिन्तनशील व्यक्ति
जन मानन को नई दिशा की ओर प्रेरित करे।

कलाकार अपनी कला के द्वारा नारे समाज का चित्रण करता है। वह युग
की वास्तविकता को ग्रहण करने में ही उत्कृष्ट कला का निर्माण करता है।
अपने युग का प्रतिनिधि कहनाता है, क्योंकि वह अपनी कला कृतियों द्वारा
समाज को प्रभावित ही नहीं करता उसे बदलने की शक्ति भी रखता है।

वाग्मय में, संगीत और कला, हमारे भाव जगन् की अभिव्यक्ति के मुख्य
साधन माने जाते हैं। संगीत का जीवन में विशेष स्थान है। मनोरजन का
उसमें अपना ही गुण है। परतु उस छोटी सीमा में बाधना संगीत को एक छोटे
स्तर पर लाकर खडा करने जैसा है। यह तो साधन रहा है, उस व्यापक
विचारक क्रांति का, जिसमें आध्यात्मिकता, भक्ति, शौर्य, नैतिकता और देश-
भक्ति के स्वर गूँजते हैं। आजादी के आदोलन के समय राष्ट्रीयता के गीतों ने
देशवासियों को क्या उस गहरी निद्रा से भँकोडा नहीं था? प्रभात फेरियों में
पुरुषों और महिलाओं की टोलियों ने देशवासियों में तथा उत्साह और जोश
पैदा नहीं किया था? यह सभी जानते हैं कि उसमें हमारे साहित्यकारों और
कलाकारों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी।

आज देश स्वतंत्र है। देश की हर जिम्मेदारी हम पर है। इसे बनाना,
सँवारना हमारे हाथ में है। हमारे देश में संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला की
एक बहुत पुरानी परंपरा है। साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं की भाँति
वह हमारी संस्कृति का अंग है। हमें अपनी ललित कलाओं को कायम ही
नहीं रखना है, हमें उन्हें और उन्नत करना है। यह आवश्यक है कि नव

चेतना के स्वर लोगो तक पहुँचें और उस नई भावना को जागृत कर दे, जिसे पाकर कौम तरक्की की ओर बढ़ती है ।

सगीत का उद्देश्य है कि वह भावना में एकत्व स्थापित करे और इस प्रकार पारस्परिक सहयोग और सगठन को दृढ़ करने में सहायक बने । सामूहिक अनुभूति के विस्तार में सामूहिक गान का महत्व है । इसमें वह शक्ति है, जो मानव हृदय को स्पर्श कर सकती है और उसे केंद्रित स्वार्थ की परिधि से ऊपर उठाकर उसमें, 'बहुजन हिताय' और 'बहुजन सुखाय' की भावना जागृत कर सकती है । आज हमारी सारी शक्ति अज्ञान, दरिद्रता, वैषम्य, शोषण जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने की ओर होना चाहिए । इसके लिये आज ऐसी रचनाएँ होनी चाहिए जो जनमन में सामाजिकता के आदर्श सस्कारों को स्थापित कर सकें और उन्हें एक नई दृष्टि दे सकें । नए भारत के निर्माण के लिये यह समवेत स्वर देशवासियों के रोम रोम को जगा दे, एक नया उत्साह भर दें उनके जीवन में और यह उचित उक्ति सत्य हो जाय :

कदम चूम लेती है खुद आके मजिल,
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे ।

राष्ट्र को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिये हमें दत्तचित होकर कार्य करना होगा, यही समय की माँग है । देश के साहित्यकार और कलाकार इन राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं की जाती, ऐसा विश्वास है ।

आज जिन कलाकारों ने पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

नैतिकता के संरक्षक

यह मेरे लिए प्रमत्तता की बात है कि मैं अखिल भारतीय जैन युवक मण की ओर ने आयोजित आज के समारोह में उपस्थित हो सका।

हमारे देश की एक महान सांस्कृतिक परंपरा है। उसने जीवन का ध्येय धर्म, अर्थ, काम मोक्ष के इन चार नत्वों में स्थापित किया है। यहाँ नंगार के अर्थ, भोग की उपेक्षा नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता को वहीं तक स्वीकारा गया है, जहाँ वह लोकनेवा, न्याय और समानता के लिये, व्यक्ति और समाज दोनों के अर्थोत्थित साधना में प्रयोग हो। इसलिये हमारे महापुरुषों ने मयम, त्याग, तप और कर्तव्य पालन को मुख्य बना कर जीवन यापन करने की विधियों का निर्माण किया और बताया कि यह मानव शरीर बड़े महत्व का है, अनेक कामनाओं की मिट्टि का केंद्र है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने हितों की साधना में सदैव सामाजिक और मानवीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण है वह सर्वोच्च उद्देश्य, जिसकी ओर मनुष्य आकांक्षाओं और मनोभावों को लक्षित करते हैं और उसके लिये अच्छे साधनों का प्रयोग करते हैं। इसी लिये, उच्छ्राओं को नियंत्रित करने का प्रादेश दिया गया है, उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध तथा लोकसेवा और लोक मंगल के लिये कहा गया है।

चरित्र का समग्र जीवन में अवधि है। सही मानों में यही मानव जीवन के निर्माण का आधार है। इसकी कमी अतृप्ति, असंतोष, असंतुलन को जन्म देकर समाज में एक गभीर क्षिणिलता उत्पन्न कर देती है। नियम और न्याय से विमुक्त जीवन व्यवस्था को मानवता में नीचे गिरा देता है। प्रगति के लिये किए गए प्रयत्नों द्वारा मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के नाम पर आज तक जो कमाया है, वह सब खो बैठेगा, यदि मनुष्य से चरित्र की यह मूल्यवान निधि छिन जाय। यह नैतिकता मानव का सच्चा आभूषण है, इसे खोकर मनुष्य के पास शेष रहता ही क्या है।

अनुशासन और आत्मसंयम की सामाजिक जीवन में सर्वत्र प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि हम बलवान् आत्माएँ, बलवान् मानस और शक्तिशाली भुजाएँ देश के लिये चाहते हैं, तो हमें आनेवाली पीढ़ियों के लिये नैतिक शिक्षा का

सुचारु रूप से प्रवर्ध करना होगा, उन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वस्थता के लाभ बताने होंगे, उनको शील और शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना होगा, उनमें समता, सहिष्णुता, सदाचार और सद्भावना का सद्दिवेक विकसित करना होगा।

मैं चाहूँगा कि हमारे नवयुवक नैतिकता के संरक्षक बनकर समाज सुधार के अग्रगण्य बनें, जो कुछ अच्छा है उसे बनाए रखने तथा समाज में नाना प्रकार की जो नई और पुरानी बुराइयाँ प्रविष्ट हो गई हैं, उन्हें दूर करने में सहायक हों। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों में उन्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए। पढ़े लिखे नवयुवकों और नवयुवतियों को अपने सद्-व्यवहार, अपने जीवन आदर्शों, सेवा और सद्भावना के गुणों से सुसज्जित होकर दूसरे लोगों पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए। असमानताओं और भेद भावनाओं को मिटाने में अपनी उपयोगी भूमिका निभानी चाहिए। आज समाज के अंदर कितने ही काम हैं, जिन्हें युवा शक्ति संपादित करके राष्ट्र निर्माण में अपना हाथ बटा सकती है।

आज का समारोह हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अचलसिंह जी की ८२वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपने आयोजित किया, वे स्वतंत्रता संग्राम के पुराने साथियों में से हैं। हमेशा देश सेवा से सत्प्रेरित रहे हैं और आज तक इसके लिये सक्रिय हैं। इस वयोवृद्ध अवस्था में भी जिस प्रकार वह काम कर रहे हैं, उमें मैं नौजवानों के लिये अनुकरणीय समझता हूँ। मैं इनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह समाज की इसी लगन से सेवा करते रहेंगे।

कर्मवीरों की जन्मभूमि

मेरे लिये यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं दिल्ली में स्थापित राजस्थान संस्था नग्न के तत्वावधान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित हो सका। प्रायः सबसे मिनने का जो प्रवचन मुझे दिया गया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि पिछले कई वर्षों से आपकी यह संस्था राजस्थान के साहित्यिक, सामाजिक एवं कलात्मक विषयों को उभारने तथा उनके संवर्धन के लिये कार्य कर रही है। अंतर प्रांतीय मेल मिलाप बढ़ाने और इस प्रकार राष्ट्रीय एकाता की सुदृढ़ता के लिये आपने जो विविध कार्यक्रम हाथ में लिए हैं उनके लिये आपकी संस्था बधाई की पात्र है।

राजस्थान की एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है। एक ओर यदि इसका इतिहास शौर्य और साहस के कारनामों में भरा पड़ा है, तो दूसरी ओर साहित्य, नसकृति और कला के क्षेत्र में भी इसका विशिष्ट स्थान रहा है। हमारी संस्कृति के महान् गुणों की प्रतिष्ठा में राजस्थान सदैव आगे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान में रहनेवाले हमारे देशवासी परिश्रमी हैं, कठिनाइयों से जूझनेवाले हैं। आज कितने ही राजस्थान के रहनेवाले, दूसरे प्रदेशों में हैं। वे जहाँ भी गए, उन्होंने अपने उद्यमी और मिलनसार स्वभाव का परिचय दिया है। उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों का एक बड़ा हाथ है। अन्य जीवन क्षेत्रों में भी आपका सदैव सहयोग प्राप्त होता रहा है।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजस्थान के कर्मवीरों के नाम सदैव समादर से स्मरण रहेंगे जो आनेवाली पीढ़ियों के लिये त्याग, देश भक्ति और देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर करने का अमर संदेश दे गए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान के नव निर्माण के लिये राजस्थान की जनता को जो अवसर मिला, उसमें उसकी भूमिका सराहनीय रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है, नए उद्योगों की स्थापना में यथेष्ट प्रयत्न हुए हैं परंतु अभी बहुत कुछ काम होना है। आज हमने देश के नव निर्माण का जो बीड़ा उठाया है, जो नए कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, उनके लिये हमें ठोस काम करना है। हम यह

सुचारु रूप से प्रवर्ध करना होगा, उन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वस्थता के लाभ वताने होंगे, उनको शील और शिष्टाचार का प्रशिक्षण देना होगा, उनमें समता, सहिष्णुता, सदाचार और सद्भावना का सद्दिवेक विकसित करना होगा ।

मैं चाहूँगा कि हमारे नवयुवक नैतिकता के संरक्षक बनकर समाज सुधार के अग्रगण्य बनें, जो कुछ अच्छा है उसे बनाए रखने तथा समाज में नाना प्रकार की जो नई और पुरानी बुराइयाँ प्रविष्ट हो गई हैं, उन्हें दूर करने में सहायक हों । मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों में उन्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए । पढ़े लिखे नवयुवकों और नवयुवतियों को अपने सद्-व्यवहार, अपने जीवन आदर्शों, सेवा और सद्भावना के गुणों से सुसज्जित होकर दूसरे लोगों पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए । असमानताओं और भेद भावनाओं को मिटाने में अपनी उपयोगी भूमिका निभानी चाहिए । आज समाज के अंदर कितने ही काम हैं, जिन्हें युवा शक्ति संपादित करके राष्ट्र निर्माण में अपना हाथ बटा सकती है ।

आज का समारोह हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अचलसिंह जी की ८२वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपने आयोजित किया, वे स्वतंत्रता संग्राम के पुराने साथियों में से हैं । हमेशा देश सेवा से सत्प्रेरित रहे हैं और आज तक इसके लिये सक्रिय हैं । इस वयोवृद्ध अवस्था में भी जिस प्रकार वह काम कर रहे हैं, उसे मैं नौजवानों के लिये अनुकरणीय समझता हूँ । मैं इनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह समाज की इसी लगन से सेवा करते रहेंगे ।

कर्मवीरों की जन्मभूमि

मेरे लिये यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं दिल्ली में स्थापित राजस्थान संस्था मध्य के तत्वावधान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित हो सका। आप सबसे मिलने का जो अवसर मुझे दिया गया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि पिछले कई वर्षों से आपकी यह संस्था राजस्थान के साहित्यिक, सामाजिक एवं कलात्मक विषयों को उभारने तथा उनके संवर्धन के लिये कार्य कर रही है। अंतर प्रांतीय मेल मिलाप बढ़ाने और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की गुरुदृष्टता के लिये आपने जो विविध कार्यक्रम हाथ में लिए हैं उनके लिये आपकी मत्स्या बधाई की पात्र है।

राजस्थान की एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है। एक ओर यदि इसका इतिहास शौर्य और साहस के कारनामों से भरा पड़ा है, तो दूसरी ओर साहित्य, मस्कृति और कला के क्षेत्र में भी इसका विशिष्ट स्थान रहा है। हमारी संस्कृति के महान् गुणों की प्रतिष्ठा में राजस्थान सदैव आगे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान में रहनेवाले हमारे देशवासी परिश्रमी हैं, कठिनाइयों में जूझनेवाले हैं। आज कितने ही राजस्थान के रहनेवाले, दूसरे प्रदेशों में हैं। वे जहाँ भी गए, उन्होंने अपने उद्यमी और मिलनसार स्वभाव का परिचय दिया है। उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों का एक बड़ा हाथ है। अन्य जीवन क्षेत्रों में भी आपका सदैव सहयोग प्राप्त होता रहा है।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजस्थान के कर्मवीरों के नाम सदैव समादर से स्मरण रहेंगे जो आनेवाली पीढ़ियों के लिये त्याग, देश भक्ति और देश की खातिर सर्वस्व न्योछावर करने का अमर संदेश दे गए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान के नव निर्माण के लिये राजस्थान की जनता को जो अवसर मिला, उसमें उसकी भूमिका सराहनीय रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है, नए उद्योगों की स्थापना में यथेष्ट प्रयत्न हुए हैं परंतु अभी बहुत कुछ काम होना है। आज हमने देश के नव निर्माण का जो बीड़ा उठाया है, जो नए कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, उनके लिये हमें ठोस काम करना है। हम यह

चाहते हैं कि हमारे देश के हर प्रात में तेजी से प्रगति हो, आर्थिक और सामाजिक विपमताएँ दूर हो। इसके लिये हमें दो दिशाओं से कार्य करना है। एक ओर तो हमें अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, और दूसरी ओर समाज से उन रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को हटाना है जो शताब्दियों से एक ब्रोक वनकर, हमारे विकास में बाधक रही हैं। आर्थिक उन्नति के लिये नए साधनों का प्रयोग और कठिन परिश्रम आवश्यक है। लेकिन यह भी जरूरी है कि समाज में व्यापक अपव्यय, आडवर, नशीली वस्तुओं के प्रयोग और दहेज जैसी कुप्रथाएँ दूर हो और लोगों को राष्ट्रीय वचतो में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। इन वचतो का लाभ व्यक्ति को भी होगी और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में, तथा सामूहिक हित साधना में, हम अपना सहयोग भी दे सकेंगे।

राजस्थान में भी देश के अन्य प्रदेशों के समान, पिछड़ापन और कुरीतियों से समाज मुक्त नहीं हो पाया। आपकी जैसी स्वायत्त सस्थाओं को समाज में एक स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा करने में आज सहयोग देना चाहिए। अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा हमें चाहिए कि लोगों में नई चेतना जागृत करने का प्रयत्न करे।

आपात कालीन स्थिति की घोषणा से हमारे देश में नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज समाज के हर क्षेत्र में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ है। अनुशासन, समय की पावदी और अपने कर्तव्य के प्रति जो जागरूकता आज दिखाई दे रही है, इन थोड़े दिनों में जितना कार्य हुआ है, उसके आँकड़े काफी सतोपप्रद हैं। समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें चाहिए कि हम सामाजिक ढाँचे को नया रूप दें, उसमें उपयोगी परिवर्तनों के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करें। मैं समझता हूँ कि आपकी जैसी सस्थाएँ नव चेतना के लिये भी काम करें तो हमारे आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी।

आज हमारा हर प्रयत्न समाज से पिछड़ापन, कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने की ओर होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिये आर्थिक विकास जितना आवश्यक है, सामाजिक परिवर्तन भी उतने ही अपेक्षित हैं।

आज हमारे मासकृतिक कार्यक्रमों के समक्ष भारतीय सस्कृति के महान् मूल्यों की प्रतिष्ठा के साथ सामाजिक उत्थान का लक्ष्य रहना चाहिए।

हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि हम लोगों के दिलों में समादर, सहयोग, सहकारिता और सद्भावना पैदा कर सकें और राष्ट्रीय दायित्वों के लिये उन्हें प्रेरित करने रहें।

राजस्थान दिनों दिन प्रगति करता रहे और देश के विकास कार्यों में सर्वोत्तम भाँति अपना योगदान देता रहे, यही मेरी कामना है।



सीमा के सरक्षक

आपके बीच आने और आप सबसे मिलने का जो अवसर मुझे मिला उसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है । आपने मेरे यहाँ आने पर मेरा जो हार्दिक और प्रेमपूर्ण स्वागत किया उसके लिये, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ । मैं यह विश्वास से कह सकता हूँ कि कई बातों में मेरा यहाँ आना स्मरणीय रहेगा, और जो लाभदायक अनुभव मैंने पाए हैं, उन्हें मैं सदा याद रखूँगा ।

आप सबके सकल्प एवं समर्पण की भावना को देखकर मन बड़ा प्रभावित हुआ । आपका यह सुरक्षा दल, देखा जाए तो हमारे देश की सीमाओं को बाहरी घुसपैठ से सुरक्षित रखने का जो कार्य कर रहा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण काम है । मुझे बताया गया है कि हाल ही में आपके जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी ने उत्तर प्रदेश एवं लद्दाख के अचलो में चीनियों के विरुद्ध सफलताएँ प्राप्त की । यह खुशी की बात है, हमारी सरकार ने हमारे इन जवान भाइयों को उचित मान्यता और समान प्रदान किया है, जिनके कारण हमें ये सफलताएँ मिली । इस बात से हमारे इस विश्वास को बल मिलता है कि हमारी सीमाओं की रक्षा सुयोग्य हाथों में है । यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल, भले ही एक छोटा सा दल है, लेकिन निःसंदेह एक ऐसा दल है, जिसके अधिकारी और जवानों में साहस, योग्यता और देश भक्ति का सुंदर योग कहा जा सकता है । मुझे यह बताया गया है कि आपके इस दल की पुन रचना तथा संगठन का कार्य विचाराधीन है और मुझे विश्वास है कि जब यह पूरा हो जाएगा, उससे यह दल राष्ट्रसेवा के इस महान कार्य में अपनी उपयोगिता को और बढ़ा सकेगा ।

मुझे मालूम है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना चौदह वर्ष पूर्व हुई थी और अब इसके जवानों की संख्या लगभग चौदह हजार है । कहा जाए तो हमारी तिब्बत से लगनेवाली सीमा का भी एक विशाल क्षेत्र है । पश्चिम नेपाल से लेकर कराकोरम दर्रे तक यह सीमा फैली हुई है । इनका क्षेत्र हमारे देश के तीन प्रांतों से जुड़ा हुआ है, जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर के क्षेत्र आते हैं । इस सारी सीमा पर आप लोग हैं ।

ऊपर धारणा में मैंने इस क्षेत्र को देखा, इन विकट स्थानों तथा कठिन परिस्थितियों में एक महान् कर्तव्य का पालन करते हुए आपको देखा, यह सब देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। शत्रु की घुनपंठ तथा हमले में इन गीमाओं को सुरक्षित रखना देश सेवा का काम है। मुझे बताया गया है कि आपके इन नए दल में अधिकतर जवान गढ़वाल, लद्दाख, कुमायूँ, हिमाचल प्रदेश आदि के पर्वतीय क्षेत्रों के रहनेवाले हैं। आप लोग अपने परिवारों में एक नवें नमय तक दूर रहकर तथा नाना प्रकार के जोखिम उठाकर, यहाँ जो काम कर रहे हैं, उन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यद्यपि वे इन दूर और दुर्गम क्षेत्रों में हमने भीलो दूर हैं, उनकी भलाई और उन्नति का हमें पूरा ध्यान है। आप लोग अपने कर्तव्य का जिग निष्ठा से पालन कर रहे हैं उनके लिये आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपके कार्य की जितनी सराहना की जाय, कम है।

इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, जब मुझे बताया गया कि आपके दल के जवान अपने निर्धारित कार्य को जितनी अच्छी प्रकार निभाने के लिये तत्पर रहते हैं, उन्हीं प्रकार दूसरे सहायता कार्यों में भी भाग लेते रहते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले हमारे ग्रामवासियों पर किसी तरह का सकट बन जाए, कोई प्राकृतिक विपत्ति पड जाए, मुझे खुशी है उसके लिये सहायता कार्य में भी आप हमेशा आगे रहते हैं। पिछले महीनों में हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भूचाल आते रहे, उनमें आप के दल का शानदार सेवा कार्य रहा है।

मुझे मालूम हुआ है कि आप ने अपने तीन पाठ—विचार, अभ्यास तथा स्वाभिमान—सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अब आप में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है, उनसे जूझने की शक्ति है। मैं समझता हूँ कि इन अभ्यासों द्वारा आपने जो अनुभव प्राप्त किए, वे इस दल के लिये बहुमूल्य हैं। मुझे विश्वास है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण के फलस्वरूप आप कठिनाइयों से लोहा लेने की सामर्थ्य ही नहीं रखते, बल्कि अपने कार्यों को प्रभावी बनाने के लिये तरीके सोच सकते हैं, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं।

एक बार पुन आपको धन्यवाद देता हूँ तथा आप के अच्छे कार्यों की सफलता की कामना करता हूँ।

भविष्य का मार्ग

नेशनल चेंबर आफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स, उत्तर प्रदेश, आगरा की रजत जयंती समारोह के अवसर पर आगरा के विभिन्न उद्योग व्यापार प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से मिलने तथा चेंबर की गतिविधियों की जानकारी पाने का जो सुयोग मुझे प्राप्त हुआ उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ ।

आगरा अपने कई उद्योगों के लिये देश भर में प्रसिद्ध रहा है । देश की स्वतंत्रता के पश्चात् देश भर में औद्योगिक विकास एवं विस्तार के लिये जो उत्साह पैदा हुआ उसमें आगरा का औद्योगिक समुदाय किसी से पीछे नहीं रहा । वल्कि जिस प्रकार विविध उद्योगों की यहाँ स्थापना हुई है और जिस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जित करने में आगरा नगर का योगदान रहा है, वह निमदेह प्रशंसनीय कार्य है । यह संतोष की बात है कि यहाँ भी देश के दूसरे भागों के समान समुचित होने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति भी है ।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रांत है । इतने बड़े क्षेत्र में कई उद्योग, कल कारखाने हैं । परंतु औद्योगिक विकास में कई को दूसरे प्रदेशों की तुलना में अभी पीछे समझा जाता है । केंद्रीय तथा राज्य सरकार इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये चेष्टावद्ध है और जहाँ तक संभव हो सकता है कई योजनाएँ उसके विचाराधीन हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये वह उत्सुक है । औद्योगिक विकास के लिये सरकार की ओर से जितनी सुविधाएँ संभव हो सकती हैं, दी जा रही हैं । हम चाहते हैं कि देश भर में उद्योग बढ़ें, उद्यमकर्ताओं, व्यवस्थापकों, प्रबंधकों, इंजीनियरों तथा अन्य शिक्षित बेरोजगारों के लिये काम के अवसर पैदा हों । राष्ट्रीय उत्पादन के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, जिससे कि देशवासियों का जीवन स्तर सुधारने में सुविधा हो । मुझे यह जानकर प्रतन्नता है कि नेशनल चेंबर आफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स गत २५ वर्षों में आगरा क्षेत्र में उद्योग व्यापार के विकास, विस्तार में, उद्यमकर्ताओं की हित साधना तथा उनके सरक्षण के लिये नचेष्ट रहा है और इनकी कठिनाइयों के शमन के लिये उनमें राज्य तथा केंद्रीय सरकार की यथेष्ट सहायता प्राप्त की है । मैं

चेवर की रजत जयती पर आप नवको बधाई देता हूँ कि देश के आर्थिक विकास में आप सभी लगन से कार्य करते रहेंगे ।

व्यक्तिगत जीवन के नमान ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन घटने रहने हैं । एक दो वर्षों में जिन तेजी में परिवर्तन हुए हैं, उनमें कोई घननिष्ठ नहीं है । आर्थिक अनियंत्रता एवं मुद्रा स्फीति के कारण विकसित देशों की प्रगति पर बुरा असर तो पडा ही है परतु सामान्य जीवन भी इनके कुप्रभाव में नहीं बच सता है । एक समय या जब जिनो देश की सामरिक शक्ति दूसरे देशों पर छाई रहती थी । परतु आज आर्थिक शक्ति निर्णायक बनती जा रही है । उनके प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो पाना इतना सरल नहीं रहा । एमीलिये अब यह अनुभव किया जाना है कि आर्थिक प्रतियोगिता में सावधान हुए बिना, विकासशील देश प्रागे नहीं बढ सकते । आज यह आवश्यक है कि पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों पर हमारी नजर रहे, उनके दूरगामी प्रभावो एवं निकट भविष्य की नभावनाओं का अनुमान लगाकर तदनुसूप अपेक्षित परिवर्तन हो और बाहरी प्रभावो में बचने के भरसक प्रयत्न किए जायें और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने समाधनों का उचित ढग तथा उचित मात्रा में उपयोग करके उत्पादन बढाएँ । यह ठीक है कि आज विश्व में कोई भी देश पूरंतया आत्मनिर्भर नहीं है । किसी न किसी वस्तु के लिये प्रायः सभी राष्ट्रों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पडता है ।

इसमें सदेह नहीं कि आजादी के बाद देश के औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकास हुआ है । परतु समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में अभी तक आशापूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं । आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण, भावों में वृद्धि के कारण, सामान्य व्यक्ति को काफी कठिनाइयाँ भेलनी पड रही हैं, कारण स्पष्ट है । कुछ लोगों के हित साधन तथा लाभो पर राष्ट्र की मुदृढता एवं समृद्धि का आधार तैयार नहीं होता । यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी परियोजनाओं का लाभ देश की सपूर्ण जनता को प्राप्त हो, और वह उदासीन, असंतुष्ट एवं शक्ति न रहे । लोकतंत्र की शक्ति सामान्य जनता पर निर्भर करती है उसकी सुख, समृद्धि और प्रगति में ही देश का उत्थान निहित है । इसी लिये राष्ट्र के निर्माण में हर छोटे बडे, मालिक, मजदूर, किसान, करमकार

इत्यादि सभी का सहयोग अनिवार्य एव अपेक्षित है। बाहरी सहायता पर कोई ठोस आधार कायम नहीं किया जा सकता। वह आधार देश की आंतरिक शक्ति पर ही तैयार होगा और इसके लिये जरूरी है कि हम सब मिलकर पूरी निष्ठा एव तन्मयता से काम करें। वह काम मिलो मे हो, कारखानो मे हो, खेतो मे हो, कार्यालयो मे हो अर्थात् जो भी दायित्व देश ने हमें सौंपा है, उसे हम पूरा करने की चेष्टा करें।

यह कहना अनुचित न होगा कि समाज के समृद्ध तथा सपन्न वर्ग का दायित्व अधिक माना जाता है। जितना उनका कार्य क्षेत्र बड़ा है, उसके अनुसार समाज उनसे सहयोग और सेवा की आशा करता है। साधारण जनता सदैव यह अपेक्षा करती है कि उनके हितों की अवहेलना न हो।

आज के इस वैज्ञानिक युग में बहुत सी वशगत परंपराएँ टूटी हैं और उनके स्थान पर नई धारणाओं ने जन्म लिया है। किसी उद्योग के लिये आज मालिक और मजदूर से काम नहीं चलता। आज सफल उद्योग स्थापित करने के लिये बहुत सी चीजों की जरूरत है। आज जरूरत है, प्रशिक्षित प्रबंधको एव कार्यपालको की। किसी ने कहा है कि उद्यम के स्वामित्व में कहीं अधिक महत्व प्रवध की योग्यता पर निर्भर करता है।

देश एक कठिन समय से गुजर रहा है। सघर्ष किए बिना मुश्किलों से कौन उभरा है? आज चारों तरफ यह अनुभव किया जाता है कि उत्पादन बढ़े। हमारे देश में पूंजी की कमी है परंतु इस कमी को दूर करने के लिये जब तक छोटी और बड़ी बचतों को आर्थिक विकास और उत्पादन के लिये निवेश नहीं किया जाता, पूंजी कैसे बढ़ेगी। इसी लिये अर्थशास्त्री बचतों के निवेश की बात करते हैं। अब यही चाहिए कि उद्योगों में विनियोजित पूंजी का अधिक से अधिक उपयोग हो, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ हैं। कच्चे माल, विजली, यातायात इत्यादि सुविधाओं की कमी से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सका अथवा उत्पादन क्षमता को स्थिर नहीं रखा जा सका। परंतु उन कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टाएँ हो रही हैं। सरकार उद्यमों की स्थापना, विस्तार एव विकास के लिये काफी सुविधाएँ दे रही है और उत्पादन बढ़ाए जाने की दिशा में किए जाने-वाले प्रयासों में हर प्रकार की सहायता करने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन इतने सबके बावजूद ऐसा मान लेना भ्रम में रहने के समान है कि केवल उद्यमकर्ता एव सरकार के प्रयासों से उत्पादन बढ़ेगा। आज यह अनुभव

किया जाता है कि प्रबंधक प्रतिभा में पूरे लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब तपस्वीकी एक प्रदाननिक मनकांश के साथ मालिक और मजदूर में सहानुभूति पूर्ण संबंध स्थापित हो। लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं कि औद्योगिक विकास के लिये देश में एक दृष्टि आधार बनाया जा चुका है और मेरा विश्वास है कि उद्यमकर्ता, श्रमिक, प्रबंधक, तकनीशियन के सामूहिक प्रयासों से आशाजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आपसी सहयोग तथा ताल-मेल से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। अपने प्राकृतिक तथा मानवीय संपदाओं का उचित रूप में उपयोग करके देश द्रुत गति से औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति करे। सुयोग्य एवं दूरदर्शी, व्यवस्थापकों, उद्यमकर्ताओं, प्रबंधकों की सूर्य षष्ठी में प्रयत्नपूर्वक ही औद्योगिक क्षेत्र में एक नई स्फूर्ति पैदा होगी और कल्याणकारी राज्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आप सब पूरे उत्तरेगे, यह मुझे पूरी आशा है।

मनुष्य के सामने भविष्य का मार्ग सदैव खुला रहता है यदि उनके निर्माण में वह वर्तमान के मूल्यवान समय का पूरा उपयोग करे। कोई भी काम आगे बढ़ती है जब वह समस्याओं में जूझना जानती है। कुछ लोग यदि आगे बढ़ जायें और समाज की एक बड़ी मज्जा पीछे रह जाय, उसमें कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। इसलिये जो लोग दूसरों में आगे हैं, वह जनता से अपना स्वयं कायम रखें, उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। देश में कुछ नई प्रतिभाएं उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश पायें, उन्हें बड़े प्रतिष्ठानों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे तो उन्हें उमरने में आसानी होगी।

वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के निराकरण में उद्योगपति एवं व्यापारी वर्ग बड़ी सहायता कर सकता है। आज जरूरत है कि हम अपने निजी लाभों की अपेक्षा राष्ट्रीय लाभों पर ज्यादा ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों को कम करें तथा रोजगार के अधिक अवसर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक संस्थाओं में पैदा करके बढ़ते हुए असतोष को एक रचनात्मक दिशा प्रदान की जाय इसी में सभी का हित निहित है।

मुझे प्रसन्नता है कि चेंबर, न केवल उद्योग व्यापार की हित रक्षा में ही कार्यरत है, बल्कि राष्ट्र के व्यापक हितों को भी इसने सदैव अपने समक्ष रखा है और प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित बहुत सी समितियों में आपके सदस्यों की प्रतिनिधित्व प्राप्त है और आप लोग एक सद्भावनापूर्ण

वातावरण में आर्थिक विकास एवं सुदृढता के लिये सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी चेपर राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए उद्यमकर्ताओं तथा व्यापारियों को उचित सुविधाएँ दिलाने तथा उनकी राष्ट्रीय दायित्व के लिये प्रेरित करने में प्रयत्नशील रहेगा। मैं आपकी उपलब्धियों के लिये आप सबको बधाई देता हूँ और यही चाहता हूँ कि समाज की सेवा में आप इसी भावना और लगन से कार्यरत रहें।

२. देश और भाषा

देश और भाषा

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के अठतीसवें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का जो ध्वजार धारण मुझे दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। आपका अनुरोध था कि मैं सभा के कार्यों को स्वयं आकर देखूँ और इस वर्ष के स्नातकों को उनके भावी सफल जीवन के लिये अपनी शुभकामनाएँ हूँ।

मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने बहुत समय से परिचित हूँ और जानता हूँ कि यह सच्चा बड़े सुचारु रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। यह जानकर अतीव प्रसन्नता है कि अपने स्थापना काल से लेकर आज तक सभा द्वारा एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य संपादित हुआ है।

महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से मन् १९१८ में जिन महान् उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस सभा की स्थापना हुई, उसे कौन नहीं जानता? वह उद्देश्य या राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्त करने का, देशवासियों को एकता के सूत्र में बाँधने का और उस सगठित शक्ति से उस विदेशी सरकार से लोहा लेने के लिये, जिन्होंने हमें गुलामी की शृंगलाओं से जकड़ रखा था। हमें मन और काया से भी दास बनाने की चेष्टा की गई, और जबरदस्ती अंग्रेजी थोपी गई, ताकि भारतवासी अंग्रेजियत की चकाचौंध में अपने अस्तित्व को भूल जाएँ, उनके रग में रँगकर अपनी सस्कृति, सभ्यता से मुँह मोड़ लें। परंतु वह सफल नहीं हो सके।

हमारी उस सस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का श्रेय हमारी भारतीय भाषाओं को है। जिनके माध्यम से इसने अभिव्यक्ति की वाणी ग्रहण की, जिनकी कोख में चिरतन काल से यह पल्लवित हुई। आघात और प्रत्याघात के बावजूद यह बनी रही, क्योंकि समन्वय इसकी विशेषता है। गुण ग्रहण करने की इसमें अतुल क्षमता है। आज विश्व के इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि जिस सस्कृति और सभ्यता में इस समन्वय शक्ति की कमी आई वह समय के आघातों का सामना नहीं कर सकी। आज उनका नाम निशान तक शेष नहीं है। रोम की सभ्यता और सस्कृति कभी अपने उत्कर्ष पर थी, परंतु आज वह कहाँ है?

भाषा मानव विचारो, कृत्यो, अनुभवो तथा उपलब्धियों को अभिव्यक्ति अपने अंतराल में सँजोए रखती है। इसी के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला, शास्त्र, इतिहास आदि प्राचीन काल से आनेवाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होते रहे हैं। लेकिन ग्रहण करने की शक्ति के बिना, भाषाएँ भी समुन्नत और समृद्ध नहीं हो सकती। आदान-प्रदान के बिना वे आगे नहीं बढ़ती। अपने कोश को बढ़ाए बिना समय की आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य कहीं से आएगी। इन्हें गति चाहिए, अवरोध नहीं। नई प्रतिभाएँ इसे सँवारती और सजाती हैं।

उपनिवेशवादी राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उसके पीछे भारतीय भाषाओं को अपदस्थ करने के सिवा और कोई ध्येय नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रनायको ने इस बात को समझा, और मिलकर राष्ट्रभाषा का चयन किया। सयोग से वह गौरव प्राप्त हुआ हिंदी भाषा को, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र अधिक था। अंग्रेजी की बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिये यह जरूरी था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी की स्थिति कुछ दूसरी थी। समय परिवर्तनशील है, उसके साथ ही हमारी धारणाओं में भी परिवर्तन आता है। आज अंग्रेजी राजाज्ञा से नहीं सीखी जाती, वह स्वेच्छा से पढ़ी जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय सदर्भ में इसकी स्थिति दूसरी है और इसे अब बनाए रखने की आवश्यकता को अनुभव किया जाता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसको वही स्थान प्राप्त हो जो उसे हमारी स्वाधीनता से पहले था। एक गौरवशाली राष्ट्र के नाते हमारी अपनी भाषाओं का स्थान इसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। नपक भाषा के रूप में हिंदी को हम सवने स्वेच्छा से चुना है, राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए वही हमारे जन साधारण को आकृष्ट कर सकती है क्योंकि वह हमारी सभ्यता और संस्कृति को, हमारी प्रातीय भाषाओं के समान अभिव्यक्त करने में समर्थ है। हिंदी को यदि राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया तो वह इमलिये नहीं कि यह अन्य भाषाओं का स्थान ग्रहण करे, या उनकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न करे। ऐसा विचारना ही अनुचित होगा। वह तो एक सहचरी के रूप में अन्य भाषाओं की हितचिंतक बनकर उनके विकास में जहाँ सहायक होगी, उनके समर्थन से स्वयं भी परिष्कृत होगी, आदान प्रदान का एक सबल माधन बनकर। और इस प्रकार प्रेम और मैत्री, महयोग और सद्भावना की मदेजवाहक बनकर हरेक देशवासी के हृदय में स्थान ग्रहण

करनी। भाषाओं का एक दूसरे के समीप आने का अर्थ है—देशवासियों का एक दूसरे के निरन्तर आना।

आज के युग में अपने प्रदेश में ही रहकर गुजर नहीं हो सकती। रजगार या सारोवार के मित्रमित्रों में नभे दूर दूर तक जाना पड़ता है। संपर्क भाषा की उपयोगिता का अनुभव हमें अब होता है। आज तो कोई भी अकेले निर्वाह नहीं कर सकता। जनता को पग पग पर दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता रहनी है। उनके लिये हमें समीपदर्ती तथा सुदूर के प्रदेशों और प्रांतों में संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। आदान प्रदान के इन कार्य में संपर्क भाषा जो महत्व रखती है, वह अत्यंत ही बहुत बड़ा है। मैं स्वयं अपने अनुभव से कहता हूँ कि उन संपर्क की भाषा दूसरों को अपना बनाने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में सर्वप्रथम आवश्यक मिला हुई है।

मातृभाषा हमारा जन्मदिन अधिकार है, उनसे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। परन्तु इसका यह नापस्य नहीं कि हम इसी में सतीत मान लें। अपनी मातृभाषा को समृद्ध बनाने की चेष्टा हम में निरन्तर रहनी चाहिए। उसके लिये हम अन्य भाषाओं यदि सीखें और उस साहित्य से अपने साहित्य को श्रीवृद्धि करें तो उनसे अच्छी बात नया होगी। हिंदी भाषा के सीखने में हमें ननिक भी शक्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रभाषा के नाते उभवा राष्ट्रीय महत्व तो है ही, परन्तु प्रांतीय आदान प्रदान में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिये हमें कोई बाध नहीं करता, इसे हमने स्वेच्छा से अपनाया है। दूरदर्शिता यही है कि हम भावी भारत का सोच सकें। राष्ट्रीय धारा के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। कूपमडक की नीति प्रगति के पथ में हमेशा एक बड़ी रुकावट बनती है। आज मनार में यातायात और संचार की सुविधाओं से धरती की दूरियाँ कम होती जा रही हैं। आदान प्रदान की क्रिया में एक ग्यास तेजी आई है। कई जकाओं से मनुष्य ने राहत पाई है, कई नई आशाएँ बंधी हैं। बाधाएँ भी आई हैं। परन्तु जहाँ उत्साह और हिम्मत है, जहाँ मित्रता और बहुत्व के लिये तत्परता है, जहाँ हृदय की विशालता और सहअस्तित्व का उत्तरदायित्व है, वह कौम हमेशा आगे बढ़ती है। आज हम यह जानते हैं कि हमारे आदान प्रदान का क्षेत्र जितना व्यापक और विशाल होगा, उतनी हम प्रगति करेंगे। एक दूसरे के समीप आने से न केवल भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान समुन्नत होते हैं। वृत्तिक व्यापार, तकनीकी तथा ललित कलाओं के विकास में भी सहायता मिलती है।

आज विश्व के बड़े बड़े देशों में कितनी ही भाषाएँ सिखाई जाती हैं। आज इनका सीखा जाना अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के लिये आवश्यक माना जाता है। हमारे विश्वविद्यालयों में भी विदेशी भाषाएँ सिखाई जाती हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे नवयुवकों में यह उत्साह बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाएँ सीखने का चाव बढ़ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, उसके हितों की रक्षा करनी है, यह काम सबके सहयोग से होगा। राष्ट्र का गौरव हमारा गौरव है। उसकी उपलब्धियाँ हमारी अपनी हैं। देश की समृद्धि के माने हैं, देशवासियों की खुशहाली।

मैं यह बात विश्वास से कह सकता हूँ कि दक्षिण भारत के देशवासी देश के किसी कार्य में पीछे नहीं रहे। वे हमेशा हर कार्य में अपना पूरा सहयोग देते रहे हैं। समय समय पर उन्होंने अपनी योग्यताओं, कार्यकुशलता एवं उत्साह का परिचय दिया है। हिंदी के अध्ययन अध्यापन में उनके उत्साह की मैं प्रशंसा करूँगा, और मुझे पूरी आशा है कि इस विषय में थोड़े समय में ही वह एक रिकार्ड कायम करने में सफल होंगे। यह काम स्वेच्छा से ही होना चाहिए। स्वेच्छा से होनेवाले कार्य का प्रभाव सदैव स्वस्थ और स्थायी होता है। इसकी सुविधा जुटाने के लिये, हिंदी प्रचार सभा की सेवाएँ राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ी मूल्यवान् कही जायेंगी।

आज जिन स्नातकों ने उपाधियाँ प्राप्त की, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। हिंदी को लोकप्रिय बनाना, अब आपका काम है। अपनी कृतियों द्वारा वह सामंजस्य आपको स्थापित करना है, जिससे दोनों—तमिल और हिंदी—को एक नई शैली और व्यापकता प्राप्त हो और दूसरे नवयुवक और नवयुवतियों को एक नई प्रेरणा मिले। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, इसी उत्साह और लगन में अपने इस कार्य को सफलता से संपादित करती रहे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

सद्भावना और प्रेम का नया युग

माननीय श्यामा जी, श्री जेयदे जी, श्री ध्याम जी तथा देवियो और मज्जनों, मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आपने हिंदी पत्रिका 'आलोक-भारती' के 'विश्व हिंदी सम्मेलन उपलब्धि प्रक' के प्रकाशनोद्घाटन हेतु मुझे यहाँ आमंत्रित किया तथा आप सभी मज्जनों से मिलने का अवसर प्रदान किया। यह सर्वविदिन है कि गत जनवरी मास में नागपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने भाषा के क्षेत्र में सद्भावना और प्रेम के नए युग का सूत्रपात किया। साथ ही सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा हिंदी के ज्ञान राष्ट्रीय एकता के तत्व और उसके विश्वव्यापी स्वल्प का भी प्रकट किया। आज भारतीय जनमानस के लिये हिंदी राष्ट्रभाषा ही नहीं, अपितु हमारे सामाजिक संस्कृति की प्रतीक बन गयी है। भाषा को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण तथा श्रमनाध्य कार्य है और इस दृष्टि में इनके साहित्यकारों, पत्रकारों तथा अन्य रचनाकारों का दायित्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। उन्हें अपने दायित्व को गुरुता और गभीरता से निभाना है जिससे एक ओर तो हिंदी का साहित्य-भंडार भर सके और दूसरी ओर हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के सहयोग से, भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके, जैसी कि संविधान में उससे आशा की जाती है।

यह सराहनीय बात है कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी की पत्रकारिता प्रारंभ से ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रही है। इसने सर्व-साधारण की भावनाओं को व्यक्त करने में स्वाधीनता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई है। परंतु मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस भूमिका की स्वतंत्रता के बाद और अधिक आवश्यकता अनुभव होती है। आज जब कि हमें अपने मौलिक और विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता है जिसका सीधा संबंध राष्ट्र की इस धरती और इसके मानव कल्याणकारी संस्कारों और परंपराओं से है।

इसीलिये उद्देश्यपूर्ण और सार्थक पत्रकारिता को मैं देश के लिये बहुत आवश्यक मानता हूँ। जब विज्ञान युग के वर्तमान मानव के समक्ष अपने

मूल्यों और आदर्शों का सघर्ष हो, उस समय यह आवश्यकता और बढ़ जाती है। पत्र-पत्रिकाओं पर जन-रुचि बनाने और समाज को स्वस्थ चिंतन प्रदान करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। भावी एकता और प्रेम बढ़ानेवाली ऐसी घटना की विस्तृत चर्चा हिंदी जगत् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 'आलोक भारती' वधाई का पात्र है। इस दृष्टि से मैं 'आलोक भारती' के प्रयत्नों का स्वागत करता हूँ। मेरी शुभकामना है कि यह पत्रिका अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो।

हिंदी की उपलब्धियाँ

यह दृष्टान्त परम सीमावर्ती है कि हमारे देश में विश्व के सुदूर देशों के रहने वाले भाईयाँ को हिंदी का प्रेम उन्हें यहाँ गीत लाया है। सद्भावना एवं सहयोग के इस मंगलमय आनायक्षण ने आपको एक परिवार के सदस्यों की भाँति निरंतर बैठने, एक दूसरे के विचारों एवं उपलब्धियों में प्रेरणा पाने का जो न्युन्योण प्राप्त हुआ है, वह निश्चय ही विश्व के इतिहास में एक महान घटना है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में यह समागम बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह अवनत न केवल एक पूर्व कल्पित मनोकामना की पूर्ति मात्र है वरन् यह तो मानव जाति के एकरूप के लिये लिए जाने वाले एक विराट् प्रयत्न का प्रतीक भी है। मुझे आज देश विदेश के पारगत विद्वानों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कवियों, लेखकों एवं भाषा पंडितों से भेंट पाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उससे मुझे टाटिक प्रसन्नता है। हिंदी भाषा की श्राव जो सेवा कर रहे हैं उनके लिये आपके जितना भी सम्मान दिया जाये, आपके काय की तुलना में कम ही पड़ेगा।

पिछले तीन दिनों में भारत के इस भूभाग में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में देश विदेश के वरिष्ठ हिंदीभाषी साहित्यकारों एवं विद्वानों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में हिंदी की उपलब्धियों तथा सभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करके न केवल हिंदी को, बल्कि समग्र मानव जाति को परिष्कृत किया है। हम आपके विचारों को अपने लिये बड़ा मूल्यवान समझते हैं। भारत से बाहर भी हिंदी के प्रचार प्रचार का स्तुत्य कार्य हो रहा है, यह बड़े सतोप की बात है। भारत की ज्ञान गरिमा को अपनी साधना श्रौंर सतत् प्रयासों से आपने भारत के गौरव में वृद्धि तो की ही है, हिंदी को जागतिक प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। यह आपके प्रेम का प्रतीक है और हम इस भावना का हृदय से आदर करते हैं। आप आज सबको एक मंच पर कान लाया है, मेरे विचार में यह हिन्दी का गुण्वाकर्षण है जिसने सारे विश्व को प्रेरित किया है, वन्द्युत्प के सूत्र में एक हो जाने के लिये। आपके आगमन में हमारे देशवासियों को अतीव प्रसन्नता हुई है। आप सबकी उपस्थिति से हमारी आशाएँ एक विश्वास में परिणत हो रही हैं और हम अनुभव करते हैं कि जिन उत्कृष्ट आकाशाओं एवं अभिलाषाओं को सँजोकर

इस महा सम्मेलन का आयोजन हुआ है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पाने में हमें आपका पूरा और निरंतर सहयोग और सद्भाव प्राप्त होगा और हिंदी अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित होगी।

यह तो आप जानते ही हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। हमारे संविधान द्वारा यहाँ की १५ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राष्ट्र-भाषा का गौरव प्राप्त हुआ है, वह इस कारण से ही नहीं कि यह देश की बहु-संख्या की भाषा है। वलिक्र इसलिये भी कि हमारे देश की भाषाओं की जननी संस्कृत के यह अधिक समीप है और हमारी पुरातन परंपराओं की अभिव्यक्ति तथा आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हमारी कुछ भाषाएँ संस्कृत अन्य हैं। कुछ पंच द्रविड भाषायें कहलाती हैं—जैसे तेलुगू, कन्नड, तमिल, मलयालम, तुलू। इन दोनों परिवारों का साहित्य समृद्ध और प्राचीन है। परंतु जब हम इन भाषाओं का बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत से न्यूनाधिक मात्रा में ये भी प्रभावित हुई हैं। इस नाते से, उनमें भिन्नता होने पर भी एक सामीप्य स्थापित हो जाता है। इसके अंतर में उसी सलिल सरिता की शीतल एव निर्मल धारा प्रवाहित है जिसमें हमारी सभी भाषाएँ फली फूली हैं। इस बात से कौन इकार कर सकता है कि महस्रो वर्षों की अर्जित आध्यात्मिक संपदा इन भाषाओं ने सँजोकर रखी है और इन्हीं के माध्यम से भारतीय जन मानस को लाभान्वित करती रही है। हिंदी का चयन एक राष्ट्रीय भावना से किया गया था और यह कल्पना की गई थी कि इसके प्रतिनिधित्व में भारत की प्रान्तीय भाषाएँ समृद्ध और उन्नत होंगी। आज हम अनुभव करते हैं कि वह स्वप्न साकार होता जा रहा है। मुझे वह समय स्मरण है, जब हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की बातें जोरों पर थी। इस उच्च शासन पर सुशोभित करने का श्रेय हिंदी भाषियों में कही अधिक देश की अन्य भाषाओं के नेताओं की सूझ-बूझ और दूरदर्शिता को प्राप्त है। वह जानते थे कि हिंदी राष्ट्र की सांस्कृतिक और भावात्मक एकता को अक्षुण्ण बनाए रख सकती है और आनेवाले युग में विश्व भर में एक उपयोगी भूमिका निभाने में समर्थ होगी। हमने हिंदी के जिस व्यापक स्वरूप की कल्पना की थी। वह प्रत्यक्षतः स्पष्ट होता जा रहा है। आज भारत में ही नहीं, विश्व भर में इसकी महत्ता को समझा जा रहा है।

समय और समाज के साथ चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एकाकी दृष्टिकोण प्रगति के पथ में जितना बाधक होता है, उससे कहीं अधिक वह

उसके प्रतिष्ठित्व के लिये भी घातक माना जाता है। जिस प्रकार समन्वय की शक्ति में नम्यता का विकास एवं उन्नति निहित है उसी प्रकार भाषाओं के प्रादान प्रदान में भाषाएँ भी ममद होती हैं। भारतीय जीवन का यही प्रादर्श रहा है कि हमने हर दिशा से आनेवाले प्रकाश के लिए अपने द्वार खोल दिये हैं और हर अच्छी चीज का स्वागत किया है जो हमारे पाम है। उन्ने हमरो में बाँटा है। हमारे राष्ट्र नायको ने यह माना है कि हिंदी को देश की अन्य भाषाओं के साथ साथ ही विकसित किया जाय। जब दूसरी भाषाएँ धरना उचित स्थान ग्रहण कर लेंगी तो हिंदी की शक्ति में भी वृद्धि होगी।

भाषा के विकास के लिये यह आवश्यक है कि उनमें अच्छे में अच्छे जन्मि साहित्य का प्रवेश हो तथा उन्में ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, कानून, व्यवसाय, भूगोल, गणित, उद्योग उद्योग विषयो पर भी ऊँचे में ऊँचा साहित्य उपलब्ध हो। आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों की एक बृहद् शब्दावली तैयार की जा चुकी है, जिसको सभी भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाया जाएगा। विश्वविद्यालयों में प्रयोग के लिए लगभग २ हजार पुस्तकों का वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रयोग द्वारा हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिये अनुवादन किया गया है। जिनमें अनुवाद तथा मूल लेखन के लिये पाँच सौ ग्रंथों का कार्य हाथ में लिया गया है। विधि-संबंधी कार्यों में भी आशाजनक प्रगति हुई है। विधि के स्नातकों के लिये हिंदी की मानक पुस्तकें लिखी जा रही हैं। कई हिंदी शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय सरकार के अधीन करणियों, निगमों, औद्योगिक संस्थाओं में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। अन्य भाषाभाषी राज्यों में हिंदी के प्रसार के लिये कई योजनाएँ चलाई गई हैं। प्रोत्साहन के लिये निशुल्क पुस्तकें देने की व्यवस्था तथा छात्र-वृत्तियाँ देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं। इसी प्रकार पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना से बहुत से अन्य भाषाभाषी देशवासियों और विदेशियों को हिंदी सीखने के अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं। हिंदी के प्रसार के लिये अलग अलग विषयों पर हिंदी की ३ हजार से भी अधिक पुस्तकें आज उपलब्ध हैं। इसमें यह अनुमान सहज में हो सकता है कि हिंदी को समृद्ध एवं उन्नत बनाने के लिये अच्छा काम हो रहा है।

पिछले कई वर्षों से हमारे देश में सार्वजनिक एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा हिंदी के लिये सराहनीय कार्य हुआ है। आज तक उसके प्रसार के

लिये जो प्रयत्न हुए हैं उनसे भले ही हमें सतोप न हो, परंतु यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र में इस दिशा में जितना कार्य हुआ है, उससे हिंदी के लिये वह आधार बनाया जा चुका है जिससे हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होती जाएगी। आज भारतीय जनमानस के लिये हिंदी राष्ट्र-भाषा ही नहीं, अपितु हमारी सामाजिक संस्कृति की प्रतीक बन गई है।

भाषा को सशक्त एवं समृद्ध बनाना, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक श्रमसाध्य कार्य है। इसलिये देशवासियों के निष्ठापूर्ण प्रयासों एवं निरंतर त्याग भावना से किए जानेवाले श्रम तथा प्रायोगिक व्यवहार पर ही भाषा की मजबूती प्रगति निर्भर करती है और चूंकि यह कार्य समय साध्य होते हैं और यदि निरंतर प्रयत्न होते रहे तभी इच्छित फल प्राप्त होगा। शब्दों का निर्माण साधन मात्र है, इनका जितना प्रयोग किया जाएगा, उतनी ही भाषा समृद्ध होगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हमारे भाषाविदों ने प्रचलित शब्दों को, जो भाषा में रच पच गए हैं, बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उनको यथोचित स्थान दिया है। यह सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ भाषा में भी न्यूनाधिक परिवर्तन आते रहते हैं। कुछ शब्द समय की विडवना से निर्जीव होकर रह जाते हैं, नए शब्दों के प्रवेश तथा मृतप्राय शब्दों के निकास की क्रिया, समाज के समान ही, भाषाओं की प्रगतिशीलता की द्योतक हैं। भाषाएँ बढ़ती हैं, आदान प्रदान की प्रक्रिया के साथ। और जितना यह सहयोग बढ़ेगा, उतना ही उनमें सामंजस्य स्थापित होगा। वह अलग अलग होने पर भी एक रूप दृष्टिगोचर होगी। भाषाओं का इतिहास उठाकर देखे तो स्पष्ट होगा कि ससार की कोई भाषा न तो एक दिन में गढ़ी गई थी, न समृद्ध ही हुई है। वर्षों की तपस्या और साधना के फलस्वरूप ही वह उन्नत हो पाई है।

भाषा का संवर्धन उसके शब्दों के भंडार, अभिव्यक्ति से भी अधिक उस राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं, उसके जीवन मूल्यों तथा उसके विकास के इतिहास पर अवलंबित रहता है। आज हम कह सकते हैं कि हिंदी एक ऐसी सशक्त भाषा बन चुकी है जिसमें हमारे जनमानस की सामूहिक चेतना को व्यक्त करने की सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य उसे प्रदान किया सर्व स्रष्टृकर्ता की भावना ने। आज हम विश्व की अन्य उन्नत भाषाओं के शब्दों को यथोचित स्थान देकर उसके भावी रूप को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। यह हम

सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनावे। हिंदी का विकास इसके वर्तमान शब्द भंडार के उपयोग और प्रयोग पर निर्भर करता है। उचित तो यही है कि युग सदर्थ में आधुनिक साहित्य की मौलिक रचनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। हम एक दूसरे की भाषाएँ सीखें और अन्य भाषाओं की विशेषताओं को हिंदी में स्थान दें। मैं समझता हूँ कि यह कार्य प्रतिभाशाली, युवा लेखकों के प्रयासों से होगा। यह सतोप की बात है कि नए साहित्य की रचना का कार्य आरंभ हो गया है। आज यहाँ देश की अन्य भाषाओं के विद्वान और साहित्यकार भी पधारें हैं। उनको समानित करके हमने अपना एक दायित्व पूरा किया है, अन्य भाषाओं के प्रति प्रेम और आदर की भावना से उनके दिल में जो जगह बनाई है और हमें विश्वास है कि यह परस्पर सहयोग निरंतर बढ़ता रहेगा। सभी विद्वानों एवं साहित्यकारों के समक्ष मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी अब हिंदी भाषियों से कहीं अधिक आपकी है। आपने इसे संवारना और आगे बढ़ाना है, इसको प्रतिष्ठित करना है। हिंदी का भावी रूप हिंदी तथा अन्य भाषाभाषी विद्वानों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, प्रचारकों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। हम सबका यही कर्तव्य है कि हम हिंदी को एक वैभवशाली भाषा बनावे ताकि विश्व के सदर्थ में भावात्मक एकता एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिये हिंदी एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने में सक्षम हो सके। आज जबकि मनुष्य की चैदिकता विकास क्षितिज की चरम सीमा छू रही है, उसकी समस्त मानसिक तथा शारीरिक शक्तियाँ केवल भौतिक विकास की ओर आकृष्ट हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा इतनी आगे बढ़ गई है कि आज मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों के प्रति हतप्रभ एवं उदासी ही दिखाई नहीं देता, वह उससे दूर भी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी को उस अमर सदेश-वाहिनी बनकर पूरे विश्व को विश्वबद्धत्व के एक पुनीत रिश्ते में बाँधकर उसे नई दिशा को और प्रशस्त करने का भार वहन करना है और इस महायज्ञ में सफलता का यशस्वी कलश हमारी आहुतियों के द्वारा ही प्राप्त होगा।

हमें यह जानकर असीम प्रसन्नता है कि भारत के बाहर ६३ विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा दीक्षा की सुविधा उपलब्ध है। अमेरिका और सोवियत संघ में हिंदी पर एक बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों में भी सराहनीय कार्य हो रहा है।

भारतीय वंश के जो लोग त्रिनिडाड-सुरीनाम, फिजी द्वीप समूह तथा मौरिशस जैसे देशों में हैं, उनके हिंदी प्रेम को देखकर हमारे दिल में उनके

प्रति आदर के भाव हैं। जिस प्रकार दूसरे देशों में हिंदी सीखी जाती है, उसी उत्साह से हमारे देश के विश्वविद्यालयों में भी विश्व की अन्य भाषाओं का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। हमारे मन में विश्व की समस्त भाषाओं के प्रति स्नेह के भाव हैं। उनमें जो गूण हैं, उन्हें ग्रहण करने से हम कभी विमुख नहीं हुए और इनको सीखने में हम में बड़ी अभिरुचि है। हम तो यह मानते हैं कि भौगोलिक दूरियाँ यदि विज्ञान की प्रगति से कम हैं तो हृदयों को समीप लाने में हमारी भाषाएँ कारगर होंगी। एक दूसरे की भाषा के प्रति महिष्णुता के दृष्टिकोण से, आपसी सहयोग और सद्भाव से, यह महान कार्य पूरा होगा। एक दूसरे के करीब आने, मिलकर विचार करने से बहुत सी शकाओं का समाधान होता है और भविष्य में स्वेच्छा से विश्व-कल्याण के लिये प्रेरणा मिलती है।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मदर्म में हिंदी की उपलब्धियों एवं समाव-नाओं पर आज बड़े विस्तार से विचार हुआ, बहुत से मूल्यवान सुभाव रखे गए, कुछ प्रस्ताव पारित हुए तथा घोषणाएँ की गईं। मुझे पूरी आशा है कि हिंदी को उसका परिष्कृत स्थान प्रदान करने के लिये आप सबके सतत् प्रयत्न और निष्ठापूर्ण प्रयास तथा सद्भावना सार्थक होगी। भारत में सरकारी क्षेत्र में इस दिशा में जो कार्य किया जा रहा है, उसको एक व्यापक रूप तो आपके सहयोग के बिना नहीं दिया जा सकता। इसी मतव्य से हमारे देश में यह कार्य-भार ऐच्छिक मंत्रियों ने भी वहन किया है। इस विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का श्रेय गांधी जी की प्रेरणा तथा आशीर्वाद से स्थापित राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति वर्धा को प्राप्त है। यूनेस्को, पी० ई० एन०, विश्व तमिल कांग्रेस, विश्व तेलुगु परिषद्, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्वीडन, पोलैंड, चेकोस्लाविया, पूर्व एवं पश्चिम जर्मनी, जापान, थाई-लैंड, बंगला देश, मोरिशस, त्रिनिडाड, फिजी इत्यादि देशों के सहयोग से यह विशाल समारोह एक आत्मीयता के वातावरण में संपन्न हुआ है। हम आपके भावनापूर्ण योगदान के लिये आप सबको धन्यवाद देते हैं।

मुझे पूरी आशा है कि पूरे विश्व में एकात्मकता की भावना दृढ़ होगी और भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति में हिंदी एक मूल्यवान माध्यम बनेगी। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना हूँ कि आपने यहाँ आकर अपने मूल्यवान विचारों में हमें लाभान्वित किया। आप सभी जब अपने देश लौटें तो हमारे देशवासियों की शुभ कामनाएँ आपके साथ हों। यह मंत्रीपूर्ण सद्भाव मदा बना रहे, यही हमारी कामना है।

हिंदी के लिये एक समन्वित स्वरूप

कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति के दीक्षान समारोह मे उपस्थित हो पाना, मैं अपने लिये गौरव की बात समझता हूँ। आपने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं समिति को धन्यवाद देता हूँ। आपकी सस्था से मैं पहिले से ही परिचित हूँ और जानता हूँ कि पिछले कई वर्षों से हिंदी के विकास और विस्तार मे यहाँ काफी लगन और उत्साह से काम हो रहा है। आज स्वयं देखने का भी मौका मिला, आपकी व्यवस्था और कार्य प्रणाली को देखकर प्रसन्नता हुई। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिये इस प्रकार की शिक्षा सस्था चलाना वास्तव मे एक महत्वपूर्ण एव प्रशंसनीय प्रयोग है।

स्वतंत्रता के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ, एक ऐसे प्रगतिशील समाज की कल्पना की गई, जिसके द्वारा सामाजिक समता और सामाजिक न्याय स्थापित हो सके और इस आदर्श के साथ देश का पुन निर्माण हो। राष्ट्र के सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिये सब देशवासी मिलकर विकास कार्यों मे भाग लें। इसलिये देश के प्रत्येक नागरिक को, वह महिला हो या पुरुष, बिना किसी भेद भाव के प्रगति करने और राष्ट्र के विकास कार्यों मे भागीदार बनने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्नति करने और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास मे हर भारतीय को अवसर सुलभ हैं और यह बड़े सतोषकी बात है कि भारतीय महिलाएँ आज राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र मे भाग ले रही हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था से महिलाओं को आगे आना है, चाहे वह शिक्षा का कार्य हो या ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, कला इत्यादि का विषय हो। महिलाएँ भी पुरुषों के समान देश की शक्ति है, प्रगति करने वाला या प्रगति के पथ पर अग्रसर कोई भी देश उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक बात स्पष्ट है, राष्ट्रीय चेतना का विकास सही मानो मे महिलाओं के सहयोग के बिना कदापि सम्भव नहीं है। एक महिला यदि शिक्षित होती है तो आगे आने वाली पीढी के शिक्षित होने की सभावनाएँ अधिक प्रबल होती है। इससे व्यक्ति विशेष तक ही वह लाभ सीमित नहीं रहता, पूरा कुटुंब प्रभावित होता है।

भारतीय नारी ने जिस प्रकार हमारी सांस्कृति के परम्परा को सजोए रखा है, उसी उत्साह से वह नए युग के सदेश के अन्शीलन मे भी तत्पर है। प्राचीन

काल में जिम प्रकार विद्वत्ता, शौर्य, साहस, त्याग और निष्ठा के उदाहरण भारतीय महिलाओं ने स्थापित किए, उसी प्रकार आज वे नई सरचना में अपनी योग्यता और सामर्थ्य का अद्भुत प्रमाण दे सकने में सक्षम होती जा रही हैं। हिंदी के विकास और विस्तार में महिलाओं का योगदान एक व्यापक आयाम में बड़ा महत्व रखता है। महिलाओं के प्रयत्नों से इस काम को एक नई गति मिलेगी। हिन्दी राष्ट्रीय सदर्भ में एक कड़ी है, परस्पर सवधो की, इस बड़े देश की एकता और सुदृढता की।

यह सतोष की बात है कि कर्नाटक की महिलाएँ अपने दायित्व के प्रति जागरूक हैं। राष्ट्र के कार्यों में वह बराबर भाग ले रही हैं, यह स्पष्ट है कि हिंदी सीखने में वह पीछे नहीं रह सकती, फिर हिंदी का कार्य तो राष्ट्रीय कार्य है। उसे स्वेच्छा से सीखा जाना चाहिए। दूरदर्शी लोग भविष्य की सभावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं और जीवन की यथार्थताओं को स्वीकार करने में सकोच नहीं करते। हिंदी का चयन भी हमारी दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसने भविष्य की मुदर सभावनाओं की कल्पना की थी, भारत को एक समृद्ध और उन्नत राष्ट्र के रूप में देखने की और उसके लिये हम सब सकल्पबद्ध हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि मातृ भाषा का स्थान सर्वोपरि है, और उसके लिये विशेष मोह होना भी स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। क्योंकि इस माध्यम से विद्या महज और सरल ही नहीं, अधिक प्रभावक भी है। परंतु जिम देश में अनेको भाषाएँ हो, वहाँ एक अन्य सपर्क भाषा जो सभी से सम्पर्क साध सके, का होना जरूरी है। महयोग हमारे जीवन का आधार है, आदान प्रदान हमारी प्रगति का सूचक है। आज मनुष्य का कार्य क्षेत्र विस्तृत होना जा रहा है उसे सीमाबद्ध करना उसकी प्रगति को रोक देगा, हमें आगे बढ़ना है—मिलकर, और एक दूसरे के समीप आने के लिये। आप जानते हैं कि हिंदी को ही यह कार्य पूरा करना है। इसलिये जो इसके विकास और विस्तार से सवधित हैं, वे प्रशसा के ही पात्र हैं।

कन्नड स्वयं एक समृद्ध भाषा है और मैं समझता हूँ कि हिंदी और कन्नड भाषा के परस्पर सहयोग से दोनों के माहित्य भंडार और ज्यादा समुन्नत तथा समृद्ध होंगे। भाषाओं में ग्रहण करने का गुण इनकी विशेषता है। इसलिए त्रिभाषी-मूत्र को देश भर में कार्यान्वित किया गया, नाकि हमारा बालन-पालन मातृभाषा की गोद में ही, राष्ट्रभाषा हमें अपने देशवासियों से सपर्क साधने के निम्न अतिरिक्त बाणी प्रदान करे और

ज्ञान-विज्ञान की दुनिया से सवध बनाए रखने के लिये, अंग्रेजी का एक सहयोगी भाषा के रूप में उपयोग हो ।

आज हिंदी को एक समन्वित स्वरूप चाहिए । जिसमें समूचे भारत की गरिमा को प्रतिबिंबित कर सकें । भारत की विभिन्न भाषाओं को अपनी शैलियों, अभिव्यक्तियों, शब्दों और मुहावरों से इसके कोष को समृद्ध बनाना है, वही हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप है । यह काम हिंदी भाषा भाषियों का नहीं हो सकता, यह तो अन्य देशवासियों का काम है, यह एक महत्वपूर्ण काम है । आज अपनी मातृभाषा की साहित्य संपदा, यहाँ के संत और महापुरुषों के कृतित्व और उपदेशों को अपने अनेकों देशवासियों तक हिंदी के माध्यम से पहुँचा सकते हैं । यह भावात्मक एकता का एक ऐसा सेतु है, जो राष्ट्रीय जीवन में तादात्म्य स्थापित करता है ।

आज राष्ट्र की शक्ति उसकी जनता है, उसकी समृद्धि देशवासियों के सु-प्रयासों और सु-प्रयत्नों पर निर्भर करती है । देश उन्नति करेगा तो वह उन्नति हमारी होगी, उसका गौरव बढ़ता है तो उस यश के हम सभी भागीदार हैं । आज भारत ने विज्ञान और तकनीकी में जिस तेजी से प्रगति की उससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा समान बढ़ा है तो यह गौरव भारतवासियों का है, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है इसलिये हमें पूरी निष्ठा से अपनी शक्तियों को राष्ट्रहित में समर्पित करते रहना है । अक्षय गति से हम आगे बढ़ते रहे, हर नई मजिल के लिये एक नए उत्साह के साथ, तो वह दिन दूर नहीं, जब हम विश्व के राष्ट्रों में एक प्रतिष्ठित स्थान बना लेंगे । आज जरूरत है मिलकर काम करने की, सकुचित स्वार्थों तथा निजी लाभों की लालसा को त्याग कर देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करने की । इस महत् आয়োजन में देश की महिलाओं का योगदान सदैव अपेक्षित है ।

आपने हिंदी की स्नातकीय उपाधि प्राप्ति की, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ । मुझे आशा है कि जिस प्रेम से आपने हिंदी का अध्ययन किया, आप इसका अपने जीवन में उपयोग करें और संभव हो सके तो इसे और बढ़ाएँ तथा हिंदी और कन्नड साहित्य की सेवा करें । मौलिक रचनाओं और प्रामाणिक अनुवादों द्वारा इन्हें समृद्ध बनाएँ । मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में यहाँ काफी उत्साह है । अतः मैं आप सबको जिन्होंने श्रद्धा-पत्र ग्रहण किए, उनके सफल भविष्य की कामना करता हूँ ।

साहित्यिक आदान प्रदान की आवश्यकता

मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के हीरक जयती समारोह में भाग लेने का सुअवसर दिया है।

इस समिति की स्थापना, इसकी गतिविधियों और विकास के बारे में अभी अभी जो विवरण दिया गया है, उससे मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपकी समिति का एक गौरवमय इतिहास है और उसने हिंदी भाषा और उसके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज वह अपनी हीरक जयती मना रही है, यह स्वयमेव उसकी उपादेयता और लोकप्रियता का एक अच्छा सबूत है। इस सुखद अवसर पर, सबसे पहले मैं इस समिति को और इससे सर्वाधिक सभी साहित्यिकों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि यह संस्था दिनोदिन उन्नति करती रहे और इसका भविष्य उज्ज्वल से उज्ज्वलतर हो।

मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यिक नहीं हूँ कि आप जैसे साहित्यिकों के बीच, साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर सकूँ या आपको कुछ उपदेश या सदेश दे सकूँ। पर सभी भाषाओं से मेरा अनुराग और प्रेम है और साहित्य में मेरी दिलचस्पी है। यही कारण है कि मैंने आपके निमन्त्रण को सहर्ष स्वीकार किया है। सच पूछा जाए तो मैं आपसे कुछ सीखने और प्रेरणा पाने के लिये आया हूँ क्योंकि साहित्यिक द्रष्टा और स्रष्टा दोनों हैं। वह न केवल अतीत के गौरव का गुणगान करता, न केवल वर्तमान वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण करता, अपितु अपनी कल्पना के पखों को पसार कर, उस भविष्य की ओर, जो रहस्यमय है, जो अविदित है, संकेत करता है। उसकी सृष्टि और उसकी अनिप्यत्राणी सच निकली है कि नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन एक ऐसा सुंदर सृष्टिकर्ता है जिसको देखकर हम चकित होते हैं, आनंदित और आत्म-विभोर होते हैं, तभी तो कहा जाता है कि जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँचते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि देश, काल और परिस्थितियों का साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि साहित्य के इतिहास में विभिन्न

युगो मे भिन्न भिन्न साहित्य का सृजन हुआ है। कभी धर्म का बोलवाला था तो कभी भक्ति का, कभी रीति का तो कभी नीति का। साहित्य वह दर्पण है जिसमे हमे देश के इतिहास, सभ्कृति व समाज की परछाईं दिखाई देनी है। सौभाग्य से इस देश मे, प्राचीन काल से, ऐसे महान् और प्रतिभाशाली साहित्यिक उत्पन्न हुए- जिन्होने न केवल हमारे साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि साहित्य के क्षेत्र मे ऐसी सुदर और स्वस्थ परंपराएँ स्थापित की, ऐसे ऊँचे मूल्यो और उच्च आदर्शो की प्रतिष्ठा की जो हमारी अमूल्य थानी है। आज के साहित्यिको का यह दायित्व है कि उन परंपराओ, मूल्यो आदर्शो को अक्षुण्ण रखें और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर, साहित्य की श्रीवृद्धि करे। आजकल जब कि नवीन प्रवृत्तियाँ उभरती दिखाई दे रही हैं, तो अनुभवी साहित्यिको और विद्वानो का यह कर्तव्य है कि स्थिति के ठीक विश्लेषण द्वारा और आधुनिककाल की आवश्यकताओ के अनुरूप साहित्य को एक नया मोड दे और समाज का मार्ग दर्शन करे।

हिंदी भाषा और उसका साहित्य भी अत्यंत प्राचीन नहीं, तो कम से कम यह डेढ हजार वर्ष पुराना अवश्य है। अतीत मे, हिंदी के दो महान कवि, तुलसी और सूर ने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की पावन धाराओ से इस भाषा को सींचकर इसे जिस तरह से पल्लवित और पुष्पित किया, उस पर प्रत्येक हिंदी भाषाभाषी ही नहीं, अपितु प्रत्येक भारसवासी गर्व कर सकता है। किंतु अतीत और वर्तमान की आवश्यकताएँ, स्वरूप और लक्षण भिन्न भिन्न हैं। अतीत मे जो भाषा अपने माधुर्य और लोच के बल पर काव्य की भाषा बन सकी, वह प्रसिद्ध हुई और उसको मान्यता मिली। लेकिन आज का युग बहुत कुछ बदला हुआ है। काव्य की परिधि से निकलकर आज मानव की रुचि भिन्न भिन्न दिशाओ की ओर व्याप्त हुई है। वह भाषा जो केवल काव्य के ही उपयुक्त हो, आज के युग मे लोक-प्रिय या जनसाधारण की भाषा नहीं बन सकती। अपनी क्षमता और उपयोगिता सिद्ध करने के लिये आज प्रत्येक भाषा को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे जन साधारण की सेवा का व्रत लेना है। काव्य और कला, इसमे कोई सदेह नहीं, सौंदर्य और माधुर्य की दृष्टि से, मनमोहक और चित्ताकर्षक है। किंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान और टेकनोलाजी के युग मे, साहित्य का एक और पक्ष भी है। उसे जीवन के दूसरे अंगो को स्पर्श करना है और समाज की प्रगति और सन्नता के लिये प्रेरणा स्रोत बनना है। यह हमें का विषय है

कि इस ओर हिंदी साहित्यको का ध्यान गया है और आज हिंदी एक समुन्नत और सुविकसित भाषा है, जिसमें किसी भी विषय की अभिव्यक्ति हो सकती है, चाहे वह राजनीतिक हो या दार्शनिक, वैज्ञानिक हो या मनो-वैज्ञानिक।

भारत एक विगल देश है, बहुभाषी देश है। इस देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति, यहाँ की परंपरागत विचारधारा है, यहाँ का साहित्य है, यहाँ की संस्कृति है। इसके रूप अनेक हैं, इसमें अनेक रंग भरे हैं और प्रत्येक रंग एक भाषा का, एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। भाषाओं के ये विविध स्वर, और विभिन्न रंग हमारे साहित्य और संस्कृति के पोषक तत्व हैं, और शोभा को बढ़ाने वाले हैं। 'विभिन्नता में एकता' भारतीय संस्कृति और साहित्य का मूल तत्व है।

मुझे खुशी है कि श्री हिंदी साहित्य समिति की जब से स्थापना हुई, उन्में साहित्यको का प्रोत्साहन देकर हिंदी भाषा और साहित्य की अमूल्य सेवा की है। खोजपूर्ण विषयों पर, जिन पर शोध अथवा अन्वेषण की आवश्यकता होती है, ग्रंथ प्रकाशन करना आसान काम नहीं है। इस कार्य को अपनाकर शोधपूर्ण ग्रंथों के प्रकाशन की व्यवस्था कर आपकी समिति प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इस अवधि में मैं आपके सामने एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। सविधान में हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है और मुझे यह कहने में तनिक भी मकोच नहीं कि आज नहीं तो कल वह अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेगी। मेरी राय में आपको इस ओर अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदी साहित्य के विकास में, और उसके भंडार को अधिक-अधिक भरने के लिये ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। अन्य भाषाओं की शब्दावली, मुहावरे इत्यादि अपनाने में आपको मकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के प्रयास में आपको उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

भारत की सभी भाषाओं में ऊँचे से ऊँचे साहित्य ग्रंथ हैं। उनका एक में दूसरी भाषा में और जहाँ तक हो सके सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाए और उसका मारे देश के अंदर प्रचार किया जाए। ऐसा करने में सभी भाषाओं की उन्नति होगी। सभी भाषाओं में उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण होगा। हिंदी की उन्नति और विकास भारत की अन्य भाषाओं की उन्नति और विकास के साथ जुटा हुआ है। एक के वगैर दूसरी भाषा की उन्नति नहीं होगी। हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा का रूप ले रही है तो वह केवल हिंदीभाषियों की भाषा नहीं है, इन पर अन्य भाषाभाषियों का उनका ही अधिकार है

जितना हिंदीभाषियों का हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि श्री हिंदी-साहित्य समिति, भाषाओं के आदान प्रदान के कार्य में प्रयत्नशील रहे। और नागरी लिपि को दूसरी भाषाओं में एक अतिरिक्त लिपि के रूप में प्रतिष्ठित करने के कार्य में भी अपना योगदान दे। ऐसा करने से न केवल हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि होगी, अपितु भावात्मक एकता की स्थापना में आपकी समिति अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी। यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए और यही हमारा ध्येय। इन्हीं की पूर्ति में हिंदी का, अन्य भारतीय भाषाओं का और इस देश के जनगण का कल्याण निहित है।

हिंदी में भारत की सामूहिक चेतना का प्रवाह हो और हिंदी साहित्य में हमारे देश की सामासिक संस्कृति परिलक्षित हो, यही मेरी कामना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस ओर निरंतर प्रयत्नशील रह कर, जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को सारार रूप देने का अनवरत प्रयास करते रहेंगे। इस दिशा में समिति के प्रयास सफल हो, समिति का भविष्य उज्ज्वल हो, यही मेरी प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं इस शीरक जयंती समारोह का सहर्ष उद्घाटन करता हूँ।

राष्ट्रभाषा : सही परिप्रेक्ष्य

मैं आप सब का हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे भारतीय हिंदी परिपद के २७ वे अधिवेशन के समापन के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने तथा आप सब से मिलने का अवसर प्रदान किया।

भारतीय हिंदी परिपद की स्थापना, डम के कार्यों और विकास के विषय में जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि परिपद का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। १९४२ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हिंदी के विकास, साहित्य समृद्धि, इसके आलाचनात्मक मूल्यांकन तथा हिंदी के पठन-पाठन, शोध एवं इसके रूप और स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से की गई थी। इस दिशा में इस संस्था द्वारा गत ३३ वर्षों से जो कार्य संपादित हो रहा है, उससे हिंदी की एक महान् सेवा हुई है। यह भी एक महत्व की बात है कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक संपर्क समस्या के रूप में कार्य करती आ रही है। इससे साथ वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन, इस नाते बड़ा लाभदायक है कि ऐसे अवसरों पर साहित्यिकों, आचार्यों तथा शिक्षकों को एक स्थान पर मिल कर बैठने, एक दूसरे के समीप आने का जहाँ मौका मिलता है, वहाँ हिंदी के अध्ययन, एवं साहित्य साधना में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये विचार-विनिमय द्वारा उपाय ढूँढे जा सकते हैं। इस रचनात्मक चेष्टा की जितनी सराहना की जाए, कम है। आप एक राष्ट्रीय सेवा का काम कर रहे हैं और इसके लिये मैं परिपद को तथा इससे संबंधित आप सभी को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप अपने उच्च मनोरथों में सफल हों।

यह सर्वविदित है कि हमारी महान् संस्कृति के समान ही हमारी राष्ट्र-भाषा एक ऐसी कड़ी है, जो हमें एक दूसरे के समीप लाती है। हमें एकता के सूत्र में बाँधती है। हमारा देश एक विशाल देश है, यहाँ कई प्रदेश हैं और प्रायः सभी की अपनी अपनी भाषा है। ये सभी महान् भाषाएँ हैं, हमारे देश की भाषाएँ हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनका खूब विकास करें, उन्हें उन्नत बनाएँ जिससे कि वे हमारी आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। उनके माध्यम से हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम हिंदी को जो हमारे सविधान में राष्ट्र-भाषा घोषित की गई है उनके सार्वदेशिक स्वरूप को

निखारने तथा उसे अधिक समृद्ध बनाने में अपना सहयोग दें। हिंदी के जिस अखिल भारतीय स्वरूप की हमारे राष्ट्रनायको ने कल्पना की थी उसके पीछे यही भावना थी कि हम हिंदी को इस तरह से विकसित करें कि वह हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग और अनुभव की, उपलब्धि और आवश्यकता की पूर्ति कर सके और एक प्रभावशाली संपर्क भाषा बनकर समूचे राष्ट्र की भावना, जीवन और संस्कृति का प्रतिपादन कर सके। इस दिशा में हम कहीं तक पहुँच पाए हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

यह सत्य है कि हिंदी की उन्नति और विकास भारत की अन्य भाषाओं की उन्नति और विकास के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्र-भाषा के नाते वह केवल हिंदीभाषियों का ही भाषा नहीं, वह हमारी सबकी है। इस पर अन्य भाषा-भाषियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदी भाषियों का। इसलिये उन्हें भी इसकी उन्नति और विकास के कार्य में आगे आना है। हमारे देश में प्रतिभा और योग्यता की कमी नहीं है। आज हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम हिंदी तथा अन्य भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे के सहयोग से समृद्ध बनाने की चेष्टा करें। यह तभी होगा, जब हम अपनी भाषा के साथ हिंदी में भी प्रवीणता प्राप्त करें, अपने विचारों एवं भावनाओं को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकें। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हो न सके। हाँ, इसके लिये निष्ठा, त्याग तथा कठिन परिश्रम अवश्य चाहिए और मैं यह देखता हूँ कि इसकी हमारे देश में कमी नहीं है। यह प्रसन्नता का विषय है कि हिंदी के प्रति एक नया उत्साह जग रहा है और हमारे विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों से हिंदी के लेखक, शिक्षक और वक्ता सामने आ रहे हैं।

यह कौन नहीं जानता कि सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में केरल प्रांत का योगदान किसी से कम नहीं रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत पहले से हिंदी भाषा और उसके साहित्य के प्रति यहाँ काफी स्नेह भाव रहा है और आज यह कहा जा सकता है कि यह भावना दृढ़ से दृढतर होती जा रही है। हिंदी के अध्ययन, अध्यापन में जो प्रगति हुई, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। जहाँ तक हिंदी साहित्य में योगदान का संबंध है उस दिशा में भी काफी उत्साह दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि अभी ऐसे लेखकों की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी हम उन्हें एक बड़ी उपलब्धि ही मानते हैं क्योंकि उनको देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर अनेको नए साहित्यिक सामने आएँगे। यह बहुत ही अच्छी बात होगी, यदि हम आदान प्रदान की क्रिया को गति प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें

और इस प्रकार अपने देश की भाषाओं के साहित्य भंडार को बढ़ाएँ। क्योंकि भारत की सभी भाषाओं में ऊँचे से ऊँचे साहित्य ग्रंथ हैं और यदि उनका एक से दूसरी भाषा में वलिक हो सके तो देश की सभी भाषाओं में अनुवाद हो तो सभी भाषाओं को बहुत लाभ होगा। यहाँ मलयालम में कितने ही ऐसे उत्कृष्ट साहित्य ग्रंथ हैं जो यदि हिंदी में अनूदित हो तो इसकी शोभा को और बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार इसके सावंधेशिक रूप को भी निखार सकते हैं। यह तो ठीक है परंतु भाषा के विकास में एक और महत्वपूर्ण चीज है, नई और मौलिक रचनाएँ। आज हिंदी का जितना हम विकास कर पाए हैं उममें उसकी शक्ति बढ़ी है और किसी भी विषय की अभिव्यक्ति इसके द्वारा हो सकती है। यहाँ एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि भाषा के विकास के समय हम उसे सरल और बोधगम्य रखने का भरसक प्रयत्न करें। भाषा जनमानस की वस्तु है और यदि वह कठिन और पेचीदा बना दी जाए तो वह जनमाधारणकी भाषा नहीं रहती। हम इसे ऐसी बनाएँ कि भारत की अन्य भाषाओं का भी इसमें प्रतिबिंब दिखाई दे।

आज राष्ट्रभाषा और इसके साहित्य की अभिवृद्धि में सारे देश के साहित्यकारों को सम्मिलित होना है। इसके लिये यदि हिंदी साहित्यसेवी मनीषियों द्वारा संगठित और सहयोगपूर्ण प्रयत्न होंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की महान् सेवा हो सकेगी। इस प्रकार नई उभरती हुई प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ेगा और उदीयमान लेखकों को स्फूर्ति प्राप्त होगी। जो लोग इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, हमें उनके कार्य की दाद देनी होगी। इससे निश्चय ही उत्साहवर्धक परिणाम सामने आएँगे और प्रांतीय स्तर पर जो कठिनाई हमारे सामने आती है, उसका समाधान ढूँढने में हमें सहायता मिलेगी।

हिंदी की प्रतिष्ठा के लिये देश भर में एक व्यापक पैमाने पर काम हो रहा है। आज यह सभी अनुभव करते हैं कि हिंदी के प्रचार की अपेक्षा हमें इसके प्रयोग और व्यवहार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। भाषा की उन्नति के लिये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत तो मदा रहेगी, लेकिन जब तक वह हमारे कार्य-व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, भाषा सच्चे मानों में समृद्ध नहीं होती। इसीलिये मैं साहित्य मृजनों को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। ऐसा साहित्य जो हमारी प्राचीन परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों को भी अधुण रखे और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। समाज की प्रगति और सपन्नता के लिये प्रेरणा का स्रोत बन सके। आज हमें मिलकर चलना है, दश के लिये मिलकर काम करना है। उसे ऊँचा उठाना है। हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि हम

राष्ट्रीय सजगता का विस्तार हो और हम राष्ट्रीय जीवन धारा के साथ आगे बढ़े ।

इस दिशा में मैं आज के इस अधिवेशन को बड़ा उपयोगी समझता हूँ और आशा करता हूँ कि इसमें जो मूल्यवान विचार रखे गए हैं और भाषा भाषी प्रांतों में साहित्यिकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के समुख हिंदी अध्ययन अध्यापन, शिक्षण प्रशिक्षण, लेखन इत्यादि में जो कठिनाइयाँ प्रस्तुत होती हैं, उनके समाधान के लिये उचित सुझाव दिए गए हैं, उनसे लाभ उठाया जाएगा । मैं यही चाहूँगा कि आप इसी प्रकार यह सेवा कार्य करते रहें । आपके सत्प्रयासों की सफलता के लिये मैं अपनी शुभ कामनाएँ देता हूँ तथा परिपद के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

राजभाषा

अखिल भारतीय हिंदी सस्था सघ तथा हिंदी विद्यापीठ, देवघर के तत्वावधान मे आयोजित द्वितीय राजभाषा समेलन के उद्घाटन के लिये आपने मुझे निमन्त्रित किया, उसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ ।

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के प्रयत्न तथा हिंदी प्रचार करने-वाली परीक्षा-मान्यता-प्राप्त सस्थाओं के सहयोग से दिल्ली मे अखिल भारतीय हिंदी सस्था सघ की आज से १२ वर्ष पूर्व स्थापना एक राष्ट्रीय मंच के रूप मे की गई थी जो देश भर मे पिछले पचास वर्षों से राजभाषा के प्रचार प्रसार मे कार्यरत सस्थाओं मे आपसी सहयोग बढ़ाने, उन्हें एक सूत्र मे पिरोने उनमे एकरूपता लाने के लिये प्रयत्न करे । राज भाषा के प्रसार मे आपकी सस्थाएँ मूल्यवान कार्य कर रही हैं । इसके लिये मैं आप सभी को बधाई देता हूँ ।

१९७२ मे प्रथम राजभाषा समेलन का आयोजन किया गया था और हिंदी तथा अन्य प्राचीन भाषाओं की स्थिति पर विचार हुआ और कई उपयोगी विचार भी प्रस्तुत हुए । यह आवश्यक है कि इस अवधि मे राजभाषा के लिये जो कुछ काम हुआ, उसका मूल्यांकन हो और साथ मे भविष्य की सभावनाओं पर भी विचार विनिमय हो, इस दृष्टि से आज का समेलन महत्वपूर्ण है ।

आप सभी जानते हैं कि मविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) के अनुसार देवनागरी लिपि मे लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप मे स्वीकार किया गया है । लेकिन कालांतर मे हिंदी के बारे मे जो व्यवस्था दी गई थी उसमे काफी परिवर्तन हुए । मविधान के अनुसार इसे १९६५ तक सरकारी काम काज मे आ जाना चाहिए था परंतु राजभाषा आयोग तथा समदीय समिति ने यह राय दी कि अभी हिंदी के लिये यह कठिन होगा कि वह अंग्रेजी का न्यान ले मके । इसलिये उनकी सिफारिश को ध्यान मे रखते हुए, राजभाषा अधिनियम १९६३ मे पारित हुआ और उसे १९६७ मे संशोधित किया गया और अंग्रेजी को सह राजभाषा का स्थान दिया गया । केंद्रीय उपक्रमों तथा राज्यों के माय पत्राचार के लिये यह प्रावधान किया गया कि जब तक विभागों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं हो जाता, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का उपयोग होता रहेगा । अहिंदी भाषी राज्यों को केंद्र के माय पत्र व्यवहार के लिये तब तक अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट दी गई और यह स्पष्ट किया गया कि हिंदी के अतिरिक्त

अंग्रेजी भी सघ के कार्यों में प्रयुक्त होती रहेगी जब तक राज्यों के विधान मंडल तथा ससद के दोनों सदन हिंदी के पक्ष में अपनी सहमति प्रदान न करें।

हिंदी के प्रचार प्रसार, शिक्षण प्रशिक्षण, शब्दावली, नियमों तथा अन्य कार्य, विधि सबधी साहित्य का निर्माण, यात्रिक तथा अन्य वैज्ञानिक सामग्री के विकास की दिशा में जितना काम हो पाया है वह निःसंदेह प्रशंसनीय है। परंतु प्रयोग स्तर पर भाषा के व्यवहार की भूमिका सुदृढ़ होनी भी आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने एक संपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली तैयार कर ली है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाले तीन लाख से भी अधिक शब्दों का निर्माण हो चुका है। टंकन और आशुलिपि के प्रशिक्षण की सुविधाएँ जुटाई गई हैं। हिंदी के व्यावहारिक ज्ञान के लिये सहायता उपलब्ध है। इसके बावजूद हम यह जानते हैं कि अभी बहुत काम करना शेष है।

आज भारतवर्ष में प्रशासन का कार्य परंपरागत नहीं रहा। उसका काम आज बड़ा व्यापक है और जनता के साथ उसका गहरा संबंध है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी है। उसे हर पग पर जनता का सहयोग चाहिए। राष्ट्रीय योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचे इसके लिये भाषा ही एक सबल माध्यम है। राष्ट्रभाषा और लोकभाषाओं से ही जन संपर्क बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास और परिवर्तनों के लिये हिंदी और प्रांतीय भाषाओं को ही दायित्व वहन करना है। हिंदी अपने प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो, इनके लिये प्रांतीय भाषाओं को अपने प्रांतों में यथेष्ट स्थान मिले, यह विचार सगत है। जैसा कि इस बारे में प्रथम राजभाषा सम्मेलन में विचार प्रस्तुत हुए थे, हमें अतर्मुख होकर सोचना चाहिए कि इस दिशा में हम क्या कर पाए हैं और आगे क्या करना है। इसके लिये मैं समझता हूँ कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में आदान प्रदान को बढ़ाया जाना चाहिए, इससे न केवल भाषाएँ ही समृद्ध होगी, बल्कि भाषा-ज्ञान-वृद्धि के लिये सद् उत्साह भी जागृत होगा और सौहार्द की भावना भी दृढ़ होगी।

हिंदी आज भारत की सपर्क भाषा है। हिंदी का विकास आवश्यक है— और अन्य भाषाओं की समृद्धि इसमें विशेष सहायक होगी। हिंदी के माध्यम में इस विशाल देश के लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे और मिलकर काम कर सकेंगे। हिंदी को न केवल सब क्षेत्रों के बीच, बल्कि सब वर्गों के बीच एक जीवत भाषा बनाना है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते जहाँ

केवल एक भाषा बोली जाती हो, न ऐसे भारत की जहाँ एक ही धर्म का बोल-वाला हो । लेकिन मुझे आशा है कि भारत के लोग अधिक से अधिक हिंदी सीखेंगे । हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखें, राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सीखें और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखें । सरकार सतन् प्रयत्नशील है कि हिंदी राजभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रभावकारी हो, पर हिंदी किसी पर लादी नहीं जाएगी ।

इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है । प्रशासन के क्षेत्र में भी उसका उपयोग बढ़ेगा और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में उसे अपनाया जाएगा । लेकिन इसके लिये हमें उचित वातावरण तैयार करना है और दूर दृष्टि से काम लेना चाहिए । राष्ट्रभाषा के नाते इसके लिये हर देशवासी के हृदय में प्रेम और आदर की भावना होनी चाहिए । राष्ट्रीय एकता, सुदृढता, प्रगति यह सब हमारी राष्ट्रभाषा से जुड़े हुए हैं । यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम हिंदी की प्रतिष्ठा में अपना पूर्ण सहयोग दें उसके दैनिक प्रयोग में गौरव अनुभव करें । मुझे आशा है कि इस त्रिदिवसीय राजभाषा सम्मेलन में उपयोगी विचार प्रस्तुत होंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूर्य इस सम्मेलन उद्घाटन करता हूँ ।

३. देश और धर्म

उद्बोधक सतवर श्री विवेकानंद जी

आज बड़े हर्ष की बात है कि आप सब तेजस्वी स्वामी विवेकानंद जी की जयती मना रहे हैं। मातृभूमि की वदना में अनेक साधक ने अपनी अपनी देशप्रेमी स्वर साधनाएँ प्रस्तुत की, लेकिन सबसे उत्तम स्वर स्वामी विवेकानंद जी का था। यह हम लोगो के लिये तथा हमारे देश के लिये सौभाग्य की बात है कि प्रायः प्रत्येक समय पर ऐसे महान् पुरुषो का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने जन कल्याणकारी सदेशो के द्वारा तथा अपनी भक्ति एवं सेवाओ के द्वारा न केवल भारतवासियो का तथा भारत के उत्थान का पथ प्रदर्शित किया, बल्कि संपूर्ण मानव समाज का पुनरुत्थान किया। स्वामी विवेकानंद उनमें से एक थे। ऐसी महान् आत्माएँ समय की गति को समझती हैं तथा उसी के अनुरूप अपना कार्य करती हैं।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था—‘इस भारत को फिर से उठाना होगा, वास्नव में आज समय आ गया है कि भारतवासियो के मन में आत्मविश्वास पैदा करना होगा, अपनी सस्कृति पर उनकी श्रद्धा लौटानी होगी, शिक्षा का विस्तार करना होगा।’ संपूर्ण देशवासियो को स्वामी जी के ओजस्वी विचारो को अपने हृदय में धारण करके समाज के और देश के सच्चे उत्थान के लिये गीता के श्लोक—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ का ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर तीव्रगति से बढ़ना होगा। उन्होंने निरुत्साहित जाति के हृदय में आत्म-विश्वास और अतीत के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की थी। स्वामी जी ने उस समय देखा कि भारत की दशा दिन प्रतिदिन विगडती जा रही है, वह राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिये अकर्मण्यता जैसी बुराई को दूर करने पर उन्होंने जोर दिया तथा सक्रिय बनकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ देश को सबल बनाने पर बल दिया।

स्वामी विवेकानंद जी बार-बार अनेक प्रकार से कहते थे—‘हमें सबसे पहले इस तामसिकता और दुर्बलता से ऊपर उठना होगा, तेज और वीर्यवान होना होगा। हमारे देश के लिये प्रयोजन है, लोहे के समान दृढ मास-पेशी और स्नायु युक्त होना—ऐसे इच्छाशक्ति सपन्न होना कि कोई उसका

प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। समुद्र में जाना पड़े या मृत्यु का सामना करना होता भी वह द्रवित न हो जाए। मैं तुम लोगों से कहता हूँ इस समय हमें बल चाहिए, शक्ति चाहिए, केवल अन्न, वस्त्र के संग्रह या अन्याय उत्पीड़न के प्रतिकार आदि के लिये हो हमें तेजवीर्य की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। धर्म लाभ करने के लिये भी शक्ति का उद्बोधन अनिवार्य है।' 'नायमात्मा बलहीनने लभ्य 'आप लोगों को पहले सबल होना होगा, धर्म वाद में आएगा। हे मेरे मित्रों, तुम लोग सबल हो जाओ, यही तुम्हारे प्रति मेरा उपदेश है। गीतापा की अपेक्षा खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकटवर्ती हो सकोगे। शरीर पुष्ट होने से तुम लोग गीता का अर्थ भी उत्तम रूप से समझ सकोगे। तुम्हारा खून कुछ ताजा होने पर तुम लोग श्रीकृष्ण की महत्ता, प्रतिभा और शक्ति को अच्छी तरह समझ सकोगे'। इसलिये शारीरिक और मानसिक सबलता प्राप्त करना ही हमारे लिये अधिक आवश्यक है।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले भारत परतंत्र था। इस देश में अनेक कुरीनियाँ विद्यमान थीं। जात पाँत, गरीबी, शोषण एवं अध विश्वास का जमाना था, डर एवं अज्ञान सर्वत्र विद्यमान था। इस प्रकार भारतीय जैसी निद्रा में लीन थे, उस समय स्वामी जी ने कहा—'जागो और राष्ट्र उत्थान के कार्य में अपना योगदान दो, जैसे कि तुम इस ससार में आए हो कुछ अपना चिह्न छोड़ते जाओ, वरना तुम में और पेड़ों तथा पत्थरों में कोई भेद नहीं रहेगा, और आज भारत का जो नवीन स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, यह उन्हीं की देन है और इस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना की धारा प्रवाहित की जिसके प्रवाह से उन्नति की राह सुलभ हो गई।

स्वामी विवेकानंद जी ने जन कल्याण की भावना में कहा और लिखा कि जब तक भारत के लाखों आदमी भूखे हैं, तब तक जो बड़े आदमी हैं, उन्हें पीमकर पैदा करके शान से घूमते फिरते हैं और उनकी भलाई के लिये कुछ भी नहीं करते। मैं उन्हें हतभाग्य कहता हूँ। वराह नगर मठ के गुरु भाइयों को एक साथ जन सेवा के काम में उतारने के लिये उन्होंने लिखा था—'यदि कुशल चाहते हो तो साक्षात् भगवान् नर-नारायण मानव देहधारी हर प्रकार के मनुष्यों की पूजा करो। उनकी पूजा-यानी उनकी सेवा इसी का नाम कर्म है।'

स्वामी जी के लेखों एवं भाषणों में समन्वय की भावना विद्यमान है। उनमें आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का मेल है। अपने समाज की रचना अपनी जहरतों

के अनुरूप ही होनी चाहिए। स्वामी जी ने इसीलिये कहा था कि 'अतीत की ओर देखो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर महत्तर और पहले से और भी ऊँचा उठाओ, ग्रामो मे जाओ, घर घर जाकर लोकहित, जगत् कल्याण का काम करो। ऐसे अमूल्य उपदेश स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दिए थे। भारत की महिमा के प्रसंग मे स्वामी जी ने कहा था, "यदि पृथ्वी मे ऐसा कोई देश है जिसे पुण्य भूमि कहा जा सकता है, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ मनुष्य जाति के भीतर सबसे अधिक क्षमा, दया, धैर्य आदि सद्गुणो का विकास है तो निश्चय ही मैं बता सकता हूँ कि वह हमारी मातृभूमि यह भारतवर्ष है। सपूर्ण मानव जाति की उन्नति के लिये प्रत्येक जाति को ही कुछ देना पडता है। इस विषय मे भारत का अपना अशदान है आध्यात्मिकता।

स्वामी जी के विचार आज भी अजर एव अमर हैं। हमे उनसे शिक्षा तथा ज्ञान लेना चाहिए। यदि हम सफलता चाहते हैं तो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एकदम जुटना चाहिए। किसी भी अवरोध की परवाह किए बिना आगे बढना चाहिए। आप ऐसे व्यक्तियों के बीच मे रहें जो उन्नति के लिये सघर्षरत हैं, इसी मे आपका कल्याण है, समाज का कल्याण है और देश का कल्याण है।

आचार्य केशव देव के विचारो मे तथा उनके प्रयोजनो मे हमे स्वामी जी के आदर्श, शिक्षा और विचारो का समावेश मिलता है तथा इनकी सस्था का भी यही लक्ष्य है कि दीन दुखियो की सेवा की जाय, लोक कल्याण हो। ऐसे जन सेवा के कार्य स्थान स्थान पर होने चाहिए। परतु इसके साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि जो यह सब हो रहा है वह वास्तव मे सही आदमी तक पहुँच रहा है कि नही। अगर सही आदमी तक पहुँच रहा है तो इसका तात्पर्य है कि ऐसी सस्थाओ के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है।

इन शब्दो के साथ भारत के परम तेजस्वी तरुण सन्यासी स्वामी विवेकानद जी को मैं अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि स्वामी जी के उपदेशो को हमारे देशवासी अपने जीवन मे उतारेंगे।

त्यागमय जीवन की शिक्षा संत ज्ञानेश्वर जी

यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि श्री तनपुरे महाराज द्वारा सत ज्ञानेश्वर की स्मृति में आयोजित इस समारोह में उपस्थित हो सका। श्री तनपुरे जी, संत गाडगे महाराज के शिष्य हैं। बहुजन हित के लिये गाडगे महाराज ने जो काम किया, उससे कौन परिचित नहीं।

भारत ऋषि मुनियो तथा सत महात्माओ की भूमि रही है। समय समय पर ऐसी महान् आत्माओ का अवतरण यहाँ होता रहा है जिन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति की सरिता प्रवाहित करके मानव मात्र को जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित किया है। सत ज्ञानेश्वर इसी महान् परंपरा की देन हैं। सत ज्ञानेश्वर जी के समय की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि उस समय, समाज भोगप्रधानता के कारण नाना प्रकार की सङ्कुचितताओ में फँसा हुआ था। समाज में उदात्त भावनाओ का लोप होता जा रहा था। परस्पर सहयोग और सद्भावना शिथिल दिखाई देती थी। जात पाँत, ऊँच नीच के तत्व समाज की शक्ति को कमजोर करते जा रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जो समाज की दशा की ओर देखे, उसकी शक्ति को सगठित करे तथा परंपरागत ज्ञान को जन मानस तक उनकी लोक भाषा में पहुँचाए।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे धर्मग्रंथ, तत्व ज्ञान, दर्शन और नीति के भंडार हैं। लेकिन बहुजन समाज को इनके पढ़ने सुनने का उस समय अधिकार नहीं था। समाज को आध्यात्मिक तथा नैतिक मस्कारों से सपन्न करने का जिन पर दायित्व था वह अपने आसन और पीठ में ही बँध गए थे, मारे भारत की यह स्थिति थी। ज्ञानेश्वर महाराज की दृष्टि से यह सब ओझल नहीं रहा। इसके लिये आवश्यक था कि समाज को ज्ञान अभिमुख किया जाय, उन्हें आध्यात्मिकता के गुरुओं से सपन्न किया जाय जिससे कि किर्तव्यविमूढ मानव लाभ उठाकर अपने जीवन को उपयोगी बना सके। इसीलिये उन्होंने इस काम के लिये क्षेत्रीय भाषा को चुना। क्योंकि वह मानते थे कि हमारे पास परंपरा में प्राप्त, जितना ज्ञान है उससे लाभ उठाने का अधिकार हर छोटे बड़े को समान रूप में है। केवल छोड़े से लोगों के ज्ञानसंपन्न होने में समाज ऊँचा नहीं हो सकता। इस ज्ञान को सर्व साधारण वा दानों के लिये उन्होंने कहा है—“ममृत का

प्रवाह अत्यंत गहरा है, उसमें निर्मल नीर बहता है लेकिन लोग उस जल को पी नहीं सकते, क्योंकि वह उनकी पहुँच से बाहर है। इसलिये मैंने देशी भाषा का घाट बाँधा है, इसमें जो चाहे स्नान करे” । उनके बोल हैं —

एक मैं ऐसा सर्व मूक, बोल करके देशी भाषा,
आखो से ही ले सके लोक, ऐसा करता हूँ ।

जाति पाँति और गाँवों की सकुचित सीमा में ही लिपटे हुए मन का सकुचित अभिमान निवारण कर उन्होंने इन सबके परे की, समग्र देश की, याने राष्ट्र की एक सांस्कृतिक अस्मिता प्रदान की ।

आप सभी जानते हैं कि इस ज्ञान ज्योति के प्रसार के लिये उन्होंने श्रीमद्-भगवद्गीता की चुना । उनका विचार था कि भगवान् कृष्ण ने जो उपदेश वीर अर्जुन को दिया था उसकी आज बड़ी आवश्यकता है । गीता, वेद, उपनिषदों का सारसंग्रह है, उसमें सभी प्रकार के आध्यात्मिक और नैतिक विचार भरे हैं और मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए, दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह सब बताया है । सत ज्ञानेश्वर के समान, समाज का अवलोकन किया था, कर्नाटक के सत बस्वेश्वर महाराज ने, तुलसी, कवीर और गुरु नानक ने और इन सबने मानवता के इस दिव्य सदेश को लोक भाषा में प्रतिपादित करके कोटि कोटि जन मानस को आलोकित किया था । सत ज्ञानेश्वर ने जगत् के उद्धार के लिये ज्ञानेश्वरी तथा अनुभावामृत जैसे दो महान् ग्रंथ प्रदान कर मानव मात्र को कृतार्थ कर दिया ।

गीता के इस तत्व ज्ञान को उन्होंने सरस और सरल भाषा में प्रस्तुत करके भक्ति भाव की प्रतिष्ठा की । दान, परोपकार, लोक सेवा ही सच्ची भक्ति होती है यह उन्होंने हमें सिखाया । आध्यात्मिक और लौकिक जीवन के दो पक्षों का इसमें समावेश किया । सभी को समदृष्टि, समभाव तथा समवेदना का दर्शन दिया, अद्वैत का उपदेश देकर मानव को विश्ववधुत्व की ओर प्रेरित किया और कहा—केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत् उसका ठीक उसी प्रकार स्फूर्ण है जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है । यह जो कुछ भी हम देखते हैं, एक ही आत्मा का विस्तार है और इस विश्व में जो विविधता दिखाई देती है वह आत्मा का ऐश्वर्य योग है । इसका बोध ही आत्मबोध है । सभी प्राणियों में वही आत्मा निवास करती है, तो फिर हम किसे श्रेष्ठ और किसे छोटा समझें । उनका सुभाषित है -

यहाँ भाव व्यथा जो ग्रस्त, स्त्री, शूद्र आदि प्राणी हैं व्यस्त, उन्हें अवसर न दें स्वस्थ, पीछे यह व्यग देखकर, उसको करने अब दूर, प्रकाश में आया है वेद सार, करते हैं जो गीता तत्व सेवन, उनमें उत्तम अथम न मान, सबको कैवल्यदान देकर, विश्व को देती शांति ।

वेदों में सभी को प्रेम व सद्भावना का पात्र माना गया है । वेद में कहा है -

प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु माकृणु ।

प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उत्तार्ये ॥

अर्थात् सबके साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, सभी सहानुभूति के पात्र हैं । केवल उच्च वर्ग के लोग ही उचित समान के अधिकारी नहीं, सभी यथोचित व्यवहार के पात्र हैं ।

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास, एते सभ्रातरो वावृध सीभगाय ।

अर्थात् सब मनुष्य भाई हैं, इस भावना को लेकर आचरण करने से सबके सीमाय में वृद्धि होती है ।

मानव समाज सत ज्ञानेश्वर महाराज के प्रति सदा श्रद्धा के मुमन अर्पित करता रहेगा और उनके दिए हुए उपदेशों से लाभ उठाता रहेगा । इस महापुरुष को मैं अब अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ । हमें चाहिए कि हम गीता ज्ञान से जन मानस में कर्तव्य भाव विकसित करें और उनमें आत्मनयम की प्रतिष्ठा करें । मानवीय एकता को मुटुड़ करे । भोगप्रधान जीवन दृष्टि के स्थान पर त्यागमय जीवन की शिक्षा दें । आज नमय की यही माँग है । बदलता हुआ समय ज्ञान और विज्ञान का समन्वय चाहता है ताकि विज्ञान लोक कल्याण का ही हेतु बने । इसके लिये हमारी नास्कृतिक मस्याएँ उपयोगी कार्य कर सकती हैं । धर्म केवल सिद्धांत ही नहीं है वह एक जीवन पद्धति है और उसे मानव जीवन के उत्कर्ष में महायुक्त होना ही चाहिए । मेरे विचार से ज्ञानेश्वरी का आशय जन साधारणों को अपना व्यावहारिक जीवन उन्नत करने के निम्ने प्रवृत्त करने का ही है । तत्व चिन्तन, भाव शुद्धि व नीतिमत्ता इनका आग्रह करने का यह आशय है ।

आज हम समाज को एक मृदुर और स्वस्थ रचना के महान् प्रयत्न में जुटे हुए हैं और यह निश्चिन्त है कि इस प्रयत्न के पीछे मानव उत्थान की भावना ही हम कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है । हमें चाहिए कि हम नव मिलकर इनमें

अपना सक्रिय सहयोग दे ताकि समाज से अधविश्वासो, कुरीतियो तथा भेद-भावनाओ को दूर किया जा सके जिससे कि सभी अच्छा और उपयोगी जीवन बिता सके ।

मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने और आप सब से मिलने का मौका दिया ।

सत्य के आराधक गुरु तेग बहादुर

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने गुरु तेग बहादुर के तीन सौबे शहीदी दिवस समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया ।

हमारे शास्त्रों में कहा गया है—“अधकार निरोधक गुरु,” जो मानव हृदय का अधकार दूर करके उसे प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है । गुरु हमें असत् से सत्य की ओर प्रेरित करता है । हमारे ऋषि, मुनि, सत, फकीर, सूफी तथा महात्मा सभी ने इसी परंपरा को गरिमा प्रदान की है । ऐसे महापुरुष सभी धर्मों में पैदा हुए हैं जिन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों द्वारा समय समय पर मानव कल्याण का पथ प्रदर्शित किया है । सिख धर्म में प्रथम प्रवर्तक रहे गुरु नानकदेव । गुरु नानक भक्तिकाल की उन महान् विभूतियों में से थे, जिन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करके जनमानस को जीवन के उत्कर्ष लक्ष्य की ओर प्रेरित किया । उन्होंने हमें बताया कि ससार में रहते हुए, स्वकर्जों को पूरा करते हुए, हम यदि उस महान् रचनाकार को स्मरण करते रहें, उसे न भूलें, तो हम उसकी कृपा के पात्र बन सकते हैं । उन्होंने बताया कि भगवान् की दृष्टि में सब समान हैं । कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, न कोई सर्वार्थ है, न कोई अछूत । वह उपासक थे, मानव एकता, समानता, श्रद्धा और प्रेम के । उन्होंने बताया कि सभी धर्म हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं । उन्होंने हिंदू और मुसलमान को प्रेमसूत्र में पिरोने का भरसक प्रयत्न किया । वह सभी को बताते रहे कि भाई क्यों झगड़ते हो—इन रीति रिवाजों के ऊपर, अपने धार्मिक स्थानों तथा सिद्धांतों को लेकर हम सभी एक ही गतव्य स्थान के यात्री हैं । सब प्रेम में रहो, एक दूसरे के स्नेह के भाजन बनो । यही था उनका विश्व-वधुत्व का संदेश । सभी गुरुओं ने हमें इसी सत्य और स्नेह का उपदेश दिया । सभी ने मानव हृदय में सहानुभूति, अभय और समादर की भावना को जागृत करने की चेष्टा की । गुरु तेग बहादुर नवे गुरु थे । उन्होंने इस महान् परंपरा को न केवल बनाए रखा, बल्कि मानवता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिसके लिये सुकरात ने जहर का प्याला पिया था, हजरत उन्ना ने सूली की सेज सजाई थी और महात्मा गांधी ने अपने नीने में गोली खाई थी ।

धर्म का प्रतिफल है, सहिष्णुता, चरित्र और पुरुषार्थ । आध्यात्मिकता धर्म का सार तत्व है । धर्म के मर्मज्ञ तो जानते हैं कि धर्म क्या है । परंतु जो ऊपरकी सतह पर रहनेवाले हैं, वह धर्म को अपने अहम् का साधन मान लेते हैं । ऐसा धर्म भेदों की सीमा रेखाओं के अंतराल को मिटाने के बजाय स्वयं सीमाओं में बँध जाता है । तब मानव प्रेम सकुचित हो जाता है और सहिष्णुता का भाव सिमित जाता है । यही चीज सघर्ष को जन्म देती है, जो धर्म के नाम पर होते रहे हैं । गुरु तेग बहादुर जी से जब किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा धर्म कौन है, तो उन्होंने कहा था “बुराई से बचना ही सबसे अच्छा धर्म है” ।

वैशेषिक दर्शन में धर्म के बारे में लिखा है :-

“यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म”

जिस आचरण से सासारिक कल्याण और ईश्वरीय परमानन्द की प्राप्ति हो, वही धर्म है । अतः धर्म ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सर्वांगीण उन्नति कर सकता है । वह वैयक्तिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रकट होना चाहिए । लेकिन यह रहता कहाँ है, इसके लिये कहा है “धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया” अर्थात् धर्म मनुष्य के अतःकरण में निहित है । यह न तर्क की वस्तु है न बलपूर्वक किसी पर थोपी जानेवाली पद्धति । वह तो केवल साधन है, जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं । यह अनुभूति कि भगवान् मेरे चारों ओर इस चराचर जगत् में व्याप्त है । उसी ज्योति से सभी मानव प्रकाशित हैं । यही ज्ञान है, यही भक्ति की अंतिम साधना है । इसी लिये जिन्हें यह अनुभूति हुई है, उन्होंने समस्त विश्व को एक ही दृष्टि से देखा है, जिसमें सबके लिये प्रेम है, सबके कल्याण की उत्सुकता है । मानो मानव सेवा में ही उनकी ईश्वर भक्ति मार्थक हो गई ।

गुरु तेग बहादुर सत्य के आराधक और त्याग के साधक थे । वह सहनशीलता को जीवन का सबसे ऊँचा आदर्श मानते थे । क्षमा को सबसे बड़ा दान और क्रोध को पाप का कारण । इसीलिये क्रोध से बचने के लिये कहते थे । उन्होंने अपने से बुरा व्यवहार करनेवालों का भी बुरा नहीं चाहा । पीड़ित जन का उद्धार ही उनके जीवन का आदर्श रहा । वह देश भर में घूमे, जहाँ भी वह गए, उन्होंने ईश्वर नाम स्मरण का ही उपदेश दिया । उन्हें अभय दान दिया और यह भी कहा कि तुम किसी के लिये भय का कारण न बनना । सही बात अथर्ववेद में इस प्रकार कही गई है :-

“अभय सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा”

अर्थात् मुझसे सब प्राणियों को अभय प्राप्त हो। लेकिन सभी मनुष्य ऐसा आचरण नहीं करते। यदि मानव ने अभय दान करना सीखा होता, तो समाज का स्वरूप कुछ दूसरा होता। बढ़ती हुई तृष्णा मनुष्य को चैन नहीं लेने देती। गुरु तेग बहादुर से किसी ने जब दुख का कारण पूछा था उन्होंने कहा था तो “दुख का कारण है असतोष, और असतोष का कारण है लोभ, उचित पुरस्कार से अधिक पाने, दूसरो के अधिकारो को छीनने की इच्छा।”

इसी सदर्भ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक वार कहा था— “मानव” तुम सभी अपने नित्य कर्म करो, परंतु अपना मन भगवान् में स्थिर रखो, उसे न भूलो, सबसे मिलकर रहो, अपने परिवार, अपने समाज, सभी के प्रति अपना दायित्व पूरा करो। उनसे ऐसे रहो जैसे वह तुम्हारे परम स्नेही हो परंतु मन से यह न भूलो कि वह तुम्हारे नहीं हैं”। यही है अह और मोह का त्याग। गुरु तेग बहादुर ने अपने उपदेश में यही बताया था कि मनुष्य यदि “मैं और मेरा” का त्याग कर वे और अपने आपको पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लक्षणों में सहिष्णुता उसका पहला लक्षण है। धर्म के दम लक्षण बताए गए हैं, उनमें सभी का महत्व है। एक भी गुण कम पड़ जाए तो शेष गुण भी सार्थक नहीं रहते। धर्म के गुणों में परिवर्तन नहीं आता। अंतर आता है उस पर चलने वालों में, जो तत्वों को छोड़कर उनकी क्रिया पद्धति में ही उलझ जाते हैं। यही चीज धार्मिक सहिष्णुता को कमजोर बनाती है। इसी धार्मिक सहिष्णुता के लिये गुरु तेग बहादुर ने तत्कालीन शामक को बताया था कि दिल्ली पहुँचने के लिये कई कई मार्ग हो सकते हैं, इसके लिये एक ही रास्ता नहीं है। इसी सत्य की रक्षा के लिये, कि सभी धर्म मनुष्य को एक ही मजिल पर ले जा रहे हैं, उन्होंने गहादन कबूल की थी ताकि आनेवाली पीटियाँ इस सकीर्णता से मुक्त हो सकें। सभी को जैसा कि पुरी जी ने कहा, आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिल सके।

आज धार्मिक सहिष्णुता हमारे देश के लोक-तंत्र का मुख्य अंग है। सभी धर्मों के मानने वालों को उपामना विधि की स्वतंत्रता है। सभी को समान

दृष्टि से देखा जाता है। युग सदर्भ में मानव के लिये यह जरूरी है कि आध्यात्मिकता हमारे सामाजिक व्यवहार में प्रकट हो। आध्यात्मिक मूल्यों को हम सच्चे दिल से अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। जिससे कि हमारा समाज ऐसा बन सके जिसमें न कोई भेद रहे, न विषमता, न हिंसा, न द्वेष। हम सब मिलकर उन्नति करें, स्वयं सुखी हो औरों को भी सुखी बनाएँ। मानव सेवा के लिये तत्पर रहे। मानव सेवा की प्रेरणा हमें उन महापुरुषों से मिलती है जो भूखों को खाना खिलाते हुए तथा रोगियों की सेवा करते हुए देखे गए हैं। सेवा, सयम और समर्पण, यह आदर्श मनुष्य के व्यवहार के हैं, इन्हें हमें अपनाना चाहिए। हमें गुरु तेग बहादुर के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और मानव प्रेम और एकता के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिए।

गीता का संदेश

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे गीता जयंती के समापन-समारोह में सम्मिलित होने का अवसर दिया।

समस्त वेदार्थ सारसग्रहभूतम्।

समस्त पुरुषार्थसिद्धम् ॥

जगद्गुरु शंकराचार्य के शब्दों में श्रीमद्भगवद्गीता सपूर्ण वैदिक शिक्षाओं के तत्त्वार्थ का सार सग्रह है और इन शिक्षाओं के ज्ञान से मानवीय महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि होती है।

गीता एक शाश्वत महत्त्व का ग्रन्थ है। स्पष्ट रूप से गीता मानव मन को उन विभिन्न दशाओं की ओर ले जाती है, परम सत्य की खोज में जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। यह ब्रह्म विद्या, नीतिशास्त्र, योगशास्त्र और कर्म विपाक की सगमस्थली है जिसमें सर्वत्र कर्म की ही प्रतिष्ठा की गई है, एक मानवीय समस्या को लेकर यह प्रस्तुत होती है। वह समस्या अर्जुन की ओर से उपस्थित हुई थी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है। यह युद्ध अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य के बीच सदा से चले आए संघर्ष का प्रतीक है। कर्मवीर अर्जुन इस युद्धस्थली पर पहुँच कर अपने कर्तव्य से विमुख होने की चेष्टा करता है। शांतिवादी रुख अपना कर सत्य और न्याय के लिये होनेवाले युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता। वह एक भ्रांति का शिकार हो गया था। वह जो विरोध कर रहा था वह ज्ञान का सूचक नहीं और नहीं वह किसी आध्यात्मिक विकास के कारण कहा जा सकता है। उसकी यह प्रतीति केवल उनके लिए हो रही है, जिन्हें वह अपने स्वजन मानता है। वहाँ योगेश्वर भगवान् कृष्ण, अर्जुन के मन पर छाए अधकार को दूर करने के लिये उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। देखना यह है कि यदि अर्जुन की दृष्टि निरपेक्ष होती तो वह केवल अपने सवधियों की ही कंम सोच सकता था। उसकी दृष्टि उस समाज की ओर नहीं गई जो आततायियों के अत्याचारों में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे थे, यहाँ अर्जुन उन व्यक्तिगत कर्मों के नमस्कारित प्रभावी को समझने में असमर्थ हो रहा था। वह यह भूल रहा था कि नापृहिक कर्मों का लाभ यदि समाप्त होता है तो व्यक्ति या वर्ग के दुष्कृत्यों की हानियाँ भी समाज को ही उठानी पड़ती हैं और

जहाँ यह आति रहे कि समाज में बुराई है तो उससे उसका क्या वास्ता, वह स्वयं तो कोई बुराई नहीं कर रहा, न्याय के पक्ष की बात नहीं कही जा सकती। योगशास्त्र में हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार कहा गया है—'कृतकारितानुमोदित' अर्थात् हिंसा करना यदि बुरा है तो हिंसा का कारण बनना, तथा उसका अनुमोदन करना भी पापमय है। अनुमोदन में हिंसा का सहन करना या उपेक्षा करना दोनों शामिल हैं। कोई यदि यह सोचे कि समाज में बुराई फैल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो हमें क्या लेना देना, यह कर्तव्य की उपेक्षा का भाव है। यही उपेक्षा का भाव अर्जुन पर हावी हुआ था और वह बुराई का अनुमोदन करने के लिये तैयार हो गया था। वह युद्ध उसके लिये एक चुनौती बनकर उपस्थित हुआ था, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे विमुख होना नीतिसंगत नहीं। गीता तो सर्वत्र अहिंसा और सयम की ही प्रतिष्ठा करती है। अन्याय के विरुद्ध तो मनुष्य को लड़ना ही पड़ता है। यह ठीक ही कहा गया है कि गीता का संदेश अर्जुन को युद्ध करने का परामर्श देकर युद्ध की वैधता का समर्थन नहीं करता अपितु एक आवश्यकता के अनुकूल अपने कर्तव्य पालन का आदेश देता है।

कर्म की प्रतिष्ठा करते हुए गीता में कहा गया है कि कोई प्राणी एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति में उत्पन्न हुए गुणों के वश में होकर प्रत्येक प्राणी कर्म करता है। मनुष्य के शरीर का व्यवहार भी कर्म के बिना नहीं चल सकता। इसलिए कर्म के संन्यास अर्थात् त्याग का आदर्श व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। निष्क्रियता अथवा अकर्मण्यता मानव हितों के उतनी ही प्रतिकूल है जितना कि दुष्कृत्य। अतः कर्तव्यपरायणता की भावना व्यक्ति और समाज के विकास और समृद्धि की आधारशक्ति है। परंतु हर प्रकार का किया जानेवाला कर्म, कर्म नहीं कहलाता। इसको स्पष्ट करने के लिये कि कौनसा कर्म उचित है—गीता में कहा है कि अनासक्त होकर किया गया कर्म ही सत्कर्म है। क्योंकि वह स्वार्थ की भावना के बिना किया जाता है। वहाँ साधक केवल एक निमित्त मात्र ही रहता है और अपना कर्म लोक-संग्रह की भावना से प्रेरित होकर ही करता है। जहाँ स्वावलंबन है, तृप्ति है, कर्म के फल की त्याग भावना है, जहाँ अभिमान नहीं, वहाँ कर्मरत रहता हुआ भी मनुष्य कुछ नहीं करता। इसलिये गीता मनुष्य को कर्म का अधिकार देती है, कर्मफल का नहीं। वह यही बताती

हैं, मनुष्य निष्काम भाव से लोक सग्रह के लिये कर्म करता हुआ भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है।

यहाँ कर्म का जो विचार हुआ, उसका यही अर्थ लिया जाता है कि कर्म के बधन का गुण के त्याग में नहीं, बल्कि उसके पीछे जो प्रयोजन है, उससे है। मन्यास का अर्थ मानसिक ढाँचे को बदल देने से है, जिसके फलस्वरूप कर्म को मानवी पृष्ठभूमि पर आधारित किया जा सके। कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा स्वयं एक अराष्ट्रीय एवं अमानवीय प्रवृत्ति है, इसलिये गीता में कहा है कि जो लोग ज्ञानवान् हैं वे स्वयं भी निष्काम भाव से कर्म करते रहें, तथा दूसरों को भी सत्कर्मों के लिये प्रेरित करें।

यह सत्य है कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की उन्नति या अवनति बड़ी मात्रा में उसके अपने प्रयत्नों पर निर्भर करती है। परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है कि श्रम साधन के जिन नियमों का विधान किया गया, उनका निष्ठा से पालन किया जाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि श्रम करना। हम भौतिक या आध्यात्मिक जो भी उन्नति करना चाहें, दोनों स्थितियों में समयित साधन ही अपेक्षित है। यह मेरा है, यह तेरा है, यह भावना ही सब प्रकार के विवादों का मूल बीज है। इसके स्थान पर गीता मानव को एक व्यापक दृष्टि प्रदान करती है। जहाँ मैं और मेरा के स्थान पर यह सब ईश्वर का है, यह सब प्राणिजगत् उसी में समाया हुआ है और वह ही अनेकानेक रूपों में सब में विद्यमान है। इस सत्य के माध्यम से आत्मवत्भाव की प्रेरणा दी गई है। हम यह जानते हैं कि इतने समय से यह उपदेश मानव मुनता आ रहा है। परन्तु अभी तक निष्काम कर्म के लिये वह तैयार नहीं हो सका। इसके विपरीत वह और भी अधिक अधिकार आक्षिप्त हो गया है। वस्तुतः गीता अधिकारों के मोह में न पड़ने का ही संदेश देती है। जब तक मनुष्य सामूहिक हितों के लिये अपने हितों का त्याग नहीं करेगा, समाज उन्नत नहीं हो सकता है।

यह नहीं जानते हैं कि मानव जीवन अनेक समस्याओं और चुनौतियों में घिरा रहता है। लेकिन यदि वह हतोत्साहित होकर, इनका सामना करने के बजाय पराजय अनुभव करके बैठ जाय, तो जीवन की यह नाव पार नहीं हो सकती। ऐसी हालत में तो उसकी कठिनाइयाँ और अधिक होती हैं। ऐसे समय में गीता मनुष्य का सारथी बनकर उसका मार्ग दर्शन करती है। उनमें स्फूर्ति और आत्मविश्वास जागृत कर, कठिनाइयों में जूझने की शक्ति पैदा करती है। कठिनाइयों के दूर करने की चपटा को छोड़ा नहीं जा

सकता । कर्म करना मनुष्य का धर्म है, जहाँ इसकी सच्ची साधना होगी, वहाँ दुःख, दरिद्रता और अनेक कष्टों से मुक्त होना असंभव नहीं हो सकता ।

आज हमारे लिये जरूरी है कि हम गीता के उपदेशों को अच्छी तरह समझें और उन्हें अपने आचरण में उतारें । यदि हम इसमें गहरे पैठने का यत्न करेंगे तो हर निराशा में भी हमें उगती हुई एक आशा की किरण ही दिखाई पड़ेगी और हमें वह असीम शांति प्राप्त होगी जिसकी हमें सदैव आवश्यकता रहती है । इसलिये मैं समझता हूँ कि यदि श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को युग आवश्यकताओं को अनुकूल हम जन जन तक पहुँचा सकें, तो आज समाज को जो नया रूप दिया जा रहा है, उसमें बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि गीता सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिये भी उतनी ही सचेष्ट है जितनी निश्चय की प्राप्ति के लिये । हमें चाहिए कि हम इन शिक्षाओं से लाभ उठाएँ और तदनुसार अपनी जीवन पद्धति को बदलें ।

मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया ।

भगवान महावीर

अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत्परिषद् के तत्वावधान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित होने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ।

एक महान् तत्त्ववेत्ता एवं अलौकिक पुरुष थे भगवान् महावीर। अपने वर्षों के तप, साधना, चिंतन और आत्म अनुभूति द्वारा जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उसकी विपुल संपदा मानव कल्याण के लिये दे गए। यह ससार दुःखों और पीड़ाओं से भरा पड़ा है। इसमें कैसे मुक्त हो सकते हैं, यही वह जिज्ञासा भरा प्रश्न है, जो एक राजकुमार को महलों से निर्जन जंगलों में ले गया था। ज्ञान की ज्योति जब प्रज्वलित हुई, तो उन्होंने भी यही पाया कि कर्म ही भोक्ता है। सुख और दुःख के लिये हमारा यह कर्म ही कारण है। इस कर्म को नियमबद्ध और मर्यादा में यदि बाँधा जाय और अनुशासित जीवन व्यतीत किया जाए, तो मनुष्य अपनी बहुत सी कठिनाइयाँ कम कर सकता है। इसीलिये उन्होंने मनुष्य को राग, द्वेष और मोह को छोड़ने और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग और सहिष्णुता जैसे गूणों को धारण करने का उपदेश दिया था। ताकि मनुष्य का जीवन अधिक सुखी और सार्थक बने। मनुष्य एक अच्छा और श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सके, जहाँ न भेद भाव हो, न ऊँच नीच हो, न हिंसा हो, न जहाँ सग्रह की प्रवृत्ति हो, न स्वार्थ हो, और न किसी की उपेक्षा हो। जहाँ मनुष्य मात्र के लिये प्रेम और वात्सल्य की भावना हो और यदि कोई इच्छा हो तो वह केवल परमार्थ और सेवा की इच्छा हो।

सारे देश में भगवान् महावीर का २५वाँ निर्वाण शताब्दी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष में बहुत सा जैन साहित्य जन-सुलभ बनाने का प्रणवनीय कार्य हो रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि तीर्थ-कार महावीर स्वामी के पश्चात् कितने ही जैन मुनि और आचार्य हुए, जिनकी मतानुसार मनाया जा रहा है। शास्त्रों में आचार्य को देव-तुल्य बताया गया है। क्योंकि उनके माध्यम में ज्ञान हम तक पहुँचता है। ज्ञान में ही मनुष्य के मंगल नाट होते हैं। उन्हें उचित और अनुचित का बोध होता है। हमलिये यह आचार्य हमारे लिए पूज्य हुए। उनके जीवन आदर्शों से साधारण मनुष्य को प्रेरणा मिलती है और वह उनके जीवन में महानता,

पवित्रता, शालीनता तथा उदारता के गुणों को ग्रहण करने लगता है। स्वर्गीय डा० नेमिचंद्र शास्त्री के परिश्रम, डा० कोठिया के सत्प्रयास तथा मुनि श्री विद्यानंद जी के सान्निध्य से “तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा” नामक बृहद् ग्रंथ का जो प्रकाशन तथा संपादन संपन्न हुआ, उसके लिये मैं विद्वत्परिषद् को बधाई देता हूँ। जिस आनुसंधानिक प्रतिभा एवं भावपूर्ण साहित्य शैली में यह ग्रंथ लिखा गया है उससे इतिहास और हिंदी साहित्य दोनों की सेवा हुई है।

श्री गणेशप्रसाद वर्णी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में स्मृति ग्रंथ प्रकाशित करके जैन समाज ने वर्णी जी की सेवाओं के लिये अपना दायित्व निभाया है। उनके जीवन तथा कार्यों से एक बड़ी सीख मिलती है, सभी को उससे लाभ उठाना चाहिए।

भगवान महावीर ने अहिंसा और अपरिग्रह की जो शिक्षा दी, आज के विश्व को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपरिग्रह की भावना के विकास पर आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। अहिंसा के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण होगा। विश्वशांति स्थापित होकर पूरी मानवता बंधुत्व के सूत्र में एक हो सकती है। परंतु सिद्धांतों पर अमल किए बिना, इन मानवीय मूल्यों को अपने व्यवहार में लाए बिना, कितना लाभ हो सकता है, शायद यह बताना मुश्किल न हो। उचित तो यही है कि हम महावीर स्वामी के उपदेशों को पूरी निष्ठा से अपने व्यवहार में लाएँ और एक सुखी संसार की उस प्राचीनतम कल्पना को साकार बनाने के लिये प्रयत्नशील रहें।

अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत्परिषद् को मैं इन ग्रंथों के प्रकाशन के लिये पुनः बधाई देता हूँ। मुझे इन ग्रंथों का विमोचन करने में बड़ी प्रसन्नता हुई है।

धर्म का सही रूप

पाँचवें विश्व धर्म सम्मेलन के उद्घाटन का निमंत्रण पाना मैं अपने लिये सौभाग्य की बात समझता हूँ और इस निमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। धर्म के वास्तविक तत्व को समझनेवाले और इसके प्रभाव एवं शक्ति को मानव मात्र के कल्याण एवं भलाई के लिये सदुपयोग करनेवाले महान् व्यक्तियों में मिलने और उनके विचारों को सुनने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसे मैं बड़ा मूल्यवान समझता हूँ। सभी धर्मों की एकता के सिद्धांत के प्रचार एवं प्रसार के ध्येय से विश्व के मुख्य धर्मों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे को करीब लाकर, मुनि सुशील कुमार महाराज इस दिशा में सचमुच महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। मुनि जी की यह आस्था ठीक ही है कि धर्म ही उन बुराइयों को, जिनसे आज का विश्व पीड़ित है, दूर करने में समर्थ है। प्रेम और भ्रातृत्व, सहिष्णुता और करुणा, त्याग और सेवा, कुछ ऐसे आदर्श हैं जो सभी बड़े धर्मों में समान रूप से विद्यमान हैं और यदि बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाए जायें तो मानव जाति के लिये यह ससार और अधिक सुखी बनाया जा सकता है।

आज विज्ञान और तकनीकी ज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि धर्म के शाश्वत मूल्यों को कुछ खतरा पैदा होने का डर है। वह अणु से लेकर अण्डाणु तक के भेद खोज रहा है और उसकी दृष्टि बहुत दूर बाहर और उससे भी आगे विश्व के विशाल अंतरिक्ष और ग्रहों की ओर लगी हुई है। मनुष्य की बुद्धि इस अद्भुत विचित्र ससार की जानकारी से बहुत बड़ी है। परंतु यह स्वीकार किया जा रहा है कि इन उपलब्धियों से मनुष्य को थोड़ी मात्रा में भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब यह अनुभव किया जाता है कि बहुत समय से हम बाहर की ओर ही देखते रहे हैं और अब समय आ गया है कि हम अपनी दृष्टि अपने अंदर की ओर मोड़ें और आत्मा की वास्तविकता को समझें। यह ज्ञान हमें धर्म से ही मिल सकता है। डा० राधाकृष्णन् के शब्दों में धर्म मुख्यतया व्यक्तित्व का ही परिवर्तन है—'एक ऐसा परिवर्तन जो एक बौद्धिक व्यक्तित्व को आध्यात्मिकता प्रदान करे'। तनाव तथा आशका के इस युग में हमारी आशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें दूर करने की हम में उत्कण्ठा है। धर्म की पवित्र,

कल्याणकारी तथा एकत्व की भावना से आज के इस संसार को, तकनीकी की निरकुश प्रगति के खतरों तथा राजनैतिक, जातीय तथा अन्य मतभेदों से उत्पन्न फूट और घृणा के कारण दुःखों से बचाना होगा।

धर्म क्या है? वह कोई सिद्धांत या पथ नहीं है बल्कि वह एक जीवन-पद्धति है। वह एक ऐसी जीवन कला है जो सिद्धांतों और रीतियों को प्रतीक मात्र समझती है। वह धार्मिक नेताओं से यह अनुरोध करता है कि वह इस बात का प्रयास करें कि धर्मों को सामाजिक और धार्मिक कट्टरता के साँचों में ढलने से बचाया जा सके। एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास तथा मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विभिन्न धर्मों के बुनियादी आधार है। आध्यात्मिकता धर्म के इन मौलिक सत्यों की पुनः पुष्टि करती है। इसे हम सनातन अथवा शाश्वत धर्म कह सकते हैं, किसी विशेष धर्म के साथ इसको संबद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि यह धर्म जाति और मत मतांतरों को लाँघते हुए भी सभी जातियों और मतों को प्रेरित करता है। हम अपने धर्म का स्वरूप कुछ ऐसा बना लें जो आध्यात्मिक धर्म से मिलता जुलता हो, सच्चा धर्म आध्यात्मिक धर्म है जो आध्यात्मिकता पर बल दे। बुद्धि, सौंदर्य अनुभव तथा नैतिक और व्यावहारिक व्यक्तित्व से परे रहकर मानव को आध्यात्मिक ज्योति से रास्ता दिखाए। आध्यात्मिकता ही एक ऐसी आवश्यक वस्तु है, जिसके समक्ष अन्य वस्तुओं को कम महत्त्व देना है।

विभिन्न धर्मों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि सभी तात्त्विक गहराई, आध्यात्मिक सघनता, वैचारिक शक्ति तथा मानवीय सहानुभूति विद्यमान है। महानता, पवित्रता, शालीनता तथा उदारता के मूल्य संसार के किसी एक ही धर्म के विशेष गुण नहीं हैं। प्रत्येक धर्म में आज कुछ ही लोग ऐसे हैं, जो अपने धर्म की सीमाओं से भी आगे देखने में समर्थ हैं। जिनका विश्वास है कि विभिन्न धर्मों के माननेवालों में धार्मिक मैत्री संभव है, जब हम यह जान लें कि हम सब सत्य को खोज रहे हैं, हम सभी वही नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, हमारे भविष्य की आशाएँ ऐसे महान् द्रष्टाओं पर ही आधारित हैं।

कुछ लोगों में दूसरे धर्मों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, वह अज्ञान और नासमझी के कारण है। यदि हम दूसरे धर्मों का आदरपूर्वक अध्ययन करें, तो हमें अनुभव होगा कि सहानुभूति का दृष्टिकोण उनमें भी समान रूप से है। एक मध्ययुगीन रहस्यवादी ने लिखा था "तरह तरह के दीपक हों, तरह तरह का उनमें तेल हो, अलग अलग उनमें बत्तियाँ हों, परंतु उनकी

ज्योति और प्रकाश एक समान ही है” । आगे चलकर आर० जी० कोलिग-बुड इसी एकता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि “विचार यत्नो की इस अभिनाहट और चरचराहट से ऊपर आध्यात्मिकता के जो मधुर और समवेत स्वर हैं, वे ही हमारे तत्ववेत्ता हैं । यह मधुर स्वर कोई अतिम स्वर नहीं है, परंतु एक सजीव विचार है, जिसका सार कभी पहली ही बार प्रकट नहीं किया गया और जिसे हर सच्चे विचारक ने उत्तरोत्तर निश्चित और स्पष्ट किया है” ।

यदि ईश्वर सभी प्राणियों का हो, तो भी वह लोग जो दूसरे वर्गों के हैं, दूसरी बोली बोलते हैं, उसी मूल प्रश्न को सुलभाने का यत्न कर रहे हैं । सभी धर्मों को एक दूसरे को प्रभावित करके मानवीय मैत्री के उत्कृष्ट दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये दूसरे का सहायक होना चाहिए । डा० अलवर्ट शिवजर कहते हैं “पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों को एक दूसरे की बात का खडन करके अपनी ही बात को सत्य सिद्ध करने की भावना से ही सतोष नहीं होना चाहिए । इन दोनों के सोचने का ढंग ऐसा होना चाहिए, अततः जिसमें पूरी मानव जाति भागीदार हो सके” । आध्यात्मिक जीवन की खोज में वह एक दूसरे के मित्र एवं सहयोगी हैं । शांति, न्याय तथा स्वतंत्रता को स्थापित करने की दिशा में सभी धर्म एक पवित्र सूत्र में बँधे हुए हैं । ज्यो ज्यो सद्भाव बढ़ता जाएगा, हमारा जो अपने भाइयों से प्यार है, वह आगे बढ़कर हमारे पड़ोसियों और अमश सारी मानव जाति को अपने में समेट लेगा ।

सभी धर्म मनुष्य को एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं । यदि उनमें एक दूसरे से भेद दिखाई देता है, वह केवल इसलिये कि इनका प्रचार इतिहास के भिन्न भिन्न युगों और परिस्थितियों में किया गया था । परंतु ससार के सभी मुख्य धर्मों में एक मौलिक एकता दिखाई देती है । इन विभिन्न धर्मों में आध्यात्मिक आकांक्षा तथा प्रयत्न में एकत्व प्रकट होता है । ज्यो ज्यो हम आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियाँ पार करते जाते हैं, आध्यात्मिक सत्यों की विभिन्नताएँ दूर होने लगती हैं । ऊपर जानेवाले सभी मार्ग पर्वत की चोटी की ओर जाते हैं । चोटी पर पहुँचनेवालों में एकम्य होने तथा अद्भुत सहमति, धार्मिक वास्तविकता का मद्दने प्रबल प्रमाण है । इन विषयों में व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिये धर्मों की इस मौलिक एकता पर ध्यान देना आवश्यक है जिसे प्राप्त करने में अनेक राजनैतिक तथा आर्थिक

धो जनाएँ विफल रही हैं। विश्व की आध्यात्मिकता एकता की अवहेलना करना और धार्मिक विभिन्नता को रेखांकित करना, दार्शनिक विचार से न तो न्यायसगत होगा और न ही नैतिक समर्थन के योग्य और सामाजिक दृष्टि से भी असगत होगा। जहाँ आध्यात्मिक भावना है वही एकता है।

यद्यपि ससार के सभी विचारक सभी धर्मों में विद्यमान समान एकता को स्वीकार करते हैं, तथापि धार्मिक ससार में दृढ निरंतर द्वेष और अस्हिष्णुता के कारण अभी भी कुछ मात्रा में अव्यवस्था एवं भेद है। इसके निवारण के लिये हमें विलियम ला के इन विचारों को अमानना होगा "एक सार्वभौमिक भावना, ईश्वर प्रेम और सभी के कल्याण के लिये सतों, महात्माओं के मिलन, जिसे विशेष कर धार्मिक सस्थाओं से सीखा नहीं जा सकता, बल्कि सासारिक विचारधाराओं को मिटा देने से, ईश्वर के सच्चे प्रेम से, प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरीय अनुग्रह मन को सभी प्रकार के स्वार्थों से मुक्त करता है। सत्य और अच्छाई को चाहने लगता है और हर व्यक्ति, चाहे वह ईसाई हो, यहूदी या काफिर हो, को अपना स्नेह बराबर में बाँटने के लिये उद्यत रहता है।

श्री अरविंद के अनुसार हर धर्म ने मानव जाति की सहायता की है। मूर्ति पूजा ने मनुष्य में सौंदर्य की भावना, जीवन में बडप्पन और गौरव पैदा करके, सभी दिशाओं से पूर्णता में वृद्धि की है। ईसाई धर्म ने मानव को ईश्वरीय प्रेम और परोपकार की भावना प्रदान की है। बुद्ध मत ने अधिक विवेकी, अधिक पवित्र और अधिक नम्र बनने का मार्ग दिखाया है। जुडामत तथा इस्लाम ने बताया है कि व्यवहार में कैसे धार्मिक निष्ठा एवं श्रद्धापूर्ण ईश्वर भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म ने व्यापक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सभावनाएँ प्रस्तुत की हैं। यदि सभी धार्मिक दृष्टिकोण आपस में मिल जायँ और एक दूसरे में समा जायँ तो एक महान् कार्य सपन्न हो सकेगा। परंतु बौद्धिक सिद्धांत तथा मत अहंकार इसके रास्ते में रुकावटें हैं।

डा० राधाकृष्णन् ने कहा है कि हर सच्चे धर्म में एक क्रांतिकारी चुनौती का अंश मौजूद है। मार्क्सवाद में भी धार्मिक विशेषताएँ हैं। यद्यपि यह पूर्णतया धर्म निरपेक्ष एवं मानववादी विचारधारा है। मनुष्य और प्रकृति की नितांत सच्ची और स्पष्ट दार्शनिकता की शिक्षा इससे मिलती है। सामान्य जन कल्याण स्वयमेव प्राप्त होगा, यदि हम एक

विशेष प्रकार की राजनैतिक एवं आर्थिक क्रांति करें। इससे एक निश्चय की पुष्टि होती है एवं रूढ़िवादिता थोप दी जाती है। यह केवल विश्व की विवेकपूर्ण व्याख्या ही नहीं है, बल्कि न्याय के अनुरोध के कारण इसमें धर्म का संपूर्ण गुण मौजूद है। धार्मिक विश्वास के समान यह भी एक प्रबल धारणा से प्रभावित है। इस बात पर बल दिया जाता है कि इस आदर्श को पाने के लिये कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है।

भारतीय परंपरा में धार्मिक सहिष्णुता तथा परस्पर आदर है। महान् बौद्ध सम्राट् अशोक ने अपनी १२वीं घोषणा में कहा था—‘महाराज सभी संप्रदाय के लोगों का आदर करते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या संन्यासी। महाराज उपहारी अथवा बाहरी मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करते, जितनी कि सभी संप्रदायों में आध्यात्मिक विकास की, जो अपने संप्रदाय का गौरव बढ़ाने की उत्सुकता से अपने ही संप्रदाय से लगाव के कारण दूसरों की उपेक्षा करके अपने ही संप्रदाय का आदर करता है, वास्तव में, इस प्रकार के व्यवहार से अपने ही संप्रदाय को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है। इसलिये मैत्री, बुद्ध की बात को ध्यान से सुनना, दूसरों की धार्मिक आस्था की बातों को सुनना, प्रशंसनीय है। इस प्रकार हम सारे विश्व में सार्वजनिक अथवा सामूहिक जीवन का विकास कर सकते हैं। तभी धर्म उन मानववादियों, अपनी जाति में ही निष्ठा रखनेवालों ऐसे लोगों को जो बिना अपने बौद्धिक एवं नैतिक अंतःकरण के त्याग के किसी धर्म के स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

विचारों की स्वतंत्रता पर सत्य की हित रक्षा निर्भर करती है। दूसरों के विचारों की कद्र करने से हम सत्य को और अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। दूसरों के विचारों में यदि कोई कमी भी जान पड़े, सचाई के लिये उचित है कि भूल सुधारने की चेष्टा करें। इस भूल को हिंसा द्वारा दवा देना सत्य के लिये कहीं अधिक घातक है। यदि हम विचारों की स्वतंत्रता को कुचल दें, किसी के विचारों की धर्मपरायण अभिव्यक्ति के लिये जाँच या मूल्यांकन की विधि व्यवहार में लाएँ, निरकुश राज्य-वल का प्रयोग करें, अनुचित आर्थिक अथवा सामाजिक दबाव डालें, तो इस प्रकार हम धार्मिक सत्यता तथा लोकतांत्रिक आदर्शों से विचलित हो जाते हैं। “अपने साथ मिलने के लिये उन्हें विवश करो” के सिद्धांत का धर्म अथवा राजनीति में कोई माने नहीं है। धर्म एक मनोवृत्ति है

जिससे जीवन को एक अर्थ और एकता का बल मिलता है। धर्म कोई सिद्धांतों का समूह नहीं जिसे सब लोग मानें। यह सिद्धांत और धार्मिक विधियाँ, यहाँ तक कि स्वयं धर्म भी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो मानव जाति के लिये भगवान् के प्रयोजन को आगे बढ़ाने में केवल साधन मात्र है।

धर्म को किसी वर्ग या संस्कृति, जाति, राष्ट्र का दास नहीं बनना चाहिए। हजारों वर्षों की अर्जित परंपरा जिसने जितनी ही पीढ़ियों को आध्यात्मिक बल प्रदान किया है और बड़े बड़े सत, महात्मा प्रदान किए हैं, लोगों को उसे छोड़ने के लिये कहना उचित नहीं है। विचारों में अपनी जीवन शक्ति है, जिस प्रकार एक पौधे का अपना जीवन होता है जब तक उसकी जड़ें धरती में रहे।

आज धर्म पहले से कहीं अधिक एक दूसरे से सीख सकते हैं। परंतु एक दूसरे के समीप आने से संशोधित होने पर भी मानव के लिये आध्यात्मिक एकता को कार्य आधार प्रस्तुत नहीं कर सकते, यदि हम आधारभूत आध्यात्मिक तथ्यों तथा नैतिकता की जो वह शिक्षा देते हैं उसपर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि सभी धर्म एक ही विंदु की ओर लक्षित हैं। सभी धर्मों से हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। हम कोई नया धर्म नहीं चाहते। परंतु वर्तमान धर्मों में आध्यात्मिक को एक नए विस्तृत रूप में समझने की आवश्यकता है।

विश्व-धर्म-संगम के उद्देश्यों से सभी परिचित हैं। यह जानकर बड़ा सतोष हुआ है कि यह सम्मेलन एक सर्व धर्म आंदोलन चलाने के लिये कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएगा, जिससे हर प्रकार की एव हर स्तर पर हिंसा के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाएगा। भगवान् महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के वर्ष इस आंदोलन का आरंभ होना एक विशेष महत्त्व रखता है। मुनि जी ने विश्व के विभिन्न धार्मिक नेताओं से पहले ही संपर्क स्थापित किया है और निःसंदेह यह उस प्रतिभा का परिचय है जो उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुई है। हिंसा से संघर्ष करने के लिये उन्होंने जो पाँच सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है वह बड़ा सुनियोजित है। जिस किसी के हृदय में विश्व शांति की इच्छा है, वह अवश्यमेव मुनि जी के कार्यक्रम की सफलता की कामना करेगा।

अब मुझे पाँचवें विश्व धर्म सम्मेलन का उद्घाटन करने में बड़ी प्रमन्नता है। सम्मेलन की सफलता के लिये मेरी शुभ कामनाएँ।

एक समाज सुधारक संगठन

मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे आमन्त्रित करके अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया।

१९वीं शताब्दी में जब मानव एवं मानवता दुःख तथा घृणा के बोझ से कराह रही थी, संपूर्ण विश्व अहंकार, द्रोह, असत्यता, व्यभिचार एवं शोषण की प्रचंड अग्नि में जल रहा था, मानवता इसके निवारण के लिये पथ की तलाश में थी। ऐसी परिस्थिति में जिस महान् पुरुष ने जन्म लेकर मानवता को आश्रय प्रदान किया वह और कोई नहीं था—वह युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके संपूर्ण विश्व को जन्म-जन्मांतर अपना ऋणी बना दिया।

आर्य समाज की स्थापना के विषय में अनेक विचार हैं। कुछ लोगों का मत है कि आर्य समाज एक समाज सुधारक संगठन है, कुछ का मत है कि यह भारतीय संस्कृति को बचाने के लिये पैदा हुआ और कुछ का मत है कि यह वह सस्था है जो कि देश के सांस्कृतिक क्रिया कलापों को सँवारने के लिये बनी है। परंतु यदि हम इनकी गहराई में जायें तो पता चलता है कि स्वामी जी के विचार इससे भी महान् थे। उनकी यह इच्छा थी कि संपूर्ण मानव जाति जो इस विश्व में विराजमान है, चाहे वह जिस देश की हो, जाति की हो या किसी भी रंग की हो दुःखी न रहे और वह इस जीवन के रहस्य एवं उद्देश्य को समझे, जिसमें म्याथी शांति प्राप्त हो सके।

जिम समय आर्य समाज का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि मद्रियो पुरानी परतंत्रता को लिए हुए चले आ रहे थे। स्थापना के कुछ समय पहले देश में स्वतंत्र होने के लिये क्रांति हो चुकी थी परंतु अंग्रेजों ने बड़ी नावधानी से क्रांति को दबा दिया था जिसकी वजह से हमारा समाज काफी दब गया था और अब उसमें उठने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। ऐसी विषम परिस्थिति में ७ अप्रैल, १८७५ में बंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना हुई जिसकी वजह से संपूर्ण समाज में एक नई रोशनी पैदा हुई, एक जागरण आया, जिसने समाज को मजबूत किया कि हम अब नए मिररे से सोचें और

बुराईयो को उठाकर दूर फेंक दे। इसने समाज के लिये अमृत का काम किया और मानव को मानव से प्रेम करना सिखाया।

आर्य समाज की स्थापना के लगभग दस साल बाद कांग्रेस का भी जन्म हुआ। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने स्वतंत्रता के विषय में लिखा है कि "अपना बुरा शासन भी अच्छा है, पराया अच्छा शासन भी बुरा है।" वे स्वतंत्रता के मूल्यों को भली भाँति समझते थे, उनका उद्देश्य था कि जनता सभी तरह से सुखी रहे और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर समाज में प्रचलित अनेक बुराईयों को दूर करने में आर्य समाज ने भरसक प्रयत्न किया। उस समय समाज में जात पाँत, छुआछूत, घृणा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह एवं नारियों को अशिक्षित रखना इत्यादि बुराईयाँ अपनी चरम सीमा को पार कर गई थी।

जात पाँत एवं छुआछूत ने समाज को झकझोर दिया था। हरिजनो की दशा बड़ी दयनीय थी, लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। यह सबकों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते थे, जिससे दुःखी होकर हरिजन धर्म परिवर्तन करने लग गए। हिंदू समाज का एक बड़ा भाग इससे अलग होने लगा। आर्य समाज ने खुलकर जात पाँत का विरोध किया तथा इसके विरुद्ध अपना प्रचार जोरदार कर दिया। काफी सीमा तक आर्य समाज इसमें सफल रहा परंतु जो भावना बहुत समय से चली आ रही हो, उसका एकदम समाप्त होना असंभव है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने नाम के आगे अपनी उपजाति लिखना एक फैशन समझ लिया है। परंतु यह देखने में आया है कि आर्य समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में और छात्रावासों में जात पाँत का भेद भाव प्रायः एकदम समाप्त हो गया है। आर्य समाज बताता है कि इसका मूल कारण है आर्थिक विषमता तथा ज्ञान की कमी। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होगा, वही व्यक्ति मनुष्य मनुष्य में भेद एवं घृणा करेगा। जब ऐसी भावनाएँ मनुष्य के हृदय में अपना स्थान लेती हैं तो वह व्यक्ति दूसरो को खुशी देखकर आनंदित नहीं होता, बल्कि दूसरो को दुःखी देखकर प्रफुल्लित होता है।

आर्य समाज ने विधवा विवाह एवं अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया। राजा राममोहन राय भी ठीक उसी समय विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे। नारी की शिक्षा के लिये भी आर्य समाज प्रयत्नशील था और इसके प्रयत्नों में समय ने भी साथ दिया। भारतेदु हरिश्चंद्र भी नारी शिक्षा के लिये प्रचार कर रहे थे इन कारणों से इन बुराईयों को दूर करने में काफी सहायता मिली। इस प्रकार से आर्य समाज को लोगों ने बड़ी जल्दी अपनाया।

स्वामी जी के आर्य समाज एव उसके सिद्धांतों का मूल आधार बुद्धिवादी था जो कि तर्क एव व्यवहार की कसौटी पर कस कर देख लिया था ।

आर्य समाज ने केवल समाज के सुधार में ही नहीं कार्य किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना सक्रिय सहयोग दिया । कांग्रेस के हर दल में आर्य समाजी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये दिलोजान से लगे हुए थे जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने आर्यसमाज के हर काय पर अपनी सख्त निगाह रखना प्रारंभ कर दिया था, सत्संगों में गुप्तचर भेजने शुरू कर दिए थे तथा उसपर अपना अकुश लगाने का प्रयत्न करती रही । आर्य समाज ने भारत एव भारत के बाहर के देशों में अनेक परोपकार के कार्य किए हैं । आज लगभग उन्नीस देशों में आर्य समाज की शाखाएँ काम कर रही हैं वे देश, मारिशस, फीजी, सुरीनाम, ट्रिनिडाड और ब्रिटिश गायना इत्यादि हैं ।

लाला लाजपतराय ने कहा है—“स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं, आर्य समाज मेरी माता है । इन दोनों ने मुझे स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना सिखाया है । आर्य समाज ने मुझे कुर्बानी का मार्ग दिखाया है” । आर्य समाज संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के समान समझता है तथा विश्ववधुत्व का समर्थक है ।

आज संपूर्ण विश्व कई भागों में बँटा हुआ है । प्रत्येक भाग अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि हम अच्छे हैं और दूसरे सारे खराब हैं । ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज ही ऐसा सगठन है जो इन भेदों में न पड़ कर कि, ‘यह मेरा है, यह मेरा नहीं है’ सभी को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है । इस अवसर पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि सौ वर्षों में जितना काम आर्य समाज ने किया है वह वाम्बतव में मराहतीय है ।

आज जब हम आर्य समाज की स्थापना की शताब्दी मना रहे हैं, यह उचित होगा, यदि हम उस काम का सिंहावलोकन करें जो इन सौ वर्षों में हुआ है, विचार करें जिस ध्येय से प्रेरित होकर यह काम आरंभ हुआ, कहाँ तक हम उगमें सफल हुए । केवल अनुयायियों की संख्या वृद्धि से ही किसी सभ्यता की प्रगति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और केवल यही इसका मानदंड भी नहीं होना चाहिए । कम से कम आर्य समाज जैसी सभ्यताओं की तुलना तो इन युग में की जानी ही चाहिए । मैं जानता हूँ कि आर्य समाज का काम इतना महान व विशाल है कि उसे एक सभ्यता के रूप में मर्यादित रखना उचित अवमूल्यन करना है । बल्कि हमें यह देखना है कि स्वामी जी के

दिखाए हुए रास्ते पर चलनेवाले अपने सपूर्ण जीवन व व्यवहार में सिद्धांतों का पालन करनेवाले लोग कितने हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई या नहीं।

जहाँ तक मैं आर्य समाज के उद्देश्यों को समझ पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि स्वामी जी चाहते थे कि मनुष्य मनुष्य बने, कायरता को छोड़े, अपने अदर स्वाभिमान पैदा करे, सामाजिक विषमता के विरुद्ध आवाज उठाए और अपने जीवन में सबके प्रति समभाव का आचरण रखे, ढोंगबाजी, बाह्य दिखावा को त्याग कर, ससार का, मानव का, सत्य स्वरूप-समझे, इसके अनुसार व्यवहार करे। तो हमें यह देखना है कि सद्य परिस्थिति में इन उद्देश्यों के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं व हमें क्या करना होगा।

आर्य का अर्थ है ईश्वर पुत्र अर्थात् श्रेष्ठ, सदाचारी, धर्मात्मा, सत्यवादी सुसंस्कारी तथा प्रगतिशील मनुष्य। यह कोई सकुचित कल्पना नहीं है। आर्य यानी ईश्वर का पितृत्व माननेवाला। समस्त मानव जाति का आपस में भ्रातृत्व तथा एक मानव परिवार का रूप इसमें गृहीत है। वेदों में आर्य शब्द गुण वाचक है। यह शब्द देश, काल और सीमा की परिधि से बाहर है। जिस व्यक्ति के आचरण में आर्यत्व एवं श्रेष्ठता होगी वह विश्व के किसी भाग में जन्मा हो, उसका कोई भी मजहब या भाषा हो, वह कहीं भी निवास करता हो, वह आर्य है।

“ऋषवन्तो विश्वम् आर्यम्”—इसका अर्थ यही है कि सारे जगत् को आर्य एवं श्रेष्ठ मानव बनाओ।

आर्यसमाज का काम यानी हर मानव को अपूर्णता से पूर्णता तक पहुँचाने का काम, हमें सातत्य से अखंड चालू रखना होगा। हमारे समाज की, राष्ट्र की उन्नति उसीपर निर्भर है। इस काम के लिये अब परिस्थिति भी अनुकूल है। हमारा अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हमारी सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। काम इतना विशाल है कि केवल कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के करने से ही हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। इस दिशा में सरकार की ओर से जो प्रयत्न, विशेषतः समभाव और समानता के लिये किए जा रहे हैं, उसमें अगर हम सब सहयोग दें तो निकट भविष्य में हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे।

अंतर्मुख होकर हमें यह सोचना होगा कि जिन बुराइयों और कुरीतियों हम चाहते हैं कि हमारे समाज से दूर हो, इन नए सौ वर्षों में किस हद तक हम उन्हें दूर कर पाए हैं। क्या स्वेच्छा से मानव इन्हें दूर कर सकता है। मानवीय मन पर यद्यपि नियंत्रण न हो तो वह

स्वेच्छाचारी बनेगा और हो सकता है वह सत पथ से दूर भटकता रहे। विदेशी सरकार जब थी तो हमारे लिये आवश्यक था कि यह भार हम स्वयं सहन करे, किंतु अब परिस्थिति बदल गई है और हमारा समाज में सुधार नहीं हुआ तो उसका बोझ भी हमारे ही ऊपर आएगा। आवश्यकता है ऐसे कार्यकर्ताओं की जो अपना सर्वस्व ऐसे महान् कार्य के लिये त्याग करने को तैयार हो। अगर इस समारोह में इन चीजों के ऊपर मिलकर विचार हो और तदनुरूप भविष्य के लिये कार्य सुनिश्चित किया जा सके कि आर्य समाज को वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार काम करना है। आज हमारी सरकार की ओर ये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो काम हाथ में लिया गया है वह वस्तुतः आर्य समाज के मूलभूत उद्देश्यों की ही पूर्ति करता है। इस नए परिवेश में यह उचित होगा कि हम सब मिलकर इस काम की आगे बढ़ाएँ। मेरे विचार में आज हमारे गाँवों में सुधार की जितनी आवश्यकता है, उसको देखते हुए यदि आर्य समाज अपनी दृष्टि शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त गाँवों की ओर भी रखे तो नए भारत की जो हम रचना करना चाहते हैं, वह साकार होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज स्थापना शताब्दी समारोह का सहर्ष उद्घाटन करता हूँ।

—

भूखे भजन न होय

मुझे आज इस परिषद् के उद्घाटन के अवसर पर अपने को आपके-
बीच पाकर अत्यंत प्रसन्नता है। आपने इस परिषद् का नाम विश्व-
कल्याण आध्यात्मिक परिषद् रखा है। आप शायद चाहते हैं कि मानव-
कल्याण के लिये आध्यात्मिकता के माध्यम को अपनाया जाए। इस
प्रकार का विचार अवश्य ही सराहनीय है, यह एक उत्कृष्ट ध्येय है, किंतु
इसकी पूर्ति के लिये आपने अपने सामने क्या कार्यक्रम रखा है, किस प्रकार
आध्यात्मिकता का प्रकाश दिशा दिशा में फैले, यह विचारना आवश्यक है।
आज तक इस दिशा में जितने प्रयत्न हुए, वे कितना प्रभाव डाल सके
और यदि लोगों को आकर्षित नहीं कर सके हैं, तो इसका कारण
क्या है? हम यह मानते हैं कि विश्व कल्याण का पथ सही अर्थ में आध्या-
त्मिकता के माध्यम से ही प्रशस्त होगा। इसके लिये सैकड़ों सालों से
प्रयत्न जारी है। परंतु आज भी हम जब विश्व पर दृष्टि डालते हैं, तो
इसका स्वरूप इतना सुखद नहीं दिखाई देता, आज भी मानव अधकार में
भटक रहा है, ऐसे में जरा सा भी सतुलन खो बैठे, तो हजारों सालों की
यह अर्जित सभ्यता और संस्कृति कहीं अदृश्य न हो जाए, ऐसा विचारक
सोचते हैं। विज्ञान ने जितनी प्रगति की, यंत्रों से शारीरिक सुख सुविधाओं
में जितनी वृद्धि हुई तब भी मानव मानसिक पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाया,
वह भयभीत है और सोचता है कि इन भयकर हथियारों के निरंतर
बढ़ते हुए बोझ तले वह कहीं कुचला न जाए। ऐसी स्थिति में मानव
को यद्यपि कोई आशा की किरण दिखाई देती है तो वह केवल
आध्यात्मिकता ही है।

हम आध्यात्मिकता को केवल आत्मा तक ही जब सीमित कर देते हैं,
तो फलतः इस जगत् के क्रिया कलापो से अलगव की सज्ञा दे बैठते हैं,
जब कि आध्यात्मिकता का क्षेत्र केवल आत्मा की उन्नति की परिधि में ही
बाँधा नहीं जा सकता। उसका संबंध पूर्ण मानव के विकास से है, उसकी
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगति से है। क्या यह सत्य नहीं
कहा गया--

भूखे भजन न होय गोपाला ।

जब चारों ओर दरिद्रता, भूख, असमानता, अज्ञान, पिछड़ापन, रोग इत्यादि से मानव पीडा के दलदल में उलझा हो, कैसे आत्मा की बात समझी जाएगी ? क्या हमारी दृष्टि उन मूल कारणों की ओर नहीं जानी चाहिए, जो आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधक हैं । स्वस्थ आत्मा तो स्वस्थ शरीर में ही निवास करती है । दुर्बल और सूखे हुए शरीर से क्या सिद्धि होगी । मैं तो समझता हूँ कि आज हमें मानव कल्याण की बात इस व्यापक दृष्टि से ही सोचनी होगी, तभी आध्यात्मिकता की बात सार्थक मानी जाएगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के संमेलन का उद्घाटन करता हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ नए विचार विद्वानों द्वारा प्रस्तुत होंगे जो हमारी चिंतन धारा को नई दिशा दे सकेंगे ।

मानव धर्म

इस ऐतिहासिक नगर में आने और आप सबसे मिलने का आपने जो अवसर मुझे दिया, उसके लिये मैं आप सबका और विशेषकर नंदा जी का आभारी हूँ। धर्म ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का प्राचीन काल से वर्णन मिलता है और इस स्थान का सब्र हमारे एक ऐसे युग की याद दिलाता है, जब भगवान् कृष्ण ने श्री अर्जुन को धर्म का अमर सदेश दिया था और उसे निष्काम कर्म और कर्तव्य के लिये प्रेरित किया था। भगवद्गीता का दिव्य प्रकाश आज भी हजारों, लाखों लोगों को आलोकित कर रहा है।

मानव धर्म मिशन की स्थापना, मुझे बताया गया है, उन्नीस सौ अड़सठ (१९६८) में इस हेतु से हुई थी कि समाज में धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जो उदासीनता दिखाई दे रही है, उसको दूर करने के लिये कोई सुचारु कार्यक्रम तैयार किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि जिन सिद्धांतों का इस सस्था ने प्रतिपादन किया, उसके लिये निष्ठापूर्वक कार्य हो रहा है, आज का यह विशाल सम्मेलन उसी सदर्भ में है। वास्तव में अखिल भारतीय स्तर पर नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक सस्थाएँ सक्रिय भाग ले सकेंगी।

आज का विश्व एक विचित्र चित्र प्रस्तुत करता है, वह मोहक भी है और भयानक भी। भौतिक क्षेत्र में इसकी उपलब्धियाँ सराहनीय हैं। परंतु यह अनुभव किया जाता है कि पूर्णरूपेण यह वरदान सिद्ध नहीं हुई। बाहरी प्रगति अवश्य हुई परंतु मनुष्य का आंतरिक सुख चैन, ऐसा लगता है, उससे किनारा कर गया हो। उसका सबसे बड़ा कारण है आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता।

विज्ञान और तकनीकी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले से आज मनुष्य के पास भौतिक प्रगति के अधिक साधन हैं, शक्ति है। वह दूर क्षितिज की खोज में व्यस्त है। उसकी दृष्टि बाहर की ओर, अंतरिक्ष और सुदूर के ग्रहों की ओर लगी हुई है। इसमें सदेह नहीं कि मनुष्य ने खूब वैज्ञानिक विकास किया है परंतु फिर भी मनुष्य एक अधूरापन महसूस करता है, सच्चा सुख उसे प्राप्त नहीं हो सका। प्रकृति पर विजय उसकी अपनी विजय नहीं। वह

विजय तो तभी होगी जब वह अदर की शक्तियों पर विजयी होगा। यह कार्य धर्म का है। धर्म की प्रतिष्ठा से ही हम ज्ञान को सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक दायित्व के साथ जोड़ सकेंगे। हमारे चित्तको और महात्माओं का यही मत है कि आज का विश्व जिन कठिनाइयों से पीड़ित है, उसका केवल मात्र और प्रभावशाली उपाय धर्म में है। धर्म की पवित्र, कल्याणकारी तथा एकत्व की भावना से आज के इस ससार को तकनीकी के निरकुश खतरो तथा राज-नैतिक, जातीय तथा अन्य मतभेदों से उत्पन्न फूट तथा वैमनस्य से बचाया जा सकता है। प्रेम और वधुत्व, सहिष्णुता तथा सहानुभूति, परमार्थ और सेवा, सभी ससार के धर्मों के यह समान आदर्श हैं। इन्हें स्वीकार करके मनुष्य यदि इन्हें अपने जीवन व्यवहार में ला सके, तो यह धरती उसके लिये सुख का स्थान बन सकती है।

धर्म जीने का एक तरीका है। इसे किसी औपचारिक सिद्धांत या प्रणाली में बाँधा नहीं जा सकता। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन ही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में “यतोभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म” धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है। यह सभी जानते हैं कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है। आध्यात्मिकता का अर्थ सब में विद्यमान है। सबने मानव कल्याण का मार्ग बताया है। सभी ने सत्य की खोज की है। इसमें एकता के तत्व को पहचानने के लिये, हमें इनमें विद्यमान गुणों को समझना जरूरी है। ससार के बड़े बड़े धर्मों में आधारभूत आध्यात्मिक सत्यों के बारे में काफी समानता है। उपनिषदों में धर्मों की इस प्रकार उपमा दी गई है —

‘गवामनेकवर्णाना क्षीरस्याप्येकवर्णता।

क्षीरवन् पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवायथा ॥”

प्राचीन काल में बहुत से धर्मगुरु और महापुरुष हुए हैं। गहराई से देखें तो मालूम होगा कि उनके उपदेशों और आध्यात्मिक ज्ञान में समानता है। ठीक वैसे ही जैसे कई रंगों की गाँवें हों, परंतु उनके दूध का तो एक ही रंग होगा। किसी धर्म ने घृणा, सघर्ष अथवा किसी को हानि पहुँचाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि सभी धर्मों में प्यार और भाईचारे, पारस्परिक स्नेह और सहायता, शांति और समन्वय की बात करते हैं।

भारत की परंपरा धार्मिक सहिष्णुता तथा पारस्परिक समान की रही है। इसकी मन्त्रुति को देव की उन महान् देवियों और पुरुषों ने गढ़ा है जिनके मन निर्मल, मस्तिष्क और आत्मा उज्ज्वल रहे हैं। यह ठीक है कि सभ्यता और मन्त्रुति का भवन छंट और पत्थर से तैयार नहीं होता। उसको देश के आदर्श

पुरुष ही निर्मित एवं सुरक्षित रखते है। जियो और जीने दो के अधिकार से इस संस्कृति ने किसी को वचित नही किया।

प्राचीन समय से हमारे महापुरुषो ने हमारा ध्यान जीवन के मूल प्रश्नों की ओर आकर्षित किया था। उन सबने कहा था कि मनुष्य का चरम लक्ष्य है अपने आपको पहचानना। उस आत्मा का साक्षात्कार करना जो सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान है। आज जो परिस्थितियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं, वे कठिनाइयाँ गिरते हुए जीवन मूल्यों के कारण हैं। आज की कठिनाइयो का इलाज सासारिक द्रव्यो मे नही, बल्कि आत्मा के अधिकार मे है। आज हमे जरूरत है, हृदय परिवर्तन की, निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन की, प्रेम और सहानुभूति की, त्याग और परमार्थ की, एक ऐसे बलिष्ठ मन की जो भेदो की कोठरियो का बदी न बन सके। हमारे देश की यह परंपरा रही है कि मनुष्यता का मानक उसकी धन दौलत से नही किया गया। बल्कि उसकी मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणशीलता पर अंकित किया जाता रहा है।

आज से आठ सौ साल (८०० साल) पहले, शायद आप मे बहुत से लोग जानते होंगे, कर्नाटक मे सत वसवेश्वर हुए थे। दरअसल वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने घोर जाति भेद, छुआछूत के जमाने मे धर्म और मोक्ष का अधिकार हर छोटे बड़े को दिया था। इसी सदर्भ मे उन्होने कहा था, “पृथ्वी पर धर्म का क्या काम, यदि वह धर्म करुणा तथा सभी जीवधारियों के लिये प्रेम नही रखता’। उन्होने आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों के लिये सभी को प्रेरित किया। धर्म और नैतिकता को मनुष्य के आचरण और व्यवहार से संबधित किया। उन्होने कहा है—“सद्व्यवहार ही स्वर्ग है और दुर्व्यवहार ही नरक है।”।

किसी ने ठीक ही कहा है कि सदाचार, सद्व्यवहार, सद्विवेक के अभाव मे ही सामाजिक व्यवस्था मे दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिये धर्म का मुख्य अंग मानकर मनुष्य के आंतरिक और बाहरी विकास के लिये नैतिकता की सदैव आवश्यकता रहती है। संस्कृति का आधार नैतिकता है और नैतिकता अनुशासन और सयम मांगती है। इसमे स्वार्थ और सकीर्णता का कोई स्थान नही हो सकता। यह मन की चीज है, जिसने आत्मा के प्रकाश मे मन को मना लिया, उसने अपने जीवन की सभी कठिनाइयो को दूर कर लिया।

डा० राधाकृष्णन ने कहा था, “यदि हम मानव जीवन की दशांशों को अच्छा भी बना दें, हम मनुष्य के आंतरिक जीवन की अपेक्षा नहीं कर सकते। स्वयं मानव को बदलना है। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी प्रकृति है जो आसानी से उसके वश में नहीं आती। हम इच्छाएँ बढ़ाते जा रहे हैं परंतु जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं।”

आज जरूरत इसी बात की है कि हम जिस भी धार्मिक चिंतन के मानने-वाले हो, यदि सभी अपने अपने धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे तो धर्म और नैतिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा हो जाएगी। हमारे जीवन और आचरण में निरूपित होने पर ही धर्म अभ्युदय का कारण बनेगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस सम्मेलन में वर्तमान कठिनाइयों और उनके समाधान ढूँढने के लिये विचार विमर्श होगा। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में ऐसे उपयोगी मुद्दाव प्रस्तुत होंगे जो भारतीय जन मानस को प्रभावित करने में समर्थ होंगे। आपके इस सम्मेलन की सफलता के लिये मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ और आप सबको, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिये, धन्यवाद देता हूँ।

आध्यात्मिक मूल्यों का पुनरुत्थान

मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे ज्ञानबोध सभा के उत्तवावधान में आयोजित आज के समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया। आज के युग में आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की जितनी आवश्यकता है, उसे देखते हुए इस दिशा में किया जानेवाला हर प्रयास मूल्यवान् ही कहा जाएगा।

धर्म एक साधन है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यह आवश्यक नहीं कि वह साधन एक ही हो, पर्वत की चोटी पर पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं और जब सभी दिशाओं से उस तक जानेवाले आरोही, उस चोटी पर पहुँच जाते हैं, तो सभी को एकही दृश्य दिखाई देता है। उन्हें एक ही अनुभूति होती है। हमारे देश में प्राचीन काल से कई विचारधाराएँ रही हैं, कई उपासना और आत्मोद्धार की पद्धतियाँ रही हैं, लेकिन जब हम उनको समझने का प्रयत्न करते हैं तो हम जान सकते हैं कि सब एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। वे हमें एक ही गतव्य की ओर ले जाती हैं, चाहे वह कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो अथवा ज्ञान-मार्ग। इन सबका ध्येय आत्मा की उन्नति है। आत्मा की उन्नति एक बड़ी चीज है। क्योंकि इसी से मनुष्य की वास्तविक उन्नति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ आत्मीयता का भाव ही एकात्मकता है, यही आत्मविजय है।

यह ससार विविधरूप है। इसकी विचित्रता ही इसका सौंदर्य है। इसकी अनेकताओं में जो समरसता है, वह इसका आत्मतत्त्व है और जब तक मनुष्य इस चीज को नहीं पहचानता, वह एक दूसरे के समीप होने पर भी दूर रहता है। इस कारण ही सामूहिक हितों की अवहेलना होती है। आध्यात्मिकता की सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठा हो तो वाटरी भेद मिट जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक परंपरा हमें आत्मविजयी होने की ही शिक्षा देती है। यह ठीक ही कहा गया है कि इन शिक्षाओं को सुननेवाले कान, ग्रहण करनेवाला हृदय तथा विचार करनेवाला मस्तिष्क जब तक नहीं होंगे, पूर्णता तक पहुँचना कैसे संभव होगा? आज जो हम सामाजिक वैषम्य देखते हैं, उसे हम सहयोग, सद्भाव और समदृष्टि की भावना से ही दूर कर सकते हैं। इसीलिये आज यह अनुभव किया जाता है कि आध्यात्मिक मूल्यों का

व्यापक रूप से प्रसार हो, हम ईश्वरीय अनुग्रह की कामना करें तथा जीवन में उन गुणों को विकसित करें जिनसे हम उसके अधिकारी बनते हैं ।

आज जरूरत इसी बात की है कि मानव मन एक हो, सबकी उन्नति के लिये एक साथ मिलकर काम करने की सत्चेष्टा हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमारे अदर आत्मवत् व्यवहार की क्षमता पैदा हो, यह काम आत्मोत्कर्ष से ही होगा । इसके लिये सत्सग तथा सत्पुरुषों के आत्मानुभव से लाभ उठा सकते हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि ज्ञानबोध सभा आध्यात्मिक मूल्यों के लिये अच्छा कर रही है । मेरी यही कामना है कि आप मानव कल्याण और एकता के कार्य के लिये इसी भावना से सदैव कार्यरत रहें ।

विश्वकल्याण

मुझे आज इस परिषद् के उद्घाटन के अवसर पर अपने को आपके बीच पाकर अत्यंत प्रसन्नता है। आपने इस परिषद् का नाम विश्व कल्याण-आध्यात्मिक परिषद् रखा है। आप शायद चाहते हैं कि मानव कल्याण के लिये आध्यात्मिकता के माध्यम को अपनाया जाए। इस प्रकार का विचार अवश्य ही सराहनीय है, यह एक उत्कृष्ट ध्येय है, किंतु इसकी पूर्ति के लिये आपने अपने सामने क्या कार्यक्रम रखा है, किस प्रकार आध्यात्मिकता का प्रकाश दिशा दिशा में फैले, यह विचारना आवश्यक है। आज तक इस दिशा में जितने प्रयत्न हुए, वे कितना प्रभाव डाल सके और यदि लोगों को आकर्षित नहीं कर सके हैं तो इसका कारण क्या है? हम यह मानते हैं कि विश्व कल्याण का पथ सही अर्थ में आध्यात्मिकता के माध्यम से ही प्रशस्त होगा। इसके लिये सैकड़ों सालों से प्रयत्न जारी है। परंतु आज भी हम जब विश्व पर दृष्टि डालते हैं, तो इसका स्वरूप उतना सुखद नहीं दिखाई देता, आज भी मानव अधकार में भटक रहा है, ऐसे में जरा सा भी सतुलन खो बैठे, तो हजारों सालों की यह अर्जित सभ्यता और संस्कृति कहीं अदृश्य न हो जाए, ऐसा विचारक सोचते हैं। विज्ञान ने जितनी प्रगति की, यंत्रों से शारीरिक सुख-सुविधाओं में इतनी वृद्धि हुई तब भी मानव मानसिक पीडा से मुक्त नहीं हो पाया, वह भयभीत है और सोचता है कि इन भयंकर हथियारों के निरंतर बढ़ते हुए बोझ तले वह कहीं कुचला न जाए। ऐसी स्थिति में मानव को यदि कोई आशा की किरण दिखाई देती है तो वह केवल आध्यात्मिकता ही है।

हम आध्यात्मिकता को केवल आत्मा तक ही जब सीमित कर देते हैं, तो फलतः इस जगत् के क्रिया कलापो से अलगाव की सजा दे बैठते हैं। जबकि आध्यात्मिकता का क्षेत्र केवल आत्मा की उन्नति की परिधि में ही बाँधा नहीं जा सकता। उसका अवध पूर्ण मानव के विकास से है, उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगति से है। क्या यह सत्य नहीं कहा गया —

भूखे भजन न होय गोपाला।

जब चारों ओर दरिद्रता, भूख, असमानता, अज्ञान, पिछड़ापन, रोग इत्यादि से मानव पीडा के दलदल में उलझा हो, कैसे आत्मा की वात समझी जाएगी? क्या हमारी दृष्टि उन मूल कारणों की ओर नहीं जानी चाहिए, जो

आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधक हैं। स्वस्थ आत्मा तो स्वस्थ शरीर में ही निवास करती है। दुर्बल और सूखे हुए शरीर से क्या सिद्धि होगी। मैं तो समझता हूँ कि आज हमें मानव कल्याण की बात इस व्यापक दृष्टि से ही सोचनी होगी, तभी आध्यात्मिकता की बात सार्थक मानी जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आज के सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ नए विचार विद्वानों द्वारा प्रस्तुत होंगे जो हमारी चिन्तन-धारा को नई दिशा दे सकेंगे।

विश्वशांति

यह मेरा परम सौभाग्य है कि जिस सर्वधर्म समभाव विश्वशांति महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया गया है उसमें मैं भी उपस्थित हो सका हूँ। मेरा अध्यात्म की ओर छोटी अवस्था से ही झुकाव रहा है और ऐसे समागमों में सम्मिलित होकर भागवत विद्वानों के दर्शनो तथा उपदेशों का लाभ पाने की इच्छा स्वभावगत ही समझें।

मैं आया तो था इस इच्छा से कि आपके शब्दों का ही रसास्वादन कहूँ। परन्तु मालूम हुआ कि मुझे भी कुछ इम अवसर पर बोलना होगा। सच पूछा जाए तो ऐसे आयोजनों पर तत्त्वज्ञानियों तथा ज्ञानी महात्मा पुरुषों के वचनों का ही श्रवण लाभ हो तो ज्यादा श्रेयस्कर हो।

मुझे प्रसन्नता है कि आज जिस महायज्ञ का यहाँ शुभारंभ हो रहा है उसके पीछे एक मानव कल्याण की सर्वोत्तम भावना है। आप तो जानते ही हैं कि ऐसे अनुष्ठानों से भारतीय परम्परा का एक पुरातन सबंध है। वैदिक काल से लेकर वह हमारे साथ है। हमारे धर्म के मुख्य अंग के रूप में ये हिंदुओं के दैनिक कर्मकाण्डों में आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारा देश अध्यात्म प्रदान है। ईश्वर की परमसत्ता, सर्वज्ञता तथा सर्वव्यापकता को कौन नहीं स्वीकार करता। पूरे विश्व में अधिकांश लोग उस सर्व शक्तिमान् को अपने अपने ढंग से आराधना करते हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिये शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवद्गीता में कहा है —

यत् प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

जिस परमात्मा से समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे यह सारा जगत् व्याप्त है, उस सर्वशक्तिमान् को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर सिद्धि प्राप्त करे।

हम अध्यात्म की बात करते हैं परन्तु कुछ लोग इसके व्यापक अर्थ को न समझकर, यह कहते हैं कि इसके लिये तो संसार को छोड़ना आवश्यक है। परन्तु अध्यात्म तो एक नित्य वस्तु है। जिसके साथ मनुष्य के सर्वांगीण कल्याण का सबंध है। संसार के अर्थ-भोग की इसमें उपेक्षा नहीं, बल्कि इसके सयत् और आवश्यक उपभोग को जीवन धर्म से अलग नहीं किया गया।

परतु जीवन धर्म का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष अथवा भगवत् प्राप्ति ही माना गया है ताकि अर्थप्रधान दृष्टिकोण के स्थान पर एक कर्तव्य प्रधान जीवन दृष्टिकोण पोषित हो। मानव केवल अपने लिये ही न जिए, इसलिये यह माना गया है कि मतवाद धर्म नहीं। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में धर्म एक कर्तव्य है, जो हम दूसरे जीवों के प्रति पूरा करते हैं—

परहित सरिस धरम नहिं भाई ।

पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥

यही वह मूल भावना है जिससे प्रभावित होकर भारतीय लोग यज्ञों द्वारा देवों का आह्वान करके विश्व कल्याण का वरदान मांगा करते थे। 'सर्वे भवन्तु मुखिन' की कामना किया करते थे।

आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य हर चीज को तर्क और बुद्धि के तराजू में ही तौलता है। इसकी तर्कवादिता से कुछ अध-विश्वासों में कमी तो हुई है। परतु इसके साथ वह इतना अर्थप्रधान बन गया है कि अध्यात्म से उसका लगाव कम होता जा रहा है। हमारी सारी शक्ति भौतिक प्रगति की ओर अग्रसर है। अर्थ, काम, मोक्ष इन तीनों का कुछ महत्व है, हमारे अर्थ और काम लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो मोक्ष है, जो अध्यात्म के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थ और काम का सवध हमारे भौतिक जीवन तक है। विज्ञान के चमत्कारपूर्ण विकास ने भौतिक समाधानों में वृद्धि तो कर दी, परतु इस बौद्धिक प्रगति से मनुष्य के भीतरी गुणों में कितनी उन्नति हुई? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, स्वार्थ जैसी हीन भावनाओं से क्या मुक्ति मिली है? यह प्रश्न सभी के सामने प्रस्तुत है। क्या मनुष्य इन भौतिक समाधानों के होते हुए भी विक्रिप्त, अशांत, भयभीत, शक्ति तथा दुखी नहीं दीखता? पर ऐसा क्यों है, स्पष्ट है कि मनुष्य के सुख का साधन केवल उसकी शारीरिक सुविधाएँ नहीं। जीवन की जटिलताओं ने उसका मानसिक सुख छीन लिया है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे ज्ञान में मंतुलन न रहता। इस ओर सभी विचारशील लोगों का ध्यान जाना जरूरी है। विज्ञान को दृष्टि चाहिए जो इसके बिना पूरी मानवता को विनाश की आर ले जा सकता है। विश्व-शांति खनरे में पड सकती है। ज्ञान की दृष्टि यदि मिल जाए, तो विज्ञान विनाश की अपेक्षा कल्याणोन्मुख होगा। समष्टि के हितों की रक्षा हो, नभी मनुष्य मन्चा सुख प्राप्त कर सकेगा। आज तक हम बाहर की ओर ही देखने की चेष्टा में लगे रहे। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर

भी भाँक कर देखें। उस शक्ति का अनुभव करे जो सभी जीवों की पालक, पोषक और रक्षक हैं। हृदयों को जोड़ने, मानवीय एकता को सुदृढ़ बनाने में अध्यात्म एक आवश्यक कड़ी है। विश्व भर में जितने भी विचारशील लोग हैं, चिंतक हैं, वे अनुभव करते हैं कि मानव में सद्भाव बढ़े, इसके लिये सभी धर्मों को एक दूसरे के करीब जाना चाहिए।

इच्छित फल के लिये हर धर्मपरायण व्यक्ति ईश्वरीय अनुग्रह की कामना करता है। मैं समझता हूँ कि इस महायज्ञ के पीछे भी यही भावना है। दैवीय शक्ति पूरी मानवता को सुख और शांति प्रदान करे, यही हमारी कामना है।



आत्मोन्नति के उन्नायक

मेरे लिए यह परम दर्ष का विषय है कि मुझे आज के इस समारोह में सम्मिलित होने तथा भगवान् वाहुवली जी की प्रतिमा के दर्शन करने का, साथ ही आप सभी साथियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिये मैं आप सभी महानुभावों का आभारी हूँ।

ऐसे सुअवसर पर बहुत ही पुरानी स्मृतियाँ जाग उठती हैं और विशेषकर रचनात्मक काम के विषय में बहुत विचार उठते हैं। धार्मिक संस्कारों का हमारे देश में एक विशेष महत्व रहा है। महान् विभूतियों के जीवन आदर्शों एवं बहुमूल्य उपदेशों से हमें चिरकाल से प्रेरणा मिलती आ रही है। भगवान् वाहुवली का जीवन भी तपस्या, बलिदान, त्याग और आदर्शों का उदाहरण है। भगवान् वाहुवली एक राज घराने में उत्पन्न हुए थे। उन्हें राज्य प्राप्त करने के लिये अपने भाई से युद्ध भी करना पड़ा। परंतु शीघ्र ही उन्होंने उस राज्य को स्वच्छा से अपने भाई को ही सौंप दिया और स्वयं सत्य की खोज में निकल पड़े। उनका जीवन तप और योग का एक अनूठा उदाहरण है। वह एक अलौकिक पुरुष थे। वह वास्त्व में एक महान् विचारक, उच्चकोटि के साधक और मानवता के सच्चे हित चिंतक थे। उन्होंने जीवन में सत्यता और जीवन मूल्यों को मुचारु रूप से स्पष्ट किया और इसीलिये उनके उपदेशों में जितना प्रभावोत्पादन उनके काल में था उतना ही आत्मोन्नति की सामर्थ्य उनमें आज भी है। उनके जीवन के आलोक से हमें आज भी जव कि हम विभिन्न प्रकार की ममम्याओं के अधकार से गुजर रहे हैं, प्रकाशवान् मार्गदर्शन उज्ज्वल आध्यात्मिक आकाशा की लक्ष्य प्राप्ति के साधनों का सुलभ मार्ग दृष्टिगोचर होता है।

यह एक वास्तविक सत्य है कि आज मनुष्य वैदिक विकास में पीछे नहीं है, पर फिर भी उसे एक अधूरेपन का आभास होता है। और कदाचित् ऐसा इसीलिये कि उसे वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकी है। वह अनुभूति तो वास्त्व में उसे केवल अपनी निष्ठा, श्रद्धा और धर्म में ही मिल सकती है। और तब ही धर्म की प्रतिष्ठा में हम ज्ञान को सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व के साथ जोड़ सकेंगे। आज आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे प्रेरणादायक रचनात्मक कार्य होते रहें। इनमें न

केवल हमारी लौकिक उन्नति का मार्ग मिलेगा वरन् पारमार्थिक कल्याण और सच्चे आनन्द की अनुभूति भी होगी ।

आज हम सभी के लिये हर्ष का ही नहीं बल्कि गौरव का विषय है कि हमें भगवान् वाहुवली की इतनी बड़ी प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी कुल ऊँचाई ४५ फुट ६ इंच है । इतनी बड़ी प्रतिमा को बनाना और फिर उसे यहाँ लाने का कार्य वास्तव में बड़ा सराहनीय है ।

शुभ्रसमरमरी मंदिर में भगवान् वाहुवली की इस मूर्ति की प्रस्थापना शीघ्र ही हो जाएगी । भावुक लोग इसका दर्शन कर यहाँ के परिसर देख मनोमन प्रसन्न होंगे व भगवान् से प्रार्थना करके कुछ वर भी माँगेंगे । भगवान् गौमतेश्वर सुंदर तो थे ही किंतु अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी भी थे । मुझे विश्वास है कि ये सब महानुभाव जिनका सहयोग इस मंदिर के निर्माण में प्राप्त हुआ, उन्हें तथा दर्शनार्थियों को भगवान् गौमतेश्वर यही आशीर्वाद देंगे कि वे शक्तिशाली बनें, उनके मन में उदात्त विचार आएँ और वे अपनी शक्ति तथा स्फूर्ति राष्ट्रोत्थान में लगाएँ । यद्यपि ऐसा हुआ तो मंदिर निर्माताओं का स्वप्न साकार होगा । इसकी प्रेरणा से हमें वास्तविक मन की शांति तथा सच्चे आनन्द की अनुभूति होगी ।

मैं एक बार फिर अपनी ओर से उन सभी महानुभावों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी श्रद्धा और अथक प्रयास से इस श्रेष्ठ कार्य को पूर्ण कर दिखाया है । मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे ऐसे ही प्रेरणादायक कार्य करते रहेंगे ।



४. भाषा और साहित्य

कालिदास : साहित्य देवी का विलास

इस ऐतिहासिक नगर मे महाकवि कालिदास की स्मृति मे आयोजित समारोह के समापन के अवसर पर उपस्थित होने की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ आने, आप सबसे मिलने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिये मैं आप सबका और विशेषकर, श्री प्रकाशचंद्र सेठी जी का आभारी हूँ। यह देखकर मुझे बड़ा सतोष है कि उज्जयिनी की इस प्राचीन नगरी मे यह समारोह पिछले कई वर्षों से निरंतर बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व-विख्यात कालिदास की याद को बनाए रखने के लिये उनकी कृतियों पर साहित्य प्रेमियों द्वारा प्रकाश डालना तथा सांस्कृतिक आयोजन करना उचित ही है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की उन महान् विभूतियों को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करे, जिन्होंने अपने कार्यों, अपनी साहित्य सेवाओं से इस देश के लिये गौरव अर्जित किया। आज यह समारोह सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है, इसके लिये मैं इस नगर के निवासियों तथा समारोह से संबंधित सभी लोगों को बधाई देता हूँ।

महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के गौरव के प्रतीक हैं। उनकी रचनाओं मे ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवश, कुमारसंभव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानशाकुंतल सर्वमान्य है। काव्यों मे रघुवश और कुमारसंभव महाकाव्य है और नाटकों मे अभिज्ञानशाकुंतल उनकी अतिम कृति है। यह सत्य है कि संस्कृत साहित्य की उन्होंने जितनी सेवा की है, अन्य कोई अकेला साहित्यकार नहीं कर सका। इन्हीं रचनाओं ने उन्हें सार्वभौमिकता प्रदान की है। ये कवि कालिदास की ही रचनाएँ थीं, जिनके अनुवादों ने पश्चिमी देशों के शिक्षित समाज को भारतीय साहित्य की ओर आकर्षित किया था। भारतीय एवं पश्चात्य विद्वानों ने उनकी रचनाओं को मुक्त कंठ से सराहा है। जयदेव ने उन्हें 'कवि कुलगुरु' और 'कविता कामिनी का विलास' कहकर मबोधित किया है। डा० भावे ने उन्हें राष्ट्रीय कवि बताते हुए, उनकी रचनाओं को भारतीय जीवन का सारसंग्रह माना है। इसी प्रकार विश्वविख्यात समालोचक श्लेगल ने कालिदास की कविता के अनन्यतम साधकों मे महान बताया है। सर मोनियर विलियम्स ने

उन्हें मानव हृदय का पारखी, मृदुभावो का कुशल शिल्पी कहा हैं, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि देश विदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने कालिदास की रचनाओं की यदि प्रशंसा की है, तो उन्हें साहित्य जगत् के लिये एक बड़ी उपलब्धि भी माना है। यही कारण है कि आज कवि कालिदास की विश्व के इने गिने साहित्यकारों में गणना की जाती है। साहित्यिक दृष्टि से उनकी रचनाओं को जो आदर मिला, उसका अनुमान हम ससार की विभिन्न उन्नत भाषाओं में अनूदिन साहित्य से लगा सकते हैं। इसमें सदेह नहीं कि कवि की यह सार्वदेशिक मान्यता हमारे लिये गर्व की बात है।

कवि कालिदास के साहित्य के अध्ययन करने से हम उन विशेषताओं को समझ सकते हैं जिनके कारण उन्हें संस्कृत साहित्य में इतना उँचा स्थान मिला है। उनकी प्रसादपूर्ण, लालित्ययुक्त और परिष्कृत शैली, अनुपम-पद विन्यास, करुण-रस तथा भावों की गहनता ने इन रचनाओं को इतनी लोकप्रियता प्रदान की है। उनके काव्य में हमें सर्वत्र एक सरसता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। उसमें यदि मृदुलता है, तो प्रौढता के गुण भी विद्यमान हैं। प्रकृति सौंदर्य चित्रण में इतनी मनोहरता है कि उसका एक सजीव चित्र हमारे सामने आ जाता है। कवि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने मानवीय भावनाओं को चित्रित करते समय उन्हें पार्थिव सौंदर्य से ऊपर उठाकर आत्मा को उँचाई पर ले जाने का प्रयत्न किया है। वह न केवल मानव की मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के पारखी थे, बल्कि वह प्रकृति के महान् उपासक और ललित कलाओं के मर्मज्ञ भी थे। वह संस्कृत साहित्य से पूर्णतः परिचित थे। तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की उन्हें पूरी जानकारी थी। भारत के भूगोल का उन्हें असाधारण ज्ञान था। इनके साथ उनके हृदय की विशालता, कल्पना की व्यापकता और दृष्टि की सूक्ष्मता ने संवारा था, उनकी रचनाओं को। इसलिए उनके साहित्य में उम्र समय के भारतीय जीवन, आदर्श तथा सांस्कृतिक परंपराओं का चित्र प्रतिबिंबित होता है।

कवि कालिदास नमन्वयवादी कवि थे। वे एक महान् युग प्रवर्तक माने गए। क्योंकि उन्होंने साहित्य को एक नवीनता प्रदान की थी। जहाँ तक उनके देश प्रेम का संबंध है, उन्होंने भारत की वदना के ही गीत गाए हैं। उन्हें

इसके करण करण से प्यार था । इस देश के सामाजिक जीवन को ही उन्होंने अपने महाकाव्यों और नाटकों में चित्रित किया है । यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य तथा ऋतुओं का ही वर्णन किया है । यहाँ की हर चीज ने कवि की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित की है । ये सब बातें उनके असीम देशप्रेम की परिचायक हैं । उनकी साहित्यिक साधना समन्वय और सहअस्तित्व का ही प्रतीक है ।

कालिदास का ससार और जीवन के प्रति काफी स्वस्थ दृष्टिकोण था । वह भौतिक सुख समृद्धि के प्रति भी अशावादी थे और आध्यात्मिक उन्नति के प्रति भी सजग थे । देखा जाए तो वह ससारिक उन्नति के साथ आत्मा को भी उन्नत देखना चाहते थे । कालिदास की रचनाओं से हमें उनके जीवन दर्शन का पता चलता है । अभिज्ञानशाकुन्तल की समाप्ति पर कालिदास ने इस प्रकार कामना की है—

प्रवर्तता प्रकृतिहिताय पार्थिव
सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् ।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः
पुनर्भव परिगतशक्तिरात्मभूः ॥

अर्थात् शासन प्रजा की भलाई के लिये प्रवृत्त हो, विद्वानों की वाणी को आदर मिले और सर्वशक्तिमान् शिव मेरा पुनर्जन्म नष्ट कर दें ।' जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है । इसलिये हमारे प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये मूल्य ही मनुष्य को ऊँचाई की तरफ ले जाते हैं ।

इस महान् साहित्यकार के जीवन तथा अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में आज तक कोई प्रामाणिक जानकारो हमारे पास नहीं है । वैसे तो संस्कृत के सभी प्राचीन कवियों के बारे में हमें बहुत कम मालूम है । साहित्य के इन आराधकों ने अपने बारे में किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया, शायद यह काम वह हमारे लिए छोड़ गए हैं ।

आधुनिक सदर्भ में यह उचित है कि हम नवीन विचारों को अपने जीवन में स्थान दे, परंतु प्राचीन जीवन मूल्यों से कट कर नहीं । हमें उनसे भी लाभ उठाना है । इसके लिये जरूरी है प्राचीन साहित्य से भी हमारा नाता कायम रहे । प्राचीन और नवीन की उपयोगी चीजों को पूरी तरह से समझकर यदि हम आगे बढ़ें तो हमें जीवन का रास्ता कठिन

महत्सु नही होगा। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि प्राचीन काल में मानव के समुख जो चीज थी आज भी मानव के समुख वही चीज है। उम समय भी वह मुख और शांति के लिये प्रयत्नशील था, आज भी उसी के लिये सघर्ष कर रहा है। इसलिये हमारे लिये प्राचीन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस मजिल पर हम पहुँचे हैं उससे आगे बढ़ने का उत्साह हम प्राचीन के अनभावों से ग्रहण करते हैं। आज हमारे लिये आवश्यक है कि हम इस चीज को समझे। नई उपलब्धियों के साथ अपनी महान् सांस्कृतिक परंपरा को भी कायम रखें जिसने इस देश के गौरव को सदा गरिमा प्रदान की है।

आज हम आपात् कालीन स्थिति में से गुजर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह ऐमा समय नहीं है, जब हम इस तरह के समारोहों में एक बड़ी सस्या में केवल भाषण सुनने के लिये इकट्ठे हो और फिर अपने अपने घर चले जाएँ। समय की यही माँग है कि कुछ ठोस और रचनात्मक काम हो। प्रश्न यह है कि इस तरह के समारोहों से हम क्या सीखें? क्या हम अपने पुरातन इतिहास और संस्कृति की गौरव गाथा में ही सतुष्टि मान लें? क्या हम कवि कालिदास की उपलब्धियों से खुश हो जाएँ? मैं समझता हूँ कि यदि हमारी यही धारणा रही तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि लोगों को इस तरह के समारोहों में प्रेरणा मिले।

यह हमारा मौभाग्य है कि वर्तमान परिस्थितियों के अतर्गत हमारी प्रधान-मन्त्री ने देश की सर्वांग उन्नति के लिये तथा गरीब लोगों, पिछड़े हुए वर्गों को ऊपर उठाने के लिये २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की है। युग-मदर्थ में लेखक और साहित्यकार को देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वह पहले में कही अधिक है। आज जरूरत उम बात की है कि राष्ट्रीय एकता, पार-म्परिय सद्भावना को बढ़ाने, पिछड़ेपन और गरीबी को हटाने, आर्थिक और सामाजिक अमानताओं को दूर करने, शिक्षा के विस्तार तथा देश की सर्वांग उन्नति और नमृद्धि के लिये किए जाने वाले प्रयत्नों में नवोदित साहित्यकार और कलाकार अपनी रचनात्मक प्रतिभा द्वारा इस राष्ट्रीय कार्य में अपना हाथ बटाएँ।

यहां एकत्रित होने का लाभ हमें तभी प्राप्त होगा, जब हम ऐसे अवसर पर अपने देश की अधिक गौरवशाली बनाने का मकल लें और इसके लिये पूरी निष्ठा में काम करें, यही हमारी महाकवि कालिदास के प्रति सच्ची श्रद्धाजति होगी।

विद्यापति : संस्कृति के सेवक

मिथिला संघ, दिल्ली के सदस्यो और व्यवस्थापको को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित करके आप सब के साथ देश के उस महान् कवि विद्यापति को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने का अवसर दिया, जिसने भक्ति की काव्य रस धारा प्रवाहित करके आज से सैकड़ो साल पहले भारत के लगभग सारे पूर्वांचल को आनंद विभोर किया था। भारत की संस्कृति की उन्होंने जो सेवा की है, उसके लिये वह सदा स्मरणीय रहेंगे।

महाकवि विद्यापति बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। संस्कृत भाषा के जितने प्रकार के विद्वान थे, देशी भाषा पर भी उन्हें उतना ही अधिकार प्राप्त था। उनके युग में संस्कृत अध्ययन की मुख्य भाषा ही नहीं थी, बल्कि एक प्रकार से शिक्षित वर्ग पर छाई हुई थी। संस्कृत भाषा में साहित्य रचना एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। लेकिन उस जमाने में जबकि देशी भाषा में लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था या प्रतिष्ठा हानि के सकोच के कारण इस काम के लिये लोग आगे आना पसंद नहीं करते थे, विद्यापति ने एक उदार नीति का आश्रय लेकर देशी भाषा को अपनी काव्य रचना का माध्यम बनाने का जो निश्चय किया, वह उस समय के लिये एक बहुत बड़ा जनवादी कदम था। हम जानते हैं कि इस कसौटी पर वह पूरे ही नहीं उतरे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सांस्कृतिक विनिमय के सूत्रधार बन गए और इसीलिये, बिहार से बाहर बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल तक वैसे ही समादृत हुए जैसे वह अपने प्रदेश में थे। स्वात सुखाय के लिये लिखना और बात है, लेकिन बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय के लिये जिन लोगो ने लिखा, वह युग युग के लिये ऐसी निधि छोड़ गए हैं, जिसके कोमल, कात और मृदु मधुर स्वर सदैव जन जन को अफुल्लित और उत्साहित करते रहेंगे।

महाकवि विद्यापति, उसी परंपरा के प्रतीक हैं, जिन्होंने जन साधारण की अवहेलना नहीं की, लोक जीवन से अपना नाता नहीं तोड़ा और राज दरवार में प्रतिष्ठित स्थान पाकर भी जन साधारण को नहीं भुलाया। उन्होंने इस चीज को पहचाना था कि राजदरवार की भाषा केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित है, उसमें जो ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य की मूल्यवान चीजे हैं, उनसे जनसाधारण लाभ नहीं उठा सकता, उसका रसपान नहीं कर सकता। उन्होंने अपने काव्य

की रचना इसीलिये लोकभाषा में आरम्भ की थी कि इस माध्यम से साहित्य-कार अपने मन के भाव स्वाभाविक सरलता से व्यक्त करके जन साधारण के समीप रह कर उसे समझ सकें और अपनी बात भी समझा सकें। अपनी प्रेरणा-दायी काव्यधारा से जनता को उन्होंने न केवल आमोदित प्रमोदित किया, बल्कि उनमें सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया और उन्हें भक्ति का स्वर देकर, तुष्टि प्रदान की। उनके पदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे संगीतमय हैं। इसीलिये, वह आज तक लोगों के कंठ स्वर का हार बने हुए हैं। तीज त्यौहारों में आज भी ये पद नर नारियों द्वारा गाए जाते हैं।

ग्लेडिस्टोन ने कहा है कि साहित्यकार समाज से जो कुछ वाप्य के रूप में लेता है, वृष्टि के रूप में उसी जन समुदाय को लौटा देता है। विद्यापति ने अपने पदों की ऐसी ही वृष्टि से जन जन को आनंदित किया था। इस महान् कवि की प्रेरणा से वैष्णव पदावली का एक बड़ी मात्रा में साहित्य निर्मित हुआ, वह “ब्रजबुली” के नाम से प्रचलित हुआ। कई लेखकों और कवियों ने विद्यापति की शैली, भाषा और कला को अपनाया। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने लीला विषयक पदों की रचना, गीत माधुर्य के लिये ब्रजबुली में की। आज विद्यापति सारे भारत की जनता के लिये कवि हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी याद को बनाए रखें और उनके साहित्य का रसपान सभी को करवाएँ।

आज हम अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण का महान् प्रयास कर रहे हैं और समाज को एक नया रूप देना चाहते हैं जो हर दृष्टि से सुंदर और स्वस्थ हो, जिसमें हर व्यक्ति अधिक सुखी जीवन बिता सके। इसमें हमारे कवि बहुत कुछ कर सकते हैं। वह इस परिवर्तनशील जगत् के नित्य नूतन रूप को संचारने में समाज के विचारों को प्रगति प्रदान कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा है — “लोग कहते हैं बदलता है जमाना, (लेकिन) मर्द वह हैं जो जमाने को बदल देते हैं”

आज हमें उस जमाने को बदलना है जिसने हमारी प्रगति की राह को रोका था, भेदों की दीवारें खड़ी करके देश को कमजोर करने का दुस्साहस किया था। उसके स्थान पर हम नए युग की प्रतिष्ठा करनी है, जिसने प्रगति के लिये नई स्फूर्ति पैदा की है। हमें यह कभी नहीं भूलना है कि यह देश हम सबका है, हम ही इसके रखवाले हैं। हम मिलकर काम करेंगे, इसे ऊँचा उठाएँगे, वह भावना आज हम सबमें होनी चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं

और भावी पीढ़ियों के लिये ऐसे निशान छोड़ सकते हैं कि हमें वह आदर की दृष्टि से स्मरण करे। विद्यापति ने जनता की सेवा अपने साहित्य के द्वारा की, तो वह महान् हो गए, यह जन सेवा ही सभी को बड़ा बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस समारोह में उपस्थित होने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया।

नारी चेतना की उन्नायक : मीरा

मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे महिला मडल के तत्वावधान में आयोजित मीरा व्याख्यान माला के उद्घाटन का गौरव प्रदान किया। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि महिला मडल, उदयपुर अपने क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा की सुविधा जुठाने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में मुदर कार्य कर रहा है। श्रोत्रिय दपति तथा इस संस्था के दूसरे कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों से आज यह संस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर है और महिला जागरण एवं उत्थान की विभिन्न प्रवृत्तियों द्वारा जो समाज सेवा का कार्य पिछले इकतालीस वर्षों से इस संस्था ने संपादित किया है वह वास्तव में एक स्तुत्य कार्य है।

मीरा प्रतिष्ठान की स्थापना इसी कार्यक्रम की एक कड़ी है जिसका उद्देश्य है भक्त शिरोमणि महिला के साहित्य तथा जीवन का अनुसंधानात्मक अध्ययन तथा मीरा के भक्ति प्रभाव एवं क्रांति चेतना द्वारा सामाजिक जागरण के लिये व्यापक आधार तैयार करना। सदियों में भारतीय जनमानस को मीरा के भजन प्रभावित करते आ रहे हैं और मीरा का साहित्य, संगीत तथा भक्ति आज भी हमारे साहित्यकारों, संगीतज्ञों तथा साधक भक्तजनों के लिये एक निर्मल प्रेरणा का स्रोत है। मीरा का व्यक्तित्व असाधारण एवं अद्वितीय है। उमका त्याग, साधना, प्रतिभा, पवित्रता, मरलता, तत्त्वीनता, सब अनुपम है। अपने युग में भारतीय संस्कृति की सात्विक चेतना की वह प्रहरी थी।

जब मीरा का जन्म हुआ, भक्ति आंदोलन तेजी में आगे बढ़ रहा था। समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने का भरमक प्रयत्न हो रहा था। मीरा को भक्तिमय वातावरण अपने पिता के घर में बचपन से ही मिल गया। उसी प्रभाव में वह भक्ति के पथ पर आगे बढ़ती गई। छोटी आयु में विवाह हुआ, अभी बच्ची ही थी कि माँ का देहात हो गया। अपनी गमुराल में भी वह भक्तिभावना में तल्लीन रही। समय बराबर प्रहार करता रहा, छोटी ही आयु में वैधव्य, फिर समुर और पिता की छवछाया भी छिन गई। यही वह समय रहा होगा, जब मीरा ने अपने को भक्ति के लिये पूर्णतया समर्पित कर दिया। लेकिन उसके सामने

जितनी बाधाएँ आई, वह भक्ति के पथ पर उतने ही वेग से आगे बढ़ती रही ।

भक्तिकाल के इतिहास पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि तीसरी से नवीं शताब्दी के बीच तमिल प्रदेश में आलवार भक्तों का उदय हुआ, जो गा गाकर विष्णु भक्ति का प्रचार करते थे । इन भक्तों में एक महिला भक्त भी थी, जिनका नाम था—गोदा आडाल । इस वैष्णव भक्त वयित्री का तमिल साहित्य में वैसा ही संमान है, जैसा हिंदी साहित्य में मीरा का है । दोनों में गोपीभाव की भक्ति है । दोनों की उपासना विधि में समानताएँ मिलती हैं । इसी प्रकार संभवतः आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में मीरा के समान भक्त महिला अक्का महादेवी हुई । उनके जीवन का त्याग तथा भक्ति में मीरा के साथ बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है, बारहवीं शताब्दी का समय कर्नाटक में एक धार्मिक आंदोलन का समय था । उस समय 'अनुभव मठ' नामक एक धार्मिक सभा स्थापित हुई थी, जिसमें धार्मिक विचारक अपने अपने अनुभव रखते, विचार विनिमय होता और जो श्रेष्ठ विचार होते उन्हें सूक्ति या वचनों के रूप में निबद्ध किया जाता । इस सभा में भेद भाव, ऊँच नीच, स्त्री पुरुष का कोई विचार नहीं था । महिलाएँ पुरुषों के समान धार्मिक चिह्न ग्रहण करती और धार्मिक चिह्न ग्रहण करती और धार्मिक लाभ में बराबर की भागीदार मानो जाती थी । चौदहवीं शताब्दी में कश्मीर में इसी प्रकार भक्त महिला लल्लेश्वरी ने अपने भक्ति काव्य से जनमानस को प्रभावित किया था । प्रेम और सहिष्णुता का संदेश देनेवाला उनका काव्य उनकी आत्म अनुभूति का पुज है । सोलहवीं शताब्दी में राजस्थान में सत मीरा ने भक्तिरस की निर्मल धारा प्रवाहित की थी । इन्होंने अन्य भक्त महिला वयित्रियों के समान ही क्षेत्रीय भाषा के साहित्य का गरिमा प्रदान की । आध्यात्मिकता की जो ज्योति जलाई, उससे मानव हृदय सदा पवित्र होता रहेगा । इन भक्त महिलाओं के साहित्य, जीवन इत्यादि के ऊपर यदि अभी तक कोई तुलनात्मक ग्रन्थ न लिखा गया हो तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए और उसे सभी प्रांतीय भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिए ।

भक्त लल्लेश्वरी और मीरा के पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि दोनों ही कठिन परिस्थितियों में से गुजरी हैं । जबकि भक्त आडाल और भक्त अक्का महादेवी की पारिवारिक और

सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी भक्ति साधना के लिये सामान्यतः अनुकूल रही हैं। हम जब मीरा के समय की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मीरा ने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया होगा। सामाजिक स्थिरता, सामनी पड्यत्रो तथा सर्वत्र अशांति के उस वातावरण में भारतवासियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, परन्तु सब से अधिक शोचनीय थी महिलाओं की स्थिति। उस समाज में सकुचित विचारों के बधन इतने बढ़ गए थे कि महिलाओं को कोई भी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इतना ही नहीं, समाज में बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बेजोड़ विवाह, सती प्रथा, परदा प्रथा, जैसी अनेक कुप्रथाएँ प्रचलित हो गई थी। कितना अंतर आ गया था हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में। प्राचीन काल में नारी के लिये जितना समान था, इस युग में वह प्रायः सभी मानवीय अधिकारों से वंचित हो गई। मीरा उस जमाने की शायद पहली नारी थी, जिसने इन रीति रिवाजों को चुनौती दी। वह सत्य के पथ की एक सत्याग्रही थी। वह किसी मत विशेष की प्रचारिका नहीं, उनकी भक्ति उदार एवं पावन है। वह अपनी बात में समूचे समाज की बात कह गई है, उस बात में सामाजिक दशा पर जो असतोष व्यक्त किया गया है, यद्यपि वह भक्ति प्रभाव से ओतप्रोत है, तथापि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इसके लिये स्वयं व्यथित है।

मीरा की भक्ति अपरा भक्ति है। उनकी समस्त आकाक्षाएँ अपने उच्चतम लक्ष्य पर ही केन्द्रित हैं। उसका सारा काव्य वेदना से भरा हुआ है। उसमें सारे समाज की मन स्थिति का चित्र सामने आता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में उनके असदुलन शक्ति का आधार था उसका आत्म उत्कर्ष। मीरा का यह आत्मविश्वास और आत्मवल दूसरों के लिये एक प्रकाश की किरण है। उनमें लोगों को जीवन के उच्चतर धरातल पर जीना सिखाया, उसने लोगों को मोई हुई चेतना को अपने करणामय स्वरो से जगाया। वह नारी जाति को आध्यात्मिक विकास का अधिकार दिलाना चाहती है। यह सत्य ही कहा गया है कि मीरा ग्रामवासिनी भारतीय नारी की गीतात्मक अनुभूति है।

आज़ादी पाने के लिये हमारे महापुरुषों ने देशवासियों में जब चेतना जगाई, उनके साथ ही यह अनुभव किया गया कि पिछड़ेपन और सामाजिक विषमताओं को दूर किया जाना जरूरी है। इस नई चेतना के साथ महिलाओं की जागृति के लिये जोरदार कदम उठाए जाने लगे। सती प्रथा, बाल विवाह को रोकने तथा विधवाओं के विवाह के लिये कानून बने। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के अहिंसक आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने के लिये प्रेरित किया। आज जो

चीज आसान और स्वाभाविक जानी जाती हैं, उनके पीछे कितना लवा इतिहास है। आज हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के अवसर प्राप्त हैं, वह अपनी प्रतिभा से देश के उच्च से उच्च स्थान को सुशोभित कर सकती है। परंतु हम जानते हैं कि महिला जागृति का काम शहरी क्षेत्रों में जितना हो पाया है, उतना ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाया है। वास्तव में यह काम बहुत बड़ा है। सरकार की ओर से जितने प्रयास हो रहे हैं, उनके साथ दूसरी समाजसेवी संस्थाओं का योगदान भी आवश्यक है। अभी तक रूढियाँ, कुरीतियाँ कही तो अपने पुराने भेष में जड़ जमाए हुए हैं और कही वे नए परिवेश में उपस्थित होकर हमारी प्रगति में बाधाएँ पैदा करती हैं। हम चाहते हैं कि महिला जागृति का काम तेजी से आगे बढ़े। गाँव गाँव में ऐसी महिला संस्थाएँ बनें, जो प्राचीन और नवीन के निर्दोष अंशों को ग्रहण करके समाज उत्थान का दायित्व पूरा कर सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि महिला मंडल, उदयपुर ने ग्रामीण अंचलों की ओर अधिक ध्यान दे रखा है। आज के समय में देश भर में आर्थिक पिछड़ापन दूर करने, नई सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के लिये जो काम हो रहा है, उस में महिलाओं का अधिक योगदान अपेक्षित है। समय की यही माँग है कि महिलाएँ समाज सेवा के काम में ज्यादा से ज्यादा आगे आएँ।

मीरा का जीवन और साहित्य भारतीयों के लिये एक महान् प्रेरणा है। हमें मीरा के सात्विक साहित्य से लाभ उठाना चाहिए। मुझे आशा है कि मीराप्रतिष्ठान ने मीरा के संदेश को जनसुलभ बनाने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

साहित्य और राष्ट्रोत्थान

श्राज तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का रचना दिवस श्राप लोग मना रहें है और इस उत्सव मे आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिये श्राप सबके प्रति आभारी हूँ। नागरीप्रचारिणो सभा हिंदी की सबसे पुरानी संस्था है और सभी जानते हैं कि इस संस्था ने सर्जनात्मक ढंग से हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा की है। लगभग दो हजार ग्रथो का प्रकाशन इस संस्था ने किया है और आए दिन कोई न कोई महत्वपूर्ण उत्सव वह करती रहती है, अपने उपयोगी कार्यों के कारण इस संस्था को सबका स्नेह और सहयोग प्राप्त होना एक स्वाभाविक बात है।

तुलसीदास ने चार सौ दो वर्ष पूर्व रामचरितमानस की रचना की थी, हिंदी जगत् के लिये तब मे निरंतर यह ग्रथ प्रेरणा का अनंत स्रोत रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस ग्रथ से प्रेरणा मिली और उनके जीवन पर इसकी छाप थी, जिसे उन्होंने सर्वत्र स्वीकार किया। तुलसीदास जी एक सामान्य परिवार मे उत्पन्न हुए थे, दुख और वेदना के बीच उनका जीवन बीता था, किंतु उन्होंने जो रचनाएँ की, उनके द्वारा वह मानव जाति के लिये उन्मत्त का सोपान प्रस्तुत कर गए है। यह सर्वविदित है कि जनजीवन मे जब जब विचार के अमृत की आवश्यकता पडी, तब तब इस देश को ऋषियों, सतों और महापुरुषो ने प्रेरणात्मक विचार दिए और लोकहित के लिये मानवीय चिंतन दिया है।

सभी भाषाओं मे प्रायः रामचरित के ऊपर महाकाव्य लिखे गए हैं। आदि कवि वाल्मीकि भी रामचरित के गायक थे। विद्वानो के बीच संस्कृत भाषा मे अपना सदेश पहुँचाना, जितना साधनापरक कार्य है, लोकमानस के भीतर जीवन के गूढ तत्वों और मंत्रों को उद्बुद्ध करना, उसने भी कही कठिन है, तुलसीदास ने काशी मे रहकर भी संस्कृत मे नहीं बल्कि लोकभाषा मे ही रचना की और ऐसी रचना की, जिससे आध्यात्मिक तत्व चयन केवल संस्कृत मे ही नहीं अन्यान्य भारतीय भाषाओं मे भी उन्होंने किया। रामचरितमानस केवल इस देश के साहित्य की ही संपदा नहीं है, बरन् समार के विभिन्न देशों मे रामकथा मिलती है, रामकथा को देश और काल के परिवेश में इस प्रकार तुलसीदास ने संयोजित किया कि प्रेरणा

के एक अनन्य प्रकाश स्तम्भ के रूप में यह चार सौ भी अधिक वर्षों से ज्योतिदान करता चला आ रहा है और दैविक, दैहिक और भौतिक तापों से मुक्ति का रास्ता बता रहा है। वह ग्रंथ लोगों के दिलों को जोड़नेवाला ग्रंथ है, नाना प्रकार की दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचार-धाराएँ जो तुलसी के देश काल में चल रही थी, उन सबको उन्होंने इस प्रकार सँजोया कि सबका अमृत पचगव्य की भाँति उसमें भर गया और इसका रसपान कर सभी आनन्द का अनुभव करने लगे, यह सत्य है कि यह कालजयी रचना आज भी अमृत लुटाती है।

उत्तर भारत में राष्ट्र की मुक्ति के आंदोलनों के समय यह ग्रंथ सत्याग्रहियों का सबल रहा तो दुःखों से पीड़ित जनता इससे जीवनशक्ति ग्रहण करती रही। तुलसीदास की इस कृति की सत्कार के सभी देशों के विद्वानों ने प्रशंसा की है। वह राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना की धरोहर है। तुलसीदास की कृतियों का भारत की सभी भाषाओं और सत्कार की सपन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और रामकथाएँ जो दूसरी भाषाओं में हैं वे हिंदी में आ चुकी हैं और जो शेष हैं, हमारा विश्वास है कि वे भी जल्दी ही हिंदी में आ जाएँगी। आज के देश और परिवेश में रामचरित-मानस की अपनी सार्थकता है, उसमें अनुशासन, समय का जो मंत्र है वह देश और समाज को ऊँचा उठा सकता है। लोग तभी महान् कार्य कर सकते हैं यदि उनके भीतर श्रद्धा और विश्वास हो, रामचरितमानस उच्च एवं आदर्श जीवन का संदेश सबको देता है।

तुलसीदास का रामचरितमानस किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह उन सभी की संपत्ति है जो लोकहित और उसके अभ्युदय में विश्वास रखते हैं। भारत की मनीषा का सर्वोपरि गुण विविधता में एकता देखने का था। उनका यह अटल विश्वास था कि सुंदर के समन्वय से, भेद भाव मिटाने से, राग विराग से मुक्त होकर सेवा करने से, लोक मंगल में सहयोग देने से तथा सत्त्व को उजागर करने से राष्ट्र भी ऊँचा उठता है और मनुष्य जाति भी। देखा जाए तो मानस हमें यही शिक्षा देता है।

मैं इस समारोह का उद्घाटन करने में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है, उसे आचरण में उतारा जाएगा, तभी रामचरित मानस-रचना-दिवस मनाना

सार्थक होगा । मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने रामचरित-
मानस का रचना दिवस बनाकर उन मूल्यों को श्रद्धाजलि देने का विशेष
-आयोजन किया है जिनके कारण यह देश उन्नत और जागृत है तथा
उन मूल्यों को अग्रगण्य से यह देश आगे बढ़ेगा, जनता में जागरूक सत्य
का अत्म-साक्षात्कार करने की भावना बढ़ेगी ।



साहित्य के द्वारा मानव-हित की साधना

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज के समारोह में उपस्थित होकर भाई वीर सिंह को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने का मौका दिया।

आज से एक सौ तीन साल पहले भाई वीर सिंह जी का जन्म एक सपन्न और प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें ऐसा वातावरण मिला जिसके प्रभाव से उनकी प्रतिभा के विकास में उपयुक्त सहायता मिलती रही। उनके पिता डा० चरणसिंह स्वयं एक अच्छे कवि और विद्वान् थे। साहित्य साधना की जो परंपरा इस परिवार में रही, उसे भाई वीर सिंह, देखा जाए तो उस ऊँचाई पर ले गए कि पंजाबी भाषा ही परिष्कृत हो गई। उससे पहले यह सभी जानते हैं कि पंजाबी भाषा उपेक्षित थी। भाई वीर सिंह जी ने इस भाषा में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखकर, उसके साहित्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इसे एक नई दिशा दी। पंजाबी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात किया।

भाई वीर सिंह के जीवन, व्यक्तित्व और कृत्यों पर दृष्टि डाली जाए, तो हमें मालूम होगा कि वह स्वयं एक सस्था थे। उन्होंने नाना भाव-साहित्य, धर्म और समाज की सेवा की थी। वह कोरे आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि कहा जाए तो एक सच्चे कर्मवीर थे, जिन्होंने केवल साहित्य की साधना ही नहीं की, उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त सेवा की थी। उन्होंने कई शिक्षा सस्थाएँ खोली, उनका संचालन किया और आधुनिक शिक्षा की ओर लोगों की प्रेरित किया। मानववादी होने के नाते वह समाज कल्याण और समाज सुधार के लिये ही कार्य करते रहे। नेत्रहीनो और अपाहिजो के लिये उन्होंने केंद्र खोले, समाज के दलित, दीन और उपेक्षित लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। उनके हृदय की कोमलता, विचारों की विशालता, चरित्र बल की उज्ज्वलता, सवेदनशीलता, देश भक्ति, प्रकृति प्रेम तथा विनम्र भावना ने ही उनके व्यक्तित्व को समृद्ध किया था। उसी के अनुरूप वह उच्चकोटि का साहित्य भी देशवासियों को दे सके। यही चीज है जो आनेवाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।

यह हमारे देश का गौरव है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही ऐसे सत और कवि होते रहे हैं, जिन्होंने मानवता को उच्च

अरातल पर जीने का मार्ग बताया है। ईश्वर के साथ मनुष्य का नाता जोड़कर विश्ववधृत्व की शिक्षा दी है। लोगों को सहिष्णुता, सच्चाई, पवित्रता, परोपकार और पुरुषार्थ के लिये प्रेरणा दी है। भाई वीर सिंह उसी परंपरा की देन थे। देशवासी उन्हें कभी नहीं भूल सकते। साहित्य के क्षेत्र में वह नदा समादर में स्मरण रहेंगे। आज हमारा यह काम है कि उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर हम समाज और मानवता की सेवा के लिये कुछ रचनात्मक कार्य करें। मैं समझता हूँ कि साहित्यकार की युग नदर्र्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमें कल्पना लोक की नैर के साथ इस वास्तविक जगत् में विचरण करना है, देश के ग्रामीण अंचलों को ओर ध्यान देना है, जहाँ विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है।

कहा गया है—'हित मपादयति इति साहित्यम्' अर्थात् जिससे मानव हित मपादित हो वह साहित्य है। जीवन मूल्य साहित्य में प्रतिष्ठित होकर ही मानव जीवन के विकास में सहायक होते हैं। इसलिये, साहित्य का केंद्र बिंदु है समाज, उसमें रहने वाला मानव। उसको उन्नत और सुखी बनाने में सहायक होना ही उसका धर्म है। उसे अपूर्णता में पूर्णता की ओर अग्रसर करना ही उनका परम उद्देश्य होना चाहिए। यह कथन सत्य ही है कि जो साहित्य मनुष्य को अज्ञान, रोग, दरिद्रता और परमुत्रापेक्षिता में बचाकर उसमें आत्मबल का मन्त्र करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। हमारे देश के महान् साहित्यकारों ने इस तथ्य को नदीव अपने सामने रखा है। उनका यही प्रयत्न रहा है कि लोकहित से मद्रद्ध भावों का प्रतिपादन उनकी रचनाओं में होता रहे। संसार के सभी धर्मों तथा हर अच्छे साहित्य ने मानव को जीवन के उच्च आदर्शों की ओर ही प्रेरित किया है। परन्तु आज भी मानव समाज पर दृष्टि टिकती है, तो ऐसा अनुभव होता है कि मानव अभी तक कृत्रिम संकीर्ण दीवारों को नहीं तोड़ सक्ता है। आज समय आ गया है कि मनुष्य इन मकीर्णताओं से ऊपर उठे।

आज हमारे देश में इस दिशा में एक महान् प्रयास किया जा रहा है। समाज में गरीबी, पिछड़ापन, अंधविश्वास, सामाजिक कुर्गीतियों तथा अस्मानताओं को दूर करने के लिये, एक नए आर्थिक कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ है, उसे सफल बनाने के लिये हमारा सबका सहयोग अनिवार्य

है । मैं तो समझता हूँ कि आज का साहित्यकार इस दिशा में पूरे मनोयोग से अपना योगदान दे, तो बड़ा काम हो सकता है ।

यह तो सभी जानते हैं कि यदि आर्थिक दशाएँ सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं तो सामाजिक परंपराएँ आर्थिक जीवन से सबद्ध हैं । इसलिये समाज से सकीर्णताओं, अधविश्वासों, कुरीतियों, भेद भावनाओं, दुर्व्यसनों को दूर किया जा सके, तो सामाजिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है । इसी प्रकार कर्तव्यपरायणता, श्रम, निष्ठा, आत्मसयम और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा हो तो आर्थिक संपन्नता की संभावनाएँ अधिक उज्ज्वल हो सकती हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की अधिक से अधिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए । इसलिये मेरा नवोदित साहित्यकारों से यह अनुरोध है कि वे इस राष्ट्रीय चेतना के विस्तार तथा सामाजिक उत्थान में सक्रिय सहयोग दे । वास्तव में यही हमारी भाई चीर सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के समारोह का उद्घाटन करता हूँ और मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने के लिये आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ ।



साहित्यकारों एवं कलाकारों का दायित्व

भारत विकास परिषद् के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय समूहगान-प्रतियोगिता-ममारोह में उपस्थित होने का जो सुयोग आपने मुझे दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी सभ्य पिछले कई वर्षों से जन उपयोगी कार्यक्रमों द्वारा लोगों में नवचेतना के विस्तार एवं भारतीय सस्कृति के अनुकूल आत्म अनुशासन, राष्ट्रियता, पारस्परिक सहयोग, एकता एवं मेलजोल की भावना मजबूत बनाने के लिये नश्रिय है, इसके लिये आपकी सस्था प्रशंसा की पात्र है। आज जरूरत उन बात की है कि प्रबुद्ध और चितनशील ध्यवित जनमानस को नई दिशा की ओर प्रेरित करे।

कलाकार अपनी कला के द्वारा सारे समाज का चित्रण करता है। वह युग की वास्तविकता को ग्रहण करने से ही उत्कृष्ट कला का निर्माण करता है। अपने युग का प्रतिनिधि कहलाता है, क्योंकि वह अपनी कलाकृतियों द्वारा समाज को प्रभावित ही नहीं करता उसे बदलने की शक्ति भी रखता है।

वास्तव में, सगीत और कला, हमारे भाव जगत् की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन माने जाते हैं। सतोप का जीवन में विशेष म्यान है, मनोरजन का इसमें अपना ही गुण है। परंतु इस छोटी सीमा में वाघना सगीत को एक छोटे स्तर पर लाकर खड़ा करने जैसा है। यह तो साधन रहा है, उस व्यापक विचारक क्रांति का, जिसमें आध्यात्मिकता, भक्ति, शौर्य, नैतिकता और देश भक्ति के स्वर गूँजते हैं। आजादी के आंदोलन के समय राष्ट्रीयता के गीतों ने देशवासियों को क्या उस गहरी निद्रा से भँभोडा नहीं था ? प्रभात फेरियों में पुरुषों और महिलाओं की टोलियों ने देशवासियों में नया उत्साह और जोश पैदा नहीं किया था ? यह सभी जानते हैं कि उसमें हमारे साहित्यकारों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी।

आज देश स्वतंत्र है। देश की हर जिम्मेदारी हम पर है, इसे बनाना, सँवारना हमारे हाथ में है। हमारे देश में सगीत, नृत्य तथा नाटककला की एक बहुत पुरानी परंपरा है। साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं की भाँति वह हमारी सस्कृति का अंग है। हमें अपनी ललित कलाओं को कायम

ही नहीं रखना है, हमें उन्हें और उन्नत करना है। यह आवश्यक है कि नवचेतना के स्वर लोगों तक पहुँचे और उस नई भावना को जागृत कर दें, जिसे पाकर कौम तरक्की की ओर बढ़ती है।

संगीत का उद्देश्य है कि वह भावना में एकत्व स्थापित करे और इस प्रकार पारस्परिक सहयोग और मगठन को दृढ करने में सहायक बने। सामूहिक अनुभूति के विस्तार में सामूहिक गान का महत्व है। इसमें वह शक्ति है, जो मानव हृदय को स्पर्श कर सकती है और उसे केंद्रित स्वार्थ की परिधि के ऊपर उठाकर उसमें 'बहुजन हिताय' और 'बहुजन सुखाय' की भावना जागृत कर सकती है। आज हमारी सारी शक्ति अज्ञान, दरिद्रता, वैषम्य, शोषण जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने की ओर होना चाहिए। इसके लिये आज ऐसी रचनाएँ होनी चाहिए जो जनमन में सामाजिकता के आदर्श संस्कारों को स्थापित कर सकें और उन्हें एक नई दृष्टि दे सकें। नए भारत के निर्माण के लिये यह समवेत स्वर देशवासियों के रोम रोम को जगा दें, एक नया उत्साह भर दें उनके जीवन में और यह उचित उक्ति सत्य हो जाए :—

कदम चूम लेती है खुद आके मजिल,

मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे।

राष्ट्र को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिये हमें दत्तचित होकर कार्य करना होगा, यही समय की माँग है। देश के साहित्यकार और कलाकार इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं की जाती, ऐसा विश्वास है।

आज जिन कलाकारों ने पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

चित्रकला

चित्रकला मगम के तत्वावधान में आज के इस समारोह में उपस्थित होने की मुझे प्रमत्नता है। चान्ना नेहरू बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्पार्ट पेंटिंग तथा निवृद्ध प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था, उसमें विजेताओं की पुरस्कृत करके उनकी योग्यता एवं प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में ऐसे कार्यक्रमों को मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। जिन युवक और युवतियों ने पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें मैं बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वे अपनी इस प्रतिभा को विकसित करके उच्च कोटि के कलाकार और नैश्चक बनें और देश के साहित्य और कला की उन्नति में अपनी मौलिक रचनाओं से अपना सहयोग देंगे। आज हमारे ये बालक जो कुछ ग्रहण रहेंगे और रचनात्मक प्रवृत्ति में जितनी दिनचर्या लेंगे, उसमें उनका अपना व्यक्तित्व भी निखरेगा और राष्ट्र को ऐसे कलाकार प्राप्त होंगे जो देश का नाम चमका सकें, देश को कुछ दे सकें। हम यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, जीवन के हर क्षेत्र में वर्तमान युग से भी आगे हों और परंपरागत जो मान्यताएँ हमने पाई हैं, उसका हम सुरक्षित भी रखें और उसे अधिक समृद्ध भी बनायें।

आज प्रतियोगिता का युग है, उसके मुकाबले हमें किसी से भी पीछे नहीं रहना है। ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना है। हमें चाहिए कि हम बालकों और बालिकाओं को ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति के लिये प्रोत्साहित ही नहीं करें बल्कि उन्हें मांग दर्शन भी दें, जिसमें वे अपनी कला का विकास कर सकें। सप्ताह भर की कलाकृतियों और इन क्षेत्र में होने वाली नित नई उपलब्धियों की जानकारी जुटा सकें, इससे एक व्यापक दृष्टि समुन्नत होगी और उन ऊँचाईयों पर पहुँचने की चेष्टा होगी, जिसपर पहुँचकर उनसे भी ऊँची चोटियों के दर्शन होते हैं। विकास के लिये कोई अतिम सीमा नहीं है, यह निरंतर बढ़ने वाली धारा है, जिसे अवरोध नहीं गति चाहिये और जिसे पाकर ही हम अपनी मजिल तक पहुँच सकेंगे। निचली घाटियों से ऊँची चोटियों की ओर बढ़ना ही प्रगति है। बच्चों में हमें यह धारणा जागृत करनी है, उसमें यह आत्मविश्वास जगाना है कि इन ऊँचाइयों तक इन्हें पहुँचना है। और वहाँ तक जाने के लिये यदि यह मजबूती से कदम आगे बढ़ाएँ तो इच्छित फल प्राप्त होगा।

आपको मैं बधाई देता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

भारतीय समीक्षा

1

मैं इस समारोह के आयोजको का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आज आप सब साहित्य रसज्ञों और साहित्य प्रेमियों के बीच आकर दो शब्द कहने का अवसर दिया है।

हम लोग अक्सर अपने देश की संस्कृति की चर्चा करते समय उसके मूल तत्व 'अनेकता में एकता' की बात कहना कभी नहीं भूलते हैं। एक प्रश्न जो मेरे मन में सदा आया करता है, वह यह है कि इस 'एकता की प्रतिष्ठा और रक्षा' के लिये हम लोग क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, कितने मनोयोग से कर रहे हैं और क्या वह काफी है? क्या यह 'एकता' कोई ऐसा तत्व है जो अपने आप विकसित हो गया है और चाहे हम कुछ भी करते रहे, या न करे, वह सदा इसी तरह विकसित होता चला जायेगा? बात वास्तव में ऐसी नहीं है, यह एकता हमारे पूर्वजों के अथक परिश्रम का फल है और इसे बनाए रखने के लिये अथक परिश्रम के रूप में हमें इसका मोल चुकाते रहना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता का हमने मोल चुकाया, वैसे ही एकता का मोल चुकाना भी जरूरी है। भारत जैसे अनेक धर्मों, विभिन्न जाति वर्गों, संप्रदायों, विविध भाषाओं बोलियों वाले देश में एकता का मोल स्वभावतः कुछ ज्यादा ही होना चाहिए और सच बात यह है कि इस एकता के अभाव में हमारी स्वतंत्रता भी अधूरी और अस्थिर ही रहेगी।

अगर साहित्य का समाज से कुछ संबन्ध है और अगर सोद्देश्य होता है तो उसका संबन्ध सबसे पहले अपने समाज से होना चाहिए और उसकी जड़े अपने समाज में अपनी धरती में फैली होनी चाहिए। मानव समाज की बेहतरी से बड़ा उद्देश्य साहित्य का और कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश में और हमारे समाज में आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि हम विविध भाषा-भाषी प्रदेशों में बिखरे हुए अपने समाज को जाने, उसकी आशाओं आकांक्षाओं को समझें, उनके चिंतन की दिशाओं से परिचय प्राप्त करें। अतः मुझे यह बात बड़ी ही प्रिय लगती है कि हमारा साहित्य भले ही विविध माध्यमों में अभिव्यक्ति पाता हो, पर उसकी आत्मा एक है। अगर आज का साहित्यकार साहित्य रसिकों और साहित्य के पाठकों को इस एक तथ्य के प्रति जागरूक

बना सके तो मैं समझता हूँ, वह उमदीर की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करेगा।

किसी समाज में साहित्य सृजन की जितनी महत्ता होती है, उमसे जिन्नी तरह कम महत्व साहित्य समालोचना का नहीं होता। चाँदा की माननिकता से पाठक का साक्षात्कार करा पाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं होती और उमके लिये भी एक विजिष्ट स्तर की सृजन प्रतिभा अपेक्षित होती है। साहित्य समीक्षा की समृद्धि बहुत हद तक सृजन की समृद्धि का भी दर्पण होती है। मुझे प्रसन्नता है कि इन ग्रंथों में जहाँ एक ओर भारत की प्राचीन काव्य शास्त्रीय परंपरा का अध्ययन किया गया है, वहीं आधुनिक भाषाओं के समालोचनात्मक प्रयासों का भी मूल्यांकन किया गया है। LITERARY CRITICISM IN INDIA और उसके हिंदी संस्करण 'भारतीय समीक्षा' में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समीक्षा के उद्भव और विद्वान के अध्ययन रूप में एक साहित्यिक महायज्ञ समझ हुआ है। और विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि हर भाषा का सर्वेक्षण उस भाषा एवं साहित्य के अधिकारी विद्वान द्वारा किया गया है। हमारे देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो अनेक ऐतिहासिक, राजनीतिक कारणों से हिंदी पढ़ निस्र या बोल नहीं पाते, किन्तु भाषाओं के साहित्यिक एवं समालोचनात्मक क्रियाकलाप के बारे में जानने पढ़ने की ललक उनमें भी उतनी ही है। इस दृष्टि में LITERARY CRITICISM IN INDIA की अपनी उपादेयता है क्योंकि मैं समझता हूँ अतत प्रमुख लक्ष्य अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना ही होना चाहिए। ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का महत्व ही सर्वोपरि है, यो माध्यम के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता।

इन ग्रंथों के संपादक प्रो० नगेंद्र ने सचमुच अपने प्रयासों के द्वारा एक महत् कार्य की सिद्धि की है। फैलाव में एकान्विति तथा व्यवस्था के सधान के लिये तलस्पर्शी और व्यापक दृष्टि की अपेक्षा होती है। हमारी संस्कृति और साहित्य की अनेकता में एकता का मोती उसी के हाथ लग सकता है जो बहुत गहरे पैठ सके। हमारी भाषाओं और साहित्य में विविधता और अनेकता के तत्वों की तलाश करके तरह तरह के फतवे देने का काम विदेशी विद्वानों ने किसी जमाने में बड़ी खूबी से किया था। उसका फल हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। परंतु ऊपर के सारे वेंमेलपन और वेंसुरेपन के तुफानी बहाव के नीचे मधुर ध्वनि करके बहने वाली जो अतत सलिला है-

उसकी ओर उन्होंने अनजाने या शायद जानकर कभी ध्यान नहीं दिया था ।
 ई सीलिये हमारे इतिहासकारों के सामने इतिहास के पुनर्लेखन की विकट
 समस्या है—पूरी गतिविधियों और विकास प्रक्रिया को सही परिप्रेक्ष्य में जानने
 की आवश्यकता है । विभिन्न भाषाओं के समीक्षात्मक साहित्य में समान
 तत्वों की तलाश करके उन्हें एक सूत्र में अनुस्यूत करने का काम कितनी गहरी
 दृष्टि चाहता है और उसके लिये मूल तत्वों की कैसी अचूक पकड़ अपेक्षित है
 यह मैं कल्पना कर सकता हूँ । डा० नगेद्र के काव्य शास्त्रीय अध्ययन का यह
 एक स्पृहणीय आयास रहा है । हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं की
 साहित्यिक विवेचनाओं के वे अध्येता रहे हैं—उनकी “भारतीय वाङ्मय” आदि
 कृतियाँ इसका पर्याप्त प्रमाण हैं । यह कार्य करके डा० नगेद्र ने न केवल हिंदी
 का हित किया है, बल्कि अन्य भाषाओं के विद्वानों का मार्गनिर्देश भी किया
 है । समग्र और व्यापक दृष्टि से भारतीय साहित्य के अध्ययन का यह कार्य
 पहले पहल हिंदी में हुआ है यह तो उचित ही है, परंतु अन्य भाषाओं में भी इस
 प्रकार के अध्ययन होने चाहिए—यह कहने की आवश्यकता नहीं । मनोवैज्ञानिक
 स्तर पर देश को इससे अपार लाभ होगा । राष्ट्रीय एकता का बीज हमारे मनो
 में पड़ेगा, तभी वह फलोदभूति होगी और वैदिक ऋषि की वाणी —“समानी
 व आकूती समाना हृदयानिव, समानमस्तु वो मनो यथा व सु सहासति”
 तभी सार्थक होगी । मैं डा० नगेद्र का तथा प्रकाशकों का इस सुन्दर प्रयास के
 लिये हृदय से साधुवाद करता हूँ । आप सब लोगों को आज यहाँ उपस्थित होने
 के लिये धन्यवाद देता हूँ ।

भारत की प्राचीन नीतियाँ

किताबघर की ओर ने कुछ दिन पूर्व यह अनुरोध किया गया कि मैं आचार्य दीनानाथ मिश्रानाथकार द्वारा हिंदी में संपादित "भारत की प्राचीन नीतियाँ" नामक ग्रंथ का विमोचन करूँ। लेखक के द्वारा मुझे जो परिचय दिया गया तथा उनकी देश सेवाओं का वर्णन मुझमें बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने उस कार्य के लिये अपनी महमति प्रदान की।

आचार्य मिश्रानाथकार गुरुकुल कागड़ी के स्नातक हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्य और सचिव रह चुके हैं। कई पत्रिकाओं के संपादन तथा स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों महात्मा गांधी तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद के मन्निध्य में इन्हें कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। वैदिक धर्म के प्रचार में भी इनकी सेवाएँ मूल्यवान् रहीं हैं। अब यह इक्कीस वर्ष के हो गए हैं। लेकिन इस अवस्था में भी साहित्यसाधना में लगे हुए हैं। वास्तव में एक मार्मिक जीवन की प्रेरणा, ऐसे ही निष्ठाप्रिय कर्मठ व्यक्तियों में भावी पीढ़ियों को हस्तान्ति होती है।

मैं इनकी पुस्तक "भारत की प्राचीन नीतियाँ" का इन दिनों में जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पाया है, उसमें मैं यह कह सकता हूँ कि इस ग्रंथ के सकलन के लिये भारतीय दर्शन शास्त्रों का गहराई में अध्ययन किया गया है और उसमें वैदिक धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में उन ही सर्व उपयोगी नीतियों का सकलन किया है जो समय और औचित्य की दृष्टि से आज की परिस्थितियों में भी उतनी ही तर्कमगत और मूल्यवान् हैं, जितनी प्राचीन युग में थी। इसके लिये मैं लेखक तथा प्रकाशक को बधाई देता हूँ।

हम जानते हैं कि मानवीय सभ्यता में तादात्म्य स्थापित करने, आचार-व्यवहार को नियोजित करने और समाज को एक स्वस्थ और सुदृढ़ आधार प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे देश के ऋषियों और महापुरुषों ने नीति संहिता की रचना की। हमारे देश में कई नीति ग्रंथ लिखे गए हैं और ये सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं। परिस्थितियों और काल के प्रवाह में ये कहीं तक अपनी मौलिकता कायम रख सके हैं यह कहना कठिन है। इसलिये प्रेरणा की सभावना की हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। समय समय पर इन्हें परिस्थितियों और युग के अनुरूप ढालने की जो कोशिश हुई है, उससे कही कही इनमें बड़ा विरोधा-

भास प्रतीत होता है। कई स्थानों पर नीति पथ इतना सँकरा और जटिल हो गया कि उसपर न केवल चलना ही कठिन हो गया, बल्कि उसने हमारी प्रगति को भी रोक दिया और हमें इतना कमजोर कर दिया कि हम अपने आप को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रख सके। यहाँ मेरा तात्पर्य भेद विभेद, जानि पाँति, छुआछूत इत्यादि उस अमानवीय दृष्टिकोण से है जिसने हमारी सगठन शक्ति और सुदृढ़ता को क्षति पहुँचा कर देश के समग्र व्यक्तित्व को पगु बना दिया था।

सशोधन की आवश्यकता हर युग में होती है जो लोकोपकारी तथा उपयोगी है, उनका चयन वैज्ञानिक और तर्कयुक्त दृष्टि से कर लेने से हम अपने सत्साहित्य का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिये कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इन चिन्तनधाराओं में शाश्वत मूल्यों की जो प्रतिष्ठा हुई है, वह सार्वकलिक और सार्वजनीन है। व्यावहारिक जगत में समाज के स्वस्थ स्वरूप, उसकी सुदृढ़ता और सगठन को कायम रखने के लिये नीति दायित्व-बोध से प्रेरित होकर अभिव्यक्त होती है, जिसकी संरचना में मानव हितों की रक्षा ही मूल लक्ष्य होता है। व्यक्ति का परिवार के प्रति, व्यक्ति का समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, किन परिस्थितियों में क्या उपयुक्त है और क्या त्याज्य है ये नीति की बातें हैं। इसे उत्तरदायित्व की परिधि से अलग नहीं किया जा सकता। नीति की राह पर चलने का अर्थ उन अनुशासनों और समयों का पालन करना करवाना है, जो लोक जीवन को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं।

देश की स्वतंत्रता के बाद अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण में मानवीय पक्ष को ही हमारे राष्ट्रनायकों ने सामने रखा। किसी एक वर्ग, जाति, संप्रदाय अथवा धर्म के वर्चस्व के स्थान पर उसे समानता का प्रबल आधार प्रदान किया। इसके लिये हमने चार आदर्श अपनाए। प्रथम है—लोकतंत्र, द्वितीय है—समाजवाद, तृतीय है—धर्मनिरपेक्षता और चौथा है गुट-निरपेक्षता। इस नीति निर्धारण में हमें सबसे बड़ी सहायता भारतीय बौद्धमय की अमूल्य निधि से मिली है। हम यदि अपने प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध जीवन मूल्यों का आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कर सकें तो समाज उनसे लाभ उठा सकता है। इस दृष्टि से आचार्य सिद्धातालकार जी की यह पुस्तक मुझे आशा है कि बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। किताबघर के प्रबन्धक और सदस्यों का इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग बड़ा सराहनीय है। मुझे खुशी

है कि आप नैतिक देश भक्ति तथा जिज्ञासु पुस्तकों को प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं । ऐसी पुस्तकों प्राधुनिक धरती और भाषा में अधिक मात्रा में छपनी चाहिए, जिसमें कि भारी पीढ़ी अपने प्राचीन राष्ट्रीय गौरव में परिचित हो और उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान दृढ़ हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आप सबसे मिलने का सुयोग दिया ।

संस्कृत पांडुलिपियों की सूची एवं गौरवनाथ

दो महत्वपूर्ण ग्रंथ

यह प्रसन्नता की बात है कि आज सबसे भेट पाने का मुझे सुयोग प्राप्त हुआ और नागरीप्रचारिणी सभा की हिंदी के विकास और समृद्धि की दिशा में की जा रही सेवाओं के विषय में कुछ अधिक जानने का मौका मिला। मैं नागरी प्रचारिणी सभा से काफी समय से परिचित हूँ और जानता हूँ कि हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत देश की यह एक प्राचीन संस्था है। राष्ट्रीय जागरण में अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा इसने सराहनीय योगदान दिया है और हिंदी साहित्य तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा उन्नयन में इसने एक विशेष भूमिका निभाई है और निभा रही है। पिछले ब्यासी वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की जो सेवा इसने की और जो काम किए, उनसे इसने लोगों के हृदय में बड़ा मान पैदा किया है। वास्तव में किसी संस्था के लिये यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अपनी हीरक जयंती के अवसर पर भविष्य के लिये सभा ने जो योजनाएँ घोषित की थी, उनमें यह भी संकल्प लिया गया था कि सभा श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण और प्रकाशन में अपना विशेष योगदान देगी। यह प्रसन्नता की बात है कि आपकी संस्था इस संकल्प को साकार रूप देने में काफी उत्साहवर्धक रही है। आपने हिंदी विश्वकोष, हिंदी शब्दसागर, हिंदी साहित्य का वृहद् इतिहास तथा अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। अब तक लगभग दो हजार ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जो अपने प्रतिमान के कारण उच्चकोटि के माने जा सकते हैं।

हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके संग्रह में आपकी संस्था ने अभूतपूर्व कार्य किया है और यह जानकर खुशी हुई कि सभा का हिंदी के हस्तलेखों का संग्रहालय विश्व में आज सबसे बड़ा संग्रहालय कहा जा सकता है। संस्कृत के हस्तलेखों का भी काफी बड़ा भंडार आपने एकत्रित किया है। संस्कृत के हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ हमारी मूल्यवान् राष्ट्रीय निधि हैं क्योंकि इनमें भारत की मनीषा और अजुल ज्ञान संपदा संरक्षित है। यह हमारे उस वैभवशाली अतीत का प्रमाण

है, जिसके लिये आज भी हमारा मस्तक ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा । लेकिन दुर्भाग्य से कितने ही मूल्यवान हस्तलेख आज प्रवाह और उचित सरक्षण के अभाव में हम लो बैठे हैं, उसका अनुमान लगाना कठिन है । कई ऐसे भी हैं जो उचित योग ध्यान होने के कारण विखरे पड़े हैं । अभी कई ग्रंथ हैं, जो प्रकाश में नहीं आ सके । ऐसे ग्रंथों का एकत्रित करना बड़े महत्व का काम है और जो मस्याएँ यह कार्य कर रही हैं, वे राष्ट्र सेवा का एक महान कार्य कर रही हैं ।

अंग्रेजों ने १८६८ ई० से संस्कृत ग्रंथों की खोज का काम नारे देण में आरंभ किया था । रायल एजियाटिक सोसाइटी, बंगाल, बंबई, मद्रास की प्रेसिडेंसी सरकारों ने इस कार्य में जो सेवाएँ की, वे सराहनीय हैं । नागरी प्रचारिणी सभा के आग्रह पर रायल एजियाटिक सोसाइटी ने हिंदी के उपलब्ध ग्रंथों, हस्तलेखों का जो विवरण प्रकाशित किया, उनकी मट्या ६०० थी । उसके उपरांत सोसाइटी ने जब हिंदी का काम समाप्त कर दिया, तो सभा ने इसे संभाला, और तब से आपकी मस्या हिंदी और संस्कृत ग्रंथों की खोज का कार्य करती आ रही है और यह प्रसन्नता की बात है कि सभा के पास संस्कृत के ग्रंथों का भी एक अच्छा संग्रह हो गया है । हिंदी के ग्रंथों का विवरण, तो आपकी मस्या प्रकाशित करती है पर अब सभा ने भारत सरकार के सहयोग से संस्कृत ग्रंथों का विवरण चार भागों में प्रकाशित किया है । इसके लिये मैं नागरी प्रचारिणी सभा को बधाई देता हूँ । आपने जो सामग्री इन ग्रंथों में उपलब्ध की है, उससे शोधार्थियों और अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों को विविध विषयों पर प्राचीन ग्रंथों के विवरणों में बड़ी सहायता मिलेगी । इन ग्रंथों की संख्या लगभग नौ हजार बताई गई है, जिनके विवरण सरकार की विवरण निर्देशिका के अनुसार तै किए गए हैं । सभा ने यह श्रमसाध्य और उपयोगी कार्य करके मेरी दृष्टि में अपनी गौरवपूर्ण परंपरा का निर्वाह किया है । मैं समझता हूँ कि ऐसे ग्रंथों के प्रकाशन से भारत का प्रबुद्ध समाज इस ज्ञानकोष का सदुपयोग कर पाएगा और यह भी जान सकेगा कि हमारी यह संपदा कितनी बड़ी है और आज हम इसमें कैसे लाभ उठा सकते हैं ।

दूसरा ग्रंथ, जिसका आज प्रकाशोद्घाटन हो रहा है, वह नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरक्षनाथ जी के सवध में है । गोरक्षनाथ देश के ऐसे सत और महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने चरित्र और सिद्धांतों द्वारा देश में एक नई साधनात्मक चेतना का विकास किया था । वह

रहस्यवादी साधक थे, जिन्होंने रहस्यवाद, नीति, सिद्धांत, प्रवचन, सभी को आचरण में उतारा और समभाव एव समता की दृष्टि को लोक में उतारा और समभाव एव समदृष्टि का लोक में विकास कर सामाजिक और संप्रदायिक विषमता के उन्मूलन का काम किया। उनका आदर्श मानवीय है और उन्होंने देश के सभी भू भागों के सतों को प्रेरणा देकर भारत में भावात्मक एकता उत्पन्न की। अतिवाद, अमर्यादा, भोग, आडंबर सभी का विरोध उन्होंने किया और चेतना द्वारा सतुलित जीवन दर्शन का, जो शैव सिद्धांत पर आधारित था, युग के अनुसार प्रचार और प्रसार किया। मेरे विचार में यह शोध ग्रंथ उन सभी बातों को प्रस्तुत करता है, जिनकी जानकारी गोरक्षनाथ के संवध में आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि इन ग्रंथों का सदुपयोग सुबुद्ध विद्वान् करेंगे। मैं इन दोनों पुस्तकों का उद्धाटन कर प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। आशा है कि नागरीप्रचारिणी सभा ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन करती रहेगी, जिनसे हिंदी वाङ्मय बढ़ता रहे और दूसरे लोगों के लिये प्रेरणा बनकर, उन्हें उत्साहित करती रहेगी, जो सच्चे अर्थों में देश की सेवा करना चाहते हैं।

अभिवंदन और अभिनंदन

आदर्श का अनावरण

आज के इस समारोह में उपस्थित होने तथा वीर महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा का अनावरण करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस समारोह का आयोजन दिल्ली नगर निगम के तत्वावधान में रहा है। यह बात, मैं समझता हूँ, सद्यः परिस्थिति में अत्यंत औचित्यपूर्ण है। मैं निगम के अधिकारियों को इस स्तुत्य कार्य के लिये बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकार की और अन्य योजनाएँ वे कार्यरूप में लावें ताकि हम सब अपने ध्येय की ओर एक आवाज होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएँ।

मैंने अभी जो बात कही वह ऐसी गूढ़ बात नहीं है। मैं सरल शब्दों में आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। हमारे सामने जो प्रश्न है, हमें जो काम करना है, वह जनहित का काम है, सबके हित का काम है और हमारा सदैव यह प्रयत्न रहा है कि जहाँ तक हो सके, हम किसी को बिना दुखाए अपने रास्ते पर चलें, जिसके द्वारा सबका हित हो, परमार्थ भी हो, परंतु हमेशा ही ये सब बातें साध्य नहीं होती। यह सभी जानते हैं कि निगम के अधिकारियों की दिल्ली को अधिक सुंदर और स्वच्छ बनाने की भी योजना है, यह काम सरल नहीं, कितनी कठिनाइयाँ इसके सामने हैं। अनधिकृत वस्तियाँ इधर उधर फैली हैं, कुछ लोग तो खुली जमीन पर अनधिकृत बस गए हैं और वेढब वेढगी और भद्दी इमारतें खड़ी हैं। निगम अधिकारियों को उन्हें साफ करने का अधिकार नहीं, कोर्ट में वर्षों तक मुकदमे-बाजी चलती है। अब आप ही सोचें कि कब होगी हमारी दिल्ली साफ और सुधरी ?

मैं आशा करता हूँ कि यह महाराणा प्रताप की मूर्ति, इसके दर्शन करनेवालों को अपना अपना कार्य करने में स्फूर्ति देती रहेगी। कर्तव्यरत तो सभी को होना चाहिए, चाहे वे छोटे हो या बड़े। महाराणा प्रताप ने कैसी तीव्र प्रतिज्ञा की थी—“जब तक मैं अपना ध्येय हासिल नहीं करता, तब तक किसी प्रकार सुख, चैन और आराम की जिदगी नहीं जीऊँगा”। इसी भावना से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। महाराणा प्रताप ने अन्याय के खिलाफ अपना नारा वुलद किया था और जन साधारण का कायरता को त्याग कर निर्भीक बनने का आह्वान किया था।

भुग्गी भोपटीवालों को जहरी अनधिकरण में अन्य स्थानों पर, उनमें वसाया जा रहा है ताकि यह नगर सुदर बने, और उनकी आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति भी हो। अगर इस काम में अधिकारोगण ज्यादा करते हैं तो उनके ऊपर भी उचित दण्ड भाल की आवश्यकता होती है और हमारी व्यवस्था में इसका अंतर्भाव है। जहाँ तक जनता की बात है, उसे भी भारत की राजधानी को सुदर और साफ सुथरा बनाने में नगर निगम को सहयोग देना चाहिए। हम सब यह बात सोचें और अपने नागरिक दायित्व को पूरा करने का प्रयत्न करें तो बहुत से विकास के काम हम थोड़े समय में पूरा सकते हैं और इस राजधानी के स्वरूप को और सुदर बना सकते हैं।



स्वातंत्र्य संग्राम के महान् योद्धा : श्री नेताजी

मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे आज के इस जयती-समारोह में उपस्थित होकर, स्वतंत्रता के महान् सेनानी को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान किया है। सुभाषचंद्र बोस हमारे देश के उन अग्रणी राष्ट्रनायकों में से थे, जिन्हें देशवासी सदा समादर के साथ स्मरण रखेंगे। वह हमारे मन व मस्तिष्क से कभी अलग नहीं हो सकते। उनका स्थान हमारे मन में है, भूल से भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी गौरवशाली देश अपने उन महापुरुषों को नहीं भूल सकता, जो अपने देश के लिये ही जिए और देश के लिये ही मिट गए। मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली नगर निगम ने नेता जी सुभाषचंद्र बोस की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना करके न केवल श्रद्धा की अगाध भावना का परिचय दिया है, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य की भी पूर्ति की है। मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूँ।

यह बहुत पुरानी बात तो नहीं, लेकिन भारत के इतिहास में यह विशेष महत्व रखती है। इस अरसे में एक पीढ़ी जवान हो गई। पुरानी पीढ़ी के बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था। वह समय ही कुछ ऐसा था, लोगों में एक असीम उत्साह, एक अनूठी उमंग दिखाई देती थी। सारे देश के लिये एक ही लक्ष्य था और वह था आजादी। इसके लिये एक अजीब सी तडप और जोश था उन दिनों, एक ही धुन थी और आजादी के लिये त्याग और बलिदान की एक अनूठी भावना थी। गुलामी का दौर जिन लोगों ने देखा है, वे बता सकते हैं कि गुलामी क्या चीज है। गुलामी और आजादी में कितना अंतर है। किसी ने कहा है कि गुलामी कितनी ही अच्छी क्यों न हो, वह एक अभिशाप से अधिक सुखद नहीं हो सकती, और आजादी भले ही श्रमसाध्य क्यों न हो, वह फिर भी वरदान है। जब तक देश का स्वाभिमान सोया रहा, देश भी मोता रहा। परंतु कर्तव्य ने जब इसे जगाया, तो वह उद्यत हुआ उन वेडियों को काटने के लिये, जिन्होंने इसे जकड़ रखा था। प्रतिभाशाली त्यागमूर्ति देशभक्त आगे आए, उन्होंने आजादी के लिये आंदोलन की

अगुआर्ड की। देशवासियों को सगठित किया। मुझे वह समय याद है, जब राष्ट्रीय स्तर पर देश के वरिष्ठ नेता कार्य कर रहे थे। देश के उन निपाहियों में मैं छोटा था और मैं कोशिश करता था कि यह कदम उनके साथ मिलकर चले। मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार होता था। उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परंतु राष्ट्र-नेताओं के साहसिक कदम जिस दृढ़ता से आगे बढ़ते थे, कठिन-इयाँ भी शरमा जाती। कड़ी में कड़ी यातनाएँ भी उनके उत्साह को कम नहीं कर सकी, न जाने कितने ही वीर हँमते हँमते इस मातृभूमि के लिये बलिदान हो गए, तब मिली आजादी। हमारे देशवासियों ने इसके लिये हर गम गवारा किया। हमारे लिये यह मंत्र ने बहुमूल्य है। क्योंकि इसके पीछे त्याग, तपस्या और बलिदानों का एक बड़ा इतिहास है। नई पीढ़ी ने जब आँखें खोलीं, तो समा डूमरा था। उन्होंने महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में किताबों में पटा होगा। जिन्होंने उन्हें देखा नहीं, इसलिये वह यह पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना त्याग और बलिदान किया गया था, कितने कष्ट और यातनाएँ सहन की गई थी। इस अनुभव की अपेक्षा में जो अंतर दिखाई देता है, वह स्पष्ट है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो भावना और जज्बा उस समय था, देश के लिये काम करने का जो शौक लोगों में उस समय था क्या अब भी है? जितनी उन लोगों में देश और जाति के लिये भावना थी जिस प्रकार से वह देश के लिये काम करते थे, क्या आज की पीढ़ी में भी देश के प्रति वही भावना और उत्साह है? ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे देश में उत्साह नहीं है, या प्रतिभा, शौर्य या निष्ठा आदि का अभाव है। इतना अवश्य है कि कभी कभी हम सही दिशा की ओर बढ़ना भूल जाते हैं। परिस्थिति और समय के अनुकूल हमारे काम के तरीकों में अंतर तो होगा। लेकिन देखना यह है कि लक्ष्य एक हो, देशवासियों के हितों की अवहेलन न हो, देश को हम सर्वोपरि माने और प्रेरणा लें, उन महान् आत्माओं से जिनकी नस नस में राष्ट्रप्रेम भरा हुआ था, जिनकी हर साँस देश के लिये थी। जिन मूल्यों को उन लोगों ने ग्रहण किया, उसपर चल कर नाम कमाया, यदि हम उन मूल्यों को जीवन में उचित स्थान दें तो देश और व्यक्ति दोनों को ही लाभ होगा।

सुभाषचंद्र बोस के जीवन को एक महान् कर्तव्य के लिये प्रेरित करने-

वाली शक्ति यदि कोई थी तो स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा थी, जिसे पाकर उन्हें एक रोशनी मिली थी और उन्हें यह मालूम हुआ था कि समाज सेवा से ही आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। विवेकानन्द जी के शब्द उनके हृदय में बस गए थे। जीवन के प्रारम्भिक और विकास काल में रोशनी मिल जाए तो जीवन का अभिप्राय ही बदल जाता है। बचपन से ही सुभाषचन्द्र बोस के विचारों में एक क्रांति दिखाई देती थी। बचपन में उन्होंने एक पत्र अपनी माँ को लिखा था कि मैं यह जानने के लिये व्याकुल हूँ कि आप मुझे क्या बनते देखना चाहोगी। प्रभु की कृपा से हमें यह बहुमूल्य जीवन मिला, सुदर और सुदृढ़ शरीर मिला, बुद्धि और शक्ति मिली परन्तु किस लिये? भगवान् ने हमें कितना कुछ दिया है कि हम वह कार्य करें जिसके लिये उसने हमें भेजा है। परन्तु वास्तव में क्या हम उस परम शक्ति के लिये कार्य करते हैं। शायद यही वह प्रश्न था, जिसने जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। आत्महित और जगत् हित का आदर्श ग्रहण करके, जिस प्रकार वह आगे बढ़े, देश के लिये काम किया, उससे सभी परिचित हैं। किमी ने कहा है कि कई लोग सफलताओं के लिये जन्म लेते हैं, परन्तु उन्हें उन सफलताओं से सतोष नहीं होता, जो सहज में प्राप्त हो जाए। सुभाषचन्द्र बोस भी ऐसे ही लोगों में थे। जिस तरह वह शिक्षा में होशियार थे, वह इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में जिस ख्याति से उत्तीर्ण हुए, वह चाहते तो एक बड़े अधिकारी बन सकते थे। परन्तु एक बड़ा काम उन्हें करना था, वह देशसेवा का काम था और उनका सारा जीवन देश के लिये रहा। वह जहाँ भी रहे, जिस परिस्थिति में भी रहे, उन्होंने देश का ख्याल नहीं छोड़ा। कठिनाई और यातनाओं के होते हुए भी, वह अपने निश्चय पर अडिग रहे। ससार का कोई अकिर्षण उन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर सका। वह वीरों के समान जिए और देश के कण कण से उन्हें प्यार था, उसकी आजादी के लिये अपना सर्वस्व न्याँछावर करके वीरगति को प्राप्त हुए।

जैसा कि मैंने पहिले भी निवेदन किया कि यह आजादी बहुत बलिदानों और कुर्बानियों के पश्चात् मिली है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जी का स्थान उनमें बहुत ही ऊँचा और महान् है। उनका जीवन देश भक्ति, त्याग, शौर्य, साहस, सहानुभूति तथा बलिदान का एक ऐसा आदर्श है, जो मदैव हमारे हृदयों को आलोकित करता रहेगा। हमारे नवजवानों के लिये तो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शक्ति और जीवन के प्रतीक हैं, जिनसे कदम कदम पर देश के लिये काम करने की हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं।

देश को आजाद कराना एक बड़ा काम था और उनके पश्चान् जो काम है वह है देश को उन्नति की ओर ले जाना, एक मुदृष्ट आर्थिक और सामाजिक आधार तैयार करना, अपने दूसरे भाइयों को आगे ले चलना, यह काम वह हमें सौंप गए हैं। अब यह हमारा दायित्व है कि इन कामों को पूरा करें।

हम महापुरुषों के स्मारक स्थापित करते हैं, ताकि हमें उनके जीवन में प्रेरणा मिलती रहे। कठिन समय में हमें बल मिले और देश के नियंत्रण काम करने की हममें उनके समान उमंग पैदा हो, हम अपने पथ से विचलित न हो सकें। एक स्थितप्रज्ञ के समान जीवन का देखें। उस महालक्ष्य की प्राप्ति के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहें। आज देश को इसकी मरम्मत ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस की यह प्रतिमा उस स्मारक का प्रतीक है जो आनेवाली पीढ़ियों को मदा प्रेरित करती रहेगी। उनमें देश के लिये हर कठिनाई से जूझने के लिये आत्मबल और आत्मविश्वास प्रदान करती रहेगी। जय हिंद के मन्त्रदाना को हम कभी नहीं भूल सकते। किमी ने ठीक ही कहा है कि वतन पर शहीद होनेवाले कभी नहीं मरते। हमारा यही कर्तव्य है कि हम उनके जीवन आदर्शों को अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस प्रतिमा के अनावरण का गौरव प्रदान किया।

कर्मयोगी श्री राजेंद्र प्रसाद जी

मैं आप सत्रका बड़ा अभारी हूँ कि आपने मुझे इस समारोह में भाग लेने और स्वर्गीय डा० राजेंद्र प्रसाद के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने का अवसर दिया है ।

डा० राजेंद्र प्रसाद भारत के उन महान सपूतों में एक थे जिनके जीवन और चिन्तन की, हमारे देश के आधुनिक इतिहास पर गहरी छाप पड़ी है । उनके जीवन की ओर जब हम देखते हैं तो हमें पूज्य महात्मा जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में संचालित स्वराज्य — आंदोलन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ याद आती हैं । जब हम राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व की ओर देखते हैं, जो सादगी, नम्रता और विद्वत्ता से परिपूर्ण है, तो उसमें हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलती है ।

डा० राजेंद्र प्रसाद के जीवन में रीति और नीति, सेवा और त्याग, श्रद्धा और भक्ति, कर्म और धर्म का सुंदर मेल है । यही कारण है कि भारत-कोकिना स्वर्गीय सरोजनी नायडू ने कहा था— ‘ राजेंद्र बाबू के जीवन के बारे में कुछ लिखने के लिये एक ऐसी स्वर्णिम कलम चाहिए जो शहद में डुबोई हुई हो’ । सचमुच राजेंद्रबाबू एक राजनीतिक संत थे । जीवन भर राजनीति के बबडर में फँसे रहने पर भी, उनका कोई शत्रु नहीं, सब उनके मित्र और वे सचमुच अजातशत्रु थे ।

राजेंद्र बाबू का जीवन एक कर्मयोगी का जीवन था । उनका जन्म एक छोटे से गाँव जीरादेई में, एक साधारण परिवार में हुआ । वे एक प्रतिभावान छात्र थे जो प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में या सर्वप्रथम उत्तीर्ण होते थे । विद्यार्थी जीवन से ही उनमें देश व समाज सेवा की लगन थी । कलकत्ता विश्व-विद्यालय से न्याय शास्त्र में पारगत होने के पश्चात् यदि वे चाहते तो उन्हें कोई ऊँचा सरकारी पद मिलता, यदि वे पटना में वकालत करते रहते, तो वह खूब चमकती और लाखों रुपये कमा सकते थे । लेकिन उन्हें न तो पद की लालसा थी, न धन का लोभ था । उठती जवानी में, जब परिवार के लोगों की आशाएँ उन पर केन्द्रित थी, उन्होंने समाज व देश-सेवा का जो सकल्प किया था, वह उनकी गहरी देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता और अटूट साहस का ज्वलत उदाहरण था । उनके जीवन की धारा अब बदल गई ।

राष्ट्र और व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी कैम-कैम विचित्र मयोग होते हैं। चंपारण के मत्याग्रह में महात्मा जी को एक साथ दो मफलनाएँ प्राप्त हुईं—एक तो मत्याग्रह में विजय और दूसरी है राजेंद्र बाबू जैसे निप्य की प्राप्ति। उधर राजेंद्र बाबू को बापू जी जैसे गुरु मिले। फिर क्या, वे स्वतंत्रता यज्ञ में कूद पड़े और जीवन भर बापू के कदमों में चलने लगे। महात्मा जी के सिद्धांतों और रचनात्मक कार्यक्रमों में राजेंद्र बाबू को अटल विश्वास था। मदाकत आश्रम की आश्रम की स्थापना हुई, वहाँ बैठकर डम तपस्वी ने देश की अमूल्य सेवा की। आश्रम विहार की राजनीति का केंद्र ही नहीं, अपितु अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आधार बन गया। गादी के प्रचार, कुटीर व ग्राम-उद्योग के विकास, हरिजनो के उद्धार, भाषा और माहिन्य के प्रचार व प्रसार में राजेंद्र बाबू का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। विहार मूकम्प के समय, गाँव-गाँव और घर घर में जाकर पीड़ितों और निम्नहाथों को उन्होंने जो मात्तना दी, जो मदद की, वह चिरस्मरणीय है। मकट के समय, कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर न केवल उस राष्ट्रीय मस्या को अक्षिणशाली बनाया, अपितु उसका गौरव भी बढ़ाया था। कांग्रेस के अध्यक्ष की हैमियन में उन्होंने देश भर की यात्रा की। उनके जीवन और विचारों में, उनकी सादगी और नम्रता में, उनकी विद्वत्ता और कर्तव्यनिष्ठा में लोग बहुत प्रभावित हुए। राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही, देश ने उन्हें 'देशरत्न' की उपाधि में अलंकृत किया और वे भारत के जन-जन के हृदय में राजेंद्र बन गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, भारत के नवनिर्माण में राजेंद्र प्रसाद का योगदान महत्वपूर्ण था। सविधान के अध्यक्ष की हैसियत में सविधान के निर्माण में राजेंद्र प्रसाद ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, सारे राष्ट्र ने उसकी प्रशंसा की। १९५० में जब स्वतंत्र भारत, गणतण भारत के रूप में अवतरित हुआ, तो सहज ही राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति पद पर, बारह साल तक रह कर, उन्होंने जो स्वस्थ परंपराएँ स्थापित की, वे चिरस्थायी रहेंगी। उन्होंने जो मर्वधनिक मार्ग प्रशस्त किया, जो अनौपचारिक नीतियों का प्रचलन किया, उनसे न केवल हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं, अपितु देश की एकता और मस्कृति के विकास के लिये बहुत बल मिला।

डा० राजेंद्र प्रसाद से परिचय पाने और उन्हें नजदीक से देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला। उनकी सच्चाई, और सादगी, उनकी मूकबूक और विचार-धारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उनके मन में जरा भी धमड या गर्व नहीं था। उनकी बेग-भूषा या दिनचर्या में कोई परि-

वर्तन नहीं आया । यह एक बहुत बड़ी बात है । उनकी सहनशीलता, उनकी नम्रता, उनकी कर्तव्य-परायणता बेजोड़ थी । यही कारण है कि चाहे वे सदा-कत आश्रम रहते या राष्ट्रपति भवन में, एक तपस्वी और कर्मयोगी की तरह रहे, ऐसी कीर्ति और प्रतिष्ठा पा गए, जिसे देखकर बड़े-बड़े सन्नाटो को भी ईर्ष्या होती ।

भावात्मक एकता और भारतीय सभ्यता व सस्कृति के प्रचार व प्रसार में राजेंद्र प्रसाद की सेवाएँ अनुपम थी । उन्होंने जो पद प्राप्त किए, जो कीर्ति, पाई, वे उनके व्यक्तित्व की वास्तविक महत्ता को प्रकट करने में अपर्याप्त ही रह जाती । क्योंकि वास्तव में उनके जीवन का विकास बहिर्मुखी नहीं, अतर्मुखी था । साधन और साध्य दोनों की ओर उनका ध्यान था । उनका यह दृढ़ विश्वास था कि हम यदि अपने चरित्र और आचरण को ठीक रखेंगे, साधनों की परवाह करेंगे, तो साध्य स्वयमेव सिद्ध होंगे और सभी सफलताएँ स्वयमेव वरण करेंगी । सभवतः डा० राजेंद्र प्रसाद के जीवन की अद्वितीय सफलता का यही रहस्य है ।

आज जबकि हमें स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, उन महान नेताओं सपनों को साकार करना है, एक ऐसे समाज की व्यवस्था करनी है जिसमें सभी को समान अवसर मिले, कोई भूखा, नगा, बीमार या अशिक्षित न हो । इस महान प्रयास में, हम सब राजेंद्र प्रसाद की सेवा, देशभक्ति और त्याग की भावना से प्रेरणा ले सकते हैं । विशेषतया, मैं चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी राजेंद्र बाबू के जीवन और चिंतन का अध्ययन करें और उनके मिद्धांतो, गुणों और कार्यों से सबक सीखे । केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ही हमें सतुष्ट नहीं रहना है । लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और हर प्रकार की उन्नति आवश्यक है ।

डा० राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियों की याद करने के लिये जब हम उनकी जन्म जयंतियाँ मनाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके चरित्रवल उनकी नैतिकता, उनकी बुद्धि और ज्ञान से सबक लेकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें और प्रयत्न करें कि हम भी चरित्रवान और निष्ठावान बनकर इस देश व समाज की यथाशक्ति सेवा करें । राजेंद्र प्रसाद के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी ।

एक साधु सत की तरह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद ने अपना जीवन निर्लिप्तता और निर्मोह से व्यतीत करते हुए, अपनी चादर को मैला न होते हुए, ज्यो का त्यो घर लिया । तभी डा० राधाकृष्ण ने कहा—

डा० राजेंद्र प्रसाद पर जनक, बुद्ध आरं गार्धी की छाप पड़ी' । भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पटित जवाहर लाल नेहरू ने कहा—'हमारे गणतंत्र के शुरु' के १२ वर्ष राजेंद्र शक के रूप में इतिहास में अमर रहेगा' ।

इन शब्दों के साथ में स्वर्गीय डा० राजेंद्र प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ ।

तप और त्याग की मूर्ति श्रीलालबहादुर शास्त्री जी

आज श्री लालबहादुर शास्त्री जी की दसवी पुण्य तिथि है। सबसे पहले मैं उस महान् आत्मा को अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ, जिसकी स्मृति हमारे दिलों में सदैव सुरक्षित रहेगी। उनका जीवन हमारे लिये एक प्रेरणा का स्रोत है। वह तप और त्याग की मूर्ति थे, जिनकी नस नस में देशप्रेम कूट कूट कर भरा पड़ा था। वह हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु उनके आदर्श हमारे सामने हैं। यह सत्य है कि आदर्शों के लिये जीने वाले देह त्याग कर भी ससार में जीवित रहते हैं। श्री लालबहादुर शास्त्री की देशसेवाओं से कौन परिचित नहीं है? वह उन विरले लोगों में से थे, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिये न्यौछावर कर डाला, जिन्होंने देश हित के सिवाय अपने सामने किसी दूसरी चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने लिये कुछ नहीं चाहा। यदि कुछ चाहा तो वह देशवासियों की भलाई थी।

यह तो सभी जानते हैं कि शास्त्री जी किसी धनी परिवार में पैदा नहीं हुए थे। यह विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सके थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने कई कठिनाइयाँ देखी थी, जीवन में कई दुःख भेले थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ उनको अपने उत्कृष्ट पथ से विचलित नहीं कर सकी। अपनी सत्यनिष्ठा और कर्मठता के फलस्वरूप वह आगे बढ़ते रहे। राष्ट्र ने उन्हें जो भी कार्यभार सौंपा, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। यदि कोई राजनैतिक जिम्मेदारी सामने आई तो उसे भी उन्होंने बड़ी कुशलता से पूरा किया। राजनैतिक जीवन में भी उन्होंने एक ऐसे सेतु का काम किया, जो दिलों को जोड़ सके। हृदय की विशालता, विचारों की शुद्धता तथा राष्ट्र के प्रति गभीर निष्ठा उनके व्यक्तित्व के अनमोल गुण थे, जिसके कारण वह सभी में अपना प्रेम बाँटते रहे। अपनी सादगी, सरलता और सहनशीलता के कारण दूसरों को प्रभावित करते रहे। एक सच्चे देशभक्त की तरह यदि उन्हें किसी चीज से सबसे अधिक लगन थी तो वह भारत देश है। नेहरू जी के साथ रहकर उन्होंने कुछ सँजोया था, उसे पूरा करने के लिये वह जीवन पर्यन्त प्रयत्नशील रहे। किसी ने गरीबी की पीड़ा स्वयं सहन की हो, उसमें

अधिक गरीब जनता की व्यथा को कौन समझ सकता है। नेहरू जी ने इस देश की जनता के दुख अपनी आँखों से देखे थे। इसलिये उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने की ओर केंद्रित किया था। लोगों में नए भारत की रचना के लिये एक नया उत्साह पैदा करके, ऐसे समाज की रचना के लिये प्रेरित किया, जिसे सब उन्नति कर सकें, सब स्वस्थ और सुखी बन सकें। शास्त्री जी ने सामान्य जनता के दुखों को न केवल देखा था, बल्कि उनके ममान वह कण्ठ भेने भी थे। इसलिये उन्हें मालूम था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ दूर नहीं की जाती, हम तेजी से उन्नति नहीं कर सकते। इसके लिये चरित्र बल ऊँचा होना चाहिए। अनुशासन और श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना सुदृढ़ होनी चाहिए, त्याग की भावना प्रबल होनी चाहिए।

शास्त्री जी की कई अग्नि परीक्षाएँ हुईं और वह अपनी हर परीक्षा में सफल हुए। वह कौनसी ऐसी चीज हैं, जिसके कारण वह हर मुश्किल पर विजय प्राप्त करने रहे। वह थी उनकी चरित्र शक्ति, श्रम-साधना एवं अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा। इस महान् विभूति के लिये प० जवाहर लाल नेहरू जी ने स्वयं एक बार कहा था—'उच्चतम' व्यक्तित्व वाले निरंतर सजग और कठोर कर्मशील व्यक्ति का नाम है—लालबहादुर शास्त्री।' जब वह प्रधान मंत्री बने, उस समय देश के समुख आंतरिक और बाहरी कई चुनौतियाँ उपस्थित थी। उस समय उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया उससे सारा सत्कार परिचित है। बाहरी हमले भी हुए और देशवासियों ने यह सावित कर दिया कि भारत शांतिप्रिय देश तो है, परंतु अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी जानता है और उसकी खातिर हर प्रकार का बलिदान करना भी जानता है। अहिंसा कायर का भूषण नहीं हो सकता, अहिंसा तो वीर पुरुष का शृंगार है। प्रगति के लिये शांति आवश्यक है और शांति भंग करनेवालों से सावधान रहना, उसके लिए रक्षा के उपाय करना उतना ही आवश्यक है जितना अपने देश की खुशहाली को बढ़ाने के लिये उत्पादन में वृद्धि जरूरी है। यही चीज थी जिसकी प्रेरणा शास्त्री जी ने देशवासियों को दी थी जिसके लिये उन्होंने 'जय जवान और जय किसान' का नारा लगाया था। यह आवाज थी, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता की।

हमारा देश सदा से शांतिप्रिय देश रहा है। इस आदर्श की ही सदैव हमारे राष्ट्रनायको ने प्रतिष्ठा की है। हमने सभी की ओर मित्रता का हाथ बढाया है। हमारा यही प्रयत्न रहा है कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे हों। ताशकद समझौते में हमने यह सिद्ध कर दिखाया था कि आत्मरक्षा के लिये हम जितने तत्पर हैं, उतने ही उत्साह से शांति की स्थापना में भी भारत आगे है। हमने हर अच्छी चीज का स्वागत किया है, ऐसे हर प्रयत्न का समर्थन किया है, जिसके द्वारा कहीं भी मानवीय हितों के संरक्षण की चेष्टा की जाती हो। लेकिन ऐसी किसी बात के लिये हमारे यहाँ स्थान नहीं हो सकता जो हमारे अस्तित्व से खिलवाड़ करना चाहे।

आज हमें जीवन के हर कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना है, हर अच्छी चीज को अपनाना है। लेकिन अपने राष्ट्रीय आदर्शों और संस्कृति पर दृढ़ रह कर। शास्त्री जी का जीवन एक ऐसा उज्ज्वल उदाहरण है, जिससे हर देशवासी बहुत कुछ सीख सकता है। किसी को उनके जीवन से कुछ सीखना है तो उन जैसा त्याग सीखे, उनकी तरह देशभक्ति की प्रतिष्ठा करे, उनके समान श्रम साधना का व्रत ले, उनकी सादगी, उच्च विचार, सरलता, विनय के भाव को अपने में स्थान दे, सब के कल्याण के लिये प्रयत्नशील रहे। शास्त्री जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया था कि गरीबी देशसेवा के लिये बाधा नहीं बन सकती, यदि हम में उच्च मनोबल और सकल्प शक्ति हो, यदि हम में निजी स्वार्थ साधना की कमजोरी न हो। शास्त्री जी के जीवन से सभी शिक्षा ले सकते हैं, विशेषकर युवक वर्ग के लिये तो वह एक महान प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों में भी देश सेवा का व्रत लिया और उसे पूरा करके दिखाया।

यह सतोष की बात है कि श्री लालबहादुर शास्त्री-सेवा-निकेतन आत्मनिर्भरता की भावना को लोगों में जागृत करने का पिछले नौ वर्षों से प्रयास कर रहा है। आज देश में जो नया वातावरण तैयार हुआ है, हमें चाहिए कि हम आत्मनिर्भरता की भावना के प्रसार के साथ, ऐसे कार्यक्रम भी हाथ में लें जिनसे सामाजिक विषमताओं को दूर करने, सामाजिक कुरीतियों का अंत करने में सहायता मिले। क्योंकि आज तक यह चीज हमारे सामूहिक विकास में एक बड़ी बाधा बनकर उपस्थित है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः शास्त्री जी को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया।

राष्ट्रीयता का स्थायी आधार : श्री फखरुद्दीन

अली अहमद

यह मेरे लिये परम सौभाग्य की बात है कि आपने मृग्ये आज के समारोह में शरीक होने का मौका दिया। आज का दिन हम सब के लिये बड़ी खुशी का दिन है। हमारे राष्ट्रपति जी का उकहत्तरवाँ जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाना, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति के वह महान उपासक हैं। अपने समस्त जीवन को उन्होंने राष्ट्रीय एकता की पवित्र साधना में समर्पित किया है। राष्ट्र की दृढता, समृद्धि और प्रगति के लिये वह मदा क्रियाशील रहे हैं। देशवासियों की भलाई और उत्कर्ष के लिये उन्होंने हमेशा दिशानिर्देशन किया है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और देश उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से लाभान्वित होता रहे।

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। इसकी अपार जनशक्ति विविध रूपा है, अनेक रंग और सुगंध लिए हुए उन फूली के समान जो इस पुष्प वाटिका की शोभा हैं। वेदों में कहा गया है—“एको अहम् बहु स्याम”। यह विविधता प्रकृति है और इसके पीछे एकत्व का तत्व सर्व विद्यमान है। यह विविधता हमारे देश का सौंदर्य है और उसमें एकता की अनुभूति हमारी राष्ट्रीयता का स्थायी आधार है। हम सब इस जननी जन्मभूमि के बेटे हैं। हमारा इसके साथ एक अटूट संबंध है। हम इसके किसी भी प्रांत के निवासी हों, हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, हम सब भारतीय हैं। यह राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा सामूहिक जीवन, हमारे संपर्क, प्रयत्न, हमारी सद्भावना यह सब राष्ट्र की दृढता और गरिमा का गठन करते हैं। इसमें महत्व है, हमारे अनुशासित और मिले जुले प्रयत्नों का, और मैं समझता हूँ कि हम मन और मस्तिष्क से अपने रचनात्मक कार्यों और सद्व्यवहार से एक दूसरे के इतने करीब होके हमेशा हमें एक दूसरे की सेवा और सहायता में ही सतोष प्राप्त हो। यही हमारी एकता का सार तत्व है, यही हमारी प्रगति का विधायक रहस्य है।

हमारी एकता हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जिसकी वाटिका को हम सबने मिलकर सीचा है। हम सब एक हैं और हमेशा एक रहे। इसका प्रमाण हमारी जनता ने हमेशा दिया है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आई, उसका सब ने मिलकर सामना किया है। आज हमारी एकता का सूत्र हमारे राष्ट्र की जीवन धारा है, जिसके सग हमें निरंतर बढ़ना है, उन राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर जिन से सामाजिकता और लोकतन्त्रता दृढ़से दृढ़तर होती रहे।

हमने देश की सुदृढ़ता के लिये तथा अपेक्षित और पददलित जन समुदाय उत्थान के लिये राष्ट्र को एक नई दिशा देने की चेष्टा की है। राष्ट्रीय एकता को व्यापक अर्थ प्रदान किया है उसके लिये आर्थिक और सामाजिक भेदों को मिटाने के लिये समाज में एक नई सजगता पैदा की है। देश भर में आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिये आज जो हमने कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, उन्हें सफल बनाना, हम सब का कर्तव्य है। यह कार्यक्रम जन साधारण के अपने कार्यक्रम हैं, उन्हें इनसे लाभ उठाना चाहिए। अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनों के लिये अपना सहयोग देना चाहिए। आज अनुशासन और कर्तव्य-परायणता की नवचेतना ने देश भर में जो स्फूर्ति पैदा की है, उसे हमें बनाए रखना है। उसे जीवन का एक स्थायी आधार बनाना है।

राष्ट्रपति महोदय ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि यह देश हम सब का है और इसकी समृद्धि और उन्नति के लिये हम सब को अपना फर्ज पूरा करना है। हमें अपने व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक हित और लाभ का नहीं, बल्कि स्वराष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना होगा। हमें यह कभी नहीं भूलना है कि देश का हम पर जो ऋण है, उसे हमें चुकाना है और अपने साधनों और क्षमताओं के अनुसार हम जो भी काम करें, उसका अधिक लाभ हमारे देश को मिलता रहे। यह समर्पण की भावना हर छोटे बड़े में जहाँ विद्यमान है, वहाँ एकता एक शक्ति है। व्यक्ति की विराटता का स्वरूप है। हमारे सभी महापुरुषों ने हमें यही सीख दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था --

‘हर कोई जो भारत में बसा है, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान, सिख या जैन या फिर ईसाई है या पारसी, भारतीय हैं। सभी एक सरीखे, सभी समान ठहरे। हम में से सभी, चाहे हमारा जो भी धर्म मत रहे, समान रूप से भारत माता की सनान हैं। इस कारण सभी को समान अधिकार प्राप्त रहने चाहिए तथा आगे बढ़ने और उन्नति करने के निमित्त भी सभी को एक जैसे अवसर दिए जाने चाहिए।

साप्रदायिकता, प्रातीयता तथा जाति पाँति का भेद भाव ये हमारे देश की तीन बड़ी बड़ी बुराइयाँ हैं। पूरी तरह से इनको हमें मिटा डालना होगा। हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता और उसके हित और कल्याण को ही सब में अधिक महत्त्व दें और जाति, धर्म और भाषा, प्रात के भेद भाव को भूल, समूचे देश और उसके वामियों के विषय में ही हमें अधिक सोचना चाहिए। देश काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मारे का सारा एरु है। वह हम सभी का है, हम सभी उसके हैं और हम सभी एक हैं।

यह मीख हमारा मदैव पथप्रदर्शन करती रहे, यहीं हमारी कामना होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता, हुआ आज के इस समारोह का खुशी के साथ उद्घाटन करता हूँ।

हिंदी जगत की एक महान् विभूति :

श्री श्यामसुंदर दास

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि श्री श्यामसुंदर दास जन्मशती समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर आप लोगो के बीच आने का सुअवसर मुझे मिला। श्री श्यामसुंदर दास हिंदी जगत् की एक महान विभूति थे, जिनकी सेवाओ को हिंदी जगत् हमेशा याद रखेगा। श्री श्यामसुंदर जी अपूर्व प्रतिभा के स्वामी थे, उनमे बड़ा उत्साह और लगन थी और एक ऐसी निष्ठा थी, जिसके द्वारा वे अपने विचारो को मूर्तरूप दिया करते थे। उन्होने अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनो मे ही यह अनुभव किया था कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है कि इसके भंडार को समृद्ध बनाया जाए। उनकी दृष्टि बड़ी व्यापक थी और वह समझते थे कि हिंदी को सर्वसाधारण के दैनिक जीवन से लेकर साहित्य के विभिन्न अंगो तक इसके विस्तार को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। हिंदी की श्रीवृद्धि के लिये उन्होने सिर्फ रस-साहित्य को ही नहीं, बल्कि ज्ञान साहित्य को भी अपनाया। हिंदी मे उन्होने गणित, अर्थशास्त्र, पुरातत्व, इतिहास, रसायन, नैतिक-शास्त्र आदि की मानक पुस्तके तैयार करवाईं। इस कार्य मे उन्होने मूल को अधिक महत्व दिया और जहाँ कहीं आवश्यकता हुई अनुवाद का भी सहारा लिया।

साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये उन्होने सभी आवश्यक चीजो पर ध्यान दिया। महान् कवियो की रचनाओ का सकलन प्रकाशित कराना, शब्दकोश का निर्माण कराना, व्याकरण के ग्रंथ लिखाना और साहित्य का इतिहास प्रकाशित कराना, इन सभी कार्यों की ओर उनका ध्यान गया और उन्होने अपने युग के बड़े-बड़े विद्वानो की सहायता से ये सारे कार्य पूर्ण कराए। उन्होने ही वह विशाल शब्द-कोश (हिंदी शब्द सागर) बनवाया, जिसकी स्याति आज भी चारो ओर फैली हुई है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, किंतु इसके पीछे भी प्रेरणा श्री श्यामसुंदर दास की थी। आज जिस सस्था की ओर से उनका जन्मशती समारोह मनाया जा रहा है उसकी स्थापना उन्होने उन दिनो करवाई जब उनकी अवस्था केवल १८ साल की थी और यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि श्री श्यामसुंदर दास के

मन में महान् कार्यों के बीज प्रारंभ में विद्यमान थे जिनकी पूर्ति में उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया। उनकी प्रतिभा के अनुरूप पटित मदनमोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का उन्हें अध्यक्ष बनाया। इस पद पर रह कर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक श्रेष्ठ कार्य किए, और ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिनसे आज भी प्रेरणा मिलती है।

श्री श्यामसुंदर दास जी की दृष्टि बहुत व्यापक थी। उन्होंने शोध के क्षेत्र में भी अनेक बड़े काम किए। यह उन्हीं की कल्पना थी कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से अनेक विद्वानों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर हस्तलिखित ग्रंथों को एकत्रित किया गया। आज इन ग्रंथों को साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान् माना जाता है। उनके ही प्रयत्नों से ये ग्रंथ प्रकाश में आये और यह उन्हीं के सुप्रयासों का फल है कि काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में अनेक ऐसे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनका देश और विदेश के विद्वान शोध कार्यों के लिये उपयोग कर रहे हैं। हिंदी के महत्व को वे जानते थे और उस युग में भी उन्होंने संसार के कई देशों के विद्वानों के साथ संपर्क किया था और संसार की प्रसिद्ध सस्थाओं के साथ नागरीप्रचारिणी सभा का सवध जोड़ा। यह प्रसन्नता की बात है कि उनके साथ आदान-प्रदान का कार्यक्रम आज भी चल रहा है और इस संस्था को संसार के अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ।

यह व्यक्ति जो इतना बड़ा विद्वान् था, जिसकी दृष्टि इतनी व्यापक थी जिसमें निर्माण की इतनी अपूर्व क्षमता थी, जिसने साहित्य के भंडार को विपुल कृतियों से परिपूर्ण किया, जिसने हिंदी की श्रीवृद्धि में अपना सारा जीवन लगा दिया उसके प्रति कृतज्ञ होना, और सम्मान के भाव प्रकट करना, एक सहज बात है। हमारे लिए आवश्यक है कि हिंदी प्रचार के क्षेत्र में, साहित्य निर्माण के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, हम उनके बताए हुए रास्ते को अपनाएँ और जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किए उन्हें पूरा करें। यही सबसे बड़ी हमारी श्रद्धाजलि होगी।

आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर देश और विदेश के सम्मान्य विद्वानों और साहित्यकारों के समान करने का सुखद अवसर मिला। मैं आप सभी विद्वानों के सुखी जीवन की कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लेखनी से उस साहित्य का सृजन हो और सतत होता रहे, जिसमें अनंतकाल तक हम प्रेरणा ग्रहण करते रहें और हमारा देश जिन आदर्शों के लिये सारे विश्व में प्रसिद्ध है उस एकता, प्रेम और विश्व-वधुत्व को हम अपने जीवन में उतार सकें, प्राप्त कर सकें। अंत में मैं इस जन्मशती समारोह के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ।

मानव कल्याण के साधक : श्री आनंदीलाल पोद्दार

श्री आनंदीलाल पोद्दार के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने तथा आप सबसे मिलने का जो अवसर आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिये मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ।

पोद्दार परिवार से मैं तो मैं बहुत समय से परिचित हूँ। परन्तु जयपुर में जाने और इस प्रदेश के नागरिकों से मिलने का मेरा यह पहला मौका है। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पोद्दार परिवार अपने इस प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रहा है। परन्तु मैं समझता हूँ कि इसका अधिकाधिक श्रेय उस कर्मनिष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है जिनकी मानवैतर भावना से प्रेरित होकर पोद्दार परिवार उस महान् परंपरा के विकास और विस्तार में प्रयत्नशील है।

आज हम उसी महान् व्यक्ति को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिये यहाँ एकत्रित हुए हैं। सेठ आनंदीलाल पोद्दार, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे नवलगढ़ में पैदा हुए थे। बचपन से ही साहस, मूकबूझ और धैर्य के धनी रहे। परिवार की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण १७ वर्ष की छोटी आयु में ही घर से जीविका उपार्जन के लिये निकल पड़े थे। कठिनाइयों के ज्वार से जूझते हुए, जिस प्रकार उन्होंने प्रगति की, वह उनकी कार्यनिष्ठा, व्यावसायिक प्रतिभा और परिश्रम का एक ऐसा उदाहरण है, जिससे हरेक व्यक्ति प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वह आगे बढ़ते गए और औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया, उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। इतना वैभव पाने के पश्चात् भी वह अपने प्रदेश और उन अभावग्रस्त देशवासियों को नहीं भूले। उनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति की भावना सदा बनी रही। और धर्म भावना का अकुर मानव उपकार के रूप में प्रस्फुटित हुआ और यही वह सार्वजनिक भावना थी, जो उन्हें महात्मा गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय तथा सेठ जमनालाल बजाज के समीप लाकर आंदोलन में सहयोग के लिये प्रेरित कर सकी। निजी अनुभव के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा के प्रसार को आधिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सुदृढता के लिये आवश्यक समझा और डीपी सदर्थ में लोकोपकारी निधि की स्थापना करके अपने देशप्रेम का परिचय

दिया। शिक्षा के अतिरिक्त चिकित्सा तथा सांस्कृतिक मस्याग्रो की स्थापना के लिये भी उन्होंने अपने उदार अनुदान दिए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की भी अमूल्य सेवा की। अपने जीवन में जो स्वप्न उन्होंने देखा था, अपने समय में ही उसे साकार होते भी देखा। उनके निधन के पश्चात् लोककल्याण के इस कार्य में जो लोगो ने सहन किया मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने अपना उत्तरदायित्व बड़ी निष्ठा और लगन में पूरा किया है।

कहते हैं—मानव कल्याण की प्रवृत्ति से वैभव बढ़ता है और व्यक्ति के विचार और कृत्य जितने बड़े क्षेत्र के अनुपात में होते हैं, वह उतना ही महान होता है। उच्च स्थान पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, वह बड़ा बनता है, उस शक्ति के अनुरूप जो उसमें दूसरो का भला करने, सहायता करने तथा उनके जीवित स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ईश्वर ने उसे दे रखा है। जिस किमी ने जनता की सेवा की है, उनके हित और उनकी आर्थिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिये कार्य किया है, वह अपनी याद सदा के लिये छोड़ गया है। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिये सदा प्रेरणाप्रद रहा है। सेठ आनन्दी लाल पांडार के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि उत्साह और लगन है, ईमानदारी और आगे बढ़ने की चाह है, तो बड़प्पन कोई असाध्य वस्तु नहीं है। जो कठिनाईयो को देखकर हिम्मत नहीं छोड़ देता, बल्कि निरंतर प्रयत्नशील रहता है, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेता है। आज हमें उम आत्मविश्वास और आत्मसमय को सचल बनाना होगा, जो शनैः शनैः कमजोर होता दिखाई पड़ता है।

आज हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं, कीमते जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, आवश्यक वस्तुओं का जिस प्रकार अभाव है, उनके लिये साधनों की कमी यदि एक कारण है तो दूसरा ही मनुष्य का केंद्रित अहम्। मनुष्य का केंद्रित अहम् मनुष्य को अपने साथियों, अपने देशवासियों से पृथक् करके रख देता है। दूसरो के दुखो और पीडा के अनुभव से अपने को अलग समझना न तो व्यक्ति और न समाज के ही हित में हो सकता है। केवल अपनी ही सुखसमृद्धि को सुदृढ़ बनाने और सुरक्षित रखने की लालसा, स्वार्थों के रूप में जितनी प्रबल होगी, आर्थिक और सामाजिक न्याय के ध्येय से हम उतने ही पिछड़ जाएंगे। यदि मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, समानता पर आधारित सामाजिक संरचना की उत्कृष्ट कल्पना को साकार करना है तो उसे अपने अदर मानवीय कर्षणा को समृद्ध करना होगा। तभी हम एक

स्वस्थ एवं सुदृढ समाज बना सकेंगे। आज हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं, उनके समाधान में सभी का सहयोग अनिवार्य है। यदि हम सब मिलकर निष्ठा से सामूहिक प्रयत्न करें तो शीघ्र ही कठिनाइयों के बादल छूट जाएँगे। वर्तमान परिस्थितियों में समाज अपने वैभवशाली देशवासियों से अधिक आशाएँ रखता है और मैं समझता हूँ कि देश का सपन्न वर्ग इन कठिनाइयों को कम करने में अतीत की भाँति अपना पूरा सहयोग देगा। झरने का जल पहाड़ियों और घाटियों में से सदैव नीचे की ओर बहता है। यह उसकी प्रकृति है अथवा धरती का आकर्षण। परोपकार की भावना का भी यही उद्देश्य है। हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि, ये सब जन कल्याण द्वारा ही सार्थक बनते हैं।

मुझे यह देखकर बड़ा सतोष हुआ, कि पोद्दार परिवार इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग दे रहा है और यह सद्भाव और सहयोग आपलोगों को सेठ आनंदी लाल के समय से प्राप्त हो रहा है। समाज कल्याण, संस्कृति की प्रतिष्ठा तथा मानव सेवा की जिन मूलभूत भावनाओं से प्रेरित होकर यह परंपरा आरंभ हुई, पोद्दार परिवार ने उसे कायम ही नहीं रखा, बल्कि उसमें विस्तार भी किया है। यह सेवा का भाव आप में बना रहे और देशवासियों को अधिक से अधिक सेवा करने में आप समर्थ हों।

पोद्दार परिवार राजस्थान विश्वविद्यालय में विजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका अभी कुछ देर पहले मैंने उद्घाटन किया, के लिये अनुदान देकर अपनी उदारता एवं दानशीलता का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है, देशसेवा का यह भाव अनुकरणीय है।

अभी अभी मैंने सेठ आनंदी लाल पोद्दार की प्रतिभा का अनावरण किया। मुझे आशा है कि प्रतिभा प्रतीक रूप में आप सभी का मार्ग दर्शन करती रहेगी और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में जो नई प्रतिभाएँ आएँगी उन्हें औद्योगिक विकास के लिये प्रचुर शिक्षा और समाज के प्रति कर्तव्य के लिये प्रेरणा का स्रोत रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सेठ आनंदी लाल पोद्दार को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने का अवसर दिया।

६. शिक्षण और समाज

व्यक्तित्व का निर्माण

आप विद्यालय के वार्षिक तथा संस्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित होने का जो सुयोग मुझे प्रदान दिया गया, उसके लिये मैं आपका, विशेषकर श्री कपिला का आभार मानता हूँ ;

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विगत बाईस वर्षों से जब से विद्यालय की स्थापना हुई, इस संस्था ने सतोषजनक प्रगति की है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो विद्यालय एक छोटे से पैमाने पर आरम्भ किया गया था, वहाँ इस समय लगभग एक हजार चार सौ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी विद्यालय के जीवन में यह एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। मैं तो कहूँगा कि यह आपके इस विद्यालय का सौभाग्य है कि आपको स्वर्गीय पंडित नरसिंह लाल जैसे कर्मठ शिक्षाशास्त्री की सेवाएँ और योग्य पथ निर्देशन प्राप्त हुआ और पंडित शारदा राम ट्रस्ट का उदार अनुदान मिलता रहा है। इसके साथ इस विद्यालय की उन्नति में उन प्राचार्यों, अध्यापकों तथा कार्य-कर्ताओं को श्रेय प्राप्त होता है, जिन्होंने इसके लिये पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएँ समर्पित की हैं। इसके लिये मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, जिनके योगदान से यह विद्यालय इस क्षेत्र को शिक्षा की सुविधा जुटाने में समर्थ हो सका है।

यह सभी जानते हैं कि मानवीय तथा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का सर्वोपरि महत्त्व है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति और समाज की उन्नति और विकास संभव है। हमारी आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक प्रगति वस्तुतः हमारी शैक्षणिक क्षमता और रचनात्मक दक्षता पर ही निर्भर करती है। हमारे राष्ट्रनायकों ने इसीलिये शिक्षा के विस्तार पर बल दिया और यह चाहा, कि शिक्षा की सुविधाएँ गाँव गाँव तक पहुँचे। लोग अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षित हो और इस प्रकार एक नए समाज की रचना के लिये देश का हर नागरिक अधिक प्रवृद्ध और गुणसंपन्न होकर अपना योगदान दे सके। यह काम बहुत बड़ा काम है, इसलिये इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। हमारे देश में कितनी ही शिक्षा संस्थाएँ हैं, ऐसी अनेक ऐच्छिक संस्थाओं को मैं जानता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और अब भी कर रही हैं। शिक्षा के विस्तार, अनुशासन और व्यवस्था पर ही विद्यालय की प्रतिष्ठा निर्भर करती है।

मेरे विचार में, तो शिक्षा के केंद्र, ज्ञान, विज्ञान तथा सस्कृति के आगार होने चाहिए, जहाँ हम भावी नागरिकों के सत्रन व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, जहाँ एक सभ्य और सुव्यवस्थित जीवन के लिये हम उन्हें तैयार कर सकें, जहाँ उनमें ऐसी क्षमता पैदा की जा सके, कि सामाजिक दायित्वों का वह पूरी योग्यता और कुशलता से निर्वाह कर सकें। आज यह अनुभव किया जाता है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो हमारी उदात्त सांस्कृतिक परंपराओं के भी अनुकूल हो और युग की आवश्यकताओं को पूरी करने में भी समर्थ हो। वास्तव में राष्ट्र के उद्देश्यों के साथ शिक्षा का समीप का संबंध होना चाहिए।

आज हम सबके सामने एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व पूरा करना है। हम कोई भी काम करते हैं, राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखकर, यदि हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। शिक्षक का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये समाज उनमें अधिक आशाएँ भी रखता है, क्योंकि वह शिल्पी है, जो समाज के भावी नागरिकों को तैयार करता है, अपनी योग्यता, अनुभव और ज्ञान से उनके जीवन को सँवारता है, उन्हें युग के अनुकूल सँचे में ढालता है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में देश को उन्नत बनाने का जो काम हाथ में लिया है, उस महान प्रयत्न में अध्यापकों का सहयोग नितांत अपेक्षित है। वह अपने प्रबुद्ध पथ निर्देशन से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का ऐसा विकास करें, जिससे कि उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियाँ पल्लवित हो सकें। वह जब विद्यालय छोड़ें, तो उनके पास केवल पुस्तकीय ज्ञान न हो, बल्कि उनमें आत्मनिर्भरता की सामर्थ्य भी हो। अनुशासन उनके जीवन का अंग हो। छात्र जीवन में जो जो सस्कार ग्रहण किए जाते हैं, उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि विद्यालय में अनुशासन का ऐसा वातावरण हो, कि सहज में ही सस्कृति के विनय और शील के भाव तथा नैतिकता के सत्य, निष्ठा, निस्वार्थता, समता, आत्मसम के गुण बालकों और बालिकाओं के जीवन में प्रवेश पा सकें। वह सब के साथ भद्र व्यवहार कर सकें, सामाजिक शिष्टाचार का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। सभाषण में परिमार्जित और परिष्कृत भाषा का प्रयोग कर सकें। आज हम छात्रों में यह गुण पैदा कर सकें, तो निश्चय ही आनेवाला समाज अधिक समृद्ध, स्वस्थ और उन्नत होगा।

छात्र वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका यह समय बहुत मूल्यवान् है। यह भविष्य की तैयारी का समय है। आज जो ज्ञान आप संचित करेंगे, जा कलाएँ आप सीखेंगे, जो आदर्श ग्रहण करेंगे, उस पर ही आपका जीवन और विश्व का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिये आपका सारा ध्यान और सारी शक्ति शिक्षा पर ही केन्द्रित होनी चाहिए। आज हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन चीजों को आपने अपनाया है, क्योंकि आज के छात्र ही भावी नागरिक होंगे। उन्हें ही समाज के कार्यों का संचालन करना है। वह यदि विवेकी प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक गुणों से भी सपन्न होंगे, तो आनेवाला समाज निश्चय ही अच्छा होगा।

आपके विद्यालय में आने की मुझे प्रसन्नता है। मैं आशा करता हूँ कि यह विद्यालय अपनी उदात्त परंपराओं का पालन करता रहेगा, तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर, विद्यालय की गतिविधियों से परिचित किया और आप सभी से मिलने का अवसर दिया।

राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व

आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर उपस्थित होने की मुझे प्रसन्नता है। विद्यालय की गतिविधियों तथा उपलब्धियों के विषय में कुछ आगे जानने और यहाँ छात्रों से मिलने का जो अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह जानकर सतोष हुआ कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये आपकी सस्था अपने स्थापना काल से सचेष्ट रही है और आज भी इस दायित्व के प्रति सजग है। वास्तव में देखा जाए तो यही वह आधार है जिस पर विद्यालय की उन्नति निर्भर करती है। यदि हम कहते हैं कि अमुक विद्यालय अच्छा है तो कहने का यही तात्पर्य होता है कि वहाँ विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण और सुविधाएँ मौजूद हैं। शिक्षा का स्तर ऊँचा है, अनुशासन और व्यवस्था प्रभावपूर्ण है। जहाँ ये चीजें हैं वह विद्यालय दिनों दिन प्रगति करे, यह स्वाभाविक बात है। जब मैं ऐसे विद्यालय को देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज आपका विद्यालय साधनसंपन्न है, विद्यार्थियों के विकास के लिये यहाँ सुविधाएँ भी हैं। शिक्षकों का स्नेह और मार्ग निर्देशन छात्रों को प्राप्त है। इसके लिये मैं इस सस्था के व्यवस्थापकों, शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिनके अथक प्रयासों से इस विद्यालय ने प्रगति की है।

मानवीय तथा राष्ट्रीय जीवन में आप जानते हैं कि शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं इसलिये यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसमें हमारा राष्ट्रीय जीवन प्रविष्ट होना चाहिए। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के सकुचित विचारों के लिये कोई स्थान न हो, बल्कि हमारे विद्यालयों में उदात्त दृष्टिकोण, राष्ट्रसेवा, आत्म-विश्वास और नैतिक मूल्यों का समावेश हो। सकीर्ण विचारों को छोड़कर समता के सिद्धांत को अपनाकर, जातिपाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हमें एक ही चीज अपनानी है और वह है राष्ट्रीय दृष्टिकोण।

ऐसी ऐच्छिक शिक्षासस्याओ मे जहाँ प्रायः साधनसपन्न परिवारो के बच्चे ही शिक्षा का लाभ उठाते हैं, आज जब हम एक भेद भावना रहित समाज की रचना करना चाहते हैं, यह आवश्यक है कि हमारे विद्यालय उसके आदर्श प्रतीक हो। मैं तो चाहूँगा कि आपके जैसे विद्यालयो मे उन साधनविहीन परिवारो के प्रतिभाशाली बच्चो के लिये भी द्वार खुले रहने चाहिए जो अपनी आर्थिक कठिनाइयो के कारण यहाँ प्रवेश यही पा सकते। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपनी क्षमताओ का विकास कर देश की सेवा कर सके। उन्हे विद्यालय की ओर से ऐसी सुविधाएँ मिल सके, तो मैं समझता हूँ कि यह एक बडा काम होगा। इसके साथ एक और चीज हमे अपने विद्यालयो मे लानी चाहिए, वह है भारतीय सस्कृति। हम ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र मे आधुनिकतम चीजो को अपनाएँ, परंतु यह आवश्यक है कि हम अपनी सस्कृति के मूल्यवान आदर्शो को न भूलें। इन्हें अपने जीवन मे उतारने का भरसक प्रयास करें।

आज हम सबके सामने एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमे अपने राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व पूरा करना है। जिस देश से हमे हर प्रकार के सुख सुविधाएँ प्राप्त है, उसके प्रति पूरी निष्ठा से हमे काम करना है। छात्र अपने समय का पूरा उपयोग करें और यही कामना करे कि उपयोगी तथा आंतरिक शक्तियो का विकास करनेवाली विद्या से सपन्न होकर देश सेवा के योग्य बन सकें। जहाँ तब शिक्षा का सबध है, मैं तो मानता हूँ अच्छी शिक्षा आदर्श उपस्थित करके ही दी जा सकती है। बच्चे बडो के आचरण का ही अनुकरण करते हैं। विद्यालय के समय के पश्चात् बच्चो को घर मे भी उपयुक्त वातावरण मिले तो वह उसके विकास मे बडा सहायक होता है। इसलिये विद्यालय के बाद जब बच्चे घर जाँए तो उनके माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चो मे दिलचस्पी ले, उनमे अच्छी आदतें डालने के लिये समय का उपयोग करना सिखाएँ। उनमे अपना विश्वास पैदा करे, ऐसा होने से वह बडो का आदर करना सीखेंगे और छोटी आयु मे आपको सहयोग भी दे सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आपके विद्यालय मे इस बात को ध्यान मे रखा जाता है और उनके माता पिता व अभिभावक से सबध स्थापित करके, बच्चो की समस्याओ को सुलभाने का प्रयत्न भी किया जाता है। इन्ही शब्दो के साथ मैं आपको पुन धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपना कर्तव्य निष्ठा से पालन करते रहेंगे।

समाज की एक जिम्मेदारी

कुछ दिन हुए श्रीमती टोडे मेरे निवास स्थान पर यह अनुरोध लेकर पधारी थी कि मैं आपके इस नर्सरी स्कूल का मुख्य मरक्षक बनूँ। जब इन्होंने मुझे यह बताया कि अखिल भारतीय मूक बधिर सस्थाओं के अतर्गत बहुरूपन से पीडित बच्चों के लिये फिनर्ज नर्सरी स्कूल की स्थापना हाल ही में की है, मुझे बहुत प्रमन्नता हुई। एक मानवीय उद्देश्य से प्रेरित होकर स्वर्गीय डा० विन फिनर, जो कि फोर्ट फोडेशन की भारतीय शाखा के आर्थिक मामलों के सलाहकार थे, की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती फिनर के ठदार आर्थिक अनुदान से आरम्भ किया गया है। मैं श्रीमती फिनर के इस स्पर्धास्पद कार्य को उनके जीवन की एक अमूल्य उपलब्धि मानता हूँ। मानवी दृष्टि से प्रेरित होकर किए जाने वाले कार्य सदा स्मरण रहते हैं और समाज पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं।

आपका यह स्कूल अभी आरम्भिक अवस्था में है। आपको नागरिकों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता रहेगी। परोपकारी और मानव प्रेमी लोगों की ओर से आपको आर्थिक सहायता भी मिलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे देश में बाल कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार की ओर से मूक और बधिर बच्चों के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण की यथेष्ट व्यवस्था की गई है। बहुत से स्कूल और विद्यालय इस उद्देश्य से देश भर में सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। जहाँ हमारे देश के अवोध बच्चों की चिकित्सा का भी प्रबन्ध है और आधुनिक यंत्रों द्वारा उनकी इस कमी को दूर करने का प्रयत्न भी किया जाता है। ताकि वह बड़े होकर समानित नागरिकों की भाँति जीवन बिता सकें, अपने पाँव पर खड़े हो सकें। परन्तु यह कार्य बहुत बड़ा है। लाखों की संख्या में हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो सुनने और बोलने की शक्ति से वंचित हैं। इनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा के लिये यह नितात आवश्यक है कि स्वयंसेवी और स्वेच्छिक सस्थाओं का भी इस दिशा में सहयोग हो। देश में बहुत सी सस्थाएँ कार्य कर रही हैं। मानव सेवा से प्रेरित होकर और प्रतिफल की इच्छा के बिना जो परोपकारी कार्य किया जाता है, वह निष्फल नहीं जाता है, ऐसा सभी धर्मों और विचारकों का मत है। वास्तव में मानव सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म के प्रति हमें सदैव सजग रहना चाहिए।

यह सभी जानने है कि वहरापन मनुष्य शरीर के लिये कोई साधारण कमी नहीं। यदि यह दोष वचपन अथवा जन्म से हो, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के सामान्य विकास पर पड़ता है। वाणी और शब्द ध्वनियों से वचित व्यक्ति जीवन की नीरवता भले ही सहन कर ले, परन्तु एक मानसिक पीडा का अनुभव होता ही रहता है। हीन भावना से मुक्त हो पाना कठिन तो है परन्तु यह समाज के हित में नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि देश के सभी प्रबुद्ध एवं समृद्ध नागरिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित होना ही चाहिए। ताकि वे अबोध बालक इस कारण एकांगी और अलग अलग महसूस न करें और यह न मानें कि राष्ट्रीय जीवन में वे शामिल नहीं हो सकते। वे अन्य लोगों की तरह देश के सदस्य हैं और इन्हें अपनी मानसिक, बौद्धिक-योग्यताओं से समाज उपयोगी बनने का पूरा अधिकार है।

आज का मनुष्य वहरेपन के मुख्य कारणों को काफी मात्रा में जानने लग गया है। विज्ञान के क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, उसकी उपलब्धियों से चिकित्सा में भी एक क्रांति सी आ गई है। अब वहरेपन की चिकित्सा के लिये ऐसे उपकरण तैयार किए गए हैं, जिनसे इस कमी को बड़ी हद तक पूरा किया जाना संभव हो गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि स्वदेश में अब ऐसे सयत्न बनाए जाने लगे हैं। परन्तु फिर भी माता पिता की जिम्मेदारी कम नहीं होती है, जिन कारणों से बच्चों में यह कमी आ जाती है, उसके लिये नितांत सावधान रहना आवश्यक है। जहाँ उन्हें तनिक भी सदेह हो, चिकित्सा में उन्हें देर नहीं करनी चाहिए और इसे दूर करने का शरसक प्रयास करना चाहिए। अथवा उन्हें ऐसे स्कूलों में भरती करवा देना चाहिए, जहाँ उनकी देख रेख, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो। जहाँ माता पिता गरीब हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी समाज पर आती है और हर सभ्य समाज इसके लिये अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक बड़ा दायित्व उन शिक्षकों और सस्थाओं पर भी आता है जिनकी देख रेख में इन अबोध बालकों को सीपा जाता है। कार्य कठिन अवश्य है परन्तु त्याग और निरंतर परिश्रम से असाध्य को साध्य बनाना संभव है। इन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि सामान्य बच्चों से कहीं अधिक समय इन बच्चों को देना पड़ेगा। एक दीर्घ समय की प्रतीक्षा के पश्चात् ही यह परिश्रम फलीभूत होगा।

थोड़े दिन पूर्व ही आपने इस नर्मरी स्कूल की नींव रखी है और आपके सामने अन्य योजनाएँ भी हैं। मुझे पूरी आशा है कि उदारचित्त देशवासियों के आर्थिक और वौद्धिक सहयोग से तथा आप के निरंतर परिश्रम, त्याग और दिलचस्पी से यह पाठशाला इन बच्चों के जीवन में खुशी और सुख आनंद लाने में सफल होगी। मैं आपके इस प्रयाम एव नर्मरी स्कूल के सफल भविष्य की कामना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के माध्यम आपके स्कूल का उद्घाटन करता हूँ।

अशांति के कारण

मोतीराम आर्य सीनियर माडल स्कूल के स्वर्ण-जयती समारोह के उद्घाटन के लिये उपस्थित हो पाना मैं अपने लिये गौरव की बात समझता हूँ और आपके निमन्त्रण के लिये मैं हृदय से आभारी हूँ। शिक्षा सस्थाओं में जब कभी भी मुझे जाने का अवसर मिलता है, अपनी व्यस्तता के होते हुए भी देश के इन भावी नागरिकों से मिलने के अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। विद्यार्थियों के साथ थोड़ा बहुत समय जब भी बिता पाया हूँ, मैंने उसे अपने लिये मूल्यवान ही माना है।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपकी इस शिक्षा सस्था की स्थापना पुरुषार्थ और परोपकार की जिस भावना से की गई थी, उन्हीं मानवीय मूल्यों से यह आज भी प्रेरित है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य आप से सपन्न हुआ, उसकी मैं सराहना करता हूँ। किसी सस्था के जीवन में ५० वर्ष बहुत महत्व रखते हैं और विशेषकर वह अवधि जिसमें शिक्षा के विस्तार का कार्य किया हो, राष्ट्र सेवा ही कही जाएगी। मैं आप सबको इस स्वर्ण-जयती के अवसर पर बधाई देता हूँ।

अभी विद्यालय की प्रधानाचार्या ने, विद्यालय की गतिविधियों, उपलब्धियों तथा छात्र जीवन का जो सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया, उससे यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विद्यालय ने अपने स्थापना काल से लेकर आज तक काफी तेजी से प्रगति की है और इस समय यहाँ १७३० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह भी बड़े सतोप की बात है कि इस सस्था के प्रबन्धकों, शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों से इस विद्यालय ने अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करने में सफलता प्राप्त की है और छात्रों के समन्वित विकास के लिये कान्वेंट शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। प्रगतिशील युग की माँगों को पूरा करने, और उसके अनुरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने का जो आपने दृष्टिकोण अपनाया है, यह युगानुकूल एवं स्वयं दृष्टिकोण है। क्योंकि जगत् तक हम आज से कम से कम दस साल आगे का विचार नहीं करते, उसके अनुसार योजना नहीं बनाते हमारी शिक्षा उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकती। जो शिक्षा आज दी जाएगी, वह भविष्य की तैयारी है। कल हमारे सामने जो प्रश्न पैदा होंगे,

उनके समाधान की उममें सामर्थ्य हो, यही हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। इन वच्चों को आनेवाले समय में देश का नागरिक बनना है, देश के लिये काम करना है तो इन्हें हम आने वाले समय के लिये तैयार न कर सकें तो टोप हमारा होगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस स्वध में शिक्षकों का भी बहुत बड़ा दायित्व है। ये वचने जो देश की अमानत हैं, उन्हें माँ वापने अपनी सीपा है, इस आशय से कि वे अच्छे उन्मान बन कर अपने समाज और देश का नाम ऊँचा करे। इन्हें जो शिक्षा और सम्कार इस आरम्भिक बान में प्राप्त होंगे, वह सर्व्व इनके साथ होंगे, गुरु और शिष्य की हमारी उस महान् परंपरा को सुदृढ बनाना ही राष्ट्रीय हित में है।

आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में अशांति व्याप्त है, क्योंकि अभी तक मानव ने भाइयों की तरह जीना नहीं सीखा। अभी तक जाति, धर्म, भाषा, रंग और संप्रदाय के भेद विद्यमान हैं। भारत में भी कभी यह भेद विरोध और असहिष्णुता के स्वरूप में राष्ट्रीय एकता को हानि पहुँचाते हैं। परंतु इन चीजों से बचने के लिये, मानवीय एकता जब तक सुदृढ नहीं होती, स्थायी समाधान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि शिक्षा सस्याओं में दी जाने वाली शिक्षा में केवल इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी, सच्चे देश-भक्त, कार्य-कुशल एवं निष्ठावान् नागरिक बनें, बल्कि शिक्षा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समस्याओं को सुलभाने की उपयुक्त क्षमता भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों की मनोवृत्ति इस प्रकार सेवारी जानी चाहिए कि नए युग की चुनौतियों का सामना करने की उनमें शक्ति हो। हमें एक मानवोचित दिशा प्रशस्त करनी होगी। ताकि भावी पीढ़ी में नैतिक तथा बौद्धिक गुणों को विकसित करके अच्छे प्रशासक, नियोजक, प्रवक्ता, साहित्यकार, राजनीतिक, वैज्ञानिक इत्यादि क्षेत्रों के लिये गृहसपन्न, निष्ठावान नागरिक तैयार किए जा सकें। विद्या का यही अर्थ है कि उसके द्वारा हमारे जीवन और चिंतन में उचित मूल्यों का समावेश हो सके।

मुझे यह जानकर बड़ा सतोप हुआ है कि आपके विद्यालय में छात्रों के बहुविध विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि इस विद्यालय के छात्रों ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करके संस्था के यश में वृद्धि की है और शिक्षा पूर्ण करने के वाद भी नाम कमाया है। मैं छात्रों को उनके प्रशंसनीय कार्यों के लिये बधाई देता हूँ और उन्हें सीख देता हूँ कि ज्ञान अर्जित करने में किसी प्रकार प्रमाद न करे। उपनिषदों में कहा है कि ज्ञान से सब सशय दूर हो जाते हैं—

“भिद्यते हृदयग्रथिश्छिद्यते सर्वसंशया ।” दूसरे स्थान पर कहा है—
 “अथो खल्वाहु काममय एवाय पुरुष इति स यथा कामो भवति
 तत्कतुर्भवति, यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरु ते तदभिमपद्यते ।”

जैसी हम कामना करने हैं वैसा हमारा ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान होगा,
 वैसा ही मनुष्य कर्म करेगा और जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमें फल
 मिलेगा ।

जिस तरीके से यहाँ कार्य हो रहा है और जिस लगन और निष्ठा से
 आप सब इस सस्था द्वारा समाज की सेवा कर रहे हैं, उसे देख कर
 हार्दिक प्रसन्नता हुई है । आपके सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ हैं । मुझे
 आशा है कि दानशील लोग आपको हताश नहीं होने देंगे । आपकी सस्था
 के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यालयों के छात्रों को
 मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ । आप फले फूलों और पूरी निष्ठा
 से अपनी शिक्षा ग्रहण करें । ताकि आप जब समाज में प्रवेश करें तो आप
 सभी सशयो से निवृत्त हो ।



परिवार की खुशहाली

उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रागण में उपस्थित होने का जो मुयोग आपने मुझे प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। आज गृह-विज्ञान कालेज के नए भवन की आधार शिला रखी गई। मुझे बताया गया है कि यह कालेज पिछले कुछ वर्षों से गृह विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा जुटा रहा है। कालेज के विकासक्रम तथा गतिविधियों के विषय में जानकर प्रसन्नता हुई और सतोप हुआ कि उदयपुर विश्वविद्यालय युग के अनुकूल शिक्षण व्यवस्था के लिये सजग है।

आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के लिये शिक्षा को प्राथमिकता मिली। शिक्षा के बारे में कई विचार सामने आए। आज सभी यह मानते हैं कि शिक्षा अधिक व्यावहारिक होनी चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी अधिक स्वावलंबी बन सके और आनेवाले समय की आवश्यकताओं को पूरा करने की उसमें सामर्थ्य हो। वह हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के योग्य भी बना सके। विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, वाणिज्य इत्यादि विषयों में विस्तार आ जाने के साथ आज इनमें बड़ी व्यापकता आ गई है। एक एक विषय की कितनी ही शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं जिनका महत्व बढ़ता जा रहा है। उनमें विशिष्टता प्राप्त की जा सकती है। अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। गृह विज्ञान आज बड़ा आवश्यक और उपयोगी माना जाता है। इस विषय के बारे में लोगों में पहले कुछ गलत धारणाएँ रही, परंतु अब इसे समझा जा रहा है और ऐसे कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।

यह प्रायः सभी जानते हैं कि हमारा घर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। उसके बिना न समाज बनता है, न सामाजिक जीवन। घर के सुव्यवस्थित होने का अर्थ है, सुखी और स्वस्थ पारिवारिक जीवन। घर का महत्व प्राचीन काल से रहा है। वह अब भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी रहेगा। किसी ने कहा है कि राष्ट्र की समृद्धि और विकास इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस देश में रहनेवाले लोगों के घरों की स्थिति कैसी है।

प्राचीनकाल से घर की सर्जक नारी रही है। घर की समुचित व्यवस्था का दायित्व तब से उसने ही संभाला है। इस समय में इस युग में एक विशेष

परिवर्तन आया है । वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति तथा नए जीवन मूल्यों के साथ आज महिलाओं का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं रहा । वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती दिखाई देती हैं । आज वे आर्थिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को बड़ी दक्षता से निभा रही हैं । महिलाओं के लिये शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं । परंतु यह भी सत्य है कि गृह का प्रबन्ध आज भी उसी के कंधों पर है ।

परिवार की खुशहाली केवल आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर नहीं करती । इसके साथ स्वस्थ और सुंदर तरीकों का अपनाया जाना भी जरूरी है । आर्थिक संपन्नता के बावजूद पारिवारिक जीवन असंतुष्ट और कष्टमय हो सकता है । जबकि एक चतुर गृहनिर्माता महिला सीमित साधनों के होते हुए भी एक सुंदर घर का निर्माण कर सकती है ; अपने घर के समस्त दायित्वों को सुयोग्य ढंग से निभाने के लिये युगसदृश में गृह विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है । क्योंकि एक सखी, स्वस्थ एवं सतुष्ट जीवन के लिये आवश्यक और उपयोगी सामग्री का इस विषय में समावेश है ।

आज गृहविज्ञान मानव के सतुलित जीवन यापन से सवध रखता है । इसमें घर की सज्जा, उसकी व्यवस्था, अच्छे पारिवारिक सवध, नियोजन इत्यादि के बारे में सभी कुछ है । यह विज्ञान हमारे लिये घर में जितना उपयोगी है, उतना ही रोजगार का एक सवल साधन भी बनता जा रहा है । ऐसे कई कार्य हैं, जिनमें गृह विज्ञान के स्तानकों की मर्ग बढ़ती जा रही है । इसमें विस्तार की अधिक सभावनाएँ हैं । इसलिये अधिक से अधिक महिलाएँ यदि यह विषय अपनाएँ तो मैं समझता हूँ कि घरों में जो तवदीली आएगी, उससे समाज को एक नया रूप प्राप्त होगा । यह एक सामान्य समझ की बात है कि सरकार हर परिवार के लिये एक एक शिक्षिका या परिचारिका का प्रबन्ध नहीं कर सकती । इसलिये गृह निर्माण महिलाओं को युग के अनुकूल विभिन्न जीवन उपयोगी विषयों की समन्वित जानकारी की सुविधा प्राप्त हो तो सही माने में वह वच्चों के लिये एक अच्छी शिक्षिका, एक हितैपी परिचारिका का दायित्व भी पूरा कर सकती है तथा अपने परिवार के लिये एक सुघड व्यवस्थापिका एवं मार्गदर्शिका भी सिद्ध हो सकती है । मैंने महिलाओं के लिये इस विषय को अधिक उपयोगी मानकर इस बात पर बल दिया । आज यह विषय इतना व्यापक है कि पुरुष भी इनसे लाभ उठा समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं । आज यह चेतना जग रही है कि

वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्पनाने से ही हम उन्नति कर सकते हैं। देश को उँचा उठा सकते हैं।

मैं विश्वविद्यालय के उन कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देता हूँ जिन से सामान्य जनता भी शिक्षा का लाभ उठा सके। हमारे देश में इस बात की वही जरूरत है कि शिक्षा के प्रसार का काम न केवल अध्यापकों द्वारा ही संपन्न हो, बल्कि उस कार्य में विद्यार्थियों का भी योगदान हो। इस प्रकार की यदि व्यवस्था होती विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रभाव समाज के एक बड़े क्षेत्र पर पड़ेगा। यदि विद्यार्थी अवकाश के दिनों में देहात में जाकर, प्रौढ़ और अशिक्षित महिलाओं तथा बालिकाओं को शिक्षा का लाभ पहुँचाएँ, समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, उनको शिक्षित बनाने का कार्य करें, तो इससे उन्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनने के साथ साथ समाज के उस ऋण से मुक्त होने का भी अवसर मिलेगा, जो समाज उनकी शिक्षा पर करो के रूप में सरकार को अदा करता है और सरकार इस राजस्व का एक बड़ा भाग देश के युवक और युवतियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करता है।

मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस वर्ष से गृहविज्ञान की स्नातकोत्तर वक्षाएँ भी आरम्भ की हैं और अगले वर्ष से आप गृहप्रवर्ध तथा शिशु विकास के विषयों में स्नातकोत्तर वक्षाएँ आरम्भ करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि विद्यार्थी यहाँ समुचित ज्ञान अर्जित करके समाज सेवा का निर्वाह करेंगे। वह अपनी विद्या को दूसरों में बाँट कर इसको अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे। एक से एक दीपक जलाने का अर्थ है, सर्वत्र प्रकाश। अन्त में मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आपका कालेज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

व्यास शिक्षा

मैं अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के समारोह में आमंत्रित कर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा-सम्मेलन दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है तथा संस्कृत और भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।

लगभग एक वर्ष पूर्व आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी द्वारा संपादित दो हजार पृष्ठों से भी अधिक विशाल ग्रंथ “कुतूहलवृत्ति” के विमोचन का इसी भवन में मुझे अवसर मिला था। काची शंकराचार्य जी की प्रेरणा से स्थापित वेद मीमांसा अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी द्वारा प्रकाशित तथा आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी के द्वारा संपादित दूसरे ग्रंथ “व्यास-शिक्षा” का विमोचन अभी मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। यह सब आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी द्वारा लगातार की जा रही साधना का ही सुपरिणाम है। इस ग्रंथ का सम्बन्ध वैदिक साहित्य से है। इसमें प्राचीन परंपरा से आ रही वैदिक उच्चारण परंपरा के नियमों की व्याख्या की गई है। एक प्रकार से यह वैदिक भाषा विज्ञान से संबंधित उच्चकोटि का ग्रंथ है—जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ था जिस पर शोध कर आचार्य जी ने इसका समालोचनात्मक संपादन किया है।

वेद, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल स्रोत है। सारे ससार के विद्वानों ने उनकी प्राचीनता और गौरव को समान के साथ स्वीकार किया है। आज के युग में वैदिक तत्त्वज्ञान का प्रचार-प्रसार बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारे मूल स्रोत वेद की ओर इस ग्रंथ के द्वारा सारे ससार का ध्यान आकृष्ट कर आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी ने एक बड़े उपकार का काम किया है। इसके लिये मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके द्वारा संस्कृत और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में की गई सेवाओं को स्तुत्य मानता हूँ।

इसी प्रसंग में मैं संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरी यह मान्यता है कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति एकता और हमारी प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य के

विकाम के लिये हमारे राष्ट्र में संस्कृत के प्रचार की विशेष आवश्यकता है । हमारे गौरवमय प्राचीन इतिहास का ज्ञान भी हम संस्कृत के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं । संस्कृत का दर्जन एक क्रान्तिकारी दर्जन है—जिसमें सदा राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने का नदेश दिया है । मेरे विचार में संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने का अधिक से अधिक प्रचार—प्रसार होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को इसके पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए ।

यह प्रसन्नता की बात है कि यह ग्रथ श्रीमती रामप्यारी देवी मिहानिया की स्मृति में प्रकाशित किया गया है । मुझे बताया गया है कि उनकी धार्मिक सेवाओं के प्रति आदर प्रकट करने के लिये सभी लोग उन्हें “मा जी” के नाम से संबोधित करते थे । उनकी प्रेरणा ने जे० के० सगठन ने समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रचार—प्रसार के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनके लिए मैं सगठन को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह सगठन इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों के प्रकाशन में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करेगा ।

एक बार फिर मैं इस आयोजन के उपलक्ष में शिक्षा समेलन के अध्यक्ष, उसके कार्यकर्ताओं, आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी एवं मिहानिया परिवार को धन्यवाद देता हूँ ।

समाज के नन्हें पौधे

आज के समारोह में उपस्थित होने की मुझे बड़ी प्रसन्नता है । मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया ।

पंजाब विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिये जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उन्हें आप सभी जानते हैं । यह जरूरी था कि यहाँ एक नर्सरी स्कूल भी हो, जहाँ नन्हें-मूले बालकों और बालिकाओं को आधुनिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा सुलभ की जा सके । बुनियाद मजबूत हो तो उस पर एक भव्य भवन का निर्माण किया जा सकता है । इस बात को सामने रखकर, मेरा विश्वास है कि अकुर नर्सरी स्कूल की स्थापना की गई है । बच्चा की तीन से चार साल की अवस्था भावी जीवन के साथ बड़ा संबंध रखती है । इस अवस्था में इनका जिस प्रकार से लालन पालन होगा, इनमें आप एक सुंदर ढंग से शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाएगी, अच्छी आदतें डाली जाएँगी, उन्हीं के अनुसार उनका व्यक्तित्व निखरेगा ।

वास्तव में यह समय बच्चों के स्वभाव के निर्माण का है । हम जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही वह आधार है जिस पर मनुष्य का चरित्र और व्यक्तित्व स्थिर होता है । स्वभाव के माने हैं कि किसी चीज को बराबर किया जाए और उसके बाद वह स्वतः ही होती रहे, यह स्वभाव की परिधि है । जब हम बच्चों को नैतिक और शिष्टाचार की बातें सिखाते हैं और उन बातों की पुनरावृत्ति होती रहती है तो वह स्वभाव में परिणत हो जाती है । इसलिये यह माना गया है कि जितनी छोटी अवस्था में स्वभाव के निर्माण की चपटा होगी, उसके परिणाम उतने ही स्थायी और सुंदर होंगे । किसी बालक और बालिका में अच्छे गुण डालने का अर्थ यह नहीं कि उसे हम सदा उपदेश ही देते रहें इससे अधिक लाभ नहीं होता । लेकिन बड़े यदि ऐसा आचरण करे तो बच्चे उसे शीघ्र ग्रहण करते हैं । बच्चों में अनुकरण की क्षमता अधिक होती है । जो वह देखते हैं, उसे ग्रहण करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती । इसीलिये मैं समझता हूँ कि बच्चों के भावी जीवन के लिये शिक्षा का जितना महत्व है उतना ही उनकी पारिवारिक परिस्थितियों तथा समाज के वातावरण का भी महत्व है । बच्चों में जिन आदर्शों और क्षमताओं को हम विकसित होते देखना चाहते हैं उसके लिये वैसे आदर्श उन्हें अपने परिचय,

शिक्षा केन्द्र तथा समाज, इन तीनों के द्वारा प्रस्तुत होने चाहिए। लेकिन हम जब एक नए समाज के निर्माण की बात करते हैं तो इसका यही अर्थ है कि उस परिवर्तन के लिये हमें इन बच्चों को तैयार करना है, यह चीज हमारे सामने रहनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बच्चों की इस अवस्था में उनमें अपनी ज्ञानवृद्धि की बड़ी जिज्ञासा रहनी है। वे अपने अभिभावकों और शिक्षकों से कई बातें पूछते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। परंतु हम यदि इस उत्सुकता को दबा दें, उन्हें मनोपजनक उत्तर न दें तो उनका विकास रुक जाता है और उनके विषयगामी होने की सम्भावना होती है। इसलिये बच्चों को अपनी सुचेष्टाओं के अनुरूप अपने विकास के लिये उत्साहित किया जाता रहे तो वे देश के योग्य नागरिक बन सकते हैं। छोटे बच्चे स्वयं क्रियाशील रहने में आनंद की अनुभूति करते हैं और यदि विद्यालय में उन्हें एक आदर्श घर का वातावरण मिले तो वे खेल खेल में ही अपना व्यक्तित्व विकसित करने लग जाते हैं। अपने कार्यों को स्वयं करने का उनमें उत्साह बढ़ता है। चल-चित्र, संगीत, कहानियाँ, आदर्श पुरुषों के जीवन चरित्र और अच्छे खिलाड़ियों और खेल कूद का सामान ऐसी चीजें हैं, जिनमें उनकी ज्ञान इन्द्रियों का विकास होता है। नारी चीजे वह पृष्ठभूमि तैयार करती है जिसमें बच्चे शिक्षा में अधिक रुची लेते हैं।

किसी ने कहा है कि भावी नागरिक के निर्माण में दूरदर्शिता से काम लिया जाना चाहिए जिससे कि हम भावी समाज के अनुरूप उसे ढाल सकें। वास्तव में शिक्षा वह साधन है जिससे ऊँची प्रवृत्तियाँ निम्न प्रवृत्तियों पर विजय पाती हैं। इसी संदर्भ में डा० राधाकृष्णन का विचार था कि समुचित शिक्षा एक बच्चे की प्रवृत्ति को परिवर्तित कर उसे नया जन्म देती है। रोम की प्रसिद्ध मेरिया माटेसरी ने बच्चों के मनोवैज्ञानिक आधार पर यह सिद्धांत निश्चिन किया था कि दुर्बल कमजोर मस्तिष्क के शिशुओं को यदि नए और मनोवैज्ञानिक ढंग से पढाया — लिखाया जाए और कार्य करने का स्फूर्ति दी जाए तो स्वस्थ बच्चों के समान ही ये भी शिक्षित और सुसंस्कृत बनाए जा सकते हैं। उनमें भी अच्छी कार्यकुशलता पैदा की जा सकती है। इसलिये जिन जिन पर यह जिम्मेदारी आती है, उन्हें चाहिए कि वे अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएँ।

एक बहुत रोचक घटना है। गाँधी जी जब घूमने निकलते थे तो बच्चों के प्रति अपने स्नेह के कारण उन्हें भी अपने साथ ले जाते थे। एक बार वह भावरमती में स्नान करने गए, बच्चे उनके साथ थे। पानी में खड़े।

गाँधी जी अहिंसा के बारे में बतला रहे थे कि एक कछुए के उनके पाँव के अंगूठे को काट लिया। जब वह बाहर आए तो एक बच्चे ने पाँव से वहते हुए खून को देखकर एक प्रश्न कर डाला, “बापू आपने कछुए को अहिंसा क्यों नहीं सिखाई।” अन्य लोग जो वहाँ उपस्थित थे यह सुनकर हँस पड़े परन्तु महात्मा गांधी जी विचार में पड़ गए। उन्हें लगा कि बच्चे ने एक गूढ़ प्रश्न किया है, उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, उसे संतोषजनक उत्तर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, “पहले मनुष्यों को तो सिखा लूँ, बाद में कछुए का नस्ब आएगा”। शिक्षा देते समय हमें यही चीज अपने सामने रखनी चाहिए कि हम बच्चों की जिज्ञासा का उचित ढंग से समाधान कर सकें और उन्हें अच्छी-बुराई के लिये प्रेरित कर सकें।

बच्चे नन्हें पौधों के समान होते हैं। उनकी देख-रेख, सारसँभाल में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। हमें चाहिए कि बच्चों में प्रकृतिप्रदत्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियाँ समान रूप में विकसित होती रहें। हम इनके स्वास्थ्य की ओर पूरी दृष्टि रखें। बच्चों में यदि कोई शारीरिक कमी अनुभव हो तो उसकी चिकित्सा का प्रबंध जुटा सकें, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर सकें। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हर समाज को पूरी करनी चाहिए। हमारी यही चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे देश के बच्चे प्रसन्नचित्त, हँसते और खिलते दिखाई दें।

आपने एक अच्छा कार्य आरम्भ किया है और मुझे आशा है कि आप इस कार्य में सफल होंगे। मैं इस स्कूल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिये आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

आशाओं के अनुरूप : शिक्षा का स्वरूप

इस महाविद्यालय में दीक्षात भाषण देने के लिये आपने जो निमंत्रण मुझे दिया है और यहाँ आने पर मेरा जो प्रेमपूर्ण सम्मान किया है, उसके लिये मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ।

हमारे देश के इतिहास में प्राचीनकाल में गंगा यमुना की इस पुण्य भूमि का एक अनोखा और विशिष्ट स्थान है। हमारी सस्कृति और सभ्यता की यह क्रीडास्थली रही है। अनेक अवतार पुरुषों के पावन चरणम्पर्श से यह धरती पुनीत हुई है। ऋषि मुनियों, सत्तों, सूफियों की वाणी की गूँज यहाँ के कण-कण में है। इधर आधुनिक काल में भी इस प्रदेश ने जो गौरवपूर्ण भूमिका निभाई है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन् ५७ की क्रांति की लहर जिनमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला दिया, इसी प्रदेश से उठकर देश भर में फैल गई। उन्नीसवीं सदी में हमारे देश की आजादी की लड़ाई में इस प्रदेश के लोगों ने जो कुर्वानियाँ की और यहाँ के नेताओं ने महात्मा जी के प्रेरणा-दायी नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रमुख दायित्व वहन किया है, ये सब हमारे आधुनिक इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएँगे। इस महान और गौरवशाली परंपरा को और भी उज्ज्वल बना रही हैं हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन पर इस प्रदेश के लोग ही नहीं, संपूर्ण देश के लोग गर्व का अनुभव कर सकते हैं।

आपका यह महाविद्यालय भी उसी गौरवशाली परंपरा की एक कड़ी है। यह उचित ही है कि इसका नाम इसके सस्थापक के नाम के साथ जुड़ गया है। स्वर्गीय फिरोज गांधी न केवल एक महान देशभक्त थे, बल्कि एक प्रतिभा-शाली व्यक्ति भी थे जिनकी दृष्टि आज से १५ साल पहले ही ग्रामीण, पिछड़े और दबे हुए लोगों की उन्नति की ओर गई थी। वे जानते थे कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिये शिक्षा ही एक सशक्त साधन है। यही कारण है कि उन्होंने रायवरेली में इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। किंतु यह बड़े दुःख की बात है कि जिन पौधों को उन्होंने लगाया था, उसको वे अधिक दिन तक सींच नहीं सके और उसको फलते फूलते नहीं देख सके। यदि मैं यह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस महाविद्यालय का जो सर्वतोन्मुखी

विकास हुआ है उसके मूल में जो उनकी प्रेरणा, तपस्या और सकल्प था उसी के फलस्वरूप आज यह महाविद्यालय फल और फूल रहा है। इसलिये आज के इस अवसर पर, आइए, हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी श्रद्धाजलि समर्पित करें और उनके कर्मठ जीवन से देश के लिये कुछ कर सकने की प्रेरणा ग्रहण करें।

यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस महाविद्यालय ने पिछले १०-१५ वर्षों में काफी प्रगति की है और इसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान के विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है। कुछ विषयों में स्नातकोत्तर वर्ग भी चलाए जा रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये सब इसकी प्रगति के सूचक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे समाज और देश की मांगें पूरी हो सकें। आप सब जानते हैं कि आज हम अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की रूप रेखा को बदलने के महत्वपूर्ण प्रयास में लगे हुए हैं। हम ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई पददलित और शोषित न हो और सबको, खासकर पिछड़े हुए और कमजोर वर्गों के लोगों को उन्नति के लिये अवसर प्राप्त हो। यह एक महान प्रयास है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें एक जुट होकर इसका सामना करना है। वास्तव में उन सभी साधनों में, जिनके जरिए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं, शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा न केवल सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये मार्ग प्रशस्त होता है बल्कि व्यक्ति का निजी विकास भी होता है।

हमारे महाविद्यालयों में हमारी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का स्पन्द होना चाहिए। शिक्षा हमारे देश की आवश्यकताओं और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए, तभी हमारे विद्यालय और महाविद्यालय देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो सकेंगे।

शिक्षा का एक और मुख्य उद्देश्य यह भी है कि छात्र के व्यक्तित्व का विकास हो, चरित्र का विकास हो। उसकी सारी शक्ति, योग्यता और प्रतिभा का पूर्ण रूप से विकास हो। यह तभी हो सकता है जब हम छात्रों को कुछ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाएं। इनके मन में उन ऐसे आदर्शों को प्रतिष्ठापित करें जो उनके जीवन के अग दन जाएं और

जिनके फलस्वरूप वे पूर्ण मानव बनें और इस देश के मयोग्य नागरिक बनें। इस सदर्भ में हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों का यह दायित्व है कि वे ऐसे युवक युवतियों को तैयार करें जो स्वस्थ, आत्मविश्वासी और आत्म-चरणी हों और जिनमें राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भरपूर हो।

आधुनिक जगत् ने निश्चय ही विज्ञान और टेकनोलोजी में अभूतपूर्व प्रगति की है। इन दोनों के सहारे मानव के मुँही और मपन्न जीवन के अनेक साधन उपलब्ध हुए हैं। विश्व के सभी देश एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि वे एक दूसरे के पडोसी बन गए हैं। यही कारण है कि आज के युग में कोई भी देश चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किसी क्षेत्र में, दुनिया की हलचलों से अपने को संपूर्ण रूप से पृथक् नहीं रख सकता। पारस्परिक साधन संपत्ति और टेकनोलोजी के ज्ञान के आदान प्रदान द्वारा दुनिया के विकसित देश विकासशील और अर्द्धविकसित देशों की आर्थिक और आर्थोगिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब विश्व भर में मैत्री, सद्भावना और शांति का वातावरण हो।

नवीन स्नातको, हम आज एक कठिन समय में गुजर रहे हैं। हमारे देश के सामने अनेक जटिल समस्याएँ हैं। गरीबी, जनमख्या की वृद्धि, शिक्षितों और अशिक्षितों की बेकारी और पिछड़े और कमजोर वर्गों की सर्वतोमुखी उन्नति आदि। मगर इन कठिनाइयों और समस्याओं को देखकर आपकी और हमको न तो घबडाना है, न कर्तव्यविमुख होना है। इनका सामना करने के लिये हममें और आप में आत्मविश्वास और आदर्श होना चाहिए। राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास और अपनी शक्ति तथा योग्यता पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इन सबसे अधिक हमें अपने देश, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति आदर और प्रेम होना चाहिए। विद्यालयों के प्राध्यापक यदि स्वयं इन महान् आदर्शों और भावनाओं से प्रेरित होकर काम करें तो छात्रों में उत्साह और शक्ति भर सकते हैं। जिससे वे देश और समाज के हित में अपने जीवन को अर्पित कर सकें। शिक्षक नई पीढ़ी के निर्माता हैं और वे अपने इस महान् दायित्व को निभाते हुए छात्र समुदाय का सही मार्गदर्शन करें, यही मेरी कामना है। हमारे विद्यालय एक ऐसे जलाशय हैं, जिसकी धाराओं में छात्रों की शक्ति को प्रवाहित कर एक नए समाज को उर्वरा बना सकते हैं।

स्नानको, आपने बड़ा परिश्रम करके मूल्यवान शिक्षा प्राप्त की है। आपके ज्ञान में ज्ञान की ज्योति है। आप निष्ठावान् और चरित्रवान् होकर उस

ज्योति के द्वारा देश और समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। आप अपने इस विद्यालय के सस्थापक की देशभक्ति, समाज सेवा और कर्तव्य-निष्ठा से प्रेरणा ग्रहण करें। आप सबको मैं बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपके जीवन सफल और आपके भविष्य उज्ज्वल हो। अतः मैं फिर एक बार इस महाविद्यालय के सचालको, प्राध्यापको और छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विद्यालय को देखने और यह दीक्षात भाषण देने का गौरव प्रदान किया है।

शिक्षण का पुनर्निर्माण

मेरे लिये यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं यहाँ आ सका। आपने मुझे आप सबसे मिलने, यहाँ शिक्षा के विस्तार में जो कार्य हो रहा है, उसे देखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आप सबका आभारी हूँ।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस महाविद्यालय ने अपने स्थापना काल से लेकर आज तक जो प्रगति की, उससे वे शिक्षण सस्था एक महत्व का स्थान प्राप्त कर सकी है। निःसंदेह, इसके लिये वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जिनके सहयोग, सहायता, कुशल मार्गदर्शन तथा अनथक परिश्रम से यह विद्यालय उन्नति कर सका।

आज जब हम अपनी शिक्षा सस्थाओं की ओर दृष्टि डालते हैं, तो आँकड़े देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का कितना विस्तार हुआ, इसके लिये देश में कितना काम हुआ। इसके साथ जब हम दूसरी चीजों की ओर ध्यान देते हैं तो कई बातें सामने आती हैं। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, शिक्षा तो व्यक्ति और देश के विकास का साधन है। इसका अवधान राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक जीवन से है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, जिससे उनका व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यालयों में उदात्त दृष्टिकोण, राष्ट्रसेवा की भावना, नैतिक मूल्यों की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो, सकुचित विचारों के लिये कोई स्थान न रहे, हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सभी को समान रूप से प्रदान कर सकें।

आप जानते हैं कि शिक्षा की सुविधाएँ जुटाने के लिये देश को कितना खर्च उठाना पड़ता है, और यदि देश की नई पीढ़ी को इस योग्य न बना सकें कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, अपना जीवन सार्थक बना सकें, तो इतना कुछ करने के बाद भी एक कमी का एहसास प्रश्नचिह्न बनकर सामने आता है, केवल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना काफी नहीं, विद्यार्थी जब विद्यालय छोड़ें तो उसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह अपने जीवन यापन के लिये उचित साधन स्वयं जुटा सके। वास्तविक जीवन में जो प्रश्न और कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उनका सामना कर सके। परंतु एक ही चीज या ध्येय को

सामने रखकर कि उन्हें पढ़कर नौकरी हासिल करनी है, इस एकांगी दृष्टि से जब उनके सामने दूसरे काम आ जाते हैं तो अपने आप को उनके लिये तैयार नहीं पाते, इसलिये कठिनाई आती है और निराशा भी उठानी पड़ती है। इसकी एक ही वजह है कि समय के साथ हमारी शिक्षापद्धति में जो परिवर्तन होने चाहिए थे, वह नहीं हो सके, और भावी आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला। राष्ट्र के उद्देश्यों और शिक्षा में निकट का सम्बन्ध होना चाहिए। चाहे वह शिक्षा कला, इतिहास की हो, विज्ञान की हो अथवा अर्थ वाणिज्य की। तभी वह एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो सकती है। आज इन चीजों को समझा जा रहा है, और शिक्षा में पर्याप्त सुधार लाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय नीति के अनुरूप जो नई पद्धति प्रस्तुत हुई है, वह वर्तमान परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होगी, क्योंकि इसमें शिक्षा और बेरोजगारी की युगल समस्या को सुलझाने में एक ओर यदि सहायता मिलेगी तो दूसरी ओर इससे जितने परिपक्व और प्रखर होकर विद्यार्थी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलेंगे, उससे न केवल शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा बल्कि उच्च ज्ञान और विज्ञान के लिये अधिक प्रतिभाशाली स्नातक उपलब्ध होंगे। शिक्षा की उपादेयता इन दो ही चीजों पर निर्भर करती है कि वह अच्छे नागरिक तैयार कर सके तथा उन्हें अपने पाँवों पर खड़ा होने के योग्य बना सके। हमें चाहिए कि इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी सँजोई हुई आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का भरसक प्रयत्न करें और इस प्रकार नए समाज की रचना और देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दें, जिससे कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। शिक्षा के इस आमूल पुनर्निर्माण से देश के आर्थिक और सांस्कृतिक ढाँचे को एक समाजवादी रूप दे सके।

आप जानते हैं कि आज देश में चारों ओर निर्माण कार्य हो रहा है। कृषि, उद्योग, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक नया वातावरण तैयार हुआ है, छोटे और कुटीर उद्योगों को जीवित किया जा रहा है। ग्रामीण जनता, विशेषकर, पिछड़े और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिये अनेक प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में देश को उन्नत बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में अनुशासन और कर्तव्यपरायणता की भावना के उदय से देश एक नई दिशा की ओर आज अग्रसर है। शिक्षा के हमारे केंद्र इससे अछूते नहीं, इन महान् प्रयत्न

मे उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है । इसलिये मेरा यही अनुरोध है कि हम इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में अपना सहयोग दे और विद्यालयों को ऐसा बनाएँ कि वह हमारी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

युवक वर्ग राष्ट्र की मूल्यवान् संपत्ति है । आज उन्हें शिक्षा की जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनका वह पूरा लाभ उठाएँ, हर नई और अच्छी बात को अपने जीवन में स्थान दे । साथ में अपने प्राचीन, सांस्कृतिक और नैतिक आदर्शों को भी बनाए रखें । इन आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर, देश व समाज की उन्नति के लिये अपना योगदान दें । आज हम, शिक्षक हैं, कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं या विद्यार्थी, हम सबको अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना है और कोशिश करनी है कि हम अपना दायित्व कुशलतापूर्वक पूरा करें ।

मुझे देश के इस युवा वर्ग में मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, ईश्वर से यही चाहूँगा कि वह आपके सत्कार्यों में सहायक हो और आप एक योग्य नागरिक बनें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आने का मुझे अवसर दिया और विद्यालय की गतिविधियों से मुझे परिचित कराया । यह विद्यालय निरंतर प्रगति करता रहे, यही मेरी शुभकामना है ।

हमारी शिक्षण पद्धति

दिगंबर जैन महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का जो सुयोग आपने मुझे प्रदान किया और यहाँ आने पर मेरा जो समान किया, उसके लिये मैं आप सबका आभारी हूँ।

आपकी यह शिक्षा सस्था काफी पुरानी है। आज से आठ वर्ष पूर्व यहाँ इस सस्था की स्थापना एक पाठशाला के स्तर पर हुई थी। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आज यह एक स्नातकोत्तर शिक्षा सस्था के रूप में महत्व का स्थान प्राप्त कर सकी है। आज यहाँ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं, एक बृहत् पुस्तकालय है, सुसज्जित प्रयोगशाला है तथा शोधकेंद्र की भी व्यवस्था है। ये सब चीजें किसी शिक्षा सस्था की साधन सपन्नता की प्रतीक हैं। इस सस्था के विकास और उन्नति के लिये जिन दानशील कर्मठ व्यक्तियों का सहयोग मिला, प्राचार्यों और आचार्यों की सेवाएँ प्राप्त हुई, वे सब बधाई के पात्र हैं।

यह सभी जानते हैं कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माधन है। इसलिये यह आवश्यक है कि शिक्षापद्धति ऐसी हो जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो, जो राष्ट्रीय जीवनधारा के अनुकूल हो। हमारे देश में इस शिक्षाप्रणाली का अपना एक इतिहास है। अंग्रेजी शासन के समय इसकी स्थापना हुई थी। उस समय व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और उदार भावना की नींव पर इसकी संरचना हुई थी। इसमें सदेह नहीं कि उदार भावना के पक्ष ने हमारे समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। परंतु इसके व्यक्तिवादी पक्ष ने निजी हितों की महत्वाकांक्षा को उजागर करके सामाजिक दायित्व के महत्व की प्रतिष्ठा में उतना सहयोग नहीं दिया, जितना होना चाहिए था। अतः आज यह स्वीकार किया जाता है कि हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति के महत्व को नकारा न जाए, लेकिन सामाजिकता के मूल्यों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा हो। सार्वजनिक हितों की रक्षा हो।

हम नहीं चाहते कि उच्च शिक्षा का अधिकार केवल थोड़े से लोगों को

ही प्राप्त हो, या कुछ लोगो का ही उच्च शिक्षा पर आधिपत्य हो । हमारे सविधान ने यह अधिकार सभी को दिया है । जाति, धर्म, भाषा, प्रात, लिंग-भेद कोई इसके आडे नहीं आना चाहिए, हर छोटे बड़े को यह सुविधा प्राप्त है । सरकार की ओर से पददलित और समाज के पिछड़े हुए वर्गों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

जहाँ तक शिक्षा के स्तर की बात है, यह पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है । ईश्वर ने सभी व्यक्तियों में कोई न कोई गुण दिया है, एक के अदर एक खूबी है तो दूसरे के अदर दूसरी । शिक्षा का काम उम क्षमता को पूर्ण रूप में विकसित करना है । हमारे विद्यालय ऐसे केंद्र होने चाहिए, जहाँ छात्रों की बौद्धिक और मानसिक शक्तियों को परिष्कृतता प्रदान करने के साथ साथ मानवीय गुण भी पूरी तरह से विकसित किए जाएँ । उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप उन्हें सही मार्ग दर्शन और परामर्श की सुविधा जुटाई जाएँ और उन ही विद्याओं के लिये प्रोत्साहन किया जाए, जिनमें वह अधिक सफल हो सकते हैं । केवल आर्थिक लाभो का आकर्षण आज की शिक्षा का लक्ष्य नहीं हो सकता, उसे आज राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनना है । निजी लाभो को आज हमें सामाजिक उपलब्धियों से जोड़ना है ।

रोजगार की समस्या के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि एक व्यवसाय के लिये मार्ग में प्रत्याशियों की संख्या अधिक होती है । यदि शैक्षणिक स्तर पर भी देश के साधनो और योजनाओं को सामने रखकर अलग अलग विद्याओं के लिये, मार्ग के समुचित अनुपात में हम विद्यार्थी तैयार कर सकें तो रोजगार की समस्या इतनी तीव्र नहीं रह सकती । सरकार की ओर से पूरे प्रयत्न हो रहे हैं, परंतु यह देखा गया है कि कितने ही ऐसे भी रोजगार हैं जिनके लिये उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी कार्यकर्ता नहीं मिलते । इसका एक बड़ा कारण यह है कि शिक्षण संस्थाओं का रोजगार की संस्थाओं से सवध नहीं होता और न ही कोई ऐसा अध्ययन केंद्र होता है जो विद्यार्थियों को भावी संभावनाओं की जानकारी दे सके और सरकार द्वारा नए उद्यमों के लिये जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनसे लाभ उठाने के अवसर सुलभ कर सके । मेरे विचार में हर महाविद्यालय में ऐसे केंद्र अवश्य होने चाहिए ।

शिक्षा हमारी एक सामाजिक आवश्यकता है । इसके समान अवसर हमें सभी को उपलब्ध कराने हैं । आजादी के वाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और इसमें स्वायत्त संस्थाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है । परंतु

फिर भी अभी तक एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा के लाभों से वंचित है। इसके लिये एक व्यापक पैमाने पर कार्य होना चाहिए और इस काम में विद्यार्थी हाथ बँटा सकते हैं। जिन लोगों को उच्च शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे अपने क्षेत्र के एक या दो व्यक्तियों को विद्यादान करें। इस तरह साक्षरता के काम में वह योगदान दे सकेंगे और समाज के कार्यों में उनकी रचनात्मक अभिरुचि भी पैदा होगी।

आज यह बात महसूस की जाती है कि हमारे देश में शिक्षा भारतीय समाज और उसके बदलते हुए जीवन मूल्यों के अनुरूप हो। उससे इस देश की समृद्धि और प्रगति के लिये नए आयाम प्रस्तुत होंगे। इसके लिये जरूरी है कि हमारी शिक्षा हमारी ग्रामीण समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान में सहायक हो। आज देश में पुनर्निर्माण और समाज की रूपरेखा बदलने का महत्वपूर्ण प्रयास हो रहा है। हम ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें कोई पददलित न रहे, जहाँ शोषण के लिये कोई स्थान न रहे, सबको उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो, किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ समाज में न रहें। आज हमारे सामने गरीबी, बेकारी, जनसंख्या जैसे जटिल प्रश्न हैं, इनके समाधान के लिये अन्य साधनों में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है और आज इसे यह दायित्व पूरा करना है।

युवक वर्ग राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है। आज उन्हें शिक्षा की जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, उन्हें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि शिक्षा की सुविधाएँ जुटाने के लिये समाज को कितना खर्च उठाना पड़ता है। हम इसे पूँजी का विनियोग मानते हैं। इसलिये यह आशा भी रखते हैं कि हमारा युवा-वर्ग अपनी सेवाओं और कार्य कौशल से इस देश की उन्नति में सहायक होगा। अध्ययन काल में नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों की अमूल्य निधि से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का प्रस्फुटन होना चाहिए। ऐसे सुयोग्य नागरिक गढ़ने में शिक्षा मस्थानों की व्यवस्था, प्रबंध, अनुशासित वातावरण और शिक्षित वर्ग का अनुकरणीय जीवन, बड़ा सहायक होता है। इसलिये शिक्षकवर्ग पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, वास्तव में वे भावी नागरिकों के निर्माता हैं उनमें भी मेरा अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय लक्ष्यों को सदैव अपने समुख रखें और उनकी पूर्ति में अपना सहयोग दें।

मुझे प्रसन्नता है कि आपको यह सस्था अपनी गौरवपूर्ण परंपरा को बनाए हुए है और युग आवश्यकताओं के प्रति भी सचेत है। आपके इस विद्यालय ने सराहनीय प्रगति की है। मुझे यहाँ आकर आप सबसे मिलने और विद्यालय की गतिविधियों का परिचय पाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। यह विद्यालय निरंतर प्रगति करता रहे और यहाँ का हर स्नातक : सके नाम को चमकाए, यही मेरी शुभ कामना है।

महिलाएँ और शिक्षण

यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं जैन स्थानकवासी महिला रिडिंग कालेज के प्रथम दीक्षात समारोह में भाग ले सका। आपके निर्मंत्रण के लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।

आपके इस महाविद्यालय की स्थापना सन् १९५४ में प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई थी और यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि जैन समाज के आर्थिक सहयोग, व्यवस्थापकों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों से आज यहाँ प्रथम से लेकर बी० ए० तक की कक्षाओं में शिक्षा पानेवाली लगभग एक हजार कन्याएँ हैं। किसी भी संस्था के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सभी को, जिनके सहयोग, सहायता तथा परिश्रम से आज यह विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है, बधाई देता हूँ।

यह सभी जानते हैं कि शिक्षा ही व्यक्ति और देश की प्रगति का एक सफल साधन है। इसका सवध एक ओर यदि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है तो दूसरी ओर राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक जीवन से भी इसका नाता है, इसलिये यह जरूरी है कि हमारे विद्यालय भारतीयता और सामाजिकता के केंद्र हों, जहाँ पर देश के ऐसे भावी नागरिकों का निर्माण होता रहे जो उदात्त दृष्टिकोण, देशभक्ति, सहिष्णुता और सहकारिता के गुणों से संपन्न हों। इसके लिये हमारे विद्यालयों में अनुशासन, सहयोग और सेवा की भावना का वातावरण आवश्यक है। यहाँ किसी प्रकार के सकृचित विचारों के लिये स्थान नहीं होना चाहिए और हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सभी को समान रूप से प्रदान करने चाहिए।

महिला शिक्षा के लिये देश भर में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में जो प्रयत्न हुए और हो रहे हैं, उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इन सुविधाओं से अधिक से अधिक लोग लाभ उठावें। आजादी से पहले समाज में महिला शिक्षा के प्रति इतनी जागृति नहीं थी, जितनी आज देखने को मिलती है। इस शिक्षाविस्तार के परिणामस्वरूप आज हम महिलाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ऊँचे पदों पर देखते हैं, आज शिक्षा

के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को काम करने के अवसर हैं। लेकिन महिला शिक्षा का बहुत बड़ा काम अभी शेष है। आज भी शिक्षा के तुलनात्मक आँकड़ों पर दृष्टि टाली जाए तो मालूम होगा कि हर चार विद्यार्थियों में केवल एक छात्रा शिक्षा ग्रहण कर रही है। हमें इस एक और चार के अंतर को कम करने का भरसक प्रयत्न करना है।

आज हम देश को जो रूप देना चाहते हैं और जो हमारे सामने राष्ट्रीय लक्ष्य है उनकी प्राप्ति में बाधाएँ और चुनौतियाँ हैं और वे आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में हैं, उनके उन्मूलन में महिला शिक्षा का एक बड़ा महत्व है। आज जो हमारे समाज में नाना प्रकार की कुरीतियाँ और प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, उनको दूर करने के लिये महिलाएँ अधिक प्रभावी कार्य कर सकती हैं। एक तो हमें समाज की इन बुराइयों को दूर करना है और दूसरे निरक्षरता को कम करना है। मैं तो ममभता हूँ कि एक महिला के शिक्षित होने का अर्थ है, एक परिवार को शिक्षित करने की चेष्टा करना है। हमें अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षा के अवसर जुटाने चाहिए। सरकार की ओर से जितना कुछ हो सकता है, उसके लिये पूरे प्रयत्न हो रहे हैं। लेकिन इस कार्य की विशालता को देखते हुए, यह जरूरी है कि इस दिशा में आप जैसी सभ्यताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। मैं बहुत सी ऐसी सभ्यताओं को जानता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार में मूल्यवान काम किया है और देश को प्रतिभाशाली और योग्य नागरिक दिए हैं।

आपकी सभ्यता अभी अपने शैशव काल में है। इस अवस्था में, इसमें सदेह नहीं कि कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं परंतु निष्ठापूर्वक किए गए प्रयासों और जन सहयोग से आगे बढ़ने में सदैव सहायता मिलती है। मुझे आशा है कार्यकर्ताओं की लगन और परिश्रम से यह सभ्यता दिनों दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहेगी।

आस सबसे विशेषकर विद्यार्थियों से मिलकर तथा इस कालेज के कार्यों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी यह सभ्यता गुणवान नागरिकों के निर्माण में सहयोग देकर इसी प्रकार समाज की सेवा करती रहेगी।

आज के तीर्थ स्नान

आज यहाँ आने का सुयोग बना और यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि बृलदशहर में कई शिक्षासंस्थाएँ काम कर रही हैं। लोगों में प्रगति और उन्नति के लिये पर्याप्त उत्साह है।

उत्तर भारत में डी० ए० वी० शिक्षा संस्थाओं की एक प्रमुख भूमिका रही है। शिक्षा के विकास और विस्तार में इन्होंने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज भी ये संस्थाएँ उसी भावना और उत्साह से काम कर रही हैं, जिसे उद्देश्य को लेकर इनकी स्थापना हुई थी।

शिक्षा केंद्र हमारे पवित्र स्थान हैं। यहाँ मानवता पुष्पित और पल्लवित होनी चाहिए। यहाँ मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा विकसित होनी चाहिए। आज सभ्यता उन्नति के जिस शिखर की ओर बढ़ रही है, वह मनुष्य की रचनात्मक शक्ति की प्रतीक मानी जाए तो अधिक सगत होगा। सभ्यता हमारे क्रमिक विकास की परिचायक है, जो कुछ मनुष्य के पूर्वजों ने बनाया, वह आनेवाली पीढ़ियों के लिये छोड़ गए। इससे मनुष्य की शक्ति में, सुख सुविधाओं में, ज्ञान और जानकारी में वृद्धि हुई और वर्तमान आगे बढ़ा अतीत की शक्ति और सम्पत्ति से संपन्न होकर। परंतु वर्तमान भविष्य की तैयारी मात्र होने से आगे की ओर इशारा करता है कि मजिल अभी बहुत दूर है, तुम्हें उस स्थान से, जहाँ तक तुम्हारे पुरखा तुम्हें ले आए हैं, आगे बढ़ना है, अनंत भविष्य की ओर।

हर विचारशील व्यक्ति मनुष्य को संघर्ष और विनाश की अपेक्षा रचनात्मक कार्यों की सलाह देगा। उन उपलब्धियों से लाभ उठाने, उन्हें सुरक्षित रखने तथा नई चुनौतियों के लिये समय और परिस्थिति के अनुकूल नए समाधान ढूँढने के लिये कहेगा। जो चीज हमें मिली है, उसमें वृद्धि करना हमारा कर्तव्य है।

एक पीढ़ी ने काम किया, देश की स्वतंत्रता के लिये। उनके त्याग और बलिदानों से देश स्वतंत्र हुआ। परंतु कर्तव्य का दायित्व वह आनेवाली पीढ़ियों को सौंप गए कि वे इस देश को संवारें, मजबूत बनाएँ और आजादी को कायम रखें। सदा देश की हितसाधना में तल्लीन रहे। राष्ट्र का हित ही

व्यक्ति का हित है। देश आगे बढ़ता है, हमारी रचनात्मक क्षमता पर, हमारे त्याग और मिलकर साथ चलने पर। सघ एकता का प्रतीक है, एकता शक्ति है और शक्ति मनुष्य की रचनात्मक क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिये हमारा सघ रचनात्मक होना चाहिए। हमारी संपूर्ण आशाओं और अभिलाषाओं का केंद्र स्थल हमारा राष्ट्र है, जिस पर हर एक देशवासी की सुख समृद्धि निर्भर करती है। इसलिये निजी हितों से आगे बढ़कर देखनेवाले हमेशा पहले व्यापक हितों की रक्षा को प्राथमिकता देंगे। आज यह अनुभव किया जाता है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में दी जानेवाली शिक्षा में इतनी सामर्थ्य हो कि वह न केवल हमारे विद्यार्थियों को सच्चे देशभक्त, कार्यकुशल एवं निष्ठावान् नागरिक बना सके, बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने की उनमें उपयुक्त योग्यता भी पैदा कर सके। हमारी शिक्षा हमारे जीवन और चिंतन में उचित मूल्यों को उभारने में सक्षम होनी चाहिए ताकि नैतिक, बौद्धिक तथा मानसिक गुणों के विकास से देश को हम अच्छे प्रशासक, वैज्ञानिक, नियोजक, प्रवक्ता, इंजीनियर, डाक्टर, कार्यकर्ता इत्यादि क्षेत्रों के लिये योग्य नागरिक उपलब्ध हो सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि आपके इस शिक्षासंस्थान में विद्यार्थियों के बहुविध विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि योग्य शिक्षकों के निर्देशन में यह विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा और इस कार्य में विद्यार्थी वर्ग का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। छात्र अपने शिक्षक का आदर करें, शिक्षक विद्यार्थी को स्नेह से सिखाएँ, लिखाएँ, पढाएँ। विद्यालयों में छात्र-सर्घों के लिये जो कार्य हैं, वे हैं अनुशासन और एकता के, सद्भाव और सहानुभूति के, सहायता और सहकारिता के। उचित यही है कि युवा-शक्ति रचनात्मक कार्यों में काम आए। रोगियों की सेवा, गरीबों की सहायता। जो पढाई, लिखाई में किसी प्रकार से पीछे रह गए हैं उनको अपने साथ लेकर चलना, जो भूले भटके हैं, उन्हें अच्छे रास्ते पर लाना और एक मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, जिसकी छाप हमारी जिंदगी पर बनी रहे। पढाई से जो समय बचे, विद्यार्थी इसका उपयोग इस तरह करे, तो मानसिक सतोष के साथ साथ उसका आत्मिक बल भी बढ़ेगा।

मैं आशा करता हूँ कि इस विद्यालय में जिस छात्रसघ की स्थापना हुई है, वह सत्य, सेवा और सदाचार के आदर्श हमेशा सामने रखेगा। आप सबको मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ।

अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता

आपने मुझे यहाँ बुलाकर गांधी बाल निकेतन माटेसरी स्कूल में हो रहे कार्य को देखने और इन बालों और बालिकाओं से मिलने का अवसर दिया है। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपका यह विद्यालय शिक्षा के विस्तार में एक अच्छा कार्य कर रहा है।

गांधी जी के नाम पर आपका विद्यालय है। किसी महापुरुष से सवध का अर्थ यही है कि वह संस्था उन आदर्शों के अनुरूप भी हो, वैसे वहाँ काम भी हो। और लोगों को कुछ कहने का मौका न मिले। गांधी जी तो सत्य, सेवा और सहानुभूति के प्रतीक थे। उन्होंने हृदय जोड़े, अपने आदर्श जीवन से लोगों को प्रभावित किया। मुझे आशा है कि आपका विद्यालय भी उन्हीं आदर्शों से प्रभावित होगा। मुझे प्रसन्नता है कि विगत कुछ ही वर्षों में आपके विद्यालय का इतना विस्तार हुआ। विस्तार होना अच्छा है, यदि शिक्षा का स्तर भी ऊँचा रहे। इसी से सफलता निश्चित और लोकप्रियता में वृद्धि संभव है।

आजादी के बाद शिक्षा विस्तार का काम जितनी तेजी से हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, यह जानकर ही इस दिशा में इतना काम हुआ। क्योंकि शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, कोई भी नहीं बढ़ सकता। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम बनाया गया। काम बहुत बड़ा था, इसलिए मिलजुलकर काम हुआ। सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी सहयोग दिया और अब भी मिल रहा है। कुछ देशों को छोड़कर, अन्य देशों में भी शिक्षा का कार्य सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में है। हमारे देश में भी अनेक शिक्षा-संस्थाएँ हैं, जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। शिक्षा ग्रहण करके वच्चे अच्छी जगहों पर पहुँचें हैं। शिक्षा संस्था सरकारी हो या गैर सरकारी, बात वच्चों की अच्छी शिक्षा की है। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी इस संस्था में छोटे वच्चों की पढ़ाई, लिखाई, खेल-कूद तथा आमोद प्रमोद की उचित व्यवस्था है।

वच्चे राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति हैं। इनका वचपन में जैसा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होगा, वैसे ही वे बनेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि वच्चों का शिक्षा बड़े नियोजित ढंग से हो, ताकि उनका समुचित विकास हो सके। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम वच्चों के कल्याण के अनुकूल

सामाजिक वातावरण तैयार करें, ताकि धन के अभाव के कारण, प्रतिभाशाली बच्चे भी विकास और उन्नति के अवसरों से वंचित न रह सकें।

यहाँ छात्राओं की शिक्षा का भी प्रवर्ध किया गया है। यह खुशी की बात है कि महिलाओं की शिक्षा के बारे में अब लोगों में पर्याप्त जागृति है। सुदूर के गाँवों में भी लोगों को अपनी बालिकाओं की तालीम का ख्याल तेजी से फैला है। महिलाओं की शिक्षा के औचित्य को अब बताने की जरूरत नहीं। अच्छी तालीम हासिल करके पुरुषों के साथ महिलाएँ भी बराबर कदम-ब-कदम चल रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आज उनकी पहुँच है। वे विज्ञान, शिक्षा-प्रवर्ध, न्याय, राजनीति, ललित-कला इत्यादि सभी जगह अपनी योग्यता से आगे उन्नति कर रही हैं। समय बदल गया है और इसे अच्छा बनाने के लिये हम सब मिलकर काम करें तो कोई सन्देह नहीं कि हम हर मुश्किल और कठिनाई पर विजयी होंगे। हमारी दिलचस्पी, हमारी मेहनत और हमारे काम करने के तरीके पर ही हमारा वर्तमान और भविष्य निर्भर है। हमारी इस शिक्षा में यदि अपनी पुरातन सभ्यता की जानकारी मिलती रहे, उसे हम अपने जीवन से अलग न होने दें। हमारे देश की महिलाओं ने इस सभ्यता को हमेशा बल प्रदान किया है। इसे जीवित रखा है। आज भी वेही इसकी महानता, इसकी गरिमा को बनाए रखेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस प्रकार आज दूसरे क्षेत्रों में वे आगे आई हैं समाज उपयोगी कार्यों के लिये, नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक चेतना के विकास में भी वे आगे होंगी। आप सबको मेरी शुभ कामनाएँ।



स्वास्थ्य और समाज

प्रगति के पथ पर आयुर्वेद

आज आपके बीच अपने को पाकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपने यहाँ इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय का उदघाटन करने का जो गौरव मुझे प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। जिस मानवीय भावना से प्रेरित होकर इस चिकित्सालय की यहाँ स्थापना हुई, उसे मैं स्तुत्य मानता हूँ और उन सबको बधाई देता हूँ कि जिनके सत्प्रयासों और सहयोग से यह निर्मित हो सका है।

आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सापद्धति है। हम जब ससार के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इससे प्राचीन कोई दूसरी चिकित्सा प्रणाली नहीं है और भारतवर्ष के लोग ही इससे लाभ नहीं उठाते रहे, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों तक भी यह पहुँची। जब ससार के दूसरे देश सभ्यता के आरम्भिक काल से भी पीछे थे, हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान का विकास किया और तब से यह विज्ञान पीड़ित और निरीह लोगों की सेवा कर रहा है, हम जानते हैं कि आज जो अन्य चिकित्सा प्रणालियाँ प्रचलित हैं, वे अधिक साधनसंपन्न हैं, नवीन उपकरणों और यंत्रों से सुसज्जित हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमारी यह प्राचीन चिकित्सापद्धति पिछड़ गई। हम उसका विकास नहीं कर सके। परंपरा से हमने जो कुछ पाया, उसे आगे नहीं बढ़ा सके। परतत्नता ने हमारी प्रगति में हर तरह से अवरोध पैदा किए, यह सभी को मालूम है। अंग्रेजों के जमाने में देश की क्या दशा थी। उन्होंने यहाँ की हर चीज को उखाड़ फेंकने के लिये क्या कुछ नहीं किया। अपनी हर चीज हमपर थोपने की कोशिश की। यहाँ तक कि हम अपनी सस्कृति को भूल जाएँ। ऐसा प्रतीत हो कि जैसे हमारा अपना कुछ था ही नहीं, लेकिन जब देश ने अपनी खोई हुई आजादी हासिल की, समय ने पलटा खाया, इसके साथ शुभारंभ हुआ एक नए दौर का, एक नए युग का, जिसके साथ हमारी आशाएँ और आकांक्षाएँ जुड़ी हुई हैं और देश में नवनिर्माण का कार्य आरंभ हुआ। पिछले अठ्ठाईस वर्षों में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विज्ञान और तकनीकी में, शिक्षा और चिकित्सा में, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में हमने आशाजनक प्रगति की। और इस माग में

अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी हम आगे बढ़ने के लिये हँसले रखते हैं और अवश्य आगे बढ़ेंगे। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।

आज आयुर्वेद भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सुयोग्य आयुर्वेदज्ञों, चिकित्सकों एवं दूरदर्शी मनीषियों के प्रयत्नों से अधिक समृद्ध और उन्नत हो रहा है। आज इसे सरकार की मान्यता है और बढ़ावा भी मिल रहा है। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम इसे अन्य चिकित्सापद्धतियों के समान उन्नत बनाएँ, इसे वह आधुनिक स्वरूप दे सकें, जिससे यह अधिक प्रभावी और रोग-निदान में अधिक सफल हो। मानक औपचारिक तैयार हो, अनुसंधान और अन्वेषण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए, वे सभी साधन जुटाए जाएँ जो आज के जमाने में आवश्यक हैं। इसकी इस तरीके से प्रतिष्ठा हो कि देश के प्रतिभाशाली और योग्य छात्र आयुर्वेद की ओर अधिक आकृष्ट हो और इसकी सेवा करें, सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को बदल न सकें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें जमाने की रफ्तार के साथ चलना है और हमारी रफ्तार में इतनी तेजी होनी चाहिए कि हम उन्नत देशों के साथ बराबरी कर सकें।

भारत एक कृषिप्रधान देश है। इसके पाँच लाख गाँवों में आज भी एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम चिकित्सा की सहायता सभी देशवासियों तक पहुँचाएँ। आज हमारे देश में कई चिकित्सापद्धतियाँ हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, उपयोगिता है और सबके सामने एक ही लक्ष्य है, वह है जनकल्याण, लोगों का स्वास्थ्य संरक्षण एवं उनकी आयु वृद्धि करना। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से देशसेवा के इस काम को पूरा करें। आज भी आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति श्रद्धा है, हमें चाहिए कि हम इस विश्वास को बनाए रखें और आयुर्वेद की सेवाएँ द्वार द्वार तक पहुँचाएँ। उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि विषयों का ज्ञान कराएँ, जिससे लोग रोग के शिकार न हों। ग्रामीण अंचलों में रहने सहने, खान पान तथा आचार व्यवहार को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने से ही देश के स्वास्थ्य की समस्या को हल किया जा सकता है। बहुत से रोग अज्ञान और असावधानी के कारण होते हैं। आयुर्वेद पद्धति में यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उन कारणों को दृष्टि से ओझल नहीं होने देता, इसलिये औषधि के साथ पथ्य तथा स्वास्थ्य के नियमों के पालन

को भी महत्वपूर्ण समझता है। जिस रूप में पुराने जमाने में आयुर्वेद गाँव गाँव तक पहुँचा, इसने लोगों के हृदय में अपने लिये स्थान बनाया, आज के साइंस और तकनीकी के युग में यह वहाँ पूरे आधुनिक साधनों के साथ पहुँचना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई नई ओपधियाँ निर्मित हो रही हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं, उसके लिये आयुर्वेद में उचित उत्तर हमें ढूँढने होंगे, तभी हम इस प्रतियोगिता के युग में अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं।

शहरों के जो बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुँच सकते, कीमती दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, उनके लिये उनके पास पहुँचा जाए और चिकित्सा की सुविधाएँ उन्हें जुटाई जाएँ तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सुधार का काम बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरे, हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि योग्य और प्रमाणित चिकित्सक अधिक मात्रा में तैयार हों, जो सेवा और त्याग की भावना से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा में कारगर ढंग से काम कर सकें। इससे आयुर्वेद अवश्य ही अपना प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण करेगा और लोग इसकी ओर आकृष्ट होंगे।

आपके इस चिकित्सालय को देखकर मैं प्रसन्नता है। यह सत्य है कि जिस काम के लिये अच्छे और त्यागी व्यक्ति काम करने के लिये मिल जाते हैं, उसके लिये सब साधन जुटने चले जाते हैं। आपकी सस्था इस दृष्टि में भाग्यशाली है और मैं आशा करता हूँ कि आपका यह चिकित्सालय आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों की श्रमसाधना में लोग' की अधिक से अधिक सेवा कर सकेगा और अपनी व्यवस्था, कार्यकुशलता तथा मानवीय सद्भावना से दूसरों के लिये एक उदाहरण कायम करेगा। मैं इस सस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, अब इसका उद्घाटन करता हूँ।

स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना

आपके बीच आज यहाँ आकर मुझे प्रमन्नता हो रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया। यह खुशी की बात है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अब एक अस्पताल में रूपांतर हो जाएगा जिसके जिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यही है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य निष्ठा से किया। मैं इन सबको बधाई देता हूँ।

भारत की लगभग आधी से अधिक जन-संख्या गाँवों में निवास करती है तथा भारत गाँवों का देश है। जब तक गाँवों तथा ग्रामवासियों की दशा में समुचित सुधार नहीं होगा और जब तक हमारे गाँवों में रहनेवालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, उस समय तक हमारा पूरा विकास नहीं हो सकता है - कोई भी काम देश उत्थान का तब तक पूर्ण रूपेण नफल नहीं कहा जा सकता, जब तक हम गाँवों को भली भाँति उन्नत करने के लिये प्रयत्नशील न हो।

यह सभी जानते हैं कि गाँवों में अथवा देशों में बीमारी, दुर्बलता एवं गीबी अधिक है और इसी को दूर करने के लिये हमारा सरकार दृढ मकल्प है तथा इन ग्राम-वासियों की उन्नति के लिये सरकार हर सम्भव सहायता भी प्रदान कर रही है जिससे हमारे ग्रामवासी सुखी रहकर देश का कल्याण कर सकें। आज इस प्रकार के चिकित्सालय सरकार द्वारा खोले गए हैं और खोलने का प्रयत्न जारी है। जहाँ तक मेरा विचार है और मैं समझता हूँ कि इस विचार से और लोग भी सहमत होंगे कि जब तक गाँवों तक संपूर्ण चिकित्सा सुविधा को नहीं पहुँचा दिया जाएगा, तब तक हमारा काम पूरा नहीं समझा जाएगा।

आज ऐसे चिकित्सालयों की देश को नितांत आवश्यकता है, जहाँ परिवार नियोजन केंद्र भी हो। देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी तेजी में बढ़ती चली जा रही है जिसका नियंत्रण देश के हित में है। आज यहाँ परिवार-नियोजन-केंद्र भी है जिसके द्वारा हम जनता में इसकी उपयोगिता का प्रचार करके, इस तेजी से बढ़ती हुई जन-संख्या को नियंत्रित

कर सकते हैं। केवल बच्चों की उत्पत्ति से ही काम पूरा नहीं हो सकता है जब तक उन बच्चों का चहुँमुखी विकास न हो और उनके सपूर्ण विकास के लिये स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास संभव हो सके। इस प्रकार यह परिवार-नियोजन-केंद्र देश की ज्वलंत समस्या को आराम से हल कर सकता है।

गाँवों में गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपना इलाज कर सके। ऐसी स्थिति में वे इस प्रकार के चिकित्सालयों से अपना इलाज आसानी से करा सकते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य विगड़ने से रुक सकता है। परंतु एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सीमा केवल रोगी के इलाज तक ही सीमित न रखें, बल्कि उनको चाहिए कि लोगों को यह भी बतावे कि वह कैसे स्वयं स्वस्थ रहकर श्रीरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे वे बीमार न पड़ें। अगर हमारी जनता नीरोग रहेगी तो देश भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की उन्नति में अपना अधिक योगदान दे सकता है।

मैं जानता हूँ कि जन-स्वास्थ्य मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। किंतु यह काम इतना बड़ा है कि केवल सरकारी प्रयत्नों से ही पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकता। परोपकारी धनिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं को भी इसमें योगदान देना चाहिए। इस केंद्र की अध्यक्षता और यहाँ के सरकारी वर्ग भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि यह अस्पताल अपने कार्य द्वारा इस इलाके की जनता की सेवा करने में प्रयत्नशील रहे।

अंधत्व निवारण के लिये एक अभियान

नेत्रहीनो और नेत्ररोगियों के लिये राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा-सम्स्था की ओर से यहाँ सेवा और चिकित्सा का जो कार्य हो रहा है, उसे देखने लिये जब मुझे निमन्त्रण मिला, तो मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। मैं मानता हूँ कि यह नि स्वार्थ सेवा का कार्य है, इसमें मानवीयता की झलक है। यही नहीं, यह एक पुण्य का कार्य है, इसलिये, जो भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वे चिकित्सक हों, कार्यकर्ता हों, दानी हों या सचालक, उन सभी का मैं वधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके प्रयास फलदायी हों।

हमारे देश में लगभग ३० लाख नेत्रहीन हैं। अधिकतर लोग गाँवों में ही रहते हैं जहाँ उनकी सेवा और चिकित्सा के लिये बहुत कम अवसर उपलब्ध है। इसलिये यह वाछनीय ही नहीं, अत्यन्त आवश्यक है कि उनकी सेवा, चिकित्सा, शिक्षा दीक्षा और रहन सहन के लिये उचित व्यवस्था की जाय। जो लोग ईश्वर की कृपा से भाग्यशाली हैं, शक्तिसम्पन्न हैं, उनका यह नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि वे इन नेत्रहीनो और नेत्ररोगियों के जीवन को यथासंभव सुखमय बनाएँ। समाज कल्याण सम्स्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का भी यह कर्तव्य है कि वे इन विधिवचितों का सेवा करने में कोई कसर उठा न रखें।

हम और आप जानते ही हैं कि नेत्रहीन केवल देख नहीं सकते, लेकिन उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कई ऐसे प्रतिभावान् नेत्रहीनो को मैं जानता हूँ, जो अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं, वाद्यवादक हैं, शिक्षा-दीक्षा-विद् हैं और दस्तकार हैं। उनकी प्रतिभा के विकास के लिये, उनकी शिक्षा-दीक्षा और प्रशिक्षण के लिये हम यदि अवसर उपलब्ध कराएँ, तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे समाज का भार न रह कर, उसका एक उपयोगी अंग बन सकेंगे। ऐसे लोगों की सहायता करना और उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिये क्षमता प्रदान करना, समाज और राष्ट्रहित का कार्य है। यही नहीं, यह एक ऐसा मानवीय कार्य है जो किसी भी समाज की उन्नति और सभ्यता का प्रतीक माना जाएगा। इसलिये जो लोग इस कार्य में रत हैं, वे सचमुच समाज और देश की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं।

इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात है और वह दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिये देशव्यापी अभियान चलाना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक है। आज का युग विज्ञान का युग है। चिकित्सा के क्षेत्र में नितनूतन आविष्कार हो रहे हैं, नए नए तरीके और साधनों का प्रयोग हो रहा है। ऐसी दशा में, नेत्ररोगियों की, प्रारंभ से यदि हम उचित चिकित्सा का प्रवर्धन कर सकें, तो कोई कारण नहीं कि वे रोगमुक्त न हो जाएँ। पीण्डिकता की कमी के कारण जो लोग इस रोग के शिकार हो जाते हैं, उन्हें यदि पीण्डिक आहार सुलभ किया जाए तो वे भी इस रोग के चंगुल से छूट सकते हैं। मेरा विश्वास है कि सरकारी और गैर सरकारी सस्थाओं के द्वारा इस दिशा में भी एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए।

इसी प्रकार दाँतों की रक्षा, दंत रोगों की चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा की सुविधाएँ ग्रामीण जनता को उपलब्ध की जा सकें, तो कई रोगों के निवारण और उनकी रोकथाम में बड़ा उपयोगी काम हो सकता है। ऐसे शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ तक ये सुविधाएँ कम पहुँचती हैं।

एक बार फिर मैं इस शिविर के संचालकों, चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं को उनकी दक्षता और कर्तव्यपरायणता के लिये बधाई देता हूँ और अपनी सहानुभूति का उन्हें आश्वासन दिलाता हूँ।

आपने जिस प्रेम और स्नेह के साथ मेरा समान किया, उसके लिये मैं आप सबका बड़ा आभार मानता हूँ।

नेत्र चिकित्सा

नेत्रहीनो और नेत्र रोगियों की चिकित्सा के लिये नेत्र चिकित्सालय की आधारशिला रखने के लिये, आपने मुझे आभक्ति किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ ।

जब भी किसी व्यक्ति के नाम पर कोई स्मारक खड़ा किया जाता है, तो उसके पीछे यही भावना रहती है कि ऐसे मानवसेवी पुरुष से दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे, मानवीय कार्यों के लिये समाज में उत्साह जागे । दीन दुखी, असहाय एवं रोगग्रस्त प्राणी की सहायता करना, उन्हें पीडा और कठिनाई से मुक्त करना एक महान् कार्य है । जो लोग साधनमपन्न हैं, स्वस्थ एवं सबल हैं, उनका यह सामाजिक दायित्व है कि वे अपने इन देशवासियों का ख्याल रखे । यह एक निःस्वार्थ सेवा है, जो लोग ऐसे कार्यों में योग देते हैं और रोगनिवारण में सहायक हो रहे हैं, वे धन्य हैं । जो मनुष्य अपने लिये ही जीता है, उसका जीना भी कोई जीना है ? ऊँचा जीवन तो वही है जो दूसरों के लिये जिया जाता है । आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छे कार्य का बीडा उठाया है । मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके प्रयास फलदायी हो और यह भवन शीघ्र ही बनकर तैयार हो और नेत्रहीनों की चिकित्सा की सुविधाएँ इस क्षेत्र के निवासियों को जुटाने में समर्थ हो ।

हमारे देश में नेत्रहीनों की सख्या बहुत बड़ी है, लगभग तीस लाख के करीब आँकी गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्ररोगों का प्रकोप अधिक है । गाँवों में तो आप जानते ही हैं कि अभी चिकित्सा की वैसे सुविधाएँ कम हैं, जैसी नगरों में हैं । इसलिये यह जरूरी है कि नेत्ररोगों की रोकथाम के लिये उचित व्यवस्था की जाए । चिकित्सा के साथ ऐसी शिक्षा का प्रवर्ध भी किया जाय, जिससे लोग उन असावधानियों से बच सकें, जिनके कारण मनुष्य नेत्ररोगों का शिकार होता है । इसके लिये रहन सहन के तीर तरीकों में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है । स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी सुलभ कराई जाए, तो ऐसे रोगों से आनेवाली पीढियों को सुरक्षित रखने में बड़ी सहायता मिल सकती है । इस दिशा में केवल समाजकल्याण संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को ही ध्यान नहीं देना है । अन्य जो भी संस्थाएँ इस कार्य

में सलग्न है, उन्हें भी इन विधिवचितों का जीवन सुखमय बनाने के प्रयत्न में अपना सामर्थ्य और साधनों का भरपूर सहयोग देना चाहिए ।

यह सभी जानते हैं कि नेत्रहीन केवल देख ही नहीं सकते, उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता में खोई विशेष कमी नहीं होती । कई ऐसे प्रतिभावान इनमें आपको मिलेंगे जो गायक हैं, वाद्यवादक हैं, शिक्षाविद् हैं या दस्तकार हैं । उनकी यह प्रतिभा और भी विकसित होती, यदि उन्हें नेत्र मिल जाते । आँखें तो अनमोल हैं, परंतु जिनसे यह ज्योति छिन गई है, उसे हम यह दे सके तो वह समाज के और अधिक उपयोगी अंग बन सकते हैं । जिनकी चिकित्सा हो सकती है, उनकी चिकित्सा हो, जिनकी नहीं हो सकती, उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएँ जुटाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए ।

आज का युग विज्ञान का युग है । चिकित्सा के क्षेत्र में दिनो दिन प्रगति हो रही है, नए आविष्कारों द्वारा नित नए माधन और ओषधियाँ सुलभ हो रही हैं । ऐसी दशा में प्रारंभ से ही यदि नेत्र रोगियों की उचित चिकित्सा का प्रबंध हो सके, तो इस रोग से बहुत लोगों को छुटकारा दिलाया जा सकता है । पीप्टिकता के अभाव में जो इस रोग के शिकार होते हैं, उन्हें यदि पीप्टिक आहार सुलभ किया जाए तो एक बड़ी मात्रा में लोगों को इन रोग से बचाया जा सकता है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में एक देशव्यापी अभियान चलाया जाए और ऐसे शिविरो का ग्रामीण अंचलों में आयोजन किया जाए, जिनके द्वारा आँख, कान, दाँत इत्यादि के रोगों की चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा की सुविधाएँ जुटाई जा सकें, इसके साथ प्रचार भी हो । मैं समझता हूँ कि इस प्रकार हम नेत्र रोगों पर काबू पाने में सफल होंगे, जिन प्रकार मलेरिया और चेचक को रोक सके हैं ।

आपने जिस प्रेम और स्नेह में मुझे यहाँ बुलाकर मेरा समान किया, उसके लिए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ ।

अंधों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रशंसनीय योजना

मैनेशनल ब्लाड रिलीफ ट्रस्ट के प्रबंधकों का आभारी हूँ कि आपने मुझे आज के इस समारोह में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। यह बड़े सतोप और प्रसन्नता की बात है कि आपका यह ट्रस्ट नेत्रहीनों को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रशंसनीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्पर है।

हमारे देश में नेत्रहीनों की बहुत गंभीर समस्याएँ हैं। एक अपार जनशक्ति को किन्हीं प्राकृतिक प्रकोपो अथवा अभावधानियों के कारण आँखों की ज्योति से हाथ धोने पड़ जाते हैं, जिसके बिना मनुष्य भी असहाय और अभागा अनुभव करता है। एक ऐसी कमी जो सारे जीवन में एक बोझ बनकर रह जाती है। जब कभी हमारे समक्ष आँकड़े रखे जाते हैं, तो दिल काँप उठता है। सारे विश्व के नेत्रहीनों की सट्या का एक तिहाई भाग भारत में है। इटियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइमेज के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अब यह संख्या ७५ लाख तक पहुँच गई है। देशवासियों के लिये सचेत होने तथा सामूहिक रूप से विचार करने का यह विषय है। हमें उन कारणों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना होगा, जिसके कारण आँखों की ज्योति छिन जाती है। हमारे देश में यह ग्रामीण समस्या है और इसकी पृष्ठभूमि में है अज्ञान, असावधानी और निर्धनता। अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष १२ हजार बच्चे विटामिन की कमी के कारण अपनी आँख खो बैठते हैं। अघेपन की इस भयंकर प्रकोप से उचित शिक्षा एवं जीवन स्तर में सुयोग्य सुधार द्वारा ही छुटकारा पाया जा सकता है।

देश भर में नेत्रहीनों के पुनर्वास, चिकित्सा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये जितने भी समुचित प्रयास किए गए हैं, बढ़ती हुई संस्था के लिये पूरे साधन जुटाने में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं माने जा सकते। सरकार द्वारा जो कार्य संपन्न हो रहा है, उसका एक व्यापक क्षेत्र अवश्य है परंतु भारत जैसे देश में यह काम इतना बड़ा है कि अकेले सरकार को यह भार सौंप देना तर्कवगत् नहीं कहा जा सकता। देशवासियों का सहयोग और सश्रिय योगदान नितांत आवश्यक है।

हमारे देश में कितनी ही ऐसी सस्थाएँ मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर समाज कल्याण का कार्य कर रही हैं। मैं तो कहूँगा कि मानव सेवा तथा समाज कल्याण का बहुत बड़ा काम अभी शेष है, उसके लिये सुनियोजित ढंग से निष्ठापूर्वक तथा सच्चे दिल से जितना भी कार्य किया जा सके, कम है। युग सदर्भ में यही उचित है कि मानव अपने केंद्रित अहम् से ऊपर उठकर अपने उन भाइयों को विकास पथ पर अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करे, जिन्हें सहारे की जरूरत है।

अन्य देशों की भाँति हमारे देश में भी नेत्रहीनों की चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दो सौ से भी अधिक ऐसी सस्थाएँ हैं, जो इस काम में हाथ बँटा रही हैं। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् इन २७ वर्षों में जो पीढ़ी जवान हुई, उसमें हमारे वे युवक भी शामिल हैं जो अभाग्यवश अपनी आँखों की रोशनी खो बैठे हैं। सरकार तथा विभिन्न सस्थाओं के सतत प्रयासों से उनमें से कितने ही आज अपने पाँव पर खड़े होने योग्य बन सके हैं। उन्हें आज रोजगार चाहिए ताकि वे भी अपने अन्य नागरिकों की भाँति आत्मनिर्भर बनकर एक समानित जीवन व्यतीत कर सकें। परंतु यह काम तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक समाज अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह जागरूक न हो। इनकी कठिनाइयों से कोई भी सभ्य समाज मुँह मोड़ नहीं सकता। यह एक मानवीय प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी समाज के हर एक नागरिक की है और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि लोगों में मानव उपकार का उत्साह उभर रहा है और मैं समझता हूँ कि यह उत्साह जितना प्रबल और गतिमान होगा, हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ उतनी तेजी से कम होंगी।

यह तो सभी जानते हैं कि ये लोग अपने पाँव पर खड़े होने में समर्थ और जीवन के विकास क्रम में आगे पग बढ़ा सकते हैं। परंतु उन्हें सहारे की आवश्यकता है जो इन्हें डग भरने के लिये दृष्टि का काम दे। इन्हें उपयोगी नागरिक बनाकर, इनके नीरस जीवन में ताजगी लाने का काम पुरखों में एक श्रेष्ठ पुण्य है।

नेशनल ब्लाइंड रिलीफ ट्रस्ट ने नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांगों को उनी वेस्त्र, ब्रेल कागज आदि के जो ५०१ उपहार प्रदान किए हैं, वह उनके प्रति सद्भावना का एक प्रतीक है। आज के दिन आपको कुछ उपयोगी उपहार दिए जा रहे हैं। इनमें मसाले पीसने तथा मोमबत्ती बनाने के उपकरणों

द्वारा आपके लिये रोजगार के जो नए अवसर पैदा होंगे, उनमें आपको स्वावलम्बी बनने में काफी सहायता मिलेगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ट्रस्ट की ओर से भविष्य में ऐसे उपहार देने की योजना है। मुझे आशा है कि धन की कमी के कारण जहाँ कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका, उसकी भी उचित व्यवस्था होगी। मुझे बताया गया है कि ट्रस्ट अपनी एक गेटर्ड वर्कशॉप खोलने जा रहा है जिसमें नेत्रहीनों को खाने पीने की सुविधा जुटाई जा सकेगी तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए जाएँगे। मैं आपकी इन योजनाओं की सफलता की कामना करता हूँ। वास्तव में इस प्रकार की योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ की जायें और सुदूर गाँव-गाँव तक पहुँच सकें तो अवश्य ही अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि समाज का सपन्न वर्ग यदि मिलकर ठोटी-छोटी उद्योगशालाएँ खोल दे, जहाँ नेत्रहीनों तथा विकलांगों को अपनी जीविका कमाने का अवसर मिल सके तो इस काम में बड़ी सहायता होगी। मुझे आशा है कि आपकी यह योजना कारगर सिद्ध होगी और दूसरे नारों और कस्बों में भी सपन्न वर्गों की सहायता से इस प्रकार के ट्रस्ट स्थापित होंगे।

आज जिनको उपहार मिले है, उनको मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि नेत्रहीनों को रोजगार देने के लिये सपन्न वर्ग सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाएगा।

मानवीय अनुकंपा का कार्य

मुझे जो आज के इस समारोह में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ उसके लिये मैं रोटरी क्लब आफ देहली नार्थ के सभी सदस्यों तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का आभारी हूँ ।

इस क्लब की गतिविधियों से मैं भली भाँति परिचित हूँ । पिछले कई वर्षों से जनममुदाय के पीड़ित और पिछड़े हुए वर्ग की सेवा में निस्वार्थ भाव से सलग्न यह क्लब काफी सराहनीय कार्य करता आ रहा है । वास्तव में जो भी कार्य किया जाय वह मानव कल्याण की उदात्त भावना से प्रेरित होकर किया जाय तो सामाजिक महत्व का होता है । कितने ही अनगिनत लोग प्रचुर अर्थ और सहायता के अभाव में क्षय रोग जैसे भयकर रोगों का शिकार हो जाते हैं । ऐसा भी देखा गया है कि यह भयकर रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाता है । और ऐसे रोगग्रस्त घरों में जहाँ उचित और स्वस्थ वातावरण तथा जलवायु का भी अच्छा प्रबन्ध नहीं होता, वहाँ उनके वच्चे भी इस रोग से अधिक दिन अपने को नहीं बचा पाते । ऐसे ही पीड़ित वर्ग को उठाने, उनकी समस्याओं को समझने और उन समस्याओं का हल ढूँढने के लिये निरंतर प्रयास करनेवाली ऐसी अनेक समितियों की देश को आज बड़ी आवश्यकता है । ऐसे कल्याणकारी कार्यों में सरकार का सहयोग सदैव रहा है, और विंगेप-रूप से क्षयग्रस्त रोगियों के लिये उचित चिकित्सा की व्यवस्था करने के प्रयास निरंतर ही होते आ रहे हैं । परन्तु ऐसे कल्याणकारी कार्यों में जनता का और ऐसी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है ।

यह हर्ष की बात है कि इस क्लब ने ऐसे वच्चों के लिये, जिनके माता पिता क्षय रोग से पीड़ित हैं, एक क्रेच भवन इस चिकित्सालय में बनवाया है । इसमें १२ बेड्स तथा अन्य सभी चिकित्सा संबंधी वस्तुएँ उपलब्ध रहेंगी ।

ऐसे क्रेच भवन प्रायः विदेशों में अक्सर देखे गए हैं । परन्तु यह व्यवस्था भारत में प्रथम बार की जा रही है । जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस योजना की नींव सर्वप्रथम डा० एम० एम० सिंह जी ने ही रखी थी और उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से इस क्लब के सदस्यों ने आज उसे पूर्ण कर दिखाया है । निःसंदेह डा० सिंह वधाई के पात्र हैं । इस क्लब का जैसा उद्देश्य है—

“सर्विस विफोर सेल्फ”—त्याग, तपस्या, निष्ठा और वलिदान का एक अनूठा उदाहरण है। मुझे आशा है कि देश की अन्य सस्थाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी।

मैं क्लब के सभी सदस्यों को उनके इस सराहनीय कार्य के लिये बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही समाजकल्याण के कार्यों में यह क्लब भविष्य में भी सराहनीय कार्य करता रहेगा। इसके साथ ही मैं इस क्लब भवन का उद्घाटन करता हूँ।

दृष्टिकोण में अपेक्षणीय परिवर्तन

आज का दिन भारत भर में कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे इस समारोह में उपस्थित होने में बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे अवसर राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और आवश्यक समझा जाता है कि कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिये किए गए राहत के कार्यों पर दृष्टि डालकर यह अनुमान लगाया जाए कि हम इन रोगियों की कितनी सहायता कर सकते हैं, कितना काम अभी शेष है और भविष्य में हमारे इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा हो कि देश से इस रोग का जड़ से उन्मूलन किया जा सके। वरिष्ठ नागरिकों, चिकित्सकों तथा रसायन शास्त्रियों का सहयोग अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके, तो मैं समझता हूँ कि पाश्चात्य देशों ने जिस प्रकार इस भयंकर रोग की रोकथाम के लिये समुचित प्रबन्ध जुटाकर, ऐसे रोगियों को इस असह्य पीड़ा से बचाने की चेष्टा की है और काफी हद तक इस रोग के निदान में सफलता प्राप्त की है, हमारे देश से भी इस रोग को मिटाया जा सकेगा। आधुनिक उपलब्धियों तथा वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए, यह आशा की जाती है कि आनेवाले समय में अन्य रोगों पर मानव जिस प्रकार नियंत्रण कर पाया है, कुष्ठ रोग पर भी काबू पाया जा सकेगा। परन्तु अभी जो साधन हमारे पास हैं, उनको हम पूरी तरह से उपयोग में ला सकें, तो भी एक बड़ी सख्या को बचाया जा सकता है। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में प्रशसनीय कार्य हो रहा है। परन्तु इसे अभी एक व्यापक रूप धारण करना है। कुष्ठ रोगियों की जितनी सख्या है, उसे देखते हुए, यही प्रतीत होता है कि अभी बहुत काम शेष है। यह तो आपको मालूम ही है कि पूरे विश्व में जितने कुष्ठ रोगी हैं, उनका चौथा भाग भारत में है। यह दिल दहलाने वाले आँकड़े हैं। इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, वर्तमान परिस्थितियों में कहीं अधिक है।

रोग कोई भी अच्छा नहीं। परन्तु कुछ रोग ऐसे हैं, जो मनुष्य के समूचे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके समस्त अस्तित्व को निर्जीव बना के रख देते हैं। ऐसे रोगियों को कितना कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, नमाज से वे कितनी दूर हो जाते हैं, हम ऐसे रोगियों की शारीरिक तथा मानसिक यत्न का अनुमान लगा सकते हैं। इनकी दशा अधिक विचारणीय है और

विशेषतः भारतीय समाज में, जहाँ अभी तक बहुत से लोग हृद्विगत, अध-विश्वामो से मुक्त नहीं हो सके हैं। इन रोगियों को समाज से उतनी सहायता और सहानुभूति नहीं मिल पाती, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

गार्धी जी ने हमारी दृष्टि इस ओर आकृष्ट की थी और लोगों के दिलों से छूत का मय दूर किया था। अपने हाथों कुष्ठ रोगियों की सेवा करके उन्होंने हमें यही बताया, कि इन अभागों की सेवा, एक श्रेष्ठ सेवा है। यदि समाज अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहे तो यही समझा जाएगा कि मानव-हृदय से मानवता उठ गई है। कोई भी सभ्य तथा विचारशील व्यक्ति इसे स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं कह सकता, और न ही यह मानवता के हित में है। महानुभूति एवं करुणा की भावना ने प्रकृति से पिछली में पिछली मनुष्य जाति का भी हृदय वंचित नहीं रखा। करुणा मनुष्य की बहुमूल्य निधि है। जहाँ करुणा है वहाँ पुरुषार्थ और उत्सर्ग की उत्कृष्ट भावना है। समाज इन मूल्यों के बिना निरर्थक समझा जाएगा।

कुष्ठ रोग में पीडित व्यक्ति समाज के संपूर्ण मरक्षण तथा सहायता का पात्र है। लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना आवश्यक है। मैं तो समझता हूँ कि एक बड़े पैमाने पर ऐसा प्रचार होना चाहिए, जिससे कि निराधार भ्रम दूर हो। इस बीमारी के लक्षणों को तथा कुछ विशेष सावधानियों की जनकारी जनता को मुलभ हो तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी की रोकथाम में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा और व्यक्ति विशेष को तुरत चिकित्सा की सहायता जुटाकर उसे शारीरिक तथा मानसिक यत्न में बचाया जा सकेगा। यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इन रोग के आघात से बचे रहें और परिवार के लोग निःसकोच ऐसे बच्चों का त्याग न करें, बल्कि उनकी तुरत चिकित्सा करवाएँ ताकि ठीक होने पर उनका स्थान अपने घर में सुरक्षित रहे। हमारे देश में अज्ञान और मकोत्र के कारण लोगों में बीमारी छुपाने का प्रचलन है और यही पहला कारण है कि रोगी पहली अवस्था में पकड़ में नहीं आता। रोग के बढ़ जाने पर, जारिरीक दशा शोचनीय हो जाने पर चिकित्सा सस्थानों की ओर रोगी आकृष्ट होता है। इन छोटी छोटी असावधानियों के कारण व्यक्ति और समाज दोनों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे समस्याएँ बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए कि लोग निश्चित और निर्भय होकर इस कार्य में अपना सहयोग दें। कुष्ठ निवारण के

लिए जितनी भी सस्थाएँ देश में कार्यरत हैं, उनको अपनी गतिविधियों को संस्था के क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय, इसकी सेवाओं को गाँव गाँव तक पहुँचाना चाहिए। ग्रामवासियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मेरे विचार में कुष्ठ रोग निवारण सील वेचे जाने चाहिए, जैसे क्षय रोग के सील वेचकर इस कार्य में पूरी जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता रहा है। ऐसा हो तो एक बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और पुनर्वासि के कार्यों में बड़ी सहायता मिलेगी। किसी भी कार्य में सफलता तभी मिल सकती है, जब पूरी जनता इस कार्य में भागीदार हो।

कुष्ठ रोगी दया का ही पात्र नहीं, उसके प्रति समाज का बड़ा दायित्व भी है, समाज उसे भूल नहीं सकता। मुझे खूबी है कि हिंद कुष्ठ-निवारण-संघ कई वर्षों से मानव की बड़ी सेवा कर रहा है। मजबूर लोगों के दुखों को कम करना, एक स्तुत्य कार्य है।

आपके सेवाकार्यों की निरंतर सफलता की मैं कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस मानवीय कार्य के लिये आगे आवेंगे।

सार्थक कदम

अखिल भारतीय स्वास्थ्य सघ के तत्वावधान में वैशाखी मेले का यहाँ जो आयोजन किया गया है वह जितना सोद्देश्य है, उतना ही सम्यक् भी है। मुझे यहाँ उपस्थित होने की बड़ी प्रसन्नता है।

मुझे बताया गया है कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य सघ एक स्वायत्त संस्था के रूप में १९२८ से नारी उत्थान एवं सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये स्थापित हुई थी और यह खुशी की बात है कि तब से आज तक इस संस्था द्वारा सामाजिक क्षेत्र में काफी कुछ उपयोगी कार्य हुआ है। मैं जानता हूँ कि आपकी संस्था की शाखाएँ समूचे भारत में फैली हुई हैं और राह से भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने, उन्हें सार्थक जीवन के लिये प्रशिक्षित और प्रेरित कर समाज का एक उपयोगी अंग बनाने में सहायता करने, सामाजिक और नैतिक अपराधों के मूल कारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने, इस प्रकार के स्वच्छंद जीवन से होनेवाली हानियों, समाज पर पड़नेवाले कुप्रभाव इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराने, जैसे अनेकों कार्यों को हाथ में लिया है।

सरकार की ओर से जो सहायता इस संस्था को प्राप्त है, वह कुछ कार्यक्रमों के लिये प्रयोग में लाई जाती है। परंतु अन्य समाज सुधारक प्रवृत्तियों के लिये धन संग्रह इस दृष्टि से किया जाना कि जनता का भी ऐसे कार्यों के लिये बराबर का सहयोग मिले, यह विचार एक उच्च लक्ष्य से प्रेरित होने के कारण, मैं समझता हूँ कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन सगत ही हैं।

भौतिक आवश्यकता मानव जीवन से संबद्ध है, लेकिन व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह केवल अपने लिये नहीं जीता और न ही वह अकेला जी सकता है। समाज पर वह सदैव निर्भर करता है। इसलिये व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का, जीवनचर्या और गतिविधियों का समाज पर असर पड़ता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नैतिक मूल्यों की अवहेलना, व्यक्ति और समाज दोनों के लिये घातक है, इन चीजों को हम चाहे, नैतिकता के तराजू में तोलें, चाहे विज्ञान की कसौटी पर परखें,

अतीत के अनुभवों पर यह बात साफ तौर पर जानी जा सकती है कि असामाजिक प्रवृत्तियों ने समाज में न केवल नाना प्रकार के दोष उत्पन्न किए हैं, बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है।

स्वास्थ्य मानव जीवन का आधार है, समाज की शक्ति है तथा राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति एवं गौरव का प्रतीक है। यह हम जानते हैं कि ऐसी चीजें अज्ञान, उचित शिक्षा के अभाव, लालन पालन में असावधानी बिना परिश्रम के अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के स्वप्न लेनेवाली क्षुधा तथा शोषण का प्रतीक है। स्वच्छता की खुली छूट मिल जाए, तो समाज का स्वरूप कितना विकृत हो सकता है, यह सोचना भी कठिन है। हमें अस्वस्थ समाज नहीं चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए, जहाँ मानवता का आदर हो, जहाँ एक दूसरे को सन्मार्ग पर ले चलने का उत्साह हो। जो लोग अपनी राह से भटक जाते हैं, वे हमारी दया के पात्र हैं। यह समाज की जिम्मेदारी है कि भूले हुए लोगों का समाज का उपयोगी अंग बनने का मौका दे, यह काम कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं इसके लिये आवश्यकता है कि विलासप्रिय जीवन के स्थान पर श्रमयुक्त जीवन की प्रतिष्ठा हो। आत्म-गौरव और स्वाभिमान की अनुभूति ही जीवन दृष्टि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यह सभी मानते हैं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये कानून आवश्यक तो है परंतु जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। वैज्ञानिक और नैतिक आधार लेकर ही हम समाज के बहुत से प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, इसलिये में समझता हूँ कि समाज में स्वास्थ्य रक्षा के लिये स्वच्छता के नियमों को एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। उन कारणों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, जिन से समाज का वातावरण ही दूषित नहीं होता बल्कि कमजोर हो जाता है।

मेरे आपके इस जन उपयोगी कार्य को समाज के लिये बहुत मूल्यवान मानता हूँ और चाहता हूँ कि आपके सत्प्रयासों में आपको सदैव सफलता मिलती रहे।

८. कृतज्ञता

नवभारत के निर्माण में सहयोग

आपने जिस स्नेह और आदर के साथ मेरा समान किया और मेरे प्रति जो सद्भाव प्रकट किए, यह मैं अपने लिये बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ और इसके लिये मैं आप सबका बड़ा आभार मानता हूँ ।

आपने अभी ठीक ही कहा है कि मेरे पहले, भारत के जिन सपूतों ने इस पद को सुशोभित किया है, वे सबके सब अपने अपने क्षेत्र के उज्ज्वल तारे हैं, पर उनके साथ मेरी गिनती कहाँ ? मैं तो सदा अपने को देश का एक साधारण सेवक समझता हुआ यथाशक्ति देश की सेवा करता रहा । अब भी मेरी वही भावना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिन-रात मेरी यही कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता के विश्वास और प्रेम का मैं पात्र बनूँ ।

मैं कर्नाटक का रहनेवाला हूँ । मेरी मातृभाषा कन्नड है और इन दोनों से मेरा गहरा प्रेम और लगाव है, लेकिन फिर भी, मैं सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानता हूँ और यह मैं अपने लिये गौरव की बात समझता हूँ । यही नहीं, मेरी एक और कमजोरी यह है कि जिस किसी से मिलता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, देश में विदेश में, भारत की महान् सभ्यता और संस्कृति की गरिमा को गुणगान करते नहीं थकता ।

जबलपुर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और बड़ा गौरवशाली है । स्वतंत्रता संग्राम में, यहाँ के लोगो ने जो अनुपम त्याग किए हैं और जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह निश्चय ही जबलपुर के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्रता के बाद, इस नगर का सर्वांगीण विकास हो रहा है और आज यह न केवल इस प्रदेश का बल्कि भारत का एक प्रमुख नगर माना जाता है । इसके लिये मैं आप सबको बधाई देता हूँ ।

बड़ी बड़ी सड़कें, ऊँचे ऊँचे भवन, शिक्षण सस्थाएँ, आवास और परिवहन की सुविधाएँ, कल कारखाने, ये सब किसी भी नगर की शोभा को अवश्य बढ़ाते हैं, किंतु नगर की असली महानता के मापदंड येही नहीं हो सकते । नगर की सच्ची महानता नागरिकों पर आधारित है । आपके नगर में,

भिन्न भिन्न राज्यों के, धर्मों के और भाषाओं के लोग रहते हैं । नगर की शांति व्यवस्था भंग न हो, यहाँ के लोग मिल जुलकर रहते हो, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हो । नगर को कितना साफ सुथरा रखते हो, भौतिक उन्नति के साथ साथ, नैतिक मूल्यों की ओर भी ध्यान देते हो । वास्तव में, इन्हीं बातों पर किसी नगर की महानता निर्भर रहती है । मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि पावन नर्मदा के तट पर स्थित इस नगर में सभी धर्मों, भाषाओं, वर्गों और जातियों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और इस नगर को उन्नत और समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं ।

आज हमारे देश का भाग्य हमारे हाथों में है । हम एक प्रगतिशील, समाजवादी, लोकतंत्रीय भारत का निर्माण करने के लिये कृतसंकल्प हैं । देश इतना बड़ा है और समस्याएँ इतनी विकट हैं कि यह कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है । लेकिन हमें साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से, एक जुट होकर, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना है । हमें गरीबी, अज्ञान, बीमारी और बेकारी की समस्याओं को हल करना है । कमजोरी, धलितों और पिछड़े हुए लोगों ऊपर उठाना है । यही नहीं, कहीं किसी कोने में, किसी राज्य में, अतिवृष्टि या किसी दूसरे प्रकार की दैवी विपत्ति आती है और तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है । अभी अभी पटना में जो भयकर बाढ़ आई और उससे लोगों को जो अनगिनत मुसीबतें उठानी पड़ी, वह सब आप जानते ही हैं । ऐसे संकट के समय उन पीड़ितों और प्रताड़ितों की सहायता करने में हरेक को अपना योगदान करना है । यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची भारतीयता है और यही मानवता का तकाजा है । हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि ऐसे संकट के समय सारा देश एक होकर सहायता के कार्य में जुट गया । इन कठिनाइयों व समस्याओं को देखकर आपको और हमको न तो घबराना है और न कर्तव्यविमुख ही होना है । इसका सामना करने के लिये हम में और आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और आदर्श भी । विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से राष्ट्र की असीम प्राकृतिक संपदा का विकास कर, भारत को समृद्धिशाली बनाना है । आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार को साकार करना है ।

आज हमारे देश के लिये दो चीजें आवश्यक हैं । सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमें कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता पर किसी तरह आंच लगे या किसी तरह

का जोखिम आए और इस स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रख सकें, इसकी योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिये आवश्यक है कि सारे देश को हम अपना देश समझे।

हमें अपने इतिहास और संस्कृति की एक महान् विरासत मिली है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की इस देन में अपनी कृतियों से इसकी श्रीवृद्धि करें। कुछ आगे बढ़ने का यत्न करें और देश को आगे बढ़ाने में सहायक बनें। यदि हम काम में जुट जाएँगे, तभी ये सारी बातें संभव होंगी। काम करने में हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवद्गीता में कहा है -- 'कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्' अर्थात् तुम्हें काम करने में जुट जाना चाहिए। आइए, हम और आप एक नए भारत के निर्माण में--एक ऐसे भारत के जहाँ सबको समान अवसर मिलेंगे, सब सुखी व संपन्न रहेंगे, जी जान से लग जाएँ।

आपने मेरा जो बहुत स्वागत किया और मुझे जो सुंदर उपहार दिया, उसके लिये मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह नगरनिगम विकास के पथ पर अग्रसर हो और जबलपुर की जनता सदा सुखी व संपन्न रहे, यही मेरी कामना और प्रार्थना है।

सेवा करने का सौभाग्य

इस प्राचीन और ऐतिहासिक नगर में आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया और इस अभिनन्दनपत्र में मेरे सवध में जो कृपापूर्ण शब्द व्यक्त किए हैं, उनके लिये मैं आप सवका अत्यंत आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे प्रति आपके प्रेम और स्नेह की उदारता है। मैं तो हमेशा अपने को एक साधारण व्यक्ति मानता हूँ और जिन विभिन्न पदों पर रहकर इस महान् देश और जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, उसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। हाँ, मैं आपको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूँ कि जीवन पर्यंत, किसी भी पद पर रहूँ या न रहूँ, अपने देश की गौरवशाली परंपराओं का पालन करूँगा और अपनी महान् सस्कृति के अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न करता रहूँगा।

उज्जैन न केवल प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है, बल्कि सदा से साहित्य, कला और सस्कृति का विकासस्थल भी रहा है। उज्जयिनी का नाम लेते ही, भारत की सस्कृति की गौरवगाथा और इतिहास का वह स्वर्णयुग हमारी आँखों के सामने चित्रवत् उपस्थित होता है। देवाधिदेव महाशिव महाकाल की महिमा से मडित यह धरती, कलकल करती क्षिप्रा, कविकुल से शोभायमान भोज का वैभवशाली राज्य, महाकवि कालिदास की कल्पनाओं से मुखरित यहाँ की पर्वत और मेघमालाएँ साकार हो उठती हैं। कालिदास के महाकाव्य और नाटक, जिनमें हमारे देश की सस्कृति और साहित्य का विपुल भंडार है, हमारी अमूल्य निधि है। वास्तव में, युगों से सचित अनुभव, सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक आदर्शों को उस महाकवि ने अपनी रचनाओं में प्रतिष्ठापित किया है। उन परंपराओं और आदर्शों से आज भी हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। महाकवि कालिदास के देशप्रेम, प्रकृतिप्रेम, राष्ट्रीय एकता और मानवीयता के महान् आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं।

आज हमारे देश में, हमारी प्रधान मंत्री की दूरदर्शिता और दृढ़ सकल्प के परिणाम स्वरूप एक ऐसे नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिसे पूज्य विनोबा जी ने 'अनुशासन पर्व' की सजा दी है। यह हमारे देश के भविष्य के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सवका यह उत्तरदायित्व है कि हम वर्तमान कठे

सुधारे और भविष्य को ऐसा सँवारे कि वह हमारे अतीत के गौरव के अनुरूप हो। हम इस बात का प्रयत्न करें कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएँ और नैतिक आदर्श स्थिर रहें और भविष्य को उज्ज्वल बनाने में वे सहायक सिद्ध हों। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में हमारी जो विशेषता है, उसका लाभ सभी को उपलब्ध हो। साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि आज ससार में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जो अभूतपूर्व उन्नति हो रही है, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जो नए नए साधन जीवन को सुखी बनाने के लिये उपलब्ध हो रहे हैं, उन सबको हम अपनाएँ, ग्रहण करें। इस तरह के समन्वय के द्वारा ही हम अपने देश का समुचित विकास कर सकते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी प्रणाली अथवा विचारधारा न अपने आप में अच्छी है और न बुरी। हमें यह देखना है कि वह हमारे लिये हमारी प्राचीन परंपराओं और वर्तमान परिस्थितियों के परिवेश में, कहाँ तक उपयोगी हो सकती है। उसे उपयोगी और अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना हमारा काम है। परिवर्तन और सशोधन प्रगति का लक्षण है।

आज हम एक ऐसे समृद्धिशाली भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सबको उन्नति के लिये समान अवसर उपलब्ध हो, जिसमें कोई पददलित वा प्रपीड़ित न हो, जिसमें जाति पाँति का कोई भेद न हो और सब एक जुट होकर देश को संपन्न बनाने के लिये कार्यरत हो। इसी लक्ष्य की प्राप्ति की प्रधान मंत्री का २० सूत्री कार्यक्रम एक कडी है। जनता के पूर्ण सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। इसलिये मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप इसमें अपना हाथ बटावें।

स्वतंत्रता संग्राम में हमको त्वरित सफलता इसलिये प्राप्त हुई कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये कोई भी त्याग करने के लिये तैयार थे। पूज्य महात्मा जी, पंडित जवाहरलाल जी, सरदार पटेल जैसे उन्नायकों के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास से काम किया। आज भी यदि हम उसी त्याग, कर्तव्यपरायणता और विश्वास के साथ काम करें तो अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे। यह एक महान् प्रयास है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। आइए, हम सब इस प्रयास में दत्तचित होकर सलग्न हो जाएँ और अचंचल आत्मविश्वास और अटूट एकता के साथ इस चुनौती का मुकाबला करें।

आप सब ने-जिस प्रेम और स्नेह से मेरा स्वागत किया है, उसके लिये फिर एक बार, मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरी यह कामना और प्रार्थना है कि उज्जैन का भविष्य उज्ज्वल हो और यहाँ की जनता सदा सुखी व संपन्न रहे।

संदर्भ

- १-सामाजिक और आर्थिक : चुनौतियाँ समाजवादी लोकमत्र के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक २६ अप्रैल १९७६।
- २-लोकमत की जिम्मेदारी : हिंदुस्तान समाचार बर्बई की रजत जयती समारोह के अवसर पर, दिनांक २७ मार्च १९७५।
- ३-पचायतो का दायित्व : रायबरेली जिला पचायत समेलन के अवसर पर दिनांक ११ फरवरी १९७६।
- ४-भूदान की रजत जयती : दिल्ली भूदान रजतजयती समिति के तत्वावधान में पदयात्रा सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक १२ अप्रैल १९७६।
- ५-ऐच्छिक सस्थाओं के सहयोग का महत्व : लाल गयालाल ट्रस्ट, कोसीकलाम द्वारा निर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक १६ फरवरी १९७५।
- ६-आर्यसमाज और सामाजिक न्याय : आर्यसमाज शताब्दी समारोह, वाराणसी के द्वारा आयोजित आर्य समेलन के उद्घाटन के अवसर पर, २७ फरवरी १९७६।
- ७-औद्योगिक प्रगति के प्रतीक : नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया ७६' भारतीय औद्योगिक मेले के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक १६ अप्रैल १९७६।
- ८-मूल्यों के प्रति श्रद्धा अखिल भारतीय दिगंबर भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव सभ के तत्वावधान में इंदौर में आयोजित समारोह के अवसर पर, दिनांक १३ जून १९७६।
- ९-भावात्मक एकता के साधन दिल्ली शिशु कल्याण परिषद् के तत्वावधान में आयोजित वसंत मेले के उद्घाटन के अवसर पर; दिनांक ४ फरवरी १९७६।
- १०-ग्रामोद्योगो का महत्व भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति के निरीक्षण के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधन, दिनांक ६ दिसंबर १९७५।

- ११-किसानों का किस्सा अखिल भारतीय किसान गोष्ठी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर, दिनांक ७ नवंबर १९७५ ।
- १२-मानव कल्याण का एक ठोस कार्य . अखिल भारतीय नशावदी परिषद् के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक १ फरवरी ।
- १३-देश की उन्नति में महिलाओं का योगदान अंतरराष्ट्रीय महिलावर्ष के उपलक्ष्य में फिल्म समारोह के अवसर पर, दिनांक २५ दिसंबर १९७५ ।
- १४-सामूहिक अनुभूति का विस्तार . भारत विकास परिषद् के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता समारोह के अवसर पर, दिनांक ४ फरवरी १९७६ ।
- १५-नैतिकता के संरक्षक . अखिल भारतीय जैन युवक संघ के तत्वावधान में आयोजित समारोह के अवसर पर, दिनांक २६ मई १९७६ ।
- १६-सामूहिक अनुभूति का विस्तार . भारत विकास परिषद् के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता समारोह के अवसर पर, दिनांक ४ फरवरी १९६६ ।
- १७-नैतिकता के संरक्षक अखिल भारतीय जैन युवक संघ के तत्वावधान में आयोजित समारोह के अवसर पर, दिनांक २६ मई १९७६ ।
- १८-कर्मवीरों की जन्मभूमि राजस्थान संस्था संघ, दिल्ली, के तत्वावधान में आयोजित राजस्थान दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक ३० मार्च १०-७६ ।
- १९-सीमा के संरक्षक : भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को जोशीमठ में संबोधन, दिनांक २१ मार्च १९७६ ।
- २०-भविष्य का मार्ग नेशनल चेम्बर आफ इंडस्ट्रीज ऐंड कामर्स, उत्तर प्रदेश, आगरा, की रजत जयंती समारोह के अवसर पर, दिनांक २८ दिसंबर १९७४ ।
- २१-देश और भाषा : दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, के दीक्षांत समारोह के अवसर पर, दिनांक १२ जुलाई १९७५ ।
- २२-सद्भावना और प्रेम का नया युग 'आलोक भरती' (मासिक) के विशेषांक 'विश्व हिंदी मेलन उपलब्धि अंक' के प्रकाशनाद्घाटन के अवसर पर; दिनांक ६ जून १९७५ ।

- २३-हिंदी की उपलब्धियाँ . विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर, के समापन समारोह के अवसर पर, दिनांक १३ जनवरी १९७५ ।
- २४-हिंदी के लिये एक समन्वित स्वरूप कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति के दीक्षात समारोह के अवसर पर, दिनांक १५ जुलाई १९७५ ।
- २५-साहित्यिक आदान प्रदान की आवश्यकता . हिंदी साहित्य समिति, भरतपुर की हीरक जयती समारोह के अवसर, दिनांक ६ दिसंबर १९७५ ।
- २६-राष्ट्रभाषा . सही परिप्रेक्ष्य : भारतीय हिंदी परिषद्, कालीकट, के तत्वावधान में आयोजित २७ वे अधिवेशन के समापन के अवसर पर, दिनांक ३१ दिसंबर १९७५ ।
- २७-राजभाषा अखिल भारतीय हिंदी सस्था सघ तथा हिंदी विद्यापीठ, देवघर, के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक १४ मई १९७६ ।
- २८-उद्बोधक सतवर : श्री विवेकानंद जी . विवेकानंद प्रतिष्ठान परिषद् के तत्वावधान में आयोजित स्वामी विवेकानंद जयती समारोह के अवसर पर, दिनांक ११ जनवरी १९७६ ।
- २९-त्यागमय जीवन की शिक्षा : सत ज्ञानेश्वर जी . वाराणसी में सत ज्ञानेश्वर महाराज की स्मृति में आयोजित समारोह में, दिनांक २१ फरवरी १९७६ ।
- ३०-सत्य के आराधक गुरु तेग बहादुर यमुना नगर में गुरु तेग बहादुर के तीन सौवे शहीदी दिवस के अवसर पर, दिनांक २ नवम्बर १९५५ ।
- ३१-धर्म के अनोखे प्रचारक आचार्य श्री तुलसी जी आचार्य श्री तुलसी जी के ५० वर्ष सपन्न होने पर, शिक्षा कल्याण समारोह के अवसर पर, दिनांक २८ दिसंबर १९७५ ।
- ३२-गीता का संदेश . गीता जयती के समापन समारोह के अवसर पर, दिनांक २१ दिसंबर १९७५ ।
- ३३-भगवान् महावीर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत्परिषद् के तत्वावधान में आयोजित समारोह के अवसर पर, दिनांक २ फरवरी १९७५ ।
- ३४ धर्म का सही रूप पाचवें विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर, दिनांक २२ नवंबर १९७४
- ३५ एक समाज सुधारक सगठन अंतरराष्ट्रीय आर्य समाज स्थापना शताब्दी समारोह के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक २४ दिसंबर १९७५

- ३६ भूखे भजन नं होय विश्वकल्याण आध्यात्मिक परिषद् के तत्वावधान मे आयोजित आध्यात्मिक तथा सास्कृतिक समेलन के अवसर पर, दिनाक ८ फरवरी १९७६
- ३७ मानव धर्म मानव धर्म मिशन के तत्वावधान मे आयोजित मानव धर्म-सम्मेलन, कुरुक्षेत्र, के उद्घाटन के अवसर पर, दिनाक ३ मई १९७५
- ३८ आध्यात्मिक मूल्यों का पुनरुत्थान ज्ञान बोध सभा के तत्वावधान मे आयोजित समारोह के अवसर पर; दिनाक २१ दिसम्बर १९७५
- ३९ विश्व कल्याण विश्व कल्याण आध्यात्मिक परिषद् के तत्वावधान मे आयोजित आध्यात्मिक तथा सास्कृतिक समेलन के अवसर, दिनाक ८ फरवरी १९७६
- ४० विश्वशांति सर्वधर्म समभाव विश्वशांति महायज्ञ के आयोजन के अवसर पर, दिनाक २२ जनवरी १९७५
- ४१ आत्मोन्नति के उन्नायक फिरोजावाद मे भगवान गोमटेश्वर जी की मूर्ति के स्वागत तथा प्रस्थापना के अवसर पर दिनाक १२ जून १९७५
- ४२ कालिदास साहित्य देवी का विलास कालिदास समारोह समिति, उज्जैन, के तत्वावधान मे आयोजित अष्टदश कालिदास समारोह के समापन के अवसर पर, दिनाक २० नवम्बर १९७५
- ४३ विद्यापति : सस्कृति के सेवक मिथिला सघ, दिल्ली, के तत्वावधान मे आयोजित विद्यापति स्मृति समारोह के अवसर पर, दिनाक २३ मई १९७६ ।
- ४४ मीरा नारी चेतना की उन्नायक मीरा प्रतिष्ठान महिला मडल, उदयपुर, के तत्वावधान मे आयोजित 'मीरा व्याख्यान माला' के उद्घाटन के अवसर पर, दिनाक, २० अक्तूबर १९७५ ।
- ४५ साहित्य और राष्ट्रतथान नागरी प्रचारिणी सभा दिल्ली, के तत्वावधान मे आयोजित 'रामचरितमानस' रचना दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर, दिनाक १ अप्रैल १९७६ ।
- ४६ साहित्य के द्वारा मानव हित की साधना भाई वीर सिंह के जन्म जयती के अवसर पर, दिनाक ५ दिसम्बर १९७५ ।
- ४७ साहित्यकारो एव कलाकारो का दायित्व भारत विकास परिषद् के

- तत्वावधान मे आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता समारोह के अवसर पर; दिनांक ४ फरवरी १९७६।
- ४८-चित्रकला चित्रकला सगम, नई दिल्ली, के तत्वावधान मे आयोजित समारोह के अवसर पर; दिनांक १० फरवरी १९७६।
- ४९-गोरखनाथ और पाडुलिपियो की संस्कृत ग्रन्थ सूची नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित पुस्तको के प्रमोचन के अवसर पर, दिनांक १२ जून १९७६।
- ५०-आदर्श का अनावरण दिल्ली नगर निगम की ओर से कुदसिया बाग मे स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, दिनांक १९ फरवरी १९७६।
- ५१-स्वातंत्र्य संग्राम के महान योद्धा श्री नेताजी : नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा अनावरण के समारोह के अवसर पर, दिनांक २३ फरवरी १९७५।
- ५२-कर्मयोगी श्री राजेंद्र प्रसाद जी बिहार एसोसिएशन, दिल्ली के तत्वावधान मे आयोजित स्वर्गीय डा० राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर, दिनांक ३ दिसंबर १९७५।
- ५३-तप और त्याग की मूर्ति : श्री लालबहादुर शास्त्री जी श्री लालबहादुर शास्त्री सेवा निकेतन के तत्वावधान मे आयोजित श्री लालबहादुर शास्त्री जी की दसवी पुण्य तिथि के अवसर पर दिनांक ११ जनवरी १९७६।
- ५४-राष्ट्रीयता का स्थायी आधार श्री फखरुद्दीन अली अहमद . राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी के ७१ वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य मे आयोजित एकता दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक १३ मई १९७६।
- ५५-हिंदी जगत् की एक महान विभूति . श्री श्यामसुंदर दास : श्री श्यामसुंदर दास जी जन्मशती समापन समारोह के अवसर पर; दिनांक १९ मई १९७५।
- ५६-मानवकल्याण के साधक : श्री आनंदी लाल पोद्दार . श्री आनंदी लाल पोद्दार जन्म-शताब्दी समारोह के अवसर; दिनांक ७ सिसंबर १९७४।
- ५७-व्यक्तित्व का निर्माण . श्री एस० आर० सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाजपतनगर, नई दिल्ली के वार्षिक समारोह के अवसर पर, दिनांक ३ दिसंबर १९७५।

- ५८-राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व : केम्ब्रिज विद्यालय नंबर-२ के वाषिकोत्सव के अवसर पर, दिनांक १३ दिसंबर १९७५ ।
- ५९-समाज की एक जिम्मेदारी : मूक-बधिर बच्चों के फिनर्ज नर्सरी स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक २ अक्टूबर १९७४ ।
- ६०-प्रघाति के कारण : मोतीराम आर्य सीनियर माडल स्कूल, चंडीगढ़ के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर, दिनांक ५ फरवरी १९७४ ।
- ६१-परिवार की खुशहाली : उदयपुर विश्वविद्याय के गृहविज्ञान कालेज के भवन के शिलान्यास के अवसर पर, दिनांक २० अक्टूबर १९७५ ।
- ६२-व्यास शिक्षा : अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन के तत्वावधान में आयोजित 'व्यास शिक्षा' प्रमोचन समारोह के अवसर पर, दिनांक १७ जुलाई १९७६ ।
- ६३-समाज के नन्हें पीढ़े, अकुर नर्सरी स्कूल, चण्डीगढ़, द्वारा आयोजित समारोह के अवसर पर; दिनांक ३ मार्च १९७६ ।
- ६४-आशाओं के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप : फिरोजगांधीमहाविद्यालय, रायवरेली, के दीक्षांत समारोह के अवसर पर; दिनांक ११ फरवरी १९७६ ।
- ६५-शिक्षण का पुनर्निर्माण : लालगंज डिग्री कालेज, रायवरेली, के वाषिकोत्सव के अवसर पर, दिनांक ११ फरवरी १९७६ ।
- ६६-हमारी शिक्षण पद्धति : दिगंबर जैन महाविद्यालय, वडोत, के दीक्षांत समारोह के अवसर पर, दिनांक २ मई १९७६ ।
- ६७-महिलाओं और शिक्षण : जैन स्थानक वासी महिला डिग्री कालेज, वडोत, के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर, दिनांक २ मई १९७६ ।
- ६८-योग्य शिक्षण प्रणाली : दिगंबर जैन महाविद्यालय, वडोत, के दीक्षांत समारोह के अवसर पर, दिनांक २ मई १९७६ ।
- ६९-राज के तीर्थ स्थान : डी ए वी इटर कालेज, वुलदशहर, के छात्रसभ में, दिनांक ४ फरवरी १९७५ ।
- ७०-अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता : गांधी वाल निकेतन माटेसरी स्कूल, वुलदशहर, में, दिनांक ४ फरवरी १९७५ ।
- ७१-प्रगति के पथ पर आयुर्वेद : आयुर्वेद चिकित्सालय, हरचदपुर (रायवरेली) के उद्घाटन के अवसर पर, दिनांक ११ फरवरी १९७५ ।

- ७२-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना : उच्चिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाल गज (रायबरेली) के शिलान्यास के अवसर पर, दिनांक ११ फरवरी १९७६
- ७३-प्रधत्व निवारण के लिये अभियान : राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्थान, उज्जैन, के तत्वावधान में आयोजित नेत्र सुरक्षा प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर; दिनांक २१ नवंबर १९७५
- ७४-नेत्र चिकित्सा : मोहन सिंह स्मारक नेत्र चिकित्सालय, रायबरेली, की आधार शिला रखने के अवसर पर; दिनांक ११ फरवरी १९७६।
- ७५-अधो को आत्मनिर्भर बनाने की प्रशसनीय योजना. नेशनल ब्लाड रिलीफ ट्रस्ट के समारोह के अवसर पर, दिनांक १९ दिसंबर १९७४।
- ७६-मानवीय अनुकंपा का कार्य 'रोटरी क्लब आफ देहली के द्वारा निर्मित क्रेच भवन उद्घाटन के अवसर पर राजेन बाबू टी. वी. चिकित्सालय, किंगज्वे कैम्प, दिल्ली में, दिनांक १० जून १९७५
- ७७-दृष्टिकोण में अपेक्षणीय परिवर्तन: हिंद कुष्ठ निवारण सघ के तत्वावधान में आयोजित कुष्ठ निवारण दिवस के अवसर पर; दिनांक ३० जनवरी १९७५।
- ७८-सार्थक कदम : अखिल भारतीय स्वास्थ्य सघ के तत्वावधान में आयोजित वैशाखी मेले के अवसर पर, दिनांक १० अप्रैल १९७६।
- ७९-नवभारत के निर्माण में सहयोग. जबलपुर नगर निगम के तत्वावधान में आयोजित अभिनदन समारोह में, दिनांक ८ नवंबर १९७५।
- ८०-सेवा करने का सौभाग्य . उज्जैन नगर निगम की ओर से आयोजित नागरिक अभिनदन के अवसर पर; दिनांक २१ नवंबर १९७५।

